	प्रयोजन के विना दूसरे ज्यान के रोकने के लिये किया गया हो-
८२	काम सात वरस से नीचे की अवस्था के वालक का-
८३	काम सात वरस से ऊपर और वारह वरस से नीचे की अवस्था के वालक का जिसकी समझ यथोचित पकी न हो-
८४	काम सिड़ी मनुष्य का-
८५	काम किसी मनुष्य का जो अपनी इच्छा के विरुद्ध दियेहुए नशे के कारण विचार करने को असमर्थ हो-
८६	जिस अपराध के लिये कोई विशेष ज्ञान अथवा प्रयोजन अवश्य हो उसको कदाचित कोई मनुष्य नशे की अवस्था में करे-
८७	काम जो विना प्रयोजन अथवा विना जाने इस वात के कि इस से किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख होना अति सम्भावित है उसी मनुष्य की राज़ी से किया जाय-
८८	काम जो मृत्यु करने के प्रयोजन विना शुद्ध भाव से किसी मनुष्य की राज़ी से उसके भले के लिये किया जाय-
८९	काम जो शुद्ध भाव से किसी वालक अथवा सिड़ी मनुष्य के भले के लिये उसकी रक्षक की ओर से अथवा राज़ी से किया जाय-
९०	राज़ी जो जान ली जाय कि भय अथवा धोखे से दी गई-
तथा	राज़ी किसी वालक अथवा सिड़ी मनुष्य की-
९१	काम जो इस वात को छोड़ कर भी कि राज़ी देनेवाले मनुष्य को उससे ज्यान पहुंचा आपही अपराध हो दफा ८७ और ८८ और ८९ की छूटों में आन्नी नहोंगे-
९२	काम जो शुद्धभाव से किसी मनुष्य के भले के लिये विना राज़ी के किया जाय-
तथा	नियम
९३	शुद्धभाव से कुछ कहदेना-

९४ काम जिसके करने के लिये कोई मनुष्य धमकी के द्वारा वेवश किया जायं-
९५ कोई काम जिससे कुछ तुच्छ ज्यान हो-

निजरक्षा का अधिकार

९६ कोई काम जो निज रक्षा के लिये किया जाय अपराध न होगा-
९७ तन और धन की रक्षा का अधिकार
९८ निज रक्षा का अधिकार सिड़ी इत्यादि मनुष्यों के काम से-
९९ जिन कामों के रोकने के लिये निज रक्षा का अधिकार न होगा-
नया इस अधिकार के वर्तने की अवधि
१०० तन की निज रक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा-
१०१ यह अधिकार मृत्यु को छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचाने तक कब हो सकेगा-
१०२ तन की निज रक्षा का आदि अन्त
१०३ धन की निज रक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा-
१०४ यह अधिकार मृत्यु को छोड़ दूसरा कोई ज्यान कर देने तक कब हो सकेगा-
१०५ धन की निज रक्षा के अधिकार का आदि अंत-
१०६ निज रक्षा का अधिकार मृत्यु करके हठैया रोकने को उस अवस्था में जब किसी धन अपराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचाने की जोखिम हो-

अध्याय ५
सहायता के विषय में

१०७ सहायता देनी काम की
१०८ सहाई
१०९ दंड सहायता का कदाचित् यह काम जिसकी सहायता हुई उसी

	सहायता के कारण किया गया हो और उस के दंड का कोई सष्टलेष नहे
११०	दंड सहायता का कदाचित् सहायता पानेवाला मनुष्य अपराध के काम को सहायता करने वाले के प्रयोजन के सिवाय किसी और प्रयोजन से करे -
१११	दंड सहायता करनेवाले को जबकि एक काम में सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय -
११२	सहाई कब इस योग्य होगा कि जिस काम में उसने की और जो काम किया गया दोनों दंड पावे -
११३	दंड सहाई को उस परिणाम के बदले जो उसके प्रयोजन किये हुए परिणाम से भिन्न हो -
११४	मौजूद होना सहाई का अपराध होने के समय
११५	सहायता किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड वध अथवा जन्म भर का देश निकाला हो कदाचित् वह अपराध सहायता के कारण न किया -
तथा	कोई काम जिस से न्यान होता हो सहायता के कारण होजाय -
११६	सहायता किसी अपराध में जो कैद के दंड योग्य हो कदाचित् वह अपराध उस सहायता के कारण न किया जाय -
तथा	कदाचित् सहाई अथवा सहायता पाने वाला मनुष्य कोई ऐसा सर्कारी नौकर हो जिसका काम उस अपराध का रोकना हो -
[illegible]	[illegible] किसी अपराध करने में [illegible] वा दस से अधिक मनुष्यों के द्वारा -
[illegible]	[illegible] किसी ऐसे अपराध के [illegible] [illegible] [illegible] के दंड योग्य हो -
[illegible]	[illegible]

तथा	कदाचित अपराध हो न जाय।
११९	[illegible]
तथा	कदाचित अपराध वध इत्यादि के दंड योग्य हो-
तथा	जब अपराध हो न जाय-
१२०	छुपाना उद्योग का जो क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के करने के लिये हो-
तथा	कदाचित अपराध हो जाय-

अध्याय २

राज्य विरोधी अपराधों के विषय में

तथा	कदाचित अपराध हो न जाय
१२१	श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करना अथवा युद्ध करने का उद्योग करना अथवा युद्ध करने में सहायता देना-
१२२	श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करने के प्रयोजन से हथियार इत्यादि इकट्ठे करना-
१२३	सुगमता के प्रयोजन से युद्ध के उद्योग को छुपाना-
१२४	उधेपा करना गवरनर जनरेल अथवा लफ्तेनेंट गवर्नर इत्यादि पर किसी नीति पूर्वक क्रोद दबाकर वर्तवाने अथवा वर्तने से रोक देने के प्रयोजन से-
१२५	युद्ध करना किसी दर्बार के साथ जो महाद्वीप एशिया में श्री मती महारानी का हितकारी हो-
१२६	लूटमार करना किसी ऐसे अधिपति के राज्य में जो श्री मती महारानी के दरबार के साथ सौंध रखता हो-
१२७	रख लेना ऐसे माल का जो दफा १२५ व १२६ में वर्णन किये हुए युद्ध अथवा लूटमार के द्वारा प्राप्त हुआ हो-

१२८	सर्वसम्बन्धी नौकर का जानबूझ कर राजकैदी अथवा युद्ध के कैदी को अपनी चौकसी में से भाग जाने दे -
१२९ -	सर्वसंबंधी नौकर को असावधानी से राजकैदी अथवा युद्ध के कैदी को भाग जाने दे
१३०	ऐसे कैदी के भागने में सहायता देना अथवा छुड़ा लेना अथवा आश्रय दे

अध्याय ७

जंगी अथवा जहाजी सिना संबंधी अपराधों के विषय में

१३१	बगावत में सहायता देना अथवा किसी सिपाही अथवा जहाजी केव टको उसके काम में बहकाने का उद्योग करना -
१३२	सहायता करना बगावत में जब कि वह बगावत उसी सहायता के कारण होजाय -
१३३	सहायता देना किसी उठैये में जो कोई सिपाही अथवा केवट के अपने ऊपर के अफसर पर जब कि अपने ओहदे का काम भुगताता हो करे -
१३४	सहायता ऐसे उठैये में कदाचित वह उठैया होजाय -
१३५	सहायता देना किसी सिपाही अथवा केवट के भागने में -
१३६	नौकरी के भागे हुए को आश्रय देना -
१३७	नौकरी से भागा हुआ मनुष्य को किसी सौदागरी जहाज में उसके नाव पति की असावधानी से छुपा हुआ जाय -
१३८	किसी सिपाही अथवा केवट को आज्ञा भंग के काम में सहायता देनी -
१३९	जो मनुष्य जंगी क़ानून के आधीन हैं इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य नहीं होंगे -
१४०	पहिरना सिपाही की वरदी का -

अध्याय ८

सर्वसंबंधी कुशल ता में विघ्न डालने वाले अपराधों के विषय में

दफ़ा	संक्षेप
१४१	अनीति जमाउ
१४२	साम्भी होना किसी अनीति जमाउ में
१४३	दंड
१४४	साम्भी होना किसी अनीति जमाउ में कोई मृत्युकारक हथियार बांधकर -
१४५	मिलना अथवा बना रहिना किसी अनीति जमाउ में यह जानवूझकर कि उसके फेलफूट होने के लिये आज्ञा हो चुकी है
१४६	वलजो सब साम्भियों के मतलब के लिये एक साम्भी की ओर से वर्त्ता गया -
१४७	दंगा करने के लिये दंड -
१४८	मृत्युकारी हथियार बांधकर दंगा करना -
१४९	हर साम्भी किसी अनीति जमाउ का अपराधी उस अपराध का गिना जायगा जो सब साम्भियों का मतलब प्राप्त होने के लिये किया जाय -
१५०	किस अनीति जमाउ में मिलने के लिये मनुष्यों को नौकर रखना अथवा नौकर रखने में आनाकानी देना -
१५१	जानवूझकर मिलना अथवा बना रहिना पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यों के किसी जमाउ में पीछे इसके कि उसके फेलफूट होने की आज्ञा हो चुकी हो -
१५२	सर्वसंबंधी नौकर पर उंदेया करना अथवा उसको रोकना जब कि वह दंगे इत्यादि का होना बंद करता हो -
१५३	विना वान कोप कराने का काम करना दंगा होने के मंयान नमे

दफा	संक्षेप
तथा	कदाचित् दंगा होजाय-
तथा	कदाचित न हो-
१५४	मालिक अथवा काबिज धरती का जिस पर अनीति जमाउ जुडे
१५५	दंडयोग्य होना उस मनुष्य का जिसके भले के लिये दंगा किया जाय
१५६	दंड योग्य उस मालिक अथवा काबिज के कारिंदे का जिस के भले के लिये दंगा किया गया हो-
१५७	[illegible] कर रक्खे गये हो-
१५८	किसी अनीति जमाउ अथवा दंगे में साझा करने के लिये नौकर होना
तथा	हथियार बांधकर फिरना-
१५९	खाने जंगी-
१६०	खानेजंगी करने का दंड-

अध्याय ९

अपराध जो सर्वसंबंधी नौकरों की ओर से किये जायं अथवा जो उनसे संबंध रक्खे

दफा	संक्षेप
१६१	सर्वसंम्बी नौकर जो अपने ओहदे अधिकारी काम के मध्ये सिवाय कानून अनुसार चाकरी के कुछ घूस की आनि ले-
१६२	लेना घूस का किसी सर्वसंबंधी नौकर को बुरे अथवा कानून विरुद्ध उपाय से फुसलाने के निमित्त-
१६३	लेना घूस का किसी सर्व संबंधी नौकर को निज सिपारस करने के लिये-
१६४	ऊपर वर्णन किये हुए अपराधों में सर्वसंबंधी नौकर की ओर से सहायता होने के लिये दंड-
१६५	सर्वसंबंधी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु विना बदला दिये किसी मनुष्य से ले जिस का कुछ सार्य उस सर्वसंबंधी नौकर के किये

हुए किसी मुकद्दमे में अथवा काम में हो -

६ सर्वसंबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से क़ानून की आज्ञा को उल्लंघन करे -

७ सर्वसंबंधी नौकर जो हानि पहुंचाने के प्रयोजन से कुछ अशुद्ध लिखत बनावे -

६८ सर्वसंबंधी नौकर जो क़ानून की आज्ञा के विरुद्ध व्योपार करे -

६९ सर्वसंबंधी नौकर जो क़ानून की आज्ञा के विरुद्ध कुछ वस्तु मोल ले अथवा लेने के लिये बोली बोले -

७० सर्वसंबंधी नौकर का मिस करना -

७१ सर्वसंबंधी नौकर की वरदी पहिरना अथवा चिन्ह रखना छल छिद्र के प्रयोजन से -

अध्याय १०

सर्वसंबंधी नौकरों के नीति पूर्वक अधिकार का अपमान करने के विषय में

१७२ सर्वसंबंधी नौकर के जारी के हुए सम्मन अथवा और किसी आज्ञापत्र जारी होने से बचने के लिये रूपोश होना -

७३ रोकना किसी सम्मन अथवा और प्रकार के हुक्मनामे के जारी होने अथवा प्रगट किये जाने से -

१७४ सर्वसंबंधी नौकर के आज्ञा के अनुसार हाजिर में चूकना -

१७५ किसी सर्वसंबंधी के सामने कोई लिखत पेश करने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर उस लिखत का पेश करना अवश्य हो

७ किसी सर्वसंबंधी नौकर को इत्तला देने अथवा खबर पहुंचाने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर उस इत्तला अथवा खबर पहुंचाना क़ानून अनुसार अवश्य हो -

दफा	संक्षेप
१७८	सौगन्द करनेसे नटना उससे मनुष्य जब कि कोई सर्वसंबंधी नौकर सौगन्द करनेकी आज्ञा दे-
१७९	उत्तर न देना किसी ऐसे सर्वसंबंधी नौकर के प्रश्न का जिसको प्रश्न करने का अधिकार हो-
१८०	इज़हार पर दस्तख़त करनेसे नाही करना-
१८१	सौगंद करके झूंठा इज़हार देना किसी सर्वसंबंधी नौकर अथवा उस मनुष्य के सामने जो कानून अनुसार सौगंद करनेका अधिकारी है-
१८२	झूंठी खबर देना इस प्रयोजन कि कोई सर्वसंबंधी नौकर अपना कानून अनुसार अधिकार काम में लावे और उससे दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचे-
१८३	सामना करना किसी वस्तु के लिये जाने में जो किसी सर्वसंबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से ली जाय-
१८४	रोकना किसी वस्तु के नीलाम का जो किसी सर्वसंबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी हो-
१८५	क़ानून विरुद्ध मोल लेना अथवा मोल लेने को बोली बोलना किसी वस्तु के लिये जो किसी सर्वसंबंधी नौकर की आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी हो-
१८६	किसी सर्वसंबंधी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में रोकना-
१८७	किसी सर्वसंबंधी नौकर को सहायता देने से चूकना उस अवस्था में जबकि सहायता देना कानून अनुसार अवश्य हो-
१८८	न मानना किसी आज्ञा को जो किसी सर्वसंबंधी नौकर ने यथोचित दी हो-
	सर्वसंबंधी नौकर को हानिपहुंचानेकी धमकी
	हानिपहुंचाने की धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सर्व

दफा	संक्षेप
	संबंधी नौकरसे रक्षा मांगनेमें रुकजाय -
	अध्याय ११
	झूंठी गवाही और सर्व संबंधी न्यायमें विघ्नडालने वाले अपराधोंके विषयमें
१९१	झूंठी गवाहीदेना -
१९२	झूंठी गवाही वनाना
१९३	झूंठी गवाही के वदले दंड -
१९४	झूंठी गवाहीदेना अथवा झूंठा सवूत वनाना किसी परऐसा अपराध सावित करनेकेलिये जिसका दंड वध हो -
तथा	कदाचित निरपराधी मनुष्यको उस गवाही अथवा सवूतके कारण अपराधी सावित होकर दंड वध का हो जाय -
१९५	झूंठी गवाहीदेना अथवा झूंठा सवूत वनाना इस प्रयोजनसे कि किसी परऐसा अपराध सावित होजिसका दंड देशनिकाला अथवा कैदहो -
१९६	काममेंलाना ऐसे सवूतका जो जान लिया गया हो कि झूंठाहै -
१९७	जारी करना अथवा दस्तखत लिखना झूंठे सारटीफिकट पर -
१९८	काममेंलाना सच्चे सारटीफिकटकी भांति किसी सारटीफिकेट का जो मुख्य वातमें झूंठ जान लिया गयाहो
१९९	झूंठ वयान किसी ऐसे इज़हारमें जो क़ानून अनुसार सवूतकी भांति लिया जासकताहो -
२००	काममें लाना सच्चे की भांति ऐसे किसी इज़हार को जो जान लिया गयाहो कि झूंठाहै -
२०१	अपराधी के वचाने के लियेलोप करदेना अपराधके सवूतका अथवा देना झूंठी खवरका -

दफ़ा	संक्षेप
तथा	कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो-
तथा	कदाचित देश निकाले के दंड योग्य हो-
तथा	कदाचित बरस से कमती म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो-
२०२	जान बूझकर किसी अपराध की खबर देने से चूकना किसी मनुष्य का जिसपर खबर देना अवश्य हो
२०३	देना झूठी खबर का किसी अपराध के जो हो गया हो-
२०४	नष्ट कर देना किसी लिखतम का इसलिये कि वह सबूत में पेश न हो सके-
२०५	किसी मुक़द्दमे में कुछ काम अथवा कारवाई करने के लिये दूसरे मनुष्य का रूप धरना-
२०६	छल छिद्र से उठा ले जाना अथवा छुपा देना किसी वस्तु का इस प्रयोजन से कि ज़प्ती में अथवा इजराय डिगरी में उसका लिया जाना रुक जाय-
२०७	छल छिद्र से दावा करना किसी वस्तु पर इस प्रयोजन से कि उसका लिया जाना ज़प्ती में अथवा इजराय डिगरी में रुक जाय-
२०८	छल छिद्र अपने ऊपर लेना किसी डिगरी का जिसका रुपया वाजिबी न हो-
२०९	अदालत में झूठा दावा-
२१०	छल छिद्र से प्राप्त करनी कोई डिगरी जिसका रुपया वाजिबी न हो-
२११	हानि पहुंचाने के प्रयोजन से झूठ मूठ अपराध लगाना-
२१२	आश्रय देना किसी अपराधी को-
तथा	कदाचित अपराध के वध के दंड योग्य हो-
तथा	कदाचित अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य हो-

२१३	किसी अपराधी को दंड के बचाने के बदले इनाम इत्यादि लेना
तथा	कदाचित अपराध वध के दंड योग्य
तथा	कदाचित अपराध जन्म भर के देशनिकाले अथवा क़ैद के योग्य हो -
२१४	अपराधी को दंड से बचाने के बदले इनाम देना अथवा कुछ वस्तु फेर देनी -
तथा	कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो -
तथा	कदाचित जन्म भर के देशनिकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य हो -
२१५	इनाम लेना चोरी इत्यादि का माल निकलने में सहायता देने के बदले -
२१६	आश्रय देना किसी अपराधी को जो बंध से भाग गया हो अथवा जिसके पकड़े जाने की आज्ञा हो चुकी हो -
तथा	कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो -
तथा	कदाचित अपराध जन्म भर के देशनिकाले अथवा क़ैद के योग्य हो -
२१७	सर्व संबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा किसी माल को जप्ती से बचाने के प्रयोजन से किसी नीति पूर्वक आज्ञा को न माने -
२१८	सर्व संबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा माल को जप्ती से बचाने के प्रयोजन से कि कोई लिखत मंत्र शुद्ध बनावे अथवा लिखे -
२१९	सर्व संबंधी नौकर जो किसी कुप्रयोजन से किसी न्याय संबंधी कारवाई में कोई ऐसी आज्ञा अथवा रिपोर्ट इत्यादि करे जिसको वह जानता हो कि क़ानून से विरुद्ध है -
२२०	जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्य को बंधि में रक्खे अथवा तजवीज़ के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपे यह जानता भया कि मैं क़ानून के विरुद्ध करता हूं -

२२१	जिस सर्वसंबंधी पर किसी को पकड़ना क़ानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जानबूझकर चूक होगी-
२२२	जिस सर्वसंबंधी नोकर पर पकड़ना किसी मनुष्य को जिस पर दंड की आज्ञा किसी अदालत में हो चुकी हो क़ानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जानबूझकर चूक होनी-
२२३	जो सर्वसंबंधी नोकर अपनी असावधानी से किसी को बंधि से भाग जाने दे-
२२४	अपने नीति पूर्वक पकड़े जाने में किसी की ओर से सामना अथवा रोक होनी-
२२५	किसी दूसरे मनुष्य के नीति पूर्वक पकड़े जाने में सामना अथवा रोक करना-
२२६	अपनी निरोगिते देश निकाले से लौट आना-
२२७	दंड की माफ़ी के क़ौलकरार को तोड़ना-
२२८	जानबूझ कर अपमान करना किसी सर्वसंबंधी नोकर का अथवा विघन डालना उसके काम में जबकि वह किसी न्याय के मामले की किसी अवस्था में उपस्थित हो-
२२९	झूठा मिसकर के पंच अथवा असेसर बनना-

अध्याय १२

सिक्कों और गवर्नमेन्ट के राज्य संबंधी अपराधों के विषय में

२३०	सिक्का
नपा	श्रीमती महारानी का सिक्का
२३१	खोटा सिक्का बनाना
२३२	श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाना-
	खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाना अथवा बेचना-

२३४	श्री मती महारानी का खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाने अथवा बेंचना -
२३५	पास रखना औज़ार या सामान का इस प्रयोजन से कि खोटा सिक्का बनाने के लिये काम में आवे -
२३६	हिन्दुस्तान के बाहर खोटा सिक्का बनाने के लिये हिन्दुस्तान में सहायता देनी -
२३७	खोटे सिक्के को हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य से बाहर लेजाना अथवा भीतर लाना -
२३८	श्री मती महारानी के खोटे सिक्के को हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य से बाहर लेजाना अथवा भीतर लाना -
२३९	देना किसी मनुष्य को कोई सिक्का जो खोटा जानबूझ कर पास रक्खा गया हो -
२४०	देना श्री मती महारानी के सिक्के का जो खोटा जानबूझकर पास रक्खा गया हो -
२४१	खरे सिक्के की भांति देना किसी मनुष्य को कोई सिक्का जिसको देने वाले ने अपने पास आने के समय खोटा न जाना हो -
२४२	खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसको खोटा न जान लिया हो -
२४३	श्री मती महारानी का खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसको खोटा जान लिया हो -
२४४	जो मनुष्य टकसाल में नौकर हो कोई सिक्का कानून अनुसार टोल्र्ई तोल अथवा धातु से दूसरी तोल अथवा धातु कानून वावे -
२४५	अनीति रीति से लेजाना किसी टकसाल में सिक्का बनाने का कोई औज़ार -
२४६	छल छिद्र से सिक्के की तोल घटाना अथवा धातु बदलना -

२४७	छलछिद्र से श्री मती महारानी के सिक्के की तोल घटना अथवा धातु वदलना-
२४८	रूप वदलना किसी सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाया जाय-
२४९	रूप वदलना श्रीमती महारानी के सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार की सिक्के की भांति चलाया जाय-
२५०	देना दूसरे को कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि वदला हुआ है-
२५१	देना किसी मनुष्य को श्री मती महारानी का कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि वदला हुआ है-
२५२	होना वदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जान लिया हो कि वदला हुआ है-
२५३	होना श्री मती महारानी के वदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जान लिया हो कि वदला हुआ है-
२५४	खरे सिक्के की भांति देना किसी को कोई ऐसा सिक्का जिसको देने वाले ने अपने पास आने के समय वदला हुआ न जाना हो-
२५५	गवर्नमेंट का स्टाम्प खोटा वनाना
२५६	गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प वनाने के लिये औज़ार अथवा सामान पास
„	रखना-
२५७	वनाना अथवा वेंचना औजार का कोई गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प वनाने के निमित्त-
२५८	गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प वेंचना-
२५९	गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प पास रखना-
२६०	खरे स्टाम्प की भांति काम में लाना गवर्नमेंट के किसी स्टाम्प

कोजोजान लियागयाहोकि झूंठाहै -

२६१ गवर्नमेंटका नुकसान करनेके प्रयोजन से मिटाना किसी लेखको किसी वस्तु सेजिसपर गवर्नमेंट का कोई स्टाम्प लगाहो अथवा दूरिकरना किसी लिखतम से किसी स्टाम्प कोजोउसकेलियेल गाया गयाहो -

२६२ काम में लाना गवर्नमेंट के किसी स्टाम्पको जोजान लिया गया होकिआगे काम में आ चुकाहै -

२६३ मिटाना किसी चिन्हा जिस्सेजाना जाय कि स्टाम्प काम में आ चुकाहै -

अध्याय१३

नाप तोल सम्बंधी अपराधोंके विषयमें

२६४ छलछिद्र से काम में लाना तोलने के किसी झूंठे औज़ार को -

२६५ छलछिद्र सेकाम में लाना किसी झूंठे बाट अथवा नापको -

२६६ झूंठे बांट अथवानाप पसाररखने -

२६७ झूंठे बांट अथवा नांपबनाने अथवा बेंचने -

अध्याय१४

सर्वसंबंधी आरोग्यता अथवा कुशलता और सज्जनता और सुशीलता में विघ्न डालने वाले अपराधोंके विषयमें

२६८ सर्वसंबंधी बाधा

२६९ असावधानी किसी काममें जिस्से फैलना किसी जीवजोखिमके रोग का आनि संभवितहो -

२७० दुर्भावका काम जिसे फैलना जीवजोखिमकेरोगका आनिसंभवितहो -

२७१ किसीकारनटीन आज्ञाकोनमानना -

२७२ खानेपवा पीनेकी व[illegible]

२७३ बेचना खाने अथवा पीनेकी वस्तु जो न्यान पहुंचाने वाली हो-

२७४ औषधिमेंमिलावटकरनी-

२७५ मिलावट की हुई औषधिको बेचना-

२७६ बेचना किसी औषधि को दूसरी औषधिकेनाम से-

२७७ बिगाड़ना किसी सर्वसंबंधी कूपकुंडइत्यादि के पानी का-

२७८ पवनका आरोग्यताके अयोग्य करना-

२७९ सबके चलने की गेल में गाड़ी घोड़ा इत्यादि सवारी को बेसुध दौड़ा[ना]

२८० नावको बेसुधचलाना-

२८१ झूठ रजेला अथवा चिन्ह दिखलाना-

२८२ पानीके रस्ते पहुंचाना किसी मनुष्य को भाड़े के लिये किसी ऐसी नावमें जो अति बोझी अथवा जोखिम की हो-

२८३ जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्वसंबंधी गेल में अथवा नाव के मार्ग में-

२८४ विष की किसी वस्तु के मध्ये असावधानी करना-

२८५ अग्नि अथवा जलने वाली वस्तु के मध्ये असावधानी करना-

२८६ अग्निकी भांति उड़ने वाली वस्तु के मध्ये असावधानी करना-

२८७ किसी कलके मध्ये जो अपराधी के अधिकार अथवा चौकसी में हो असावधानी करना-

२८८ मकानके गिराने अथवा मरम्मत कराने के विषय में असावधानी करना-

२८९ किसी पशु के मध्ये असावधानी करना-

२९० सर्वदुखदाई काम का दंड-

२९१ बंद करने की आज्ञा पाने से पीछे किसी सर्वदुखदाई काम को करते रहना-

३०७ ज्ञातवत घान काउद्योग -

३०८ ज्ञानवतघात करने का उद्योग

३०९ अपघात करनेका उद्योग

३१० ठग

३११ दंड

पेटगिराने और विना जन्मे बालकोंको हानि
पहुंचाने और जन्मे हुए बालकोंको
बाहर डाल आने और जन्मा
छुपाने के विषय में -

३१२ पेटगिराना

३१३ विना स्त्रीकी राजी पेट गिराना

३१४ मृत्यु को किसी ऐसे काम के करने से होजाय जो पेटगिराने के प्रयोजन से किया गया हो -

तथा कदाचित वह काम विना स्त्री की राज़ी के हो -

३१५ कोई काम जो इस प्रयोजन से किया जाय कि बालक जीता हुआ पैदा न होने पावे अथवा पैदा होने से पीछे मर जाय -

३१६ मृत्यु करनी किसी बालक की जो पैदा न हुआ हो परंतु गर्भ में जीव में जीव पड़गया हो कुछ ऐसा काम करके जो ज्ञानघात के समान हो -

३१७ बाहर डाल आना अथवा छोड़देना बारह बरस से कम की अवस्था के बालक को उसके मा बापकी और अथवा और किसी मनुष्य की ओर से जिसकी रक्षा में वह हो -

३१८ जन्मा छुपाना बालक की लोथको गुप चुप अलग करके दुःख के विषयमें -

३१९ दुख

३२०	भारी दुःख
३२१	जानबूझकर दुःख देना
३२२	जानबूझकर भारी दुःख पहुंचाना -
३२३	जान मानकर दुःख पहुंचाने का दंड -
३२४	जानमानकर जोखिम के हथियारों से अथवा उपायों से दुःख पहुंचाना
३२५	जानमानकर भारी दुःख पहुंचाने का दंड -
३२६	जोखिमके हथियारों अथवा उपायों से जानमानकर भारी दुःख पहुंचाने का दंड -
३२७	दवाकर माल लेलेने के लिये अथवा दवाकर अनुचित काम लेने के लिये जानमानकर दुःख पहुंचाना -
३२८	दुःख पहुंचाने इत्यादि के प्रयोजन में अचेत करने वाली औषधि खिलानी -
३२९	दवाकर माल लेने के लिये अथवा दवाकर कोई अनुचित काम कराने के लिये जानमान भारी दुःख पहुंचाना -
३३०	दवाकर इकरार कराने अथवा दवाकर कुछ माल फेर लेने के लिये जानमानकर दुःख देना -
३३१	दवाकर इकरार कराने अथवा दवाकर कुछ माल फेर लेने के लिये जानमानकर भारी दुःख पहुंचाना -
३३२	सर्वसंबंधी नौकर को जानमान कर भारी दुख पहुंचाना इसलिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से रुक जाय -
३३४	क्रोध उत्पन्न करने वाले काम के कारण जानमानकर दुःख पहुंचाना -
३३५	क्रोध दिलाने वाले काम के कारण भारी दुःख पहुंचाना -
३३६	दंड ऐसे काम का जिससे दूसरे के जीव अथवा शरीर के कुशल की जोखिम हो -
३३७	दुःख पहुंचाना किसी ऐसे काम से जिससे औरों के जीव अथवा शरीर के कुशल की जोखिम हो -

३३८	भारी दुःख पहुंचाना किसी ऐसे काम से काम से जिस्से औरों के जीव अथवा शरीरक कुशलकी जोखिम हो -
	अनीति रोक और अनीति वन्धि के विषय में
३३९	अनीति रोक -
३४०	अनीति वंधि -
३४१	अनीति रोक का दंड -
३४२	अनीति वन्धि का दंड -
३४३	तीन दिन तक अथवा उस्से अधिक दिन तक अनीति वंधि में रखना
३४४	दस दिन तक अथवा उस्से अधिक दिन तक अनीति में रखना -
३४५	अनीति वंधि में रखना ऐसे मनुष्य को जिसके छोड़देने के लिये परवाना जारी हो चुका हो -
३४६	अनीति वंधि में गुप्त रखना -
३४७	दवाकर माल लेने अथवा कोई अनीति काम दवाकर कराने के प्रयोजन से अनीति वंधि -
३४८	दवाकर इकरार कराने अथवा दवाकर माल फिरवाने के लिये वंधि
	अनीति वल और उँटेया
३४९	वल -
३५०	अनीति वल
३५१	उँटेया
३५२	दंड अनीति वल का सिवाय इसके कि भारी क्रोध दिलाने वाले काम के कारण किया जाय -
३५३	किसी सर्कारी नौकर के काम मे अनीति वल करना इस लिये कि वह अपने ओहदे का काम भुगताने से रुक जाय -
३५४	किसी स्त्री पर उसकी लज्जा बिगाड़ने के प्रयोजन से उँटेया अथवा अनीति वल करना -

३५५	किसी मनुष्य को बेइज़्ज़त करने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति बल करना सिवाय इससे कि उस मनुष्य के दिलाये हुए एकाएक की और क्रोध में आकर किया जाय -
३५६	कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो छीन लेने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीति बल करना -
३५७	अनीति निबंध में रखने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीति बल करना -
३५८	एकाएकी भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा बल करना -

ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने और बहका ले जाने और गुलामी में रखने और बेगार कराने के विषय में.

३५९	पकड़ ले जाना -
३६०	हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य में से पकड़ ले जाना -
३६१	नीति पूर्वक रक्षा में से पकड़ ले जाना
३६२	बहका ले जाना -
३६३	पकड़ ले जाने का दंड -
३६४	मार डालने के लिये पकड़ ले जाना अथवा बहका ले जाना -
३६५	किसी मनुष्य को छुपा छुपी और अनीति रीति से बंधि में रखने के प्रयोजन से पकड़ ले जाना अथवा बहका ले जाना -
३६६	किसी स्त्री को दबाकर ब्याह कराने के लिये पकड़ ले जाना अथवा बहका ले जाना -
३६७	किसी मनुष्य को भारी दुःख देने अथवा गुलामी में रखने इत्यादि के लिये पकड़ ले जाना अथवा बहका ले जाना -
३६८	पकड़ ले गये हुए मनुष्य को छुपाना अथवा बंधि में रखना -
३६९	पकड़ ले जाना अथवा बहका ले जाना दस बरस से नीचे बालक के

इसप्रयोजन से कि उसके शरीरपर से कुछवस्तु लेले-
३७० किसी मनुष्य को गुलामकरके वेंचना अथवा अलग करना-
३७१ गुलामी का व्योपार-
३७२ वेश्या इत्यादि कामों के लिये किसी वालक को वेंचना अथवा किराएपर देना-
३७३ वेश्यापनइत्यादि कामों के लिये किसी वालक को मोललेना अथवा अपने पास रखना-
३७४ अनी तिवेगार-
३७५ वल सहित व्यभिचार-
३७६ वल सहित व्यभिचार का दंड-

स्वभावविरुद्ध अपराध

३७७ स्वभावविरुद्ध अपराध-

धन संवंधी अपराधों के विषयमें

चोरी

३७८ चोरी
३७९ चोरीका दंड
३८० चोरीकिसीमकान अथवा तंवू अथवा नाव में-
३८१ जव कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने मालिक के पास से कोई वस्तु चुरावे-
३८२ चोरी करने के प्रयोजन किसीमारडालने अथवा दुःखपहुंचाने का उपायकरके चोरी करना-

दवाकर लेने के विषयमें

३८३ दवाकर लेना
३८४ दवाकर लेने का दंड-
३८५ दवाकरलेने के लिये किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने का डरदिखाना

धारा	विषय
३८६	किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखाकर दबाकर लेना-
३८७	दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःखका डर दिखाना-
३८८	वध अथवा देशनिकाले इत्यादि दंड के योग्य किसी अपराध की तोहमत लगाने का डर दिखाकर दबाकर लेना-
३८९	दबाकर लेने के प्रयोजन से किसी मनुष्य को अपराध की तोहमत का डर दिखाना-
३९०	जोरी
तथा	चोरी कब जोरी गिनी जायगी-
तथा	दबाकर लेना कब जोरी कहलावेगा-
३९१	डकैती-
३९२	जोरी का दंड
३९३	जोरी के उद्योग का दंड
३९४	जोरी करने में जानमानकर दुःख पहुंचाना-
३९५	डकैती का दंड
३९६	डकैती के साथ प्राणघात-
३९७	जोरी अथवा डकैती साथ मृत्यु अथवा भारी दुःख करने का उद्योग-
३९८	मृत्युकारी हथियार बांधकर जोरी अथवा डकैती का उद्योग करना-
३९९	डकैती करने के लिये सामान करना
४००	डकैती की जमायत में रहने का दंड-
४०२	डकैती करने के निमित्त इकट्ठा होना-
	माल के तसर्रुफ़ बेजा का अपराध
४०३	बेधर्मई से माल का तसर्रुफ़ बेजा करना-

	इसप्रयोजन से कि उसके शरीरपर से कुछवस्तु लेले-
३७०	किसी मनुष्य को गुलामकरके वेंचना अथवा अलग करना-
३७१	गुलामी का व्योपार-
३७२	वेश्या इत्यादि कामों के लिये किसी वालक को वेंचना अथवा किराएपर देना-
३७३	वेश्यापनइत्यादि कामों के लिये किसी वालक को मोललेना अथवा अपने पास रखना-
३७४	अनीतिवेगार-
३७५	वल सहित व्यभिचार-
३७६	वल सहित व्यभिचार का दंड-

स्वभावविरुद्ध अपराध

३७७	स्वभावविरुद्ध अपराध-

धन संवंधी अपराधों के विषयमें

चोरी

३७८	चोरी
३७९	चोरीका दंड
३८०	चोरी किसी मकान अथवा तंवू अथवा नाव में-
३८१	जव कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने मालिक के पास से कोई वस्तु चुरावे-
३८२	चोरी करने के प्रयोजन किसी मारडालने अथवा दुःखपहुंचाने का उपाय करके चोरी करना-

दवाकर लेने के विषयमें

३८३	दवाकर लेना
३८४	दवाकर लेने का दंड-
३८५	दवाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने का डर दिखाना

३८६	किसी मनुष्यको म्त्यु अथवा भारी दुःख काडर दिखाकर स्वाक र लेना-
३८७	दवाकर लेने के लिये किसी मनुष्यको म्त्यु अथवा भारी दुःखका डर दिखाना-
३८८	वध अथवा देशनिकाले इत्यादि दंड के योग्य किसी अपराध की तोहमत लगाने का डर दिखाकर दवाकर लेना-
३८९	दवाकर लेने के प्रयोजन से किसी मनुष्य को अपराध की तोहमत का डर दिखाना-
३९०	जोरी
तथा	चोरी कब जोरी गिनी जायगी-
तथा	दवाकर लेना कब जोरी कहलावेगा-
३९१	डकैती-
३९२	जोरी का दंड
३९३	जोरी के उद्योग का दंड
३९४	जोरी करने में जानमानकर दुःख पहुंचाना-
३९५	डकैती का दंड
३९६	डकैती के साथ ज्ञातघात-
३९७	जोरी अथवा डकैती साथ म्त्यु अथवा भारी दुःख करने का उद्योग-
३९८	म्त्युकारी हथियार वांधकर जोरी अथवा डकैती का उद्योग करना-
३९९	डकैती करने के लिये सामान करना
४०२	डकैती की जमायत में रहने का दंड-
४०२	डकैती करने के निमित्त इकट्ठा होना-
	माल के नसरूफ़ वेजा का अपराध
४०३	वेधर्मई से माल का तसर्रुफ़ वेजा करना-

४०४	बिधर्मई से तसरुफ करना किसी मालका जो किसी मरेहुए मनुष्य के क़बज़े में उसके मरने समय रहा हो-

दंडयोग्य विश्वासघात

४०५	दंडयोग्य विश्वासघात-
४०६	दंडयोग्य विश्वासघात का दंड-
४०७	ढोईदार और घटवार इत्यादि की ओर से दंड योग्य विश्वासघात
४०८	गुमाश्ते अथवा नौकर की ओर से विश्वासघात-
४०९	सर्वसंबंधी नौकर अथवा कोठीवाल अथवा ब्योपारी अथवा आढ़तिये की ओर से दंड योग्य विश्वास घात-

चोरी का माल लेने

४१०	चोरी का माल-
४११	बधर्मई से चोरी का माल लेना-
४१२	बेधर्मई से लेना ऐसे माल का जो डकैती में चोरी गया हो-
४१३	चोरी के माल का ब्योहार रखना-
४१४	चोरी का माल छुपाने में सहाय देना-
४१५	छलना-
४१६	दूसरा मनुष्य बनकर छलना-
४१७	छलने का दंड-
४१८	छलना यह जानकर कि ऐसी हानि होगी उस मनुष्य को जिस मनुष्य की होगी जिसके स्वार्थ की रक्षा करनी उस अपराधी को अवश्य है-
४१९	दूसरा मनुष्य बनकर छलने का दंड-
४२०	छलना और बेधर्मई से माल दिलादेना-

छलछिद्र की लिखतों में और छलछिद्र से माल अलग करने के विषय में

४२१	व्योहरों में बटजानेसे बचानेके लिये माल को अलग करदेना अथवा छुपाना-
४२२	अपना कोई अथवा तगादा अपने व्योहरों को मिलने से रोकना बेभर्मई करके-
४२३	बेधर्मई से लिखना बयनामे इत्यादि लिखनमका जिसमें मोलकी तदाद झूंठी लिखी हो-
४२४	मालको बेधर्मई अलग करना अथवा छुपाना-
४२५	उत्पात-
४२६	उत्पात करनेका दंड-
४२७	उत्पाव करना और उसके द्वारा पंचास रुपयेका नुकसान पहुंचाना-
४२८	दस रुपये के मोलके किसी पसुको मार कर अथवा अंगभंग कर उत्पात करना-
४२९	किसी घोड़े इत्यादि को अथवा पचास रुपये के मोलके किसी पसुको मारकरि अथवा अंग तोड़कर उत्पात करना-
४३०	खेती के काम इत्यादि के लिये पानी फेरकर उत्पात करना-
४३१	सर्वसंबंधी सड़क अथवा पुल अथवा नदी को हानि पहुंचाकर उत्पात करना-
४३२	पहला करके अथवा पानी का निकास रोककर जिससे नुकसान हो उत्पात करना-
४३३	मरकाह गृह को अथवा समुद्र के चिन्ह को मिटाकर अथवा हटाकर उत्पात करना-
४३४	धरती के हद के ऐसे जो सर्वसंबंधी अधिकारी के आज्ञा से बांधा गया है। मिटाने अथवा हटाने इत्यादि के द्वारा उत्पात करना-
४३५	आग से अथवा बारूद की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से सौ रुपये का नुकसान करने के प्रयोजन से उत्पात करना-

४३६	आगसे अथवा आगकी भांति उडने वालीकिसीवस्तु से मकान इत्यादिको नुकसानकरनेके प्रयोजनसे नुकसान करना-
४३७	पटीहुई नावको या वीसरन अर्थात् पानसौ मन बोझले जानेवाली नावको तवाह करने अथवा जोखिममेंडालने के प्रयोजन से उत्पातकरना-
४३८	पिछली दफ़ामें वर्णन कियेहुए उत्पात का दंड जबकि वह उत्पात आगके द्वारा अथवा आग की भांतिउड़नेवाली किसीवस्तुके द्वारा किया जाय-
४३९	टकराना नावको किनारे पर चोरी इत्यादि करनेके प्रयोजन से-
४४०	मृत्यु अथवा दुःख करनेकासामानकरके उत्पात करना-
४४१	दंडयोग्य मुदाखलत बेजा-
४४२	मकान की मुदाखलत बेजा-
४४३	मकान मुदाखलत बेजा करनेके लिये घात लगानी-
४४४	रात के समय मुदाखलत बेजा की घात लगानी-
४४५	घर फोड़ना-
४४६	रातमें घर फोड़ना-
४४७	दंडयोग्य मुदाखलत बेजा का दंड-
४४८	मकानकी मुदाखलतबेजा का दंड-
४४९	कोई ऐसा अपराध करनेके लिये जिसका दंड वध है मकानकी मुदाखलतबेजा करनी-
४५०	जन्म भरके देश निकाले के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकानकी मुदाखलत बेजा करनी-
४५१	कैदके दंड योग्य कोई अपराध करनेलिये मकानकी मुदाखलतबेजा करनी-
	किसी मनुष्यको दुःख पहुंचानेका सामान करके मकानकी मुदाखलत बेजा करना-

४५३	मकानकीमुदाखलन वेजाकीघातलगाने अथवा घर फोड़नेका दंड-
४५४	क़ैदके दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकानकी मुदाखलत वेजाकी घातलगाना अथवाघर फोड़ना-
४५५	किसीमनुष्यको दुखपहुंचाने का सामानकरके मकान की मुदाखलतवेजा कीघातलगानी अथवा घर फोड़ना-
४५६	रातके समय की मकान की मुदाखलतवेजा की घात लगाना अथवा घर फोड़ना-
४५७	क़ैदके दंड योग्य कोई अपराध करनेके लिये रातके समय मकान की मुदाखलत वेजा की घातलगाना अथवाघर फोड़ना-
४५८	किसी मनुष्यको दुःख पहुंचाने का सामानकरके मकान कीमुदाखलत वेजा की घात रातके समय लगाना अथवा घर फ़ोड़ना-
४५९	मकानकी मुदाखलत वेजाकी घात लगाने अथवा घरफ़ोड़ने में भारी दुःख पहुंचाना-
४६०	सब मनुष्य जो मकान की मुदाखलतवेजा इत्यादि करनेमें साझी हों किसी मृत्यु अथवा भारी दुःख के बदले जो उनमें से किसी एकने किया हो दंड के योग्य होंगे-
४६१	बेधर्मीई से किसी बंद मकान को जिसमें माल भरा हो अथवा भरा होने का अनुमान हो तोड़ना-
४६२	दंड उसी अपराध का जबकि उसका करनेवाला कोई ऐसा मनुष्य हो जिसको माल की चौकसी सौंपी गई हो-

अध्याय १८

उन अपराधों के विषयमें जो लिखतों और व्योपारके अथवा मालके चिन्हों से संबंध रखते हैं

४६३ जालसाजी

४६४ झूंठी लिखतम बनाना

४६५ जालसाज़ी का दंड-

४६६ जालसाजी किस अदालत के कागज़ की अथवा उसरोज़ नामचे की जिसमें बालकों का जन्म लिखा जाता हो अथवा मुखत्यारनामे इत्यादि की-

४६७ जालसाज़ी किसी दस्तावेज की अथवा वसीयत नामे की-

४६८ छलने के लिये जालसाजी -

४६९ किसी मनुष्य के यश को ज्यान पहुंचाने के लिये जालसाजी

४७० जाली लिखतम

४७१ छल छिद्र से किसी जाली लिखतम को सच्ची की भांति काम में लाना-

४७२ दफा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य कोई जालसाजी करने के प्रयोजन से झूंठी मुहर इत्यादि बनानी अथवा पास रखनी

४७३ कोई झूंठी मुहर अथवा चपरास इत्यादि दूसरी किसी भांति दंड होने योग्य कोई जालसाजी करने के प्रयोजन से बनाना अथवा पास रखना-

४७४ जो कोई लिखतम यह जान बूझ कर कि यह जालसाजी से बनी है अपने पास इस प्रयोजन रखनी कि सच्ची की भांति काम में लाई जाय-

४७५ जालसाजी में बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान का जो दफा ४६७ में कहे हुए प्रकार की लिखतमों की सच्चाई की काम आता हो अथवा पास रखना किसी वस्तु को जिस पर झूंठा चिन्ह लगा हो-

४७६ जालसाजी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान का जो

४८७ छलछिद्र से किसी बिदरी अथवा न्ह लगाना -
४८८ ऐसे झूंठे चिन्ह को काममें लाने का दंड -
४८९ बिगाड़ माल के चिन्ह का नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से -

अध्याय १९

नौकरी का कौल करार दंड योग्य रीतिसे तोड़ने के विषयमें

४९० जल अथवा थल के ... की टहल करने और जो वस्तु उनके लिये ... कराके कौल करार को तोड़
४९१ ... चाहिये उसके पहुंचाने के कौलकरार को तोड़ना -
४९२ कौलकरार का दुर किसीस्थान पर जहां नौकर मालिक के ... से पहुंचाया गया -

अध्याय २०

विवाह संबंधी अपराधोंके विषय में -

४९३ संभोग जो किसी पुरुषने धोखे से नीति पूर्वक विवाह होने का निश्चय कराकर कियाहो -
४९४ जोरू अथवा खसम के जीतेजी और ब्याह करना -
४९५ यही अपराध पाहिले ब्याहको उस से जिसके साथ पिछला ... हुआ हो छिपाकर करना -
४९६ छलछिद्र के प्रयोजन से विवाहकर्म करना -
४९७ व्यभिचार -
४९८ बुरे प्रयोजन से बहकाना अथवा लेजाना अथवा रोकरखना वि... स्त्रीका जिसका ब्याह होगयाहो -

अध्याय २१

अपयश लगाने के विषयमें

४९९	अपयश लगाना-
तथा	लगाना किसी सच्ची बात का जो सब के भले के लिये लगाई जानी अथवा प्रगट की जानी उचित हो-
तथा	सर्वसंबंधी नौकर का सर्वसंबंधी चलन-
तथा	किसी मनुष्य का चलन किसी सर्वसंबंधी बात के मध्ये-
तथा	अदालत की कारवाई की खबर छाप कर प्रगट करनी-
तथा	अदालत में नितड़े हुए किसी मुकद्दमे की व्यवस्था अथवा उस मुकद्दमे के गवाहों इत्यादि-
तथा	किसी सर्वसंबंधी काम की व्यवस्था-
तथा	शिक्षा दोष जो शुद्ध भाव से कोई ऐसा मनुष्य दे जिस को क़ानून की रीति से दूसरे पर अधिकार प्राप्त हो-
तथा	नालिश करना शुद्ध भाव किसी मनुष्य के सामने जिस को यथार्थ अधिकार उस के सुनने का हो-
तथा	अपने स्वार्थ की रक्षा के लिये अथवा सब के भले के लिये किसी मनुष्य को शुद्ध भाव से कुछ बात लगानी-
तथा	सावधानी की बात जो उस मनुष्य के भले के लिये हो जिस से वह कही गई हो अथवा सब के भले के लिये हो-
५००	अपयश लगाने का दंड-
५०१	छापना अथवा खोद कर लिखना किसी बात का यह जान कर कि यह अपयश लगाने वाली है-
५०२	बेचना किसी छपी हुई अथवा खुदी हुई वस्तु का जिस में कि [illegible] में अपयश वाली बात हो-

अध्याय २२
दंडयोग्य धमकी और अपमान और छेड़ने के विषय में

५०३	दंड योग्य धमकी
५०४	कुशलता में विघ्न कराने के प्रयोजन से अपमान करना।
५०५	बगावत कराने अथवा सर्वसंबंधी कुशलता के विरुद्ध को राध कराने के प्रयोजन से झूंठे अफवाह इत्यादि का उड़ाना
५०६	दंड योग्य धमकी देने का दंड-
तथा	कदाचित धमकी मारडालने अथवा भारी दुःख पहुंच इत्यादि की-
	.नेना.नी मकी सुखबरी के द्वारा दंडयोग्य धमकी देना-
५०८	काम जो किसी को बहकाकर देवी कोप का निश्चय कराने से किया जाय-
५०९	किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने के प्रयोजन से वचन कहना अथवा सैन देना-
५१०	कुचलन किसी नशा किये हुए मनुष्य का सबके सामने-

अध्याय २३

५११	अपराध के उद्योग का दंड-

इति समाप्तः

श्रीगणेशायनमः

हिन्दुस्तानकादंडसंग्रह

अर्थात्

ऐक्तनम्बर४५सन्१८६०ई०

हिन्दुस्तानकी क़ानूनकारक कौंसिल से जारी हुआ और तारीख़ ६ अक्तूबर सन् १८६० ई० को श्रीमान् नव्वाब गवर्नर जनरेल प्रतापी ने मंज़ूर किया

अध्याय १

जोकि उचित है कि हिन्दुस्तान में सब अंगरेज़ी राज्य भर के लिये एकही दंड संग्रह बनाया जाय इसलिये आज्ञा हुई कि

| भूमिका |

दफ़ा १- इस ऐक्ट का नाम हिन्दुस्तान का दंड संग्रह रक्खा जाय और तारीख़ १* मई सन् १८६१ ई० को और उससे पीछे सब देशों में जो श्रीमती महारानी को अपने राज्य के २१ व २२ वें संवत् की क़ानून के अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्तान का राज्य प्रबन्ध सुधारने के लिये हुआ था अब प्राप्त है अथवा आगे प्राप्त हो सिवाय स्ट्रेट्स आफ़ मलेका प्रिन्स आफ़ वेल्ज़ एलंड और सिंहापुर और मलाका के सब ठौर के सब ठौर जारी हो॥

| इस ऐक्ट का नाम और इसके प्रचार की अवधि |

* ऐक्ट ६ सन १८६१ ई० के अनुसार जारी रहना इस दंड संग्रह का तारीख़ १ जनवरी सन १८६२ ई० तक रुक रहा था उसके पीछे जारी हुआ

दफ़ा २– हर एक मनुष्य केवल इसी लेखके अनुसार और इस से विरुद्ध किसी भांति नहीं दंड उन कामों का पावेगा जिन को वह इस के लेख के विरुद्ध तारीख १ सन्१८६१ई० को अथवा उससे पीछे ऊपर कहे हुए देशों के भीतर करे अथवा करने से चूके ॥

> दंड अपराधों का जो ऊपर कहे हुए देशों के भीतर किये जायं।

दफ़ा ३–कोई मनुष्य जिसके मध्ये हिन्दुस्थान के कौंसिलस्थ श्रीमान् गवर्नर जनरेल प्रतापी की चलाई हुई किसी क़ानून के अनुसार तजवीज़ दंड की उस अपराध के लिये कहे हुए देशों के बाहर किया जाय हो सकती है इसी संग्रह के लेखों के अनुसार दंड उस अपराध का जो वह उन्हीं देशों के बाहर करे उसी भांति पावेगा मानो वह अपराध उसने उन देशों के भीतर किया ॥

> दंड अपराधों का जो ऊपर कहे हुए देशों से बाहर किये जायं परंतु क़ानून अनुसार उनके मध्ये तजवीज उन देशों के भीतर हो सकती हो।

दफ़ा ४ हर एक नौकर श्रीमती महारानी का इसी संग्रह के अनुसार दंड हर एक काम अथवा चूक का जो वह नौकरी के समय में इस के लेखों के विरुद्ध तारीख १ मई सन् १८६१ ई० को अथवा उससे पीछे किसी ऐसे राजा अथवा सरकार के राज्य में करे जिसकी श्रीमती महारानी के सरकार के साथ किसी सन्धिपत्र अथवा लिखापढ़ी के द्वारा जो आगे से पहले श्रीमान् ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ हो चुकी हो अथवा हिन्दुस्तान की किसी गवर्नमेंट के साथ श्रीमती महारानी के नाम से लिखी गई हो अथवा आगे लिखी जाय ॥

> दंड उन अपराधों का जो श्रीमती महारानी का कोई नौकर किसी हिंदुस्तानी सरकार के राज्य में करे

दफ़ा ५– इस संग्रह के किसी लेख का प्रयोजन यह नहीं है कि कोई लेख महाराजा वलियम चौथे के राज्य के सम्वत् ३ और ४

फी क़ानून के अध्याय ८५ का अथवा पार्लीमेंट की दूसरी क़ानून का जो उस क़ानून से पीछे जारी हो और किसी भांति कुछ संबंध ईस्ट इंडिया कंपिनी से अथवा ऊपर कहे हुए देशों से अथवा उनकी प्रजा रखती हो मेटा अथवा बदला अथवा रोका अथवा न्यून कि जाय और न किसी ऐसी क़ानून के लेख के मिटाने अथवा बदल अथवा रोकने अथवा न्यून करने से है जो श्रीमती महारानी की वा ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना के सिपाहियों और अपसरों क गी होने अथवा भाग जाने का दंड देने के लिये अथवा हिन्दुस्तान की जहाज़ी सेना का प्रबंध रखने के लिये जारी हुई हों अथवा रे किसी विशेष काम या विशेष स्थान के लिये चलाई गई हो।

किसी किसी कानून में इस ऐक्ट से कुछ न्यूनता न आवेगी

अध्याय २

साधारण अर्थ प्रकाश

दफ़ा ६ – इस संग्रह भर में अपराध का हर एक लक्षण और दंड का नियम और उस लक्षण अथवा दंड के नियम का हर एक उदाहरण आधीन उन छूटों के समझा जायगा जो साधारण छूटों के अध्याय में लिखी हैं यद्यपि उस लक्षण अथवा दंड के नियम अथवा उदाहरण के साथ वर्णन न भी हुई हों॥

लक्षण इस संग्रह में आधीन छूटों के समझे जायेंगे

उदाहरण

(अ) इस संग्रह भर में जिन दफ़ों में अपराधों के लक्षण लिखे हैं उ यद्यपि यह नहीं लिखा कि सात वर्ष से कमती अवस्था के बाल अपराधों के अपराधी नहीं समझे जायेंगे फिर भी उन लक्षणों को साधारण छूट के समझना चाहिये जिसमें यह नियम लिखा है कि जो सात बरस से कमती अवस्था का कोई जन करे तो अपराध नहीं

(६) देवदत्त एक पुलिस के नौकर ने विष्णुमित्र को जो अपराधी ज्ञातघात
का था बिना वारंट के पकड़ा तो यहां देवदत्त अनीति बन्धि के अपराध
का अपराधीन गिना जायगा क्योंकि क़ानून की आज्ञानुसार विष्णुमित्र
का पकड़ना उस पर अवश्य था और इसलिये यह अवस्था ठठ साधारण
छूट के आधीन गिनी जायगी जिस में यह नियम लिखा है कि जो कुछ का
कोई ऐसा मनुष्य करे जिस पर उसका करना क़ानून अनुसार अवश्य है
वह अपराध न गिना जायगा॥

दफ़ा ७ - हर एक वचन जिसका अर्थ इस संग्रह में कहीं एक
ठौर संकेत कर दिया गया है इस संग्रह
भर में उसी अर्थ से वर्त्ता गया है॥

जिस शब्द का संकेत एक बार कर दिया गया है वह इस संग्रह भर में उसी आशय से वर्त्ता गया है।

दफ़ा ८ - संज्ञा प्रतिनिधि शब्द वह और उसके कारक
हर किसी मनुष्य के लिये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष
वर्त्ते गये हैं॥

लिङ्ग

दफ़ा ९ - जब तक कि प्रसंग में कुछ विरोध न दिखाई दे तब
तक एकबचन के अर्थ देने वाले शब्दों में बहुवचन
भी समझे जायंगे और बहुवचन के अर्थ देने वाले शब्दों में एक
बचन भी समझा जायगा॥

संख्या

दफ़ा १० - पुरुष शब्द का संकेत किसी अवस्था के मनुष्य
जाति के पुल्लिंग से है और स्त्री शब्द का संकेत
किसी अवस्था की स्त्री जाति के स्त्रीलिंग से है॥

स्त्री वा पुरुष

दफ़ा ११ - मनुष्य शब्द में हर एक कम्पनी और समाज और स
मुदाय भी समझा जायगा चाहे सनद पा चुका हो
चाहे न पा चुका हो॥

मनुष्य

दफ़ा १२ - सर्व सम्बन्धी इस शब्द में सब प्रजा का कोई सम

सर्वसम्बन्धी | दाय और किसी एक सम्बन्ध के सब लोग भी गिने जायंगे ॥

दफ़ा १३ - श्री मती महारानी इन शब्दों का संकेत ग्रेटब्रिटन और आयर्लैंड के संयुक्त राज्य के अधिपति से है जिस समय जो कोई हो ॥

श्रीमती महारानी

दफ़ा १४ - श्री मती महारानी के नौकर इन शब्दों का संकेत सब अहलकारों अथवा नौकरों से है जो श्री मती महारानी विकटोरिया के राज्य के संवत् २१ व २२ की क़ानून के अध्याय १०६ के अनुसार जिस का प्रचार हिन्दुस्थान का राज्य प्रबंध सुधारने के लिये हुआ था अथवा गवर्नमेंट हिंद अथवा और किसी गवर्नमेंट की आज्ञा से हिन्दुस्तान में नौकरी पर बने हों अथवा नियत किये गये हों अथवा काम पर लगाये गये हों ॥

श्रीमती महारानी का नौकर

दफ़ा १५ - हिन्दुस्थान में अंगरेज़ी राज्य इन शब्दों का संकेत उन देशों से है जो श्री मती महारानी को अपने राज्य के संवत् २१ व २२ वें की क़ानून के अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थान का राज्य प्रबंध सुधारने के लिये हुआ था अब प्राप्त हैं या आगे प्राप्त हों सिवाय सेटिलमेंट प्रिन्स आफ़ वेल्स के टापू और सिंहिकापुर और मलाका के ॥

हिन्दुस्थान में अंगरेज़ी राज्य

दफ़ा १६ - गवर्नमेंट हिन्द इन शब्दों का संकेत हिन्दुस्तान के श्री मान गवर्नर जनरेल कौंसिलस्थ से अथवा जब हिन्दुस्थान के श्री मान गवर्नर जनरेल अपनी कौंसिल से अलग हों तब कौंसिल के सभाधीश कौंसिलस्थ से अथवा केवल श्री मान गवर्नर जनरेल से है जैसे जिसका अधिकार क़ानू

गवर्नमेंट हिन्द

* अर्थात् इंगलैंड और स्काटलैंड और वेल्स

न अनुसार हो॥

दफ़ा १७-गवर्नमेंट का संकेत उस मनुष्य अथवा मनुष्यों से है
गवर्नमेंट जिन को क़ानून अनुसार हिन्दुस्तान में अंगरेज़ी
राज के किसी खंड का राज्य प्रबंध वर्त्तने का अधिकार हो॥

दफ़ा १८-हाता शब्द का संकेत उन देशों से है जो एकही ह
हाता तेकी गवर्नमेण्ट के आधीन हो।

१९-हाकिम शब्द का संकेत केवल उसी एक मनुष्य से
नहीं है जिसके ओहदे की पदवी जज की हो किन्तु हर
एक ऐसे मनुष्य से भी है जिसको क़ानूनानुसार किसी कानून
सम्बंधी कारवाई में चाहे दीवानी की हो चाहे माल की चाहे
... फ़ा... अख़ीर तजवीज़ करने का अथवा ऐसे
... होने की अवस्था में अमिट
गिनी जाय अथवा किसी दूसरे हाकिम के यहां से बहाल रहने
... के किसी ऐसे समूह
में से हो जिसको क़ानूनानुसार ऊपर लिखे प्रकार की तजवीज़
कर... अधिकार प्राप्त हो॥

उदाहरण

(१) कोई कलेक्टर जबकि ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार अधिका
र वर्त्तता हो हाकिम गिना जायगा।

(२) कोई मेजिस्ट्रेट जब किसी ऐसे मुक़द्दमे में अधिकार वर्त्तता हो जिस में
... वह आज्ञा जुरमाने अथवा क़ैद के दंड की दे सकता हो हाकिम गिना जायगा
चाहे अपील उसकी तजवीज़ की हो सके चाहे न हो सके॥

(३) कोई पंच किसी पंचायत का जिसको मंदराज के क़ानून ७ सन् १८१६ ई
... के अनुसार अधिकार नालिश सुनने और तजवीज़ करने का है हा
किम गिना जायगा

अथवा रखना अथवा किसी वस्तु को चौकसी में लेना अथवा खर्च करना अथवा अदालत की आज्ञा को जारी करना अथव सौगंद दिलाना अथवा उलथा करना अथवा अदालत में बंदोवस्त रखना हो और भी हर एक मनुष्य जिसको इन कामों में से किसी के करने का अधिकार विशेष करके किसी अदालत से मिला हो॥

पांचवें- हर एक जूरी मैन अर्थात् पंच अथवा असेसर अथवा सभासद किसी ऐसी पंचायत का जो किसी अदालत को अथवा सर्व सम्बंधी नौकर को सहायता देता हो॥

छठवें- हर एक पंच अथवा और कोई मनुष्य जिसको कोई काज अथवा मामला अकेले आपही तजवीज़ करने अथवा रपोर्ट लिखने के लिये किसी अदालत ने अथवा दूसरे किसी अधिकारी ने सौंपा हो॥

सातवें- हर एक मनुष्य जो ऐसा ओहदा रखता हो जिस के प्रताप से वह किसी मनुष्य को बन्धि में भेजने अथवा रखने का अधिकारी हो॥

आठवें- हर एक अहिलकार गवर्नमेंट का जिसका काम उस अहिलकारी के द्वारा यह हो कि अपराधों का होना रोके और अपराधों की रपोर्ट करे और अपराधियों को दंड करावे और सर्व संबंधी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता की रक्षा रक्खे॥

नवें- हर एक अहलकार जिसका काम उस अहलकारी के द्वारा यह हो कि किसी माल को गवर्नमेंट की ओर से दूसरे सेने अथवा उगाहे अथवा चौकसी में रक्खे अथवा खर्च करे अथवा धरती को नापे अथवा मेज लगावे अथवा

की ओर से कौल क़रार करे अथवा सरिश्ते माल का कोई रुक्का नामाजारी करे अथवा किसी बात की जिसमें गवर्नमेंट का कुछ स्वार्थ रुपये के मध्ये हो तहक़ीक़ात अथवा रपोर्ट करे अथवा किसी लिखतम को जिसमें गवर्नमेंट का कुछ स्वार्थ रुपये के मध्ये हो लिखे अथवा तसदीक़ करे अथवा चौकसी में रक्खे अथवा रुपये के मध्ये गवर्नमेंट के किसी स्वार्थ की रक्षा के लिये किसी कानून का उल्लंघन होना रोके और हर एक अहलकार जो गवर्नमेंट की नौकरी पर हो अथवा गवर्नमेंट से तलब पाता हो अथवा जो किसी सर्व सम्बन्धी काम के भुगताने के बदले फ़ीस अथवा रसूम पाता हो॥

दसवें- हर एक अहलकार जिसका काम उस अहलकारी के द्वारा यह हो कि किसी माल को दूसरे से ले अथवा उगाहे अथवा चौकसी में रक्खे अथवा खर्च खर्च करे अथवा धरती को नापे अथवा भेज लगावे अथवा किसी गांव अथवा क़सबे अथवा ज़िले के सर्व संबंधी लौकिक काम के लिये बाछ डाले अथवा कर बांधे अथवा किसी गांव अथवा क़सबे अथवा ज़िले के लोगों के अधिकार निश्चय करने के लिये कोई लिखतम लिखे अथवा तसदीक़ करे अथवा चौकसी में रक्खे।

उदाहरण

म्युनिसिपल कमिश्नर सर्व सम्बंधी नौकर गिना जाता है॥

विवेचना १- जो मनुष्य ऊपर कहे हुए प्रकारों में से किसी में हो सर्व संबंधी नौकर गिने जायंगे चाहे वे गवर्नमेंट ने नौकर रक्खे हों या न हों॥

विवेचना २- जहां कहीं सर्व संबंधी नौकर शब्द आवे वहां उस से हर एक मनुष्य जो किसी सर्व संबंधी नौकर की जगह

पर हो समझा जायगा चाहे उस जगह पर होने के लिये उस के अधिकार में कैसाही क़ानूनी खोट हो।

अस्थावर धन

२२- अस्थावर धन इन शब्दों का प्रयोजन हर एक प्रकार की मूर्त्तिमान वस्तु से है सिवाय धरती के और धरती से बंधी हुई वस्तुओं के और ऐसी वस्तुओं के जो धरती से बंधी हुई किसी वस्तु के साथ सदैव को लगी हैं

अनीति प्राप्ति

२३- अनीति प्राप्ति वह प्राप्ति किसी वस्तु की है जिस को अनीति उपाय से कोई ऐसा मनुष्य पावे जो उस के पाने का अधिकारी क़ानूनानुसार न हो॥

अनीति हानि

अनीति हानि वह हानि किसी वस्तु की है जो अनीति रीति से किसी ऐसे मनुष्य को हो जाय जिस को क़ानूनानुसार उस वस्तु का अधिकार हो॥

अनीति प्राप्ति में किसी वस्तु का अनीति से रख लेना भी गिना जायगा

कोई मनुष्य अनीति प्राप्ति करने वाला किसी वस्तु का कहलावेगा जब कि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु को अपने अधिकार में रक्खे और भी जब कि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु को पावे और कोई मनुष्य अनीति से खोने वाला किसी वस्तु का कहलावेगा जब कि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु से वेदख़ल रक्खा जाय और भी जब कि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु से रहित किया जाय॥

अनीति हानि में किसी वस्तु से अनीति रीति से वेदख़ल रखा जाना भी गिना जायगा

वे धर्मी से

२४- जो कोई मनुष्य कुछ काम किसी मनुष्य को अनीति प्राप्ति कराने अथवा दूसरे मनुष्य को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से करे तो कहलावेगा कि वह काम उसने वे धर्मी से किया॥

२५- कोई मनुष्य छल छिद्र से करने वाला किसी काम

छलछिद्र से — का कहलावेगा जबकि वह उस काम को छल छिद्र के प्रयोजन से करे परन्तु और किसी भांति नहीं॥

२६— किसी मनुष्य के पास किसी बात के निश्चय मानने का

निश्चय मानने का हेतु — हेतु कहलावेगा जब कि उस के पास उस बात को प्रतीति करने का अच्छा कारण हो परन्तु और किसी भांति नहीं॥

२७— जब कुछ वस्तु किसी मनुष्य के गुमाश्ते अथवा नौकर

वस्तु जो गुमाश्ते अथवा नौकर के अधिकार में हो — के अधिकार में उसी मनुष्य की ओर से हो तो इस संग्रह के अर्थानुसार उसी मनुष्य के अधिकार में गिनी जायगी॥

विवेचना— कोई मनुष्य जो थोड़े ही दिन के लिये अथवा किसी विशेष काम पर गुमाश्ते अथवा नौकर के अधिकार पर रक्खा जाय वह भी इस दफा के अर्थ में गुमाश्ता अथवा नौकर गिना जायगा॥

२८— कोई मनुष्य खोटा बनाने वाला कहलावेगा जब कि

खोटा बनाना — वह एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सदृश इस प्रयोजन से बनावे कि उस सदृशता के द्वारा धोखा देगा अथवा यह बात जानि सम्भावित जान कर कि उस के द्वारा धोखा दिया जायगा॥

विवेचना— खोटा बनाने के लिये यह अवश्य नहीं है कि सदृशता ठीक ही ठीक हो॥

२९— लिखतम शब्द का संकेत किसी अर्थ से है जो किसी वस्तु

लिखतम — पर अक्षरों अथवा अंकों अथवा चिन्हों के द्वारा अथवा इन में से एक से अधिक के द्वारा प्रगट अथवा वर्णन किया जाय चाहे इस प्रयोजन से हो कि उस अर्थ के सबूत की भांति काम आवे और चाहे ऐसा हो कि सबूत में काम आ सके॥ ।।।

३०- दस्तावेज़ शब्द का संकेत किसी लिखतम से है जो लिखतम इस बात की हो अथवा जिस का प्रयोजन यह हो कि उस के द्वारा कोई क़ानूनानुसार अधिकार उत्पन्न हुआ अथवा बढ़ाया गया अथवा एक से दूसरे को दिया गया अथवा अवधि कि या गया अथवा नष्ट किया गया अथवा छोड़ा गया अथवा जिसके द्वारा कोई मनुष्य स्वीकार करे कि मैं फलानी क़ानूनानुसार बात के आधीन हूं अथवा मुझको फलाने क़ानूनानुसार अधिकार नहीं है॥

दस्तावेज़

उदाहरण

देवदत्त ने अपना नाम किसी हुंडी की पीठ पर लिखा तो जब कि आशय इस लेख का यह है कि उस हुंडी का अधिकार उसी मनुष्य को दिया गया जो नीति पूर्वक धनी उसका बने इसलिये यह लेख दस्तावेज़ गिना जायगा॥

३१- वसीयतनामा शब्द का संकेत उस लिखतम से है जो कोई मनुष्य मरने से पहिले अपने माल मिल्कियत के बंदोबस्त के अर्थ लिखदे॥

वसीयतनामा

३२- इस संग्रह के हर एक भाग में सिवाय उन भागों के जहां लेख से उलटा आशय दिखाई पड़ता हो करने के कामों संबंधी शब्द क़ानून विरुद्ध चूकों से भी संबंध रक्खेंगे

करने के कामों संबंधी शब्द क़ानून विरुद्ध चूकों से संबंध॥

३३- काम शब्द का संकेत एक काम से भी है और अनेक कामों से भी है और चूकने का संकेत एक चूक से भी है और अनेक चूकों से भी है॥

काम चूक

३४- जब कोई अपराध का काम कई मनुष्यों ने किया हो तो उन मनुष्यों में से हर एक उस काम के लिये उसी योग्य होगा मानों वह काम उसी अकेले ने किया॥

कई मनुष्यों में से हर एक मनुष्य उन काम के करने का जिसने मिलकर किया हो उसी योग्य होगा मानों केवल उसी ने वह काम किया॥

देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को मारडालने के प्रयोजन से विष दिया विष्णुमित्र उसी विष से जो कई बार करके उस को इस भांति दिया गया कि मरगया तो यहां देवदत्त और यज्ञदत्त ने जान बूझ कर ज्ञात घात करने में रुम्भा दिया और उन में से हर एक ने वह काम किया जो विष्णुमित्र की मृत्यु का हेतु हुआ इसलिये वे दोनों उस अपराध के कर्त्ता हुए यद्यपि उन के काम अलग अलग थे ॥

(इ) देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों साझे में जेलखाने के अधिकारी थे और उस अधिकार के कारण उनको विष्णुमित्र कैदी की चौकसी अपनी २ बारी से छः छः घंटे करनी सौंपी गई देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र की मृत्यु कराने के प्रयोजन से जानबूझ कर उस परिणाम के होने में साझा किया इस उपाय से कि हर एक ने अपनी अपनी बारी के समय में विष्णुमित्र को उस आहार के पहुंचाने में जो उन को पहुंचाने के लिये मिला था कानून विरुद्ध चूक की और विष्णुमित्र भूख से मरगया तो देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों विष्णुमित्र के ज्ञातघात के अपराधी हुए—

(उ) देवदत्त को जो जेलखाने का अधिकारी था विष्णुमित्र कैदी की चौकसी सौंपी गई देवदत्त ने विष्णुमित्र की मृत्यु कराने के प्रयोजन से विष्णुमित्र को आहार पहुंचाने में कानून विरुद्ध चूक की और इस से विष्णुमित्र का बल बहुत घट गया परंतु लंघन ऐसा न हुआ कि उसके मरने का हेतु होता— देवदत्त अपने अधिकार से छुड़ादिया गया और यज्ञदत्त को उसकी जगह मिली— यज्ञदत्त ने देवदत्त की मिलावट अथवा सहायता के बिना विष्णुमित्र को आहार पहुंचाने में कानून विरुद्ध चूक की यह बात जानबूझ कर कि इस से विष्णुमित्र की मृत्यु का होना अति सम्भवित है और विष्णुमित्र भूख से मरगया तो यज्ञदत्त ज्ञातघात का अपराधी हुआ परन्तु देवदत्त ने यज्ञदत्त को सहायता नहीं दी इस लिये देवदत्त केवल ज्ञातघात के उद्योग का अपराधी हुआ ॥

३९— जहां अनेक मनुष्य कुछ अपराध का काम करते हैं अथवा उस में सरोकार रखते हों तो वे उस काम के करने से अलग २ अपराधों के अपराधी हो सकेंगे॥

अनेक मनुष्य जो किसी अपराध को करें अलग अलग अपराधों के करता हो सकेंगे-

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र पर उपद्रव किया किम्बा ऐसे भारी क्रोध कराने वाले काम की अवस्था में जब कि उसका विष्णुमित्र को मार डालना केवल ज्ञातवत्+घात गिना जाता परन्तु ज्ञातघात न गिना जाता - यज्ञदत्त ने जिसको ईर्षा विष्णुमित्र से थी और जो विष्णुमित्र के मार डालने का प्रयोजन रखता था यद्यपि वह किसी क्रोध दिलाने वाले काम की अवस्था में भी न था देवदत्त को विष्णुमित्र के मार डालने में सहारा दिया यहां देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों ने विष्णुमित्र को मारा परन्तु यज्ञदत्त का अपराध ज्ञातघात और देवदत्त का केवल ज्ञातवत् घात हुआ-

३८— कोई मनुष्य किसी परिणाम को जान बूझ कर करने वाला कहलावेगा जब कि वह उसको ऐसे उपायों से करावे जिनको वह उस परिणाम के होने के प्रयोजन से काम में लावे अथवा जब कि वह परिणाम ऐसे उपायों से किया जाय जिन को करने के समय वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि उन से उस परिणाम का होना अति संभवित है।

जानबूझकर

उदाहरण

देवदत्त ने रात के समय किसी बड़े नगर के एक मकान में जिसमें

+ ज्ञातवत् घात उस घात का नाम है जो जान बूझ कर किसी को मृत्यु करने के प्रयोजन से न की गई हो परन्तु ऐसी असावधानी से हुई हो कि उसके कारण अपराधी दंड के योग्य हो॥ अर्थात् का फल-

मनुष्य रहते थे इस प्रयोजन से आग लगाई कि ओंको डालना सहज होय और उस आग से एक मनुष्य मरगया – यहां यद्यपि देवदत्त ने किसी के मारने का प्रयोजन भी न किया हो और चाहे वह पछताता भी हो कि हाय मेरे करने से इस मनुष्य का मरना हुआ तो भी वह जानबूझकर मारने वाला कहलावेगा कदाचित् उसने जान लिया हो कि मेरे इस काम से किसी का मरना अति संभवित है –

दफ़ा ४० इस कानून में सिवाय उस अध्याय और उन दफ़ों के जिनका वर्णन इस दफ़ा की ज़िम्न २ व ३ में हैं

अपराध

अपराध शब्द का संकेत उस वस्तु से है जो इस संग्रह में दंड के योग्य ठहरा दी गई हो।

चौथा अध्याय और नीचे लिखीहुई दफ़ा अर्थात् दफ़ा ६४, ६५, ६६, ७१, १०९, ११०, ११२, ११४, ११५, ११६, ११७, १८७, १९४, १९५, २०३, २११, २१३, २१४, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३४७, ३४८, ३८८, ३८९, ४४५ में ॥

अपराध शब्द का संकेत हर काम से भी है जो इस संग्रह के अनुसार अथवा विशेष कानून अथवा देशविशेषी कानून अनुसार वर्णन किये गये इस संग्रह के दंड योग्य ठहरा दिया गया हो।

और ऐसे विषय में कि वह काम विशेषक़ानून अथवा देशविशेषी क़ानूनानुसार दंडयोग्य हो तो उसी कानून के अनुसार दंड कैद जिसकी मियाद छः महीना अथवा अधिक जुरमाने सहित वा बेजुरमाने का हो तो इन दफ़ा १४१, १७६, १७७, २०१, २०२, २१२, २१६, ४४१ में अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो ऊपर वर्णन कर आये हैं ॥

४१- विशेष क़ानून वह कानून है जो किसी विशेष विषय
विशेषक़ानून से संबंध रखती हो॥

४२- देश विशेषी क़ानून वह क़ानून है जो हिन्दुस्तान में अंग
देशविशेषी कानून रेजी राज्य के केवल किसी एक विशेष खंड
से संबंध रखती हो॥

४३- क़ानून विरुद्ध शब्द का संबंध हर एक काम से है
कानूनविरुद्ध जो अपराध हो अथवा जो कानून से वर्जित
हो अथवा जिससे दीवानी की नालिश का कारण निकले औ
र किसी मनुष्य पर क़ानून अनुसार किसी काम का कर
कानूनानुसार अवश्य ना अवश्य तब कहलावेगा जब कि उस
काम को न करना उसके लिये क़ानून विरुद्ध हो।

४४- हानि शब्द का संकेत हर एक ज्यान से है और जो
हानि कानून विरुद्ध किसी मनुष्य के तन अथवा मन
अथवा यश अथवा धन को पहुंचाया जाय॥

४५- जीव शब्द का संकेत मनुष्य के जीव से है सिवाय
जीव उसके जहां लेख से इस के विरुद्ध अर्थ दिख
ई दे॥

४६- मृत्यु शब्द का संकेत मनुष्य की मृत्यु से है सिवाय
मृत्यु उसके जहां लेख से इस के विरुद्ध अर्थ दिखाई दे।

४७- पशु शब्द का संकेत मनुष्य को छोड़ कर हर एक
पशु जीव धारी से है॥

४८- जहाज शब्द का संकेत प्रत्येक वस्तु से है जो पानी
जहाज के रस्ता मनुष्यों को अथवा चीज़ वस्तु को उता
रने के लिये बनी हो॥

४९- जहां कहीं बरस शब्द अथवा महीना शब्द वर्त्ता

वरस गया है वहां समझा गया है कि वरस अथवा महीना अंगरेजी पत्रे की गिनती से है।

५०- दफ़ा शब्द का संकेत इस संग्रह के हरएक अध्याय के उन भागों से है जो सिरे पर लगे हुए गिन्ती के अंकों से पहिचाने जाते हैं॥ दफ़ा

५१- सौगन्द शब्द में सत्य बोलने की वह प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जो क़ानून अनुसार सौगन्द के बदले ठहराई गई हो और और कोई प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जिसका किसी सर्वसंबंधी नौकर के सामने किया जाना अथवा सबूत की भांति चाहे अदालत में हो चाहे और कहीं बर्ता जाना कानून अनुसार अवश्य अथवा उचित है। सौगंद

५२- कोई बात जो यथोचित सावधानी और विचार से न की गई अथवा न मानी गई हो शुद्धभाव से की गई अथवा मानी गई न कहलावेगी॥ शुद्धभाव

अध्याय ३
दंडों के विषय में

५३- जिन दंडों के योग्य अपराधी इस संग्रह के लेखों के अनुसार होंगे वे यह हैं॥ दंड

पहला- वध

दूसरा- देशनिकाला

तीसरा- सेवादंड

चौथा- क़ैद जिसके दो प्रकार हैं { १ कठिन अर्थात् मशक्क़तसं[illegible] / २ साधारण अर्थात् विना[illegible] }

पांचवां- धनकी ज़प्ती

छठा- जुरमाना

ऐक्ट नंबर६ सन् १८६४ ई० हिन्दुस्तान की कानून कारक कौंसिल से जारी होकर १८ फरवरी सन् १८६४ ई० को श्रीमान नवाब गवर्नर जनरल प्रतापी कौंसिल ने मंजूर किया।

इस ऐक्ट से यह प्रयोजन है कि किसी किसी अपराधी का दंड वेतों से उचित कियाजाय॥

जो कि उचित है कि हिन्दुस्तान के दंड संग्रह के लेखानुसार अपराधी को दंड वेतों अर्थात् कोड़ों से दियाजाय इसलिये नीचे लिखे हुए अनुसार आज्ञा होती है॥

दफ़ा१- सिवाय दंड संग्रह के ऊपर लिखी हुई हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की दफ़ा ५३ के अपराधी मनुष्य उक्त संग्रह के लेखानुसार वेतों के दंड योग्य भी हैं॥

दफ़ा२- जो मनुष्य नीचे लिखे हुए अपराधों में से किसी का अपराधी हो उचित है कि उसको किसी दंड के वदले में जिस का वह अपराधी हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की आज्ञानुसार हो दंड वेत की ताड़ना की जाय और वे अपराध ये हैं॥

१- चोरी जिसका वर्णन इस संग्रह की दफ़ा ३७८ में हुआ है।

२- इमारत अथवा तम्बू अथवा जहाज चोरी करना जिसप्रकार इस संग्रह की दफ़ा ३८० में वर्णन हुई है।

३- इस संग्रह की दफ़ा ३८१ के वर्णनानुसार गुमाश्ता अथवा नौकर का चोरी का अपराध करना॥

४- चोरी करने के प्रयोजन से किसी को मार डालने अथवा दुख पहुंचाने उपाय करके चोरी करना जो इस संग्रह की दफ़ा ३८२ में वर्णन है॥

५- धमकी देकर दवा कर माल लेना जिस का वर्णन इस संग्रह की दफ़ा ३८८ में हुआ है॥

६- दवाकर माल लेने के लिये किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा वड़े भारी दुःख का डर दिखाना जिसका वर्णन इस संग्रह की दफ़ा ३८७ में हुआ है॥

७- जानबूझ कर वेधर्माई से चोरी का माल लेना जिसका वर्णन इस संग्रह की दफ़ा ४११ में है।

८- वेधर्माई से लेना ऐसे माल का जो डकैती में चोरी गया है जिसका वर्णन इस संग्रह की दफ़ा ४१२ में है।

९- मुदाख़लत वेजा मकान की अथवा घर में सेंध लगाना जिनका वर्णन इस संग्रह की दफ़ा ४४३ व ४४५ में है।

१०- रात के समय मकान की मदाख़लत वेजा अथवा सेंध लगाना जिनका वर्णन इस संग्रह की दफ़ा ४४६।४४४ में है। अथवा ऐसे अपराध की नियत करना जिसका दंड इस दफ़े की आज्ञानुसार बेत की ताड़ना हो सक्ती है॥

५४- हर एक मुकद्दमे में जिसमें वध के दंड की आज्ञा हुई हो गवर्नमेंट हिन्द को अथवा उस देश की गवर्नमेंट को जहां अपराधी को दंड की आज्ञा हुई हो अपराधी की विना राज़ी के भी उस दंड के वदले इस संग्रह में लिखा हुआ कोई दूसरा दंड करने का अधिकार होगा

वध के दंड का वदला

दफ़ा ३- अगर कोई मनुष्य जिस पर नीचे लिखी हुई दफ़ा के अपराधों में से कोई सा अपराध एक वार साबित हुआ हो और उसी अपराध के मध्ये वह दूसरी वार पकड़ा जावे तो उचित है कि हिन्दुस्तान के दंड संग्रह के अनुसार दंड के वदले उसको वेन की ताड़न का दंड दिया जाय॥

दफ़ा-४- जो कोई मनुष्य जिस पर नीचे लिखे हुए लेखानुसार अपराधों में से कोई सा अपराध एक वार भुगताया गया

और दूसरी वार उसी अपराध के मध्ये पकड़ा गया तो उस अपराधी को दंड हिन्दुस्तान के दंड संग्रह के लेखानुसार के वदले वेतों के दंड की ताडना की जाय- अर्थात्

१- झूठी गवाही देना अथवा वनाना उस प्रकार जिसका वर्णन हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की दफ़ा १९३ में है।

२- झूठी गवाही देना अथवा ऐसा सवूत कराने की नियत से जिस अपराध का दंड वध हो जिस का वर्णन इस दंड संग्रह की दफ़ा १९४ में है।

३- झूठी गवाही देना अथवा झूठा सवूत वनाना इस ... न से कि किसी पर ऐसा अपराध सावित हो जिसका दंड देशनिकाला अथवा क़ैद है उक्त संग्रह के लेख दफ़ा ... के वर्णनानुसार॥

४- ... सभाव विरुद्ध जिसका वर्णन ... व ३७७ में है।

५- किसी स्त्री पर उसकी लज्जा विगाड़ने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति वल करना जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ३५४ में है॥

६- वल सहित व्यभिचार जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ३७५ में है।

७- सभाव विरुद्ध अपराध जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ३७७ में है।

८- चोरी जोरी अर्थात् दवाकर लेना ... का वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ३९० व ३९१ में है।

९- चोरीजोरी ...

की दफ़ा ३९३ में लिखा है॥

९०– चोरीजोरी करने में जान मान कर दुख पहुंचाना जिस प्रकार उक्त संग्रह की दफ़ा ३९४ में वर्णन है।

९१– सभाव से चोरी का माल लेना अथवा उसका व्योहार करना जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ४१३ में है।

९२– जालसाज़ी जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ४६३ में है।

५५– हरएक मुक़द्दमें जिसमें जन्म भर के देश निकाले के दंड की आज्ञा हुई हो गवर्नमेंट हिंद को अथवा उस देश की गवर्नमेंट को जहां अपराधी को दंड की आज्ञा हुई हो अपराधी की बिना राज़ी के भी उस दंड के बदले दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड जो १४ बरस से अधिक न हो करने का अधिकार होगा॥

जन्म भर के देश निकाले की क़ैद के दंड का बदला

९३– जालसाज़ी दस्तावेज़ की जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ४६६ में है।

९४– जालसाजी उस दस्तावेज की जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ४६७ में है॥

९५– छलने के प्रयोजन से जालसाजी करना जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ४६८ में है।

९६– किसी मनुष्य के यश को ज्यान पहुंचाने प्रयोजन से जाली दस्तावेज़ बनाना जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ४६९ में है।

९७– मुदाख़लत पेजा अथवा घर फोरना अर्थात् सेंध लगाना जिस प्रकार उक्त संग्रह की दफ़ा ४४३ व ४४५ में वर्णन है ऐसे अपराध के प्रयोजन से जिसका दंड क़ैद

दफ़ा अनुसार वेत की ताड़ना हो सक्ती है॥

१८ - रात्रि के समय मकान की मुदाख़लत वेजा अथवा घ
रना जिसका वर्णन उक्त संग्रह की दफ़ा ४४४ व ४४६
है ऐसे अपराध के प्रयोजन से जिसका दंड उक्त दफ़ा
नुसार वेत की ताड़ना हो सक्ती है।

दफ़ा ५ - उचित है कि किसी ऐसे कम अवस्था वाले अपरा
को जिसका दंड हिन्दुस्तान के दंडसंग्रह अनुसार वध न
सिवाय इस से कि वह अपराध उससे पहली वार तथा दू
वार हुआ हो किसी और दंड के वदले जिसका वह उक्त
ह के अनुसार दंड योग्य हो वेत की ताडन का दंड दिया

दफ़ा ६ - जव किसी लोकल गवर्नमेंट ने इश्तिहार के ज
से सर्व संवंधी गजट में इस दफ़ा के प्रवंधों को किसी
ज़िला की सीमा अथवा मुलक की सीमाओं के वेह
में जो भीतर उस देश की गवर्नमेंट के हो प्रचलित
हो तो जो मनुष्य नामी (अर्थात् जिसके नाम इश्तिह
उक्त ज़िले या सीमाओं में उन अपराधों जिन का वर
उक्त ऐक की दफ़ा ४ में है किसी अपराध का अपराध
हो तो उचित है कि किसी और दंड के वदले जिस क
ह हिन्दुस्तान के दंड संग्रह के अनुसार दंड योग्य ह
उसको वेत की ताडना का दंड दिया जाय॥

दफ़ा ७ - वेत की ताड़न का दंड किसी स्त्री को न दिया जायग
और न उस मनुष्य को दिया जायगा जिसको दंड व
अथवा जन्मभर के लिये देश निकाले का दंड अथवा कै
मशक़्क़त सहित अथवा क़ैद पांच वरस से अधिक
आज्ञा हुई हो॥

किसीअधिकारी कोजो मजिष्ट्रेट मातहत पहले दरजे से कम अधिकार रखता होउसको अधिकार बेत की ताड़न कराने की आज्ञा का न होगा केवल उस सूरत में कि उसको अधि कार लोकल गवर्नमेंट ने बेत की ताड़न कराने की आज्ञा दी हो॥

- अगर आज्ञा दंड बेत की ताड़न की सिवाय दंड क़ैद ऐसी अदालत से ऊई हो जिस की तजवीज़ किसी अदालत श्रेष्ठ॥

जब कभी कोई मनुष्य जो यूरोपी और अमेरिकावासी हो किसी ऐसे अपराध का अपराधी ठहरे जिसका दंड इस संग्रह के अनुसार देश निकाला है तो दंड करने वाली अदालत उस [अ]पराधी को देश निकाले के बदले सन् १८५५ ई० के ऐक[्ट] ४ के अनुसार सेवा दंड की आज्ञा देगी॥

[यूरो]पियों और अमेरिका[नि]यों को देशनिकाले [के ब]दले सेवादंड होवे।

उल्लंघन हो सक्ती है तो बेत की ताड़न का दंड उस वक्त तक न दिया जायगा कि आज्ञा दंड की तारीख़ से १५ दिन बीत जायं अथवा अगर उस मियाद के भीतर अपील हो तो जब तक उक्त आज्ञा अदालत श्रेष्ठ की तजवीज से रोकन कीजाय परन्तु दंड बेत की ताड़न का पंदरह रोज की म्याद गुजरने पर दिया जायगा अथवा अपील ऊई हो तो तजवीज़ तत्काल उस अदालत से जहां अपील ऊई है उक्त आज्ञा के रीत होने की आज्ञा लेकर सिवाय उसके कि वह तजवीज़ अपील उस म्याद पंद्रह दिन के भीतर न पऊंच गई हो दी जायगी॥

[द]फ़ा १०- जब अपराधी मनुष्य पूरी अवस्था का हो तो बेत की ताड़न का दंड उस अस्त्र अर्थात् औज़ार और उस चलन के अनुसार और देह के उस मुक़ाम पर जो लोकल गवर्नमेंट

अपने अपराधी को छोड़दे अथवा बेत की ताड़न के बदले किसी म्याद तक सिवाय उस दंड के जो उसके लिये उसी अपराध के वास्ते ठहर चुका हो क़ैद ठहराये उस शर्त पर कि क़ैद की कुल म्याद उससे त्याग न करे जो हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की आज्ञानुसार अपराधी के लिये ठहरसक्ती है अथवा जिसके ठहराने का उक्त अदालत को इख़्तियार हो परन्तु शर्त यह है कि जब कोई अपराधी यूरोपी अथवा आमेरिका वासी उस अवस्था में कि उक्त ऐक्ट न प्रचलित हुआ हो दंड योग्य आज्ञा अथवा देशनिकाले का दंड दस बरस से अधिक म्याद के वास्ते होना परन्तु जन्म भर के लिये होता तो वह इसके योग्य होगा कि क़ैद सेवा दंड में रहने के लिये उसका वास्ते दंड की आज्ञा अथवा छः बरस से अधिक उस मुद्दत तक जो अदालत से मुनासिब ठहरे आज्ञा हो जन्म भर के वास्ते नहीं ॥

५७– दंड की म्याद के विभाग करने में जन्म भर का देशनिकाला बीस बरस के देशनिकाले के बराबर समझा जायगा ॥

दंड की मियाद के विभाग

५८– हरएक मुक़द्दमे में जिस में आज्ञा देशनिकाले की हुई हो देशनिकाला होने तक अपराधी उस भांति रक्खा जायगा मानो कठिन क़ैद की आज्ञा उसको हुई है और समझा जायगा कि उस क़ैद के समय में देशनिकाले का दंड भुगतता है ॥

जिन अपराधियों को देशनिकाले के दंड की आज्ञा हुई हो वे देशनिकाला होने तक किस भांति रक्खे जायंगे

५९– हर मुक़द्दमे में जिस में अपराधी ७ वर्ष अथवा उससे अधिक मियाद की क़ैद के दंड योग

क़ैद के बदले देशनिकाला

अपने अपराधी को छोड़दे अथवा बेत की ताड़न के बदले किसी म्याद तक सिवाय उस दंड के जो उसके लिये उसी अपराध के वास्ते ठहर चुका हो क़ैद ठहरावे उस शर्त पर कि क़ैद की कुल म्याद उस से त्याग न करे जो हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की आज्ञानुसार अपराधी के लिये ठहरसक्ती है अथवा जिस के ठहराने का उक्त अदालत को इख़ियार हो परन्तु शर्त यह है कि जब कोई अपराधी यूरोपी अथवा अमेरिका वासी उस अवस्था में कि उक्त ऐक्ट न प्रचलित हुआ हो दंड योग्य आज्ञा अथवा देश निकाले का दंड दस बरस से अधिक म्याद के वास्ते होना परन्तु जन्म भर के लिये होता तो वह इसके योग्य होगा कि क़ैद सेवा दंड में रहने के लिये उसका वास्ते दंड की आज्ञा अथवा छः बरस से अधिक उस मुद्दत तक जो अदालत से मुनासिब ठहरे आज्ञा हो जन्म भर के वास्ते नहीं ॥

५७- दंड की म्याद के विभाग करने में जन्म भर का देश निकाला बीस बरस के देश निकाले के बराबर समझा जायगा ॥

दंड की मियाद के विभाग

५८- हर एक मुक़द्दमे में जिस में आज्ञा देश निकाले की हुई हो देश निकाला होने तक अपराधी उसी भांति रक्खा जायगा मानो कठिन क़ैद की आज्ञा उसको हुई है और समझा जायगा कि उस क़ैद के समय में देश निकाले का दंड भुगतता है ॥

जिन अपराधियों को देश निकाले के दंड की आज्ञा हुई हो वे देश निकाला होने तक किस भांति रक्खे जायंगे

५९- हर मुक़द्दमे में जिस में अपराधी ७ वर्ष अथवा उस से अधिक मियाद की क़ैद के दंड योग्य

क़ैद के बदले देश निकाला कब होवेगा

हो दंड करने वाली अदालत को अधिकार होगा कि चाहे तो
क़ैद का दंड देने के बदले अपराधी को किसी म्याद के लिये
जो ७ बरस से कम ती न हो और जितनी म्याद की क़ैद उस
इस संग्रह के अनुसार हो सक्ती हो उस से अधिक न हो दे
निकाले का दंड दे॥

६० हर एक मुक़द्दमे में जिस में अपराधी को दोनों प्रकार
क़ैद आधी परही कठिन अथवा साधारण हो सकेगी
क़ैद में से कोई हो सक्ती हो दंड करने वाली अदालत को अधिकार होगा
कि दंड की आज्ञा में यह भी हुक्म दे दे कि सब क़ैद [illegible]
अथवा सब साधारण होगी अथवा इतनी कठिन और बाक़ी
साधारण होगी॥

६१– हर एक मुक़द्दमे में जिस में किसी मनुष्य के ऊपर को
धन की ज़ब्ती का दंड
ई ऐसा अपराध साबित हुआ हो कि
स के बदले उस के सब माल मिल्कियत की ज़ब्ती हो सक्ती है
तो जब तक वह अपराधी उस दंड को अथवा उस को जो उस
दंड के पलटे में ठहरा दिया गया हो भुगत न ले अथवा माफ़
न कर दिया जाय तब तक उस को कुछ माल मिल्कियत प्राप्त
करने का अधिकार न होगा सिवाय इस के कि जो कुछ प्राप्त
करे गवर्नमेंट को मिले॥

उदाहरण

देवदत्त जिसके ऊपर गवर्नमेंट हिन्द के विरुद्ध युद्ध करना साबित हुआ
[illegible] सब माल मिलकियत की ज़ब्ती के योग्य है और दंड की आज्ञा हो
[illegible] और भुगत जाने से पहिले देवदत्त का बाप मरा और मिल्कियत
[illegible] मिलती कदाचित ज़ब्ती की आज्ञा उसके मध्ये न हुई होती
[illegible] अवस्था में वह मिल्कियत गवर्नमेंट की होगी॥

-जब किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध सावित हो जिसके वदले दंड वध हो सक्ता हो तौ दंड करने वाली अदालत को अधिकार होगा कि अपराधी का सब धन चाहे अस्थाव र हो चाहे स्थावर गवर्नमेंट में जप्त होने आज्ञा दे और जब कभी किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा राध सावित हो जिसके लिये दंड देश निकाले का अथवा त वरस वा सात वरस से अधिक म्याद की क़ैद का होस हो तौ उस अदालत को अधिकार होगा कि उस के स्थाव धन के लगान और मुनाफे को देश निकाले अथवा क़ैद की याद तक गवर्नमेंट में ज़प्त रहने की आज्ञा दे परन्तु उसमें अपराधी के परिवार और आसरे वालों की आजीविका लिये उस म्याद तक इतना मिल सकेगा जितना गवर्नमेंट नज़दीक उचित हो॥

तो ऐसे अपराधियों के की जो वध अथवा निकाले अथवा क़ैद के योग्य दंड हो

३- जहां कहीं जरीमाने की तादाद की अवधि नहीं लिखी वहां जरीमाने को जो अपराधी के पर हो सक्ता है वे अवधि होगी परन्तु अत्यंत न होगी।

जरीमाने की तादाद

४- हरएक मुक़द्दमे में जिस में किसी अपराधी पर जरीमाने का दंड किया जाय दंड करने वाली अदालत दंड के साथ में आज्ञा दे सकेगी कि रीमाना न चुकावेगा तो अपराधी इतनी म्याद तक क़ैद भुग गा और यह क़ैद उस क़ैद से अधिक होगी जो उस अपराधी को दंड में की गई हो अथवा किसी दूसरे दंड के वदले नद ई गई हो॥

क़ैद का दंड जब कि जरीमाना न चुके

५- कदाचित् अपराध जरीमाना और क़ैद दोनों दंडों के

जरीमाना न चुकाये जाने के वदले कैद की म्याद की अवधि जव कि अपराध जरीमाने और कैद दोनों के योग्य हो

योग्य हो तो जरीमाना न चुकाये जाने के वदले जो कैद अदालत ठहरावेगी उस की म्याद उस अपराध के लिये ठहराई गई वढती से वढती मियाद की चौथाई से अधिक न होगी॥

६६ – कैद जो जरीमाना न चुकने के वदले अदालत ठहरावेगी उसी प्रकार की होगी जिस के योग्य अपराधी उस अपराध के वदले हो॥

जरीमाना न चुकने के वदले कैद का प्रकार

६७ – कदाचित् अपराध केवल जरीमाने के दंड योग्य हो तो म्याद कैद की जिसकी आज्ञा अदालत अपराधी को जरीमाना न चुकाने के वदले देगी नीचे लिखे हिसाव से अधिक न होगी अर्थात् दो महीने तक जव कि जरीमाना ५० रु० से वढती न हो और चार महीने तक जव कि जरीमाना एक सौ रु० से वढती न हो और छः महीने तक और सव अवस्थाओं में॥

जरीमाना न चुकाये जाने के वदले कैद की म्याद जव कि अपराध केवल जरीमाने के दंड योग्य हो

६८ – कैद जो जरीमाना न चुकने के वदले की जाय उस समय वीत जायगी जव कि वह जरीमाना चुका दिया जाय अथवा कानून की रीति से वसूल हो जाय॥

यह कैद जरीमाना चुकाने से भुगत जायगी

६९ – जरीमाना न चुकने के वदले जो म्याद कैद की ठहराई गई हो उसके वीतने से पहिले कदाचित् जरीमाने का कोई ऐसा भाग चुका दिया जाय अथवा वसूल हो जाय कि जितनी म्याद भुगत ली हो वह वाकी विना चुके हुए जरीमाने से स

व्यतीत होना इस कैद का जव कि जरीमाने का कुछ भाग चुका दिया जाय।

भूतहो तो वह कैद उसी समय व्यतीत समझी जायगी॥

उदाहरण

देवदत्त पर एक सौ रुपये जरीमाने का और जरीमाना न चुकने के बदले चारमहीने की क़ैद का दंड हुआ यहां कदाचित क़ैद का एक महीना बीतने से पहले ७५ रु॰ जरीमाने का चुकजाय अथवा वसूल होजाय तो देवदत्त पहिला महीना व्यतीत होतेही तुरंत छोड़ दिया जायगा और कदाचित ७५ रुपया पहिला महीना व्यतीत होने के समय अथवा उससे पीछे किसी समय जबतक कि देवदत्त क़ैद में है चुका दिया जाय अथवा वसूल करलिया जाय तो देवदत्त तुरंत छोड़ दिया जायगा और कदाचित ५० रु॰ क़ैद के दो महीने बीतने से पहिले चुका दिया जाय अथवा वसूल कर लिया जाय तो दोम हीने व्यतीत होतेही देवदत्त छोड़ दिया जायगा और कदाचित ५० रु॰ दो महीना व्यतीत होने के समय अथवा उस से पीछे जबतक कि देवदत्त क़ैद में है चुका दिया जाय अथवा वसूल कर लिया जाय तो देवदत्त तुरंत छोड़ दिया जायगा

जरीमाना छः वरस के भीतर अथवा क़ैद की म्याद में किसी समय वसूल हो सकेगा

७०— जरीमाना अथवा उसका कोई विना चुका हुआ भाग दंड की आज्ञा होने से छः वरस के भीतर किसी समय वसूल हो सकेगा और कदाचित उस दंड की आज्ञानुसार अपराधी छः वर्ष से अधिक म्याद की क़ैद हुआ हो तो उस म्याद से व्यतीत होने से पहिले किसी समय वसूल हो सकेगा और अपराधी के

अपराधी के मरजाने से उसका माल मिल्कियत छूट न जायगा—

मरजाने से वह माल मिल्कियत जो उस के मरने के पीछे कानूनानुसार उस के ऋण की जिम्मेदार हो सकी हो जिम्मेदारी से छूट न जायगी॥

अपराध वन अपराध के दंड की जो कई अपराध मिल कर बनता हो

७१— जब कोई अपराध कई कामों से बनता हो और हर एक उन कामों में से आप भी अपराध हो तो अपराधी को अपराधों में से एक से अधिक का दंड

न किया जायगा॥
जब कोई काम ऐसा अपराध हो जो किसी समयमर्चा
कानून के दो या अधिक अलग २ वर्णन हों जिसमें
का वर्णन और दंडों का लेख हो अथवा ऐसे कामों जिन
से एक से अधिक का संग्रह हर एक काम अपराध है स
सब इकट्ठे होकर को और अपराध व
उस सज़ा से अधिक कठिन दंड न दिया जायगा जिस
अदालत यथोचित अपराध किसी एक अपराध उक्त
राधों के लेख की ठहराई कर सक्ती है॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को लकड़ी की पचास चोट मारी-य
सक्ता है कि देवदत्त ने जानबूझ कर विष्णुमित्र को दुख पहुंचाने का
राध इस सब मार पीट के द्वारा किया हो और यह भी कि चाहे
टों में से जिन को मिलाकर वह सब मार पीट गिनी गई हर एक के
किया हो और कदाचित् ऐसा होता कि देवदत्त हर एक चोट के बद
दंड के योग्य होता तो उसको पचास बरस की कैद अर्थात् प्रत्येक
ट के बदले एक बरस की क़ैद हो सक्ती परंतु ऐसा न होगा उसको
मार पीट के बदले केवल एक ही दंड हो सकेगा॥
(इ) परन्तु जिस समय देवदत्त विष्णुमित्र को मार रहा
हरमित्र बीच में बोलता और देवदत्त जानबूझ कर हरमित्र को
तो जो चोट हरमित्र के मारी जाती कोई भाग उस काम का न होता
के द्वारा देवदत्त जानबूझकर विष्णुमित्र को दुख
देवदत्त इस योग्य होगा कि एक तो विष्णुमित्र को जानबूझ कर दुख
पहुंचाने के बदले और
७२-सब मुक़द्दमों में जिन

तजवीज़ कीजाय कि फलाने फलाने अनेक अनेक अपराधों में से किसी एक का अपराधी है परन्तु संदेह इस बात का है कि उन अपराधों में से कौन से का अपराधी है और दंड भी सब का एकसा न हो तो उन अपराधों में से जिस किसी का दंड सब से कमती होगा उसी का दंड वह अपराधी पावेगा॥

दंड किसी मनुष्य को जो अनेक अपराधों में से एक का अपराधी ठहरे और हाकिम की तजवीज़ में लिखा हो कि निश्चय नहीं है कि इन अपराधों में से किस का अपराधी है

७३ – जब कभी कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध का अपराधी ठहरे जिस के लिये इस संग्रह के अनुसार अदालत को अधिकार कठिन क़ैद के दंड देने का है तो अदालत अपनी तजवीज के द्वारा आज्ञा देसकेगी कि जितनी म्याद अपराधी को ठहरे है उस के किसी भाग अथवा भागों तक जो तीन महीने से अधिक न हो अपराधी एकान्त वंधि में नीचे लिखे अनुसार रक्खा जाय अर्थात् जब कैद की म्याद छः महीने से बढ़ती न हो तो किसी समय तक जो एक महीने से अधिक न होगा और जब क़ैद की म्याद छः महीने से बढ़ती और एक बरस से कमती होगी तो किसी समय तक जो दो महीने से अधिक न हो और जब क़ैद की म्याद एक बरस से बढ़ती हो तो किसी समय तक जो तीन महीने से अधिक न होगा॥

एकांतवंधि

७४ – एकान्तवंधि का दंड करने में यह वंधि कभी एक ही बेर चौदह दिन से अधिक न होगी और दो बेर की एकांत वंधि में इतने ही दिन से कमती का अंतर न होगा और जब कि तीन बरस से अधिक हो तो एकांत वंधिउ

एकान्तवंधि की अवधि

किसी एक महीने में सात दिन से अधिक न होगी और कमी से कमती इतनाही अंतर बीच में छोड़ना पड़ेगा॥

७५- जो कोई मनुष्य एकबेर अपराधी किसी ऐसे अपराध का जिसका दंड इस संग्रह के अध्याय १२ अथवा १७ के अनुसार दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद तीन बरस अथवा उस से अधिक म्याद तक है ठहर कर फिर अपराधी किसी अपराध का जिसका दंड उन्हीं दोनों अध्याओं में से किसी के अनुसार दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद तीन बरस तक अथवा उस से अधिक म्याद तक हो सकता हो ठहरे तो पीछे के हर एक अपराध के बदले वह जन्मभर के देशनिकाले अथवा जितना दंड उसको उस अपराध के बदले हो सक्ता हो उस के दुगने के योग्य होगा परंतु दस बरस से अधिक क़ैद के योग्य कभी न होगा॥

> दंड उन मनुष्यों को जो एक बेर अपराधी ठहर कर फिर किसी ऐसे अपराध के अपराधी ठहरें जिसका दंड तीन बरस की क़ैद हो॥

अध्याय ४

साधारण छूट

७६- जिस किसी काम को कोई ऐसा मनुष्य करे जिसके ऊपर उसका करना कानून अनुसार अवश्य हो अथवा जो कानून का मतलब अशुद्ध समझने से नहीं किंतु किसी वृत्तान्त को यथार्थ न समझ लेने के कारण शुद्ध भाव से अपने ऊपर कानून अनुसार उसका करना अवश्य जानता हो अपराध न होगा॥

> वह काम जिस को कोई ऐसा मनुष्य करे जिस पर उस का करना अवश्य हो अथवा जो वृत्तान्त को यथार्थ न समझ लेने से अपने ऊपर उसका करना कानूनानुसार अवश्य जाने

उदाहरण

(अ) देवदत्त एक सिपाही ने अपने अफसर की क़ानून अनुसार आज्ञा

से बहुसे मनुष्यों की भीड़ पर बन्दूक छोड़ी तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

(३) देवदत्त किसी अदालत के अहलकार को उस अदालत की आज्ञा ऊई कि हरमित्र को पकड़ो और देवदत्त ने यथोचित पूछताछ करके और विस्तुमित्र को हरमित्र जान कर विस्तुमित्र को पकड़ा तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

काम किसी हाकिम का जब कि वह न्याय करने को बैठा हो॥

७७– कोई काम जिसको कोई हाकिम उस समय करे जब कि वह न्याय करने में किसी क़ानून अनुसार मिले ऊए अधिकार को अथवा ऐसे अधिकार को जिसका क़ानून अनुसार मिलना वह शुद्ध भाव से निश्चय मान रहा हो वर्त्तता हो अपराध न होगा॥

काम जो किसी अदालत की तजवीज अथवा आज्ञा अनुसार किया जाय॥

७८– कोई काम जिसका करना किसी अदालत की तजवीज़ अथवा आज्ञा के अनुसार अवश्य अथवा उचित हो अपराध न गिना जायगा कदाचित् ऐसे समय में किया जाय जब कि वह तजवीज़ अथवा आज्ञा प्रचलित हो यद्यपि उस अदालत को उस तजवीज के करने अथवा आज्ञा के देने का अधिकार न भी हो परन्तु उस काम का करने वाला मनुष्य शुद्ध भाव से निश्चय मान रहा हो कि उस अदालत को ऐसा अधिकार प्राप्त है॥

काम किया ऊआ किसी ऐसे मनुष्य का जिसको उसके करने का अधिकार हो अथवा जो वृत्तान्त अशुद्ध समझने से उस काम के करने का अधिकारी अपने को समझता हो॥

७९– कोई काम किया ऊआ किसी ऐसे मनुष्य का जिस को क़ानून अनुसार उसके करने का अधिकार हो अथवा जो अपने तई शुद्ध भाव से वृत्तान्त को यथार्थ न समझने से और न कि क़ानून का मतलब अशुद्ध समझने के कारण उसके करने का अधिकारी क़ानून अनुसार निश्चय मान रहा हो अपराध न गिना जायगा॥

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र को कुछ ऐसा काम करते देखा जिसको वह समझा कि
ज्ञातघात है और देवदत्त ने अपनी बुद्धि को जहां तक हो सका शुद्ध भाव से
कर उस अधिकार के वर्तने में जो क़ानून ने सब मनुष्यों को दिया है कि ज्ञ
घात के अपराधियों को जब कि वे उस अपराध को कर रहे हों पकड़े विष्णुमि
को किसी यथोचित अधिकारी के सामने लाने के लिये पकड़ा तो देवदत्त ने
अपराध नहीं किया यद्यपि पीछे यह भी साबित होजाय कि विष्णुमित्र वह
निज रक्षा के लिये कर रहा था॥

८० — कोई काम जो विना कुप्रयोजन अथवा विना कुज्ञान

नीतिपूर्वक काम के करने में दैवयोग से कुछ से कुछ होजाना

के किसी नीति पूर्वक काम को नीति पू
क भांति और नीति पूर्वक उपाय से यथ
चित सावधानी और चौकसी सहित करते में दैवयोग से अ
थवा अभाग्य से होजाय अपराध न गिना जायगा॥

उदाहरण

देवदत्त कुछ काम कुल्हाड़ी से कर रहा था बेंट में से कुल्हाड़ी उछटी और एक
मनुष्य जो वहीं पास खड़ा था जा लगी वह उस से मर गया यहां कदाचित देव
दत्त की ओर से यथोचित सावधानी होने में कुछ कसर न हुई हो तो उस
का काम क्षमा करने के योग्य है और अपराध नहीं है॥

८१ — कोई काम केवल इसी कारण अपराध न गिना जायगा

काम जिस से कुछ ज्यान होना अति सम्भवित हो परन्तु कुप्रयोजन के विना दूसरे ज्यान के रोकने के लिये किया गया हो

कि करने वाले ने उस से ज्यान का होना
अति सम्भवित जान कर उसको किया
कदाचित ज्यान पहुंचाने के किसी कुप्र
[illegible] तन अ
धन को दूसरे ज्यान के रोकने अथवा बचाने के प्रयोजन
[illegible] हो॥

विवेचना – ऐसी अवस्था में यह बात निश्चय करनी होगी कि जिस ज्यान के रोकने का प्रयोजन किया गया वह इस प्रकार का और ऐसा सम्भवित था या न जिस के कारण उस काम से ज्यान का होना अति सम्भवित जानकर भी उस के करने की जोखिम उठानी उचित अथवा क्षमा करने के योग्य समझी जाय॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी धुएं की नाव के कप्तान को एकाएकी विना अपने क़सूर अथवा असावधानी के ऐसा योग आ पड़ा कि जब तक अपनी नाव को रोके ही रोके तब तक रामवान नाम नाव को जिस में बीस अथवा तीस मुसाफिर थे अवश्य टक्कर लगती जान पड़ी और टक्कर बचाने का केवल यही उपाय था कि देवदत्त अपनी नाव का मुंह दूसरी ओर को फेर देता और मुंह फेरने से जोखिम इस बात की थी कि एक और नाव रुद्रशर नाम को जिस में केवल दो ही मुसाफ़र थे टक्कर लगती परन्तु उसका बच जाना भी सम्भवित था यहां कदाचित् देवदत्त अपनी नाव का मुंह रुद्रशर नाव को टक्कर देने के प्रयोजन विना और रामवान नाव के मुसाफ़िरों को टक्कर लगने की विपत्ति से बचाने के निमित्त शुद्ध भाव से फेर देता तो किसी अपराध का अपराधी न गिना जाता यद्यपि उस के इस काम से जिसको वह जानता था कि इस से रुद्रशर नाव को टक्कर लगनी अति सम्भवित है रुद्रशर को टक्कर भी लगजाती कदाचित यह बात निश्चय पाई जाती कि जिस विपत्ति के बचने के प्रयोजन से इस ने यह काम किया वह ऐसी थी कि रुद्रशर नाव को टक्कर दिलाने की जोखिम उठानी क्षमा के योग्य है॥

(२) देवदत्त ने एक बड़ी भारी आग लगने के समय आग का फैलना रोकने के लिये घरों को गिराया और यह काम उसने शुद्ध भाव से मनुष्यों का जी व अथवा धन बचाने के प्रयोजन से किया यहां कदाचित् यह बात पा

जाय कि जो ज्यान रोका जाने को था वह इस प्रकार का और इतना संभवित था जिस से देवदत्त का काम क्षमा के योग्य हुआ तो देवदत्त किसी अपराध का अपराधी न गिना जायगा॥

काम सात बरस से नीचे की अवस्था के बालक का।

८२– कोई काम जो सात बरस से नीचे की अवस्था के बालक ने किया हो अपराध न होगा॥

काम सात बरस से ऊपर और बारह बरस से नीचे की अवस्था के बालक का जिसकी समझ यथोचित पकी नहो

८३– कोई काम किया हुआ सात बरस से ऊपर और बारह बरस से नीचे की अवस्था के किसी बालक का जिसकी समझ इतनी पकावट को न पहुंची हो कि उस विषय में अपने काम के गुण और फलों को विचार सके अपराध न होगा॥

काम सिडी मनुष्य का

८४– कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उसके करने के समय सिडीपन के कारण उस काम के गुण समझने को अथवा यह जानने को कि यह काम अनीति है अथवा क़ानून के विरुद्ध है असमर्थ हो अपराध न होगा॥

काम किसी मनुष्य का जो अपनी इच्छा के विरुद्ध दिये हुए नशे के कारण विचार करने को असमर्थ हो॥

८५– कोई काम किया हुआ किसी मनुष्य का जो उसके करने के समय नशे के कारण उस काम का गुण अथवा यह बात कि यह काम अनीति है अथवा क़ानून के विरुद्ध है जानने को असमर्थ हो अपराध न होगा कदाचित् जिस वस्तु से नशा हुआ वह उस के बिना जाने अथवा उसी इच्छा के विरुद्ध उसको दी गई हो॥

– उन अवस्थाओं में जिन में कोई काम अपराध न
।न।जाता हो जब तक कि किसी विशेष ज्ञान अथवा

जिस अपराध के लिये कोई विशेष ज्ञान अथवा प्रयोजन अवश्य हो उनको कदाचित् कोई मनुष्य नशे की अवस्था में करे

विशेष प्रयोजन से न किया जाय कोई मनुष्य को जो नशे में उस काम को करे गा उसी योग्य होगा मानो उसको वही ज्ञान था जो हो सक्ता कदाचित् वह नशे में न होता सिवाय इस के कि जिस वस्तु से उसे नशा हुआ था वह उसके विना जाने अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको दी गई हो॥

काम जो विना प्रयोजन अथवा विना जाने इस बात के कि इस से किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख होना अति संभवित है उसी मनुष्य की राज़ी से किया जाय

८७- कोई काम जिस से मृत्यु अथवा भारी दुःख करने का प्रयोजन न हो और न उसका करने वाला यह बात जानता हो कि इससे मृत्यु अथवा भारी दुःख का होना अति सम्भवित है किसी ऐसे ज्यान के कारण अपराध न गिना जायगा जो १८ बरस से ऊपर की अवस्था के किसी मनुष्य को जिसने उस ज्यान का सहना अंगीकार कर लिया हो चाहे प्रगट चाहे अप्रगट उस काम से हो जाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करने वाले ने किया हो और न किसी ऐसे ज्यान के कारण गिना जायगा जो उस काम के करने वाले ने जान लिया हो कि ऊपर लिखे प्रकार के किसी मनुष्य को जिसने उस ज्यान की जोखिम अंगीकार कर ली हो हो जाना अति संम्भवित है॥

उदाहरण

देवदत्त और विष्णुमित्र मन बहलाने के लिये आपस में पटा खेलने को राज़ी हुए और इस राज़ी से यह बात समझी गई कि पटा खेलने में जो कुछ ज्यान विना कपट के किसी को हो जाय उसका सहना दोनों ने अंगीकार किया देवदत्त ने जब कि वह विना कपट से खेलता था विष्णुमित्र को चोट दी तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

८८- कोई काम जिस से किसी की मृत्यु करने का प्रयोजन न हो किसी ऐसे ज्यान के कारण अपराध न गिना जायगा जो किसी मनुष्य को जिसके भले के लिये वह काम शुद्ध भाव से किया गया हो और जिसने उस ज्यान का सहना अथवा उसको जोखिम उठाना अंगीकार कर लिया हो चाहे प्रगट चाहे अप्रगट उस काम से होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करने वाले ने किया हो अथवा जिस का होना करने वाले ने अति संभवित जान लिया हो॥

काम जो मृत्यु करने के प्रयोजन बिना शुद्ध भाव से किसी मनुष्य की राज़ी से उसके भले के लिये किया जाय॥

उदाहरण

देवदत्त एक डाक्टर ने यह बात जान बूझ कर कि फलानी चीर फार से मृत्यु विष्णुमित्र की जो एक बड़े दुःख के रोग में फंसा है होनी अति संभवित है परन्तु बिना प्रयोजन इस बात के कि विष्णुमित्र की मृत्यु हो शुद्ध भाव से विष्णुमित्र के भले का प्रयोजन करके वही चीर फार विष्णुमित्र की राज़ी से की तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

८९- कोई काम जो शुद्ध भाव से बारह बरस से कमती अवस्था के अथवा किसी सिड़ी मनुष्य के भले के लिये उसके रक्षक की ओर से जिस की नीति पूर्वक रक्षा में वह मनुष्य हो अथवा रक्षक की राजी से चाहे प्रगट हो चाहे अप्रगट किया जाय किसी ज्यान के कारण जो उस काम से होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करने वाले ने किया हो अथवा जिस का होना करने वाले ने अति संभवित जान लिया हो अपराध न गिना जायगा परन्तु नियम ये हैं—

काम जो शुद्ध भाव से किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य के भले के लिये उसके रक्षक की ओर से अथवा राज़ी से किया जाय

प्रथम- यह छूट प्रयोजन करके किसी की मृत्यु करने

यदा मृत्यु का उद्योग करने से सम्बंध न रक्खेगी॥

दूसरे— यह छूट किसी काम के करने से जिसको करने वाला जानता हो कि इस से मृत्यु का होना अति सम्भावित है संबंध न रक्खेगी सिवाय इस के कि वह काम मृत्यु अथवा भारी दुःख के रोकने के निमित्त अथवा किसी बड़े रोग अथवा दुर्बलता के मिटाने निमित्त किया जाय॥

तीसरे— यह छूट जान बूझकर भारी दुःख उत्पन्न करने से अथवा उत्पन्न करने का उद्योग करने से संबंध न रक्खेगी सिवाय इसके कि मृत्यु अथवा भारी दुःख के रोकने निमित्त अथवा किसी बड़े रोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त किया जाय॥

चौथे— यह छूट किसी ऐसे अपराध में जिससे वह सम्बंध न रखती हो सहायता पहुंचाने के अपराध से सम्बंध न रक्खेगी॥

उदाहरण॥

देवदत्त ने शुद्ध भाव से अपने बालक के भले के लिये बिना उसकी राज़ी के यह बात जानबूझकर कि उसका अंग चिरवाने से उस बालक की मृत्यु होनी अति सम्भावित है परन्तु उस बालक की मृत्यु का प्रयोजन न करके किसी डाकतर से पथरी निकलवाने के लिये उस बालक का अंग चिरवाया तो देवदत्त से यह छूट सम्बन्ध रक्खेगी क्योंकि प्रयोजन उसका बालक के इलाज से था॥

९०— कोई राज़ी ऐसी राज़ी न गिनी जायगी जैसी कि इस संग्रह की किसी दफ़ा में प्रयोजन किई गई है कदाचित वह राज़ी किसी मनुष्य ने हानि के डर से अथवा किसी वृत्तान्त को यथार्थ न समझने से दी हो और कदाचित [illegible]

राज़ी जो जानती नाराज़ी भय अथवा धोखे से दीगई

वाला मनुष्य जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह राजी ऊपर कहे हुए भय अथवा यथार्थ न समझने के कारण दी गई है॥

अथवा जब वह राजी किसी ऐसे मनुष्य ने दी हो जो सिड़ीपन से अथवा नशे के कारण गुण और फल उस काम के मध्ये उसने अपनी राजी दी हो अथवा जबकि वह राजी बारह बरस से कमती अवस्था के किसी मनुष्य ने दी हो सिवाय इसके कि लेख से इसके विरुद्ध आशय पाया जाय॥

राज़ी किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की

८१ दफ़ा ८७ और ८८ और ८९ की छूटें उन कामों से संबंध न रक्खेगी जो इस बात को छोड़ कर भी कि उनसे कुछ ज्यान उस मनुष्य को जिसने अथवा जिस के लिये राजी दी गई पहुंचा अथवा पहुंचने का प्रयोजन किया गया अथवा पहुंचना अति सम्भवित जाना गया आप ही अपराध हों॥

काम जो इस बात को छोड़ कर भी कि राजी देने वाले मनुष्य को उससे ज्यान पहुंचा आपही अपराध हों दफ़ा ८७ और ८८ और ८९ की छूटों में गिन्ती न होंगे

उदाहरण

पेट गिरवाना सिवाय इसके कि शुद्ध भाव से स्त्री का जीव बचाने के लिये हो इस बात को छोड़ कर भी कि उससे कुछ ज्यान उस स्त्री को हो जाय अथवा होने का प्रयोजन किया जाय आपही एक अपराध है इसलिये वह उस ज्यान ही के कारण अपराध नहीं है और न पेट के गिराने के मध्ये राजी उस स्त्री की अथवा उसके रक्षक की उस काम को उचित बनाती है॥

८२— कोई काम किसी ऐसे ज्यान के कारण जो उसे किसी मनुष्य को जिसके भले के लिये शुद्ध भाव से वह काम

काम जो सुद्ध भाव से किसी मनुष्य के भले के लिये विना राज़ी के किया जाय

किया गया हो होजाय यद्यपि उस मनुष्य को विना राज़ी के भी हो अपराध न होगा कदाचित अवस्था ऐसी हो कि उस में उस मनुष्य को अपनी राजी प्रगट करना असम्भव हो अथवा वह मनुष्य राजी देने को असमर्थ हो और अपना कोई रक्षक अथवा और मनुष्य जिसकी वह क़ानून अनुसार रक्षा में होता और जिस से उस काम के मध्ये जो भले के लिये किया गया राजी लेना सम्भव होता न रखता हो परन्तु नियम यह है॥

नियम

प्रथम— यह छूट प्रयोजन करके म्रत्यु उत्पन्न करने अथवा म्रत्यु का उद्योग करने से सम्बंध न रक्खेगी॥

दूसरे— यह छूट किसी काम के करने से जिस्से करने वाला जानता हो कि मृत्यु का होना अति सम्भवित है संबंध न रक्खेगी सिवाय इसके कि वह काम म्रत्यु अथवा भारी दुःख रोकने अथवा किसी भारी रोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त किया जाय॥

तीसरे— यह छूट जान बूझकर दुःख उत्पन्न करने अथवा दुःख उत्पन्न करने का उद्योग करने से संबंध न रक्खेगी सिवाय इसके कि म्रत्यु अथवा दुःख रोकने के निमित्त किया जाय।

चौथे— यह छूट किसी ऐसे अपराध में जिस्से वह छूट सम्बंध रखती हो और सहायता करने से सम्बन्ध न रक्खेगी॥

उदाहरण

(अ) विष्णुमित्र अपने घोड़े से गिर के मूर्छित होगया और देवदत्त एक डाकर ने विचार किया कि विष्णुमित्र की खोपड़ी चीरनी चाहिये फिर देवदत्त ने विना प्रयोजन करने के लिये फिर देवदत्त ने विना प्रयोजन करने विष्णुमित्र की म्रत्यु के उसके भले के लिये जब तक विष्णुमित्र विचारने के नि

ये फिरि समर्थ हुआ उससे पहिले शुद्ध भाव से उसकी खोपड़ी चीरी तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

(२) विश्नुमित्र को नाहर उठाकर लेचला और देवदत्त ने यह बात जानबूझ कर कि बन्दूक छोड़ने से विश्नुमित्र को गोली लगनी अति सम्भवित है परन्तु बिना प्रयोजन करने विश्नुमित्र की मृत्यु के शुद्ध भाव से उसके भले के लिये नाहर पर बन्दूक चलाई उससे गोली विश्नुमित्र के लगकर कारी घाव हुआ तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

(३) देवदत्त डाकतार ने किसी बालक को ऐसी चोट में देखा जिससे सम्भवित हुआ कि कदाचित तत्काल चीर फाड़ न की जाय तो यह चोट मृत्यु कारक होगी परन्तु अवसर इतना न था कि उस बालक के रक्षक की राजी पूछी जाय इसलिये देवदत्त ने शुद्ध भाव से उस बालक के भले के लिये उसकी बिना राजी के चीर फाड़ की तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

(४) देवदत्त किसी ऐसे मकान पर था जिसमें आग लग रही थी और एक बालक विश्नुमित्र भी उस के साथ था नीचे लोगों ने कम्बल पसारा और देवदत्त ने उस बालक को मकान की छत पर से कम्बल में गिरने के लिये यह बात जान बूझकर कि इस गिरने से इस बालक का मरजाना भी सम्भवित है परन्तु शुद्ध भाव से उस बालक को मारने के प्रयोजन के बिना और उसके भले के लिये छोड़ा इस अवस्था में कदाचित वह बालक गिरने से मर भी गया तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

विवेचना— केवल द्रव्य सम्बंधी भला दफ़ा ८८ व ८९ व ९२ के अर्थ में भला न समझा जायगा॥

९३— बतला देना किसी बात का शुद्ध भाव से इसी कारण | शुद्ध भाव से कुछ कह देना | अपराध न गिना जायगा कि जिस मनुष्य को वह बात बतलादी गई उसको उससे कुछ हानि होगया क

दाचित वह बात उस मनुष्य भले के लिये बतलाई गई हो।

उदाहरण

देवदत्त डाकतर ने शुद्ध भाव से किसी रोगी से अपना विचार यों कह दिया कि तू इस रोग से बच नहीं सक्ता और वह रोगी इसी धक्के से मर गया तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया यद्यपि वह जानता भी था कि इस कहने से उस रोगी की मृत्यु होनी भांति सम्भावित है॥

९४— सिवाय हत्या घात और राज्य विरोधी अपराधों के जिन का दंड वध है दूसरा कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उसके करने के लिये इस प्रकार की धमकियों से जिनसे उस काम के करने के समय हेतु सहित डर इस बात का पाया गया हो कि कदाचित वह मनुष्य उस काम को न करता तो उसका फल तत्काल मृत्यु होता बेबस किया जाय अपराध न होगा परन्तु नियम यह है कि उस काम के करने वाले मनुष्य ने अपनी इच्छा से अथवा अपने को तत्काल मृत्यु से कमती कोई ज्यान पहुंचने के हेतु सहित डर से उस अवस्था में न डाला हो जिसमें वह इस भांति बेबस किया गया॥

काम जिसके करने के लिये कोई मनुष्य धमकी के द्वारा बेबस किया जाय।

विवेचना १— कोई मनुष्य जो अपनी इच्छा से अथवा मारपीट की धमकी से डाकुओं के गोल में यह बात जान बूझकर मिले कि ये डाकू हैं सो वह इस हेतु से कि उसके साथियों ने जबरदस्ती उस्से कोई काम जो कानून अनुसार अपराध है करा या इस छूट के सहायता न पावेगा॥

विवेचना २— कोई मनुष्य जिसको डाकुओं के गोल ने पकड़कर और तत्काल मार डालने की धमकी देकर उस्से जबरदस्ती कोई काम जो कानून अनुसार अपराध है कराया हो

जैसे किसी लुहार से किवाड़ किसी मकान के तुड़वाये हों इस प्रयोजन से कि डाकू उस के भीतर घुस कर लूट करें इस लूट से रक्षा पावेगा ॥

६५— कोई काम इसी हेतु से अपराध न गिन लिया जाय कि उससे कोई ज्यान हुआ अथवा होने का प्रयोजन किया गया अथवा होने का प्रयोजन किया गया अथवा होना अनि सम्भवित जाना गया कदाचित वह ज्यान ऐसा तुच्छ हो कि कोई साधारण बुद्धि और स्वभाव का मनुष्य उसकी नालिश न करेगा ॥

कोई काम जिस्से कुछ तुच्छ ज्यान हो

निज रक्षा का अधिकार

६६— कोई काम जो निज रक्षा का अधिकार वर्तने में किया जाय अपराध न होगा ॥

कोई काम जो निज रक्षा के लिये किया जाय अपराध न होगा

६७— हर एक मनुष्य को अधिकार है कि दफ़ा ६६ के नियमों के आधीन रह कर रक्षा करे

तन और धन की रक्षा का अधिकार

प्रथम— अपने और और मनुष्यों के तन की किसी ऐसे अपराध से जो मनुष्य के तन से सम्बंध रखता हो ॥

दूसरे— अपने अथवा और किसी मनुष्य के स्थावर अथवा अस्थावर धन की किसी ऐसे काम से जो चोरी अथवा जोरी अथवा उत्पात अथवा मुदाखलत बेजा के अर्थ अनुसार अपराध हो अथवा जो चोरी या जोरी या उत्पात या मुदाखलत बेजा का उद्योग हो ॥

६८— जब कोई काम जो निसन्देह अपराध हो परन्तु उसके करने वाले की अवस्था की छुटाई अथवा बुद्धि के कमी

निज रक्षा काअधिकार सिड़ी इत्यादि मनुष्यों के काम ३ ॥

न अथवा नशे की वेसुधी के कारण अथवा इस कारण कि उसने कोई वा न यथार्थ न समझी अपराध नागिना जाता हो तो उस के रोकने के लिये अपनी निज रक्षा का अधिकार हरएक मनुष्य को उसी भांति प्राप्त होगा मानो वह काम अपराध ही है॥

उदाहरण

(अ) विश्नुमित्र ने सिड़ीपन की दशा में देवदत्त के मारडालने का उद्योग किया तो विष्णु मित्र अपराधी किसी अपराध का न ठहरा परन्तु तो भी देवदत्त को अपनी रक्षा का अधिकार उसी भांति प्राप्त रहा मानो विश्नुमित्र सिड़ी न था॥

(इ) देवदत्त रात के समय किसी ऐसे मकान में गया जिस में जाने का वह कानून अनुसार अधिकारी था और विष्णुमित्र ने शुद्धभाव से देवदत्त को चोर समझ कर उस पर उद्योग किया तो इस हेतु से कि विष्णुमित्र ने धोखे में उद्योग किया विष्णुमित्र अपराधी किसी अपराध का न ठहरा परन्तु देवदत्त को अधिकार अपनी रक्षा का उसी भांति प्राप्त होगा मानो विष्णुमित्र धोखे में न था।

९९ प्रथम— निज रक्षा का अधिकार किसी ऐसे काम के रोकने के लिये न होगा जिस्से हेतु सहित डर मृत्यु अथवा भारी दुःख का न हो कदाचित् उस काम को कोई सर्व संबंधी नौकर शुद्धभाव से अपनी नौकरी के कारण करे अथवा करने का उद्योग करे यद्यपि वह काम कानून में ठीक ठीक उचित भी न हो ॥

जिन कामों के रोकने के लिये निज रक्षा का अधिकार न होगा ॥

दूसरे— निज रक्षा का अधिकार किसी ऐसे काम के रोकने के लिये न होगा जिस्से हेतु सहित डर मृत्यु अथवा भारी दुःख का न हो कदाचित वह काम किसी सर्व सम्बंधी नौकर की आज्ञा से उस अवस्था में किया जाय अथवा उस के किये जाने

का उद्योग किया जाय जब कि वह षु ह भावसे अपनी नौकरी देता हो यद्यपि वह आज्ञा कानून में ठीक ठीक उचित भी न हो ॥

तीसरे -- निज रक्षा का अधिकार उन अवस्थाओं में न होगा जिनमें सर्वसंबंधी अधिकारियों से रक्षा मिलने का अवकाश हो ॥

चौथे -- निज रक्षा का अधिकार किसी अवस्था में ऐसा न होगा कि जितना ज्यान पहूंचाना रक्षा के लिये अवश्य हो उससे बढती ज्यान पहूंचाया जाय ॥

इन अधिकार के वर्त्तने अवधि ॥

विवेचना-१ कोई मनुष्य निज रक्षा के अधिकार से किसी ऐसे कामके रोकने के लिये रहित न गिना जायगा जिसको कोई सर्वसंबंधी नोकर अपनी नोकरी के द्वारा करे अथवा करने का उद्योग करे सिवाय इस के कि वह यह बात जान्ता हो अथवा निश्चय मान्ने का हेतु रखता हो कि यह मनुष्य जो इस कामको करता है सर्व सम्बंधी नोकर है ॥ --

विवेचना २ -- कोई मनुष्य किसी ऐसे काम के रोकने के लिये निज रक्षा के अधिकार से रहित न गिना जायगा जो किसी सर्वसंबन्धी नोकर की आज्ञा से किया जाय अथवा किये जाने का उद्योग किया जाय सिवाय इसके कि वह यह बात जानता हो अथवा निश्चय मान्ने का हेतु रखता हो कि यह मनुष्य जो इस काम को करता है इसी प्रकार की आज्ञा से करता है अथवा सिवाय इसके कि करने वाला उस अ[illegible] जिसके बलसे वह उस काम को करता हो वरण करदे अथवा जो उसके पास लिखा हुआ अधिकार हो [illegible] को दिखलादे ॥

१००— तनकी रक्षा का अधिकार पिछली दफ़ा में लिखे

तनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कबहोसकेगा

हुए नियमों के आधीन रहकर आततायी को जान बूझ कर मृत्यु अथवा और कुछ ज्यान पहुंचाने तक होसकेगा कदाचित वह अपराध जिस्से निजरक्षा का अधिकार वर्तना अवश्य हुआ नीचे लिखेहुए प्रकारों में से किसी प्रकार काहो॥

प्रथम— ऐसा आततायीपन जिस्से हेतु सहित डर इस बात का पाया जाय कि कदाचित वह रोका न जायगा तो इस आततायीपन का फल मृत्यु होगा॥

दूसरे—ऐसा आततायीपन जिस्से हेतु सहित डर इस बात का पाया जाय कि कदाचित वह रोका न जायगा तो इस आततायीपन का फल भारी दुःख होगा॥

तीसरे— कोई आततायीपन जो जबरदस्ती व्यभिचार करने के प्रयोजन से किया जाय॥

चौथे— कोई आततायीपन जो स्वभाव विरुद्ध कामातुरता पूरी करने के प्रयोजन से किया जाय॥

पांचवें— कोई आततायीपन जो किसी को ज़बरदस्ती पकड़लेजाने अथवा भगा लेजाने प्रयोजन से किया जाय।

छठे— कोई आततायीपन जो किसी मनुष्य को अनीति बान्धि में रखने के प्रयोजन से ऐसी अवस्था में किया जाय जब हेतु सहित डर उसको इसबात का हो कि इस से छूटने के लिये सर्वसम्बंधी अहलकारों तक न पहुंच सकूंगा॥

१०१— कदाचित अपराध ऊपर की दफ़ा में लिखे हुए प्रकारों में से किसी प्रकार का न हो तो तन की निजरक्षा

१— आततायी यहां उस मनुष्य को समझना चाहिये जो अपने ऊपर टेरचकर

यह अधिकार मृत्यु को छोड़ कर दूसरा कोई जान पहुंचाने तक का होगा

का अधिकार आततायी को जानबूझ कर मार डालने तक न होगा परन्तु दफ़ा ९९ में लिखे हुए नियमों के आधीन होकर [illegible] हो तक हो सकेगा कि आततायी को मृत्यु छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचा दिया जाय॥

तन की निज रक्षा का आदि अंत

१०२— तन की निज रक्षा का अधिकार उसी समय आरम्भ हो जायगा जब कि तन को विपत्ति पहुंचने का हेतु सहित डर किसी अपराध के उद्योग से अथवा धमकी से पाया जाय यद्यपि वह अपराध किया भी न गया हो और यह अधिकार उतने ही समय तक रहेगा जब तक कि तन की विपत्ति का हेतु सहित डर रहे॥

धन की निज रक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा

१०३— धन की निज रक्षा अधिकार दफ़ा ९९ में लिखे हुए नियमों के आधीन अनीति करने वाले को जानबूझ कर मार डालने अथवा और कोई ज्यान पहुंचाने तक हो सकेगा कदाचित वह अपराध जिसके करने से अथवा करने के उद्योग से उस अधिकार का वर्त्तना अवश्य हुआ आगे लिखे हुए प्रकारों में से किसी प्रकार का हो॥

प्रथम— चोरी॥

दूसरे— रात्रि के समय घर फोड़ना॥

तीसरे— उत्पात करना आग के द्वारा किसी ऐसे मकान अथवा डेरा अथवा नाव पर जो मनुष्य के रहने के स्थान की भांति अथवा चीज़ वस्तु धरने की ठौर की भांति काम में हो॥

१— अर्थात् [illegible] जो बिना यान नहो किन्तु उसका कारण [illegible]
[illegible]

चौथे— चोरी अथवा उत्पात अथवा मकान की मुदाख़लत बेजा ऐसी अवस्था में जबकि हेतु सहित डर इस बात का पाया जाय कि कदाचित् निज रक्षा का अधिकार न वर्त्ता जायगा तो उसका परिणाम मृत्यु अथवा भारी दुःख होगा॥

१०४— कदाचित वह अपराध जिसके किये जाने से अथवा किये जाने के उद्योग से वर्त्तना निज रक्षा के अधिकार का अवश्य हुआ चोरी अथवा उत्पात अथवा मुदाख़लत बेजा पिछली दफ़ा में लिखे हुए प्रकारों को छोड़कर दूसरे किसी प्रकार की हो तो वह अधिकार जान बूझ कर मृत्यु करने तक न होगा परन्तु दफ़ा ९९ के नियमों के आधीन मृत्यु को छोड़ कर दूसरा कोई ज़्यान अनीति करने वाले को पहुंचाने तक हो सकेगा॥

यह अधिकार मृत्यु को छोड़ कर दूसरा कोई ज़्यान कर देने तक कब हो सकेगा

१०५— प्रथम— धन की निज रक्षा के अधिकार का उसी समय आरम्भ होगा जब कि धन की विपत्ति के हेतु सहित डर का आरंभ हो॥

धन की निज रक्षा के अधिकार का आदि अन्त॥

दूसरे— धन की निज रक्षा का अधिकार चोरी रोकने को उतनी देर तक वर्त्तमान रहेगा जब तक कि अपराधी धन लेकर चला न जाय अथवा सर्व संबंधी अहलकारों से सहायता मिल न जाय अथवा वह धन फेर न लिया जाय॥

तीसरे— धन की निज रक्षा का अधिकार ज़ोरी रोकने को उतनी देर तक वर्त्तमान रहेगा जब तक कि अपराधी किसी मनुष्य को मारता हो अथवा दुःख पहुंचाता हो अथवा अनीति बंधि में रखता हो अथवा मार डालने या दुःख पहुंचाने या अनीति बंधि में रखने का उद्योग कर रहा हो अथवा इन

तक कि तत्काल मृत्यु अथवा तत्काल दुःख अथवा तत्काल अप्रतीति बंधिका हेतु सहित डर रहे॥

चौथे — धन की निज रक्षा का अधिकार सुदाखलत वेजा अथवा उत्पात रोकने को उतनी देर तक रहेगा जब तक कि अपराधी सुदाखलत वेजा अथवा उत्पात कर रहा हो॥

पांचवें — धन की निज रक्षा का अधिकार राति के समय घर फोडना रोकने को उतनी देर तक रहेगा जब तक कि मकान की मुदाखलत वेजा जो उस घर फोडने से उत्पन्न हुई रहे॥

निज रक्षा का अधिकार मृत्यु [illegible] अपराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचाने की जोखिम हो॥

१०६ — कदाचित किसी ऐसे उद्देश्य के रोकने को जिस से हेतु सहित डर मृत्यु होने का पाया जाय निज रक्षा का अधिकार वर्त्तने वाला ऐसी दशा में पड़जाय कि उस अधिकार को भली भांति वर्त्तने से किसी निरपराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचने की जोखिम अवश्य हो तो उसको निज रक्षा का अधिकार इहां तक हो सकेगा कि उस जोखिम को भी उठा ले॥

उदाहरण

देवदत्त पर एक भीड ने जो उस के जातघात के उद्योग में थी उद्देश्य किया और वह अपने निज रक्षा के अधिकार को बिना इस के कि उस भीड़ पर बन्दूक छोड़े भली भांति वर्त नहीं सक्ता था और बन्दूक छोड़ने से अवश्य ज्यान पहुंचने की जोखिम उन छोटे छोटे बालकों को थी जो उस भीड में मिल रहे थे — कदाचित ऐसी दशा में देवदत्त बन्दूक छोड देता और उससे किसी बालक को ज्यान हो जाता तो देवदत्त अपराधी न गिना जाता॥

अध्याय ५

सहायता के विषय में

१०७ – कोई मनुष्य किसी काम में सहायता देने वाला कहला- वेगा जब कि वह

सहायता किसी काम का

प्रथम – किसी मनुष्य को उस काम के करने के लिये वहकावे अथवा।

दूसरे – एक अथवा अनेक मनुष्यों के साथ उस काम के करने के लिये जथे में मिलकर मता करे और उस जथे मते के कारण और उस काम के होने के निमित्त कुछ काम अथवा कानून विरुद्ध चूक वर्त्ती जाय अथवा।

तीसरे – प्रयोजन करके उस काम के लिये जाने में किसी काम अथवा कानून विरुद्ध चूक के द्वारा सहारा दे॥

विवेचन १ – कोई मनुष्य जो जानबूझकर झूठ बोलने के द्वारा अथवा किसी मुख्य बात को जिसका प्रगट करना उस पर अवश्य हो गुप्त रखकर अपनी इच्छा से किसी काम को करे अथवा करावे अथवा करने या कराने का उद्योग करे वह उस काम का वहकाकर कराने वाला कहलावेगा॥

उदाहरण

देवदत्त एक सर्वसम्बंधी अहलकार किसी अदालत के वारंट के द्वारा अधिकारी विष्णुमित्र के पकड़ने का है यज्ञदत्त ने इस बात को जानकर और यह भी जान कर कि हरदत्त विष्णुमित्र नहीं है अपनी इच्छा से देवदत्त से कहा कि हरदत्त विष्णुमित्र है और इस उपाय से जान बूझ कर देवदत्त से हरमित्र को पकड़वा दिया तो यहां कहा जायगा कि यज्ञदत्त ने वहका कर हरदत्त को पकड़वाया था॥

विवेचन२— जो कोई मनुष्य किसी काम के लिये जाने से पहले अथवा किये जाने के समय उस काम के किये जाने की सुगमता के लिये कुछ काम करेगा और उस उपाय से उस काम का किया जाना सुगम कर देगा वह उस काम के करने में सहायता देने वाला कहलावेगा॥

१०८— कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता देने वाला कहलावेगा जब कि वह या तो उसी अपराध के किये जाने में या दूसरे किसी ऐसे काम को किये जाने मे सहायता दे जो उस अवस्था में अपराध गिना जाता हो जब कि उसका करने वाला अपराध करने को कानून अनुसार समर्थ समझा जाय कदाचित् वह अपराध को वैसेही प्रयोजन अथवा ज्ञान से जैसा कि उस सहायता करने वाले का है करे॥

सहाई

विवेचन१— किसी काम में कानून विरुद्ध चूक कराने का सहाई होना अपराध हो सकेगा यद्यपि उस काम का करना सहाई पर अवश्य भी न हो॥

विवेचन२— सहायता के अपराध के लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि जिस काम में सहायता दी गई वह होही जाय अथवा जिस परिणाम का होजाना उस काम को अपराध बनाने के लिये अवश्य हो वह होही गया हो॥

उदाहरण

(क) देवदत्त ने हरदत्त की आतघात के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और यज्ञदत्त यह काम करने से नाहीं कर गया तो देवदत्त आतघात करने के लिये यज्ञदत्त को सहायता करने का अपराधी होचुका॥

(२) देवदत्तने हरदत्त की आतघात के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और

यज्ञदत्त ने उस वहकाने के अनुसार हरदत्त को घाइल किया परन्तु इस घाव से हरदत्त बच गया तो देवदत्त ज्ञात घात करने के लिये यज्ञदत्त को वहकाने का अपराधी हो चुका॥

विवेचना ३ – यह अवश्य नहीं है कि सहायता पाने वाला मनुष्य कानून अनुसार अपराध करने को समर्थ ही हो अथवा यह कि सहाई का सा कुप्रयोजन या कुज्ञान रखता हो अथवा कुछ भी कुप्रयोजन या कुज्ञान रखता हो॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने कुप्रयोजन से किसी बालक अथवा सिड़ी को सहायता किसी ऐसे काम के करने में दी जो अपराध होता कदाचित् उसको कोई मनुष्य जो कानून अनुसार अपराध करने को समर्थ होता करता और यही प्रयोजन रखता जो देवदत्त का था तो यहां चाहे वह काम किया गया हो चाहे न किया गया देवदत्त अपराध में सहायता देने का अपराधी हो चुका॥

(२) देवदत्त ने विष्णुमित्र की ज्ञान घात के प्रयोजन से सात बरस से कमती अवस्था के बालक को कोई ऐसा काम जिस से विष्णुमित्र की मृत्यु हो करने के लिये वहकाया और यज्ञदत्त ने उस वहकाने के कारण उस काम को किया और उस से विष्णुमित्र की मृत्यु हुई तो यहां यद्यपि यज्ञदत्त कानून अनुसार अपराध करने को समर्थ न था फिर भी देवदत्त दंड के योग्य उसी भांति होगा मानो यज्ञदत्त कानून अनुसार अपराध करने को समर्थ होता और ज्ञान घात करता इसलिये देवदत्त वध के दंड योग्य हुआ॥

(३) देवदत्त ने किसी रहने के मकान में आग लगाने के लिये यज्ञदत्त को वहकाया और यज्ञदत्त ने अपने सिड़ीपन के कारण कि जिस से वह उस काम के रूप और फल जानने को कि जिस काम को मैं करता हूं वह अनीति अथवा कानून के विरुद्ध है असमर्थ है देवदत्त के वहकाने के अनुसार उस

घर में आग लगाई तो यज्ञदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया परन्तु देवदत्त रहने के मकान में आग लगाने की सहायता का अपराधी हुआ और उस लिये योग्य उसी दंड के हुआ जो उस अपराध के लिये ठहराया गया है॥

(१) देवदत्त ने चोरी कराने के प्रयोजन से विश्नुमित्र का माल विश्नुमित्र के कब्जे से ले लेने के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और देवदत्त ने धोखा देकर यज्ञदत्त को यह निश्चय कराया कि यह माल मेरा है और यज्ञदत्त ने वह माल विश्नुमित्र के कब्जे से शुद्ध भाव से यह जान कर कि यह माल देवदत्त का है ले लिया तो यज्ञदत्त ने यह काम धोखे से किया इस लिये उसने वह माल बेधर्मी से नहीं लिया और न चोरी करने वाला हुआ परन्तु देवदत्त चोरी की सहायता का अपराधी हो चुका और उसी दंड के योग्य हुआ मानो यज्ञदत्त ने चोरी की होती॥

विवेचना ४ — जब सहायता किसी अपराध की अपराध है तो उस सहायता की सहायता भी अपराध होगी॥

उदाहरण

देवदत्त ने यज्ञदत्त को बहकाया कि हरदत्त को बहका कर विस्नुमित्र को जान से मरवा डाले और यज्ञदत्त ने उसी मनुष्य [illegible] विस्नुमित्र [illegible] के लिये हरदत्त [illegible] हरदत्त ने उस अपराध को [illegible] जाने के कारण [illegible] यज्ञदत्त [illegible] हुआ जो जान घात के लिये ठहराया गया है और देवदत्त ने यज्ञदत्त को उस अपराध के करने के लिये बहकाया इससे वह भी उसी दंड के योग्य हुआ॥

विवेचना ५ — जथे मते के द्वारा बहकाने का अपराध किया जाने के लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि सहाई ने उसी मनुष्य के जिसने अपराध किया अपराध का मता किया हो इतना ही बहुत है कि वह उस जथे मते में साझी हुआ हो जिसके अनुसार अपराध किया गया॥

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र को विष देने का मता यज्ञदत्त से किया और यह ठहरा कि देवदत्त विष खिलावे यज्ञदत्त ने यह मता हरदत्त को समझाया और कहा कि विष कोई तीसरा मनुष्य खिलावेगा देवदत्त का नाम न लिया हरदत्त ने विष लादेना स्वीकार किया और लाकर यज्ञदत्त को इस निमित्त दिया कि जैसा मता हो चुका है उसी अनुसार काम में आवे — फिर देवदत्त ने खिलाया और विष्णुमित्र उस से मरगया तौ यहां यद्यपि देवदत्त और हरदत्त ने आपस में मता नहीं किया तौ भी हरदत्त साझी उस जथे मते में हुआ जिस के अनुसार विष्णुमित्र की मृत्यु हुई इसलिये हरदत्त ने वह अपराध किया जिस का लक्षण इस दफ़ा में कहा है और ज्ञातज्ञात के दंड के योग्य हुआ॥

दंड सहायता का कदाचित वह काम जिसकी सहायता हुई उसी सहायता के कारण कियागया हो और उसके दंड का कोई स्पष्ट लेख न हो

१०९ — जो कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता करेगा उसको कदाचित् सहायता किया हुआ काम उसी सहायता के कारण किया गया हो और इस संग्रह में उस सहायता के दंड का कुछ स्पष्ट नियम न लिखा हो वही दंड कियाजायगा जो उस अपराध के लिये ठहरा हो॥

विवेचना — कोई काम अथवा अपराध सहायता के कारण कियाजाना तब कहलावेगा जबकि वह काम बहकाने के कारण अथवा मते के अनुसार अथवा उस सहारे से जिस से सहायता निकलती हो किया जाय॥

उदाहरण

(क) देवदत्त ने यज्ञदत्त सर्कारी नौकर के आगे कुछ घूंस इनाम की भांति इस प्रयोजन से रक्खी कि देवदत्त पर यज्ञदत्त अपने ओहदे का काम करने में कुछ पक्षपात करे और यज्ञदत्त ने वह घूंस स्वीकार करली तौ देवदत्त ने दफ़ा १६१ में लक्षण किये हुए अपराध की सहायता की॥

(२) देवदत्त ने यज्ञदत्त को झूठी गवाही देने के लिये बहकाया और यज्ञदत्त ने उस बहकाने से वह अपराध किया तो देवदत्त उस अपराध में सहायता करने का अपराधी हुआ और जिस दंड के योग्य यज्ञदत्त है उसी के योग्य देवदत्त हुआ॥

(३) देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को विष देने का मंत्र किया और देवदत्त ने उसी मते के अनुसार विष लाकर यज्ञदत्त को इस प्रयोजन से सौंपा कि वह उसे विष्णुमित्र को खिलावे और यज्ञदत्त ने उसी मते के अनुसार विष्णुमित्र को ऐसे समय जबकि वहां देवदत्त न था विष दिया और उस से विष्णुमित्र की मृत्यु हुई तो यहां यज्ञदत्त ज्ञातघात का अपराधी हो चुका और देवदत्त उस अपराध की सहायता जथे मते के द्वारा करने वाला ठहरा इसलिये देवदत्त उसी दंड के योग्य होगा जो ज्ञान घात के लिये ठहराया गया हो॥

१११– जो कोई मनुष्य किसी अपराध के होने में सहायता पहुं [illegible]

[illegible]

तो सहाई उसी अपराध के दंड योग्य होगा जो कि किया जाता कदाचित् सहायता पाने वाला मनुष्य उस काम को सहायता करने वाले के प्रयोजन अथवा ज्ञान के अनुसार करता दूसरी भांति न करता॥

११२– जब एक काम में सहायता पहुंचाई जाइ और उस से दंड सहायता करने वाले को [illegible]

[illegible] होजाय। और उतने ही दंड के योग्य होगा मानो [illegible] सहायता पहुंचाई परंतु नियम यह है [illegible] काम हो जाय वह इस प्रकार का हो कि सहायता से उस

का होजाना अति संभवित पायाजाय और वहकाने के कारण
अथवा सहारे से अथवा जो मता उस सहायता का मूल हुआ
उस मते के अनुसार किया गया हो॥

उदाहरण

(१) देवदत्त ने विष्णुमित्र भोजन में विष मिलाने के लिये एक बालक को
वहकाया और इस काम के लिये विष उसको सोंपदिया बालक ने उस वहका
ने के अनुसार विष दिया परन्तु भूलकर हरमित्र के भोजन में जो कि विष्णु
मित्र के भोजन के पास रक्खा था मिलादिया यहां बालक ने देवदत्त के व
हकाने में आकर यह काम किया और यह काम देवदत्त की सहायता का
संभवित परिणाम भी था इसलिये देवदत्त उसी भांति और उतनेही दंड के
योग्य होचुका मानो उसने बालक को हरमित्र के भोजन में विष मिलाने
के लिये वहकाया॥

(२) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घर में आग लगाने के लिये यज्ञदत्त को वह
काया — यज्ञदत्त ने उस घर में आगलगाई और उसी समय वहां से कुछ
माल भी चुराया तो देवदत्त यद्यपि आग लगाने में सहायता देने का अपरा
धी हुआ परन्तु चोरी की सहायता का अपराधी नहीं हुआ क्योंकि चोरी
एक अलग काम था और आग लगाने का संभवित परिणाम न था॥

(३) देवदत्त ने यज्ञदत्त और हरिदत्त को आधी रात्रि के समय जोरी से चोरी
करने के प्रयोजन से किसी घर को जिस में मनुष्य रहते थे फोड़ने के लिये
वहकाया और उनको इस काम के लिये हथियार भी दिये — यज्ञदत्त और
हरदत्त ने उस घर को फोड़ा और उस के रहने वालों में से एक मनुष्य विष्णुमि
त्र को जिसने उनको रोका मारडाला तो यहां कदाचित् यह घातघात देवदत्त
की सहायता का संभवित परिणाम हो तो देवदत्त उसी दंड के योग्य हो
गा जो जीव घात के लिये वहकाया गया हो॥

११२ – कदाचित् वह काम जिस के बदले पिछली दफा के

सहाई कब इस योग्य होगा कि जिस काम में उसने सहायता की और जो काम किया गया दोनों का दंड पावे

अनुसार सहायता करने वाला भ दंड के योग्य हो सहायता किये हुए से अधिक किया जाय और आप के अलग अपराध भी हो तो सहायता करनेवाला दोनों अप का दंड अलग अलग पाने के योग्य होगा॥

उदाहरण

देवदत्त ने किसी सर्व संबंधी नौकर की फौजदारी कुरकी में बल से साम करने के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और यज्ञदत्त ने उसी अनुसार उ को रोका और रोकने में यज्ञदत्त ने जानबूझकर कुरकी करने वाले अ लकार को भारी दुख पहुंचाया तो यहां यज्ञदत्त ने कुरकी का रोकना व जानबूझकर भारी दुख पहुंचाना दोनों अपराध किये इसलिये यज्ञद उन दोनों अपराधों के दंड के योग्य हुआ और कदाचित् देवदत्त ने यह व जान ली हो कि कुरकी का सामना करने में यज्ञदत्त का भारी दुख पहुंच अति संभवित है तो देवदत्त भी इन दोनों अपराधों में से प्रत्येक के बदले दंड योग्य होगा॥

दंड सहाई को उस परिणाम के बदले जो उसके प्रयोजन किये हुए परिणाम से भिन्न हो जाय

११३ — जब सहायता करने वाले ने कुछ विशेष परिणाम होने के प्रयोजन से किसी काम में सहायता की हो और जिस काम के बदले सहाई सहायता करने के कारण दंड के योग्य हो वह उस परिणाम से जिस का प्रयोजन सहाई ने किया था कुछ भिन्न परिणाम करे तो सहाई उस परिणाम के बदले जिस का प्रयोजन न था उसी भांति और उतने ही दंड के योग्य होगा मानो उस ने उस काम में वही परिणाम होने के प्रयोजन से सहायता की थी परंतु नियम यह है कि वह उस सहायता किये हुए काम से उस भिन्न परिणाम का होना अतिसंभवित जानता हो॥

उदाहरण

देवदत्त ने विश्नुमित्र को भारी दुख पहुंचाने के लिये यज्ञदत्त को बहका या और इस बहकाने के कारण यज्ञदत्त ने विश्नुमित्र को भारी दुःख पहुंचाया और उस से विश्नुमित्र मरगया यहां कदाचित देवदत्त ने जानलिया हो कि जिस भारी दुःख के लिये सहायता की गई है उस से मृत्यु का होना अति संभवित है तो देवदत्त उसी दंड के योग्य होगा जो तात घात के लिये ठहरा हो॥

मौजूद होना सहाई का अपराध होने के समय

११४ — जब कभी कोई मनुष्य जो मौजूद न होने की अवस्था में सहायता का दंड पाने के योग्य होता उस काम अथवा अपराध के जिसके बदले वह सहायता के दंड योग्य होता होने के समय मौजूद हो तो समझा जायगा कि उस ने वह काम अथवा अपराध आप किया॥

सहायता किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड बध अथवा जन्म भर का देश निकाला हो कदाचित यह अपराध सहायता के कारण न किया जाय

११५ — जो कोई मनुष्य सहायता किसी अपराध में जिसका दंड बध अथवा जन्म भर का देश निकाला हो पहुंचावेगा उसको कदाचित वह अपराध उसी सहायता के कारण न किया गया हो और इस संग्रह में उस सहायता के दंड का कुछ स्पष्ट नियम न हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

कदाचित कोई काम [illegible]

और कदाचित कोई काम जिस के बदले सहाई सहायता का दंड पाने योग्य हो और जिससे किसी मनुष्य को दुःख पहुंचता है किया जाय तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद चौदह बरस तक होसकेगी

किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

उदाहरण

देवदत्त ने विश्नुमित्र की ज्ञातघात के लिये यज्ञदत्त को बहकाया परन्तु यज्ञदत्त से वह अपराध हुआ नहीं यहां कदाचित् यज्ञदत्त विस्नुमित्र को मार डालता तो जरूर वध अथवा जन्म भर के देशनिकाले के दंड योग्य होता इस लिये देवदत्त किसी म्याद को जो सात बरस तक हो सकेगी क़ैद हो सकेगा और जरीमाने के भी योग्य होगा। और कदाचित् उस सहायता के कारण विस्नुमित्र को कुछ दुःख पहुंचा हो तो देवदत्त किसी म्याद को जो चौदह बरस तक हो सकी क़ैद हो सकेगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

११६—जो कोई मनुष्य सहायता किसी अपराध में जो क़ैद के दंड योग्य हो करेगा उसको कदाचित् वह अपराध उस सहायता ही के कारण न हो जाय और उस सहायता के दंड का कुछ उल्लेख इस संग्रह में न पाया जाय दंड दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद को जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ से बढ़ म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा। और कदाचित् सहायता करने वाला अथवा सहायता पानेवाला मनुष्य कोई ऐसा सर्व संबंधी नौकर हो जिसका काम उस अपराध का रोकना हो और दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की आधी तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना उस अपराध के लिये ठहराया गया हो

सहायता किसी अपराध में जो क़ैद के दंड योग्य हो कदाचित् वह अपराध उस सहायता के कारण न किया जाय

कदाचित् सहाई अथवा सहायता पानेवाला मनुष्य कोई ऐसा सर्व संबंधी नौकर हो जिसका काम उस अपराध का रोकना हो

अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने एक सर्व संबंधी नौकर यज्ञदत्त को घूंस इसलिये दिया ई कि यज्ञदत्त अपने ओहदे के काम में देवदत्त का कुछ पक्षपात करने के बदले इनाम की भांति उसको ले और यज्ञदत्त ने उस घूंस के लेने से नाहीं की तो देवदत्त इस दफा के अनुसार दंड के योग्य हो चुका॥

(इ) देवदत्त ने झूंठी गवाही देने के लिये यज्ञदत्त को बहकाया यहां कदाचित् यज्ञदत्त ने झूंठी गवाही न दी तौ भी देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया और उसी अनुसार दंड के योग्य हुआ॥

(उ) देवदत्त एक पुलिस के अहलकार ने जिस का काम चोरी रोकने का है चोरी होने में सहायता की तो यहां यद्यपि चोरी न भी हुई तौ भी देवदत्त उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की आधी म्याद की क़ैद के योग्य हो चुका और जरीमाने के भी योग्य हुआ॥

(ए) यज्ञदत्त ने एक पुलिस के अहिलकार देवदत्त को जिसका काम चोरी रोकने का था उसी अपराध के करने में सहायता पहुंचाई तो यहां यद्यपि चोरी न भी हुई हो तौ भी यज्ञदत्त चोरी के अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की आधी म्याद की क़ैद के योग्य हो चुका और जरीमाने के योग्य भी हुआ॥

सहायता पहुंचाना किसी अपराध के करने में सबके द्वारा अथवा दस से अधिक मनुष्यों के द्वारा

११७- जो कोई मनुष्य किसी अपराध के होने में जन के हाथ अथवा किसी संख्या अथवा संबंध के दस से अधिक मनुष्यों के द्वारा सहायता पहुंचावेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा॥

उदाहरण

देवदत्त ने किसी सर्वसंबंधी स्थान में एक टिकट दस मनुष्य से अधिक की किसी सम्प्रदाय को दूसरी अनिकूल सम्प्रदाय के ऊपर जबकि वह समाज करके निकले किसी नियत समय और नियत स्थान पर उपद्रव करने के लिये बढ़काने को लटका दिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लिखा हुआ अपराध किया ॥

११८—जो कोई मनुष्य वध अथवा जन्म भर के देशनिकाले के दंड योग्य किसी अपराध का किया जाना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा उसका सुगम होना सम्भावित जान कर अपनी इच्छा से किसी काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक के द्वारा उस अपराध के उद्योग को छुपावेगा अथवा कुछ बात जिसको वह जानता हो कि झूठी है उस उद्योग के मध्ये कहेगा उसको—कदाचित् वह अपराध होजाय दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जब वह अपराध हो न जाय तो दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी कियाजायगा और दोनों अवस्थाओं में जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

> गुप्त रखना किसी ऐसे अपराध के उद्योग का जो वध अथवा जन्मभर के देशनिकाले के दंड योग्य हो

> कदाचित् अपराध होजाय

> कदाचित् अपराध न होजाय

उदाहरण

देवदत्त ने यह बात जान कर कि यज्ञदत्त के मकान पर डाका पड़ने को है साहब माजिस्ट्रेट को झूठी खबर देदी कि डाका हरदत्त के मकान पर जो दूसरी ओर है पड़ा चाहता है और इस उपाय से उस अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजन से साहब मैजिस्ट्रेट को धोखा दिया और इसी कारण य

११९—जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर किसी ऐसे अ

कोई सर्व संबंधी नौकर जो किसी ऐसे अपराध के होने के उद्योग को जिसको रोकना उसका काम हो छुपावे

पराध के उद्योग को जिसका रोकना सर्व संबंधी नौकर होने के कारण उस पर अवश्य हो अपनी इच्छा से कुछ काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक करके उस अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा सुगम होना अति संभवित जान कर छुपावेगा अथवा उस उद्योग के मध्ये कोई ऐसी बात जिसको वह जानता हो कि झूठी है कहेगा उसको कदाचित् वह

कदाचित् वह अपराध होजाय

अपराध होजाय दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बड़ से बड़ म्याद की आधी तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा- और कदाचित् वह

कदाचित् अपराध वध इत्यादि के दंड योग्य हो

अपराध वध अथवा जन्म भर के देश निकाले के दंड योग्य हो तो दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और कदाचित् वह अपराध होन जाय तो दंड उस अपराध के लि

जब अपराध होन जाय

ये ठहराये हुए प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बड़ से बड़ म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

देवदत्त कोई पुलिस का अहलकार जिस पर क़ानून अनुसार अवश्य था कि चोरी होने के उद्योग की जो कुछ ख़बर पावे उसकी रपट करे यह जान बूझकर कि यज्ञदत्त चोरी करने का उपाय कर रहा है उस अपराध का होना

सुगम करने के प्रयोजन से इस बात की रपोर्ट देने में चूका तो यहां देवदत्त ने क़ानून विरुद्ध चूक करके यज्ञदत्त के उद्योग को छुपाया और इस दफ़ा के नियमानुसार दंड के योग्य ठहरा॥

छुपाना उद्योग का जो क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के करने के लिये हो।

१२०—जो कोई मनुष्य क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के उद्योग को इसका किया जाना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा सुगम होना अति संभवित जानकर अपनी इच्छा से कुछ काम अथवा कानून विरुद्ध चूक करके छुपावेगा अथवा उस उद्योग के मध्ये कोई ऐसी बात जिसको वह जानता हो कि झूठी है उसको कदाचित् वह अपराध होजाय दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई क़ैद की बड़ से बड़ म्याद की चौथाई तक और कदाचित् अपराध हुआ न हो तो आठवें भाग तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का दंड दियाजायगा॥

कदाचित् अपराध होजाय

कदाचित् अपराध हो न जाय

अध्याय ६

राज विरोधी अपराधों के विषय में

श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करना अथवा युद्ध करने का उद्योग करना अथवा युद्ध करने में सहायता देना

१२१—जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करेगा अथवा युद्ध का उद्योग करेगा अथवा युद्ध करने में सहायता देगा उसको दंड वध अथवा जन्म भर के देश निकाले का दिया जायगा और उसका सब धन ज़ब्त होगा॥

उदाहरण

(क) देवदत्त किसी बलवे में जो श्री मती महारानी के दरबार के साथ

किया गया साक्षी हुआ तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया।

(ड) देवदत्त ने किसी बलवे में जो श्री मती महारानी के दरबार के साथ सीलोन के टापू में हुआ हिन्दुस्तान से बैरियों के पास हथियार पहुंचा कर सहाय ता दी तो देवदत्त श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध होने में सहा यता पहुंचाने का अपराधी हुआ॥

१२१-(क)- जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य अथवा उससे बाहर उन अपराधों में से जो दफ़ा १२१ के अनुसार दंड योग्य हैं उद्योग करना अथवा हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य या उसके किसी विभाग से श्री मती महारानी को अधिकार से बेदखल करने के लिये सहायता करे अथवा अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखा कर गवर्नमेंट हिंद अथवा किसी लोकल गवर्नमेंट की कमती होने के लिये सहायता करे तो उसको जन्म भर के देशनिकाले का अथवा किसी कम म्याद का अथवा दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी दंड होगा॥

> श्री मती महारानी को हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य अथवा उसके बाहर या किसी विभाग से बेदखल करना अथवा बेदखल करने में सहायता देना

विवेचना- इस दफ़ा के अनुसार सहायता दिये जाने के वास्ते यह अवश्य नहीं है कि कोई काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक उस के उद्योग में दिखाई दे॥

१२२- जो कोई मनुष्य कुछ सिपाही अथवा हथयार अथवा गोला बारूद आदि सेना जीन इकट्ठे करेगा अथवा दूसरे किसी भांति युद्ध का सामान करेगा इस प्रयोजन से कि श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करे अथवा करने को तैयार हो उसको दंड जन्म

> श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करने के प्रयोजन से हथयार इत्यादि इकट्ठे करना

भर के देश निकाले का अथवा दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दस बरस से अधिक न होगी किया जायगा और उस का सब धन जप्त होगा॥

१२३—जो कोई मनुष्य किसी काम अथवा क़ानून विरुद्ध

सुगमता के प्रयोजन से युद्ध के उद्योग को छुपाना।

क के द्वारा किसी उद्योग को जो श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध होने के लिये हो रहा हो छुपावेगा इस प्रयोजन से कि यह छुपाना उस युद्ध के होने सुगम करेगा अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर कि इस छुपाने से उस युद्ध का करना सुगम होगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

१२४—जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल से अ

उदैया करना गवर्नर जनरल अथवा लफ़्टेनंट गवर्नर इत्यादि पर किसी नीति पूर्वक अधिकार को दवाकर वर्तवाने अथवा वर्तने से रोक देने के प्रयोजन से

थवा किसी हाते के गवर्नर से अथवा लफ़्टेनंट गवर्नर से अथवा गवर्नर जनरल हिंद की कौंसिल के अथवा किसी हाते की कौंसल के किसी सभासद से दवा कर कोई अधिकार जो उक्त गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर अथवा लफ़्टेनंट गवर्नर अथवा सभासद को कानून अनुसार प्राप्त हो किसी भांति वर्त्तवाने अथवा वर्त्तने से रोक देने के प्रयोजन से उक्त गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर अथवा लफ़्टेनंट गवर्नर अथवा सभासद पर उदैया करेगा अथवा अनीति रीति से रोकेगा अथवा अनीति रीति से सामना करने का उद्योग करेगा अथवा अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखाकर दवावेगा

अथवा दवाने का उद्योग करेगा उसको दोनों प्रकारों में से दंड किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

१२४-(अ)— जो मनुष्य असर के साथ अथवा चिन्ह के साथ अथवा नक़ल की हुई लिखावट के साथ अथवा किसी और प्रकार से बोले गये हों सर्व सम्बंधी आज्ञा में कुमत जो हिन्दुस्तान के कुल अंगरेज़ी राज्य में क़ानूनानुसार हुई हो पैदा करे अथवा पैदा करने का इरादा करे उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा किसी म्याद का जिस पर जरीमाना भी अधिक होसक्ता है अथवा कैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक होसकेगी और जरीमाना भी अधिक हो सकेगा अथवा जरीमाने का होगा ॥

कोई मनुष्य असर के साथ अथवा चिन्ह अथवा नक़ली लिखावट अथवा और प्रकार अंग्रेज़ी राज्य में कुमत से बोले जाय

विवेचना— ऐसी अप्रसन्न बात जिससे सरकार के यथोचित अधिकार की आज्ञा में रहने का इरादा दिल का पाया जाता हो और उन अधिकारों के हटा डालने अथवा रोकने के अनोचित इरादों की वावत् केवल इस प्रकार की तदवीर पैदा करने के प्रयोजन से तर्क करना इस दफ़ा के अनुसार अपराध नहीं है ॥

१२५— जो कोई मनुष्य एशिया* में किसी देश के ऐसे अधिपति के साथ जिसकी मित्रता अथवा सन्धि श्रीमती महारानी के दरबार से हो

युद्ध करना किसी सरकार के साथ जो महारानी की सन्धि में हो और श्रीमती महारानी का हितकारी हो

* एशिया उस महाद्वीप का नाम है जिसमें हिन्दुस्तान. चीन. [illegible] ईरान. तूरान. [illegible] ब्रह्मा. [illegible] [illegible] जापान. स्याम. [illegible] इत्यादि देश हैं।

युद्ध करेगा अथवा युद्ध करने में सहायता देगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का जिसके सिवाय जरीमाना भी हो सकेगा अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी और जिसके सिवाय जरीमाना भी हो सकेगा अथवा निरे जरीमाने का किया जायगा॥

१२६ – जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशाधिपति के राज्य में

लूटमार करना किसी ऐसे अधिपति के राज्य में जो श्रीमती महारानी के दरबार के साथ सन्धि रखता हो।

जिसकी मित्रता अथवा सन्धि श्रीमती महारानी के दरबार से हो लूटमार करेगा अथवा लूटमार करने का सामान करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और योग्य जरीमाने और उन वस्तुओं की ज़ब्ती के भी होगा जो उस लूटमार में काम आई हों अथवा काम आने के प्रयोजन से रक्खी गई गई हों अथवा उस लूटमार के द्वारा प्राप्त हुई हों॥

१२७ – जो कोई मनुष्य किसी माल को यह बात जान बूझकर

रखलेना ऐसे माल का जो दफा १२५ व १२६ में वर्णन किये हुए युद्ध अथवा लूटमार के द्वारा प्राप्त हुआ हो।

कि दफा १२५ व १२६ में वर्णन किये हुए किसी अपराध के करने से प्राप्त हुआ है रखलेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और योग्य जरीमाने के और जो माल इस भांति रख लिया गया उसकी ज़ब्ती के भी होगा॥

१२८ – जो कोई मनुष्य सर्वसंबंधी नौकर होकर और किसी

सर्वसंबंधी नौकर जो जान बूझकर किसी राज्यविरोधी अपराध के क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को अपनी चौकसी से भाग जाने दे

सी राज्यविरोधी क़ैदी की अथवा युद्ध के क़ैदी की चौकसी पाकर अपनी इच्छा से उस क़ैदी को किसी मकान में से जहां वह क़ैद हो

निकलजाने देगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

सर्व संबंधी नौकर जो असावधानी से राज्यविरोधी अथवा युद्ध के क़ैदी को अपनी चौकसी में से भाग जाने दे

१२९ – जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और किसी राज्य विरोधी क़ैदी अथवा युद्ध के क़ैदी की चौकसी पाकर असावधानी से उस क़ैदी को किसी मकान में से जहां वह कैद हो निकल जाने देगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

ऐसे कैदी को भागने में सहायता देना अथवा छुडा लेना अथवा आश्रय देना।

१३० – जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी राज्य विरोधी क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को किसी नीति पूर्वक वन्धि में से भागने में सहायता अथवा सहारा देगा अथवा ऐसे क़ैदी को छुडा लेगा अथवा छुडालेने का उद्योग करेगा अथवा ऐसे कैदी को जो नीति पूर्वक वंधि में से भाग हो आश्रय देगा अथवा छुपावेगा ऐसे क़ैदी के फिर पकडे जाने में सामना करेगा अथवा सामना करने का उद्योग करेगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

विवेचना – कोई राज्य विरोधी क़ैदी अथवा युद्ध का क़ैदी जिस को हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य के नियत सिवानों के भीतर अपने न भागने की प्रतिज्ञा अनुसार फिरने की

आज्ञाहुई हो कदाचित् उन्ही सिवानों से जिन के भीतर फिरने की उसकी आज्ञा है बाहर निकल जाय तो कहा जायगा कि नीति पूर्वक बन्धि से भाग गया॥

अध्याय ७

जंगी अथवा जहाज़ी सेना संबंधी अपराधों के विषय में

१३१- जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को बगावत करने में सहायता देगा अथवा इस प्रकार के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को उस के प्रजा धर्म से अथवा काम से बहकाने का उद्योग करेगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

बगावत में सहायता देना अथवा किसी सिपाही अथवा जहाज़ी केवट को उस के काम से बहकाने का उद्योग करना-

विवेचना- इस दफ़ा में शब्द अफ़सर और सिपाही के अर्थ में हर मनुष्य लिया जायगा जो आर्टीक्लिस आफ़ वार धर्म संबंधी सेना श्री मती महारानी के आधीन है अथवा आर्टीक्लिस आफ़ वार जो ऐक्ट ५ सन् १८६९ ई॰ के लेखानुसार का होगा।

१३२- जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को बगावत करने में सहायता देगा उस को जब कि वह बगावत उसी सहायता के कारण की जाय दंड बध अथवा जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार

सहायता करना बगावत में जब कि वह बगावत उसी सहायता के कारण होजाय॥

की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

१३३- जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को किसी ऊपर के अफ़सर पर जब कि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो उठैया करने में सहायता देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

सहायता देना किसी उठैये में जो कोई सिपाही अथवा केवट अपने ऊपर के अफ़सर पर करे कि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो करे

१३४- जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को किसी ऊपर के अफ़सर पर जब कि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो उठैया करने में सहायता देगा कदाचित् वह उठैया उसी सहायता के कारण किया जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

सहायता ऐसे उठैये में कदाचित् वह उठैया होजाय।

१३५- जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को नौकरी से भागने में सहायता देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

सहायता देना किसी सिपाही अथवा केवट के भागने में

१३६- जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे लिखी हुई छूट के

नौकरी से भागे हुए को आश्रय देना

श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहा
सेना के किसी अफसर अथवा सिपाही अ
थवा केवट को यह बात जान बूझकर अथवा जानने का हे
पाकर कि यह अफसर अथवा सिपाही अथवा केवट अप
नौकरी से भाग आया है आश्रय देगा उस को दंड दोनों में से
किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो स
केगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

छूट

यह नियम उस अवस्था से संबंध नहीं रक्खेगा जबकि
कोई स्त्री अपने पति को आश्रय दे॥

नौकरी से भागा हुआ मनुष्य जो किसी सौदागरी जहाज में उसके नावपति की असावधानी से छुपाया जाय

१३७ — नावपति अथवा अधिकारी किसी सौदागरी जहा
ज का जिस पर श्री मती महारानी की
जंगी अथवा जहाजी सेना का कोई
भागा हुआ छुपाया जाय यद्यपि वह
उसके छुपाये जाने से बे खबर भी हो योग्य किसी जरीमाने के
जो पांच सौ रूपये से अधिक न होगा जबकि वह उस छुपाये
जाने का हाल जान सकता कदाचित् कुछ असावधानी उस
के नावपति पने में अथवा अधिकारी पने के काम में न होती
अथवा उस जहाज़ के प्रबंध में कुछ खोट न होता॥

किसी सिपाही अथवा केवट को आज्ञा भंग के समय में सहायता देनी

१३८ — जो कोई मनुष्य किसी ऐसे काम में जिस को वह जानत
हो कि श्रीमती महारानी की जंगी
अथवा जहाजी सेना के अफसर
अथवा सिपाही अथवा केवट की ओर से आज्ञा भंग का काम
है सहायता देगा उसको कदाचित् उसी सहायता के कारण
वह आज्ञा भंग का काम होजाय दंड दोनों में से किसी प्रकार

की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी ऋ
जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

१३९– कोई मनुष्य जो आधीन श्रीमती महारानी
जो मनुष्य जंगी कानून के आधीन हैं इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य न होंगे॥
गी अथवा जहाजी सेना के स
अथवा उस जंगी अथवा उस
जी सेना के किसी खंड के कान
हो इस अध्याय में लक्षण लिखे हुए किसी अपराध के लि
इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य न होग

१४०– जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अ
पहिरना सिपाही की वर्दी का
जहाजी सेना में सिपाही न होक
ई वर्दी पहनेगा अथवा ऐसा चिन्ह धारण करेगा जो
ही की वर्दी अथवा चिन्ह के सदृश हो इस प्रयोजन से
वह सिपाही प्रतीत किया जाय उसको दंड दोनों में से
सी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक
केगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रुपये तक हो स
अथवा दोनों का किया जायगा॥

अध्याय ८

सर्व संबंधी कुशल में विघ्न डालने वाले अपराधों के विषय में

१४१– पांच अथवा अधिक मनुष्यों का कोई जमाव
अनीतिजमाउ
तिजमाउ कहलावेगा कदाचित् उस ज
के सब मनुष्यों का साधारण मतलब यह हो कि—

\+ किसी सिपाही से हथियार और मेरजीन कपड़ा जंगी वर्दी
इत्यादि मोल लेने का अपराध बलवे के क़ानून अनुसार दंड दि
जाने के योग्य है॥

प्रथम- अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध
युक्त बल दिखाकर दबाना हिन्दुस्तान की कानून कार
अथवा क़ानून प्रवर्त्तक गवर्नमेंट को अथवा किसी हाते
की गवर्नमेंट को अथवा किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को अथ
किसी सर्व संबंधी नौकर को जबकि वह अपनी नौकरी
का नीति पूर्वक अधिकार वर्त्त रहा हो। अथवा
दूसरे- रोकना किसी क़ानून के प्रचार को अथवा क़ान
अनुसार आज्ञा पत्र का- अथवा-
तीसरे- करना किसी उत्पात अथवा मुदाख़लत बेजा
थवा और किसी अपराध का-अथवा-
चौथे- अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा किसी
अपराध संयुक्त बल दिखाकर लेना अथवा प्राप्ति करन
किसी माल का अथवा रहित करना किसी मनुष्य को कि
सी मार्ग अथवा जलाशय के अधिकार के भोगने से अ
वा अथवा और किसी अमूर्त्ति अधिकार से जिस को वह
भोग रहा हो अथवा प्रचलित करना किसी अधिकार
अथवा कल्पित अधिकार का- अथवा -
पांचवे- अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध
संयुक्त बल दिखाकर बेबस करना किसी मनुष्य को उ
काम के करने के लिये जिस का करना उसपर क़ानून अनु
सार अवश्य न हो अथवा उस काम के करने से चुकाने के
लिये जिस के करने का वह क़ानून अनुसार अधिकारी
विवेचना- कोई जमाउ जो कि जमा होने के समय अनी
जमाउ न हो पीछे से अनीति जमाउ हो सकेगा॥

* क़ानून बनाने वाली- १ क़ानून को तामील करने वाली- २- नाजाइज़ दख़ल
बिना अधिकार को मर्ज़ी से दख़ल करलेना-

१४२– जो कोई मनुष्य उन वातों को जान कर जिनके कारण

साझी होना किसी अनीति जमाउ में

कोई जमाउ अनीति जमाउ कहलाता हो अपे जन करके उस जमाउ में मिलेगा अथवा उसमें वना रहेगा वह अनीति जमाउ का साझी कहलावेगा॥

१४३– जो कोई मनुष्य साझी किसी अनीति जमाउ का होगा

दण्ड

उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी मियाद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

१४४– जो कोई मनुष्य कुछ मृत्युकारक हथियार अथवा

साझी होना किसी अनीति जमाउ में कोई मृत्युकारक हथियार बांधकर

और कोई वस्तु जिसको मारने के हथियार की भांति वर्त्ते जाने से मृत्यु का होना अति संभवित हो बांधकर साझी किसी अनीति जमाउ का बनेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

१४५– जो कोई मनुष्य किसी अनीति जमाउ में मिलेगा

मिलना अथवा बना रहना किसी अनीति जमाउ में यह बात जानबूझकर कि उस फैल फूट होने के लिये आज्ञा हो चुकी है

अथवा बना रहेगा यह बात जानबूझ कर कि क़ानून में ठहराई हुई भांति फैल फूट होने की आज्ञा उस जमाउ को हो चुकी है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा॥

१४६– जब कोई बल अथवा अन्याय किसी अनीति जमा

[illegible]

उ की ओर से अथवा उसके किसी साझी की ओर से उस जमाउ के मद

साभियों का मतलब प्राप्ति होने के लिये बर्त्ता जायगा तो उस जमाउ का प्रत्येक साभी दंगे के अपराध का अपराधी गिना जायगा॥

१४७— जो कोई मनुष्य दंगा करने के अपराध का अपराधी होगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा॥

दंगा करने केलिये दंड

१४८— जो कोई मनुष्य कुछ मृत्युकारी हथियार अथवा और कोई वस्तु जिस को मारने के हथियार की भांति बर्त्ते जाने से मृत्यु का होना अति संभवित हो बांध कर दंगा करने का अपराधी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा॥

मृत्युकारी हथियार बांध कर दंगा करना

१४९— कदाचित् कुछ अपराध किसी अनीति जमाउ का कोई साभी सब साभियों का मतलब प्राप्ति करने के लिये करे अथवा ऐसा अपराध करे जिस को उस जमाउ के साभी जानते हों कि उस मतलब की प्राप्ति करने में उस का किया जाना अति सम्भवित है तो हरएक मनुष्य जो उस अपराध के किये जाने के समय साभी उस जमाउ का हो अपराधी उस अपराध का गि[illegible] ॥

हरएक साभी किसी अनीति जमाउ का अपराधी उस अपराध का गिना जायगा जो सब साभियों [illegible] मतलब प्राप्ति होने के ल[illegible]

[illegible]— जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को किसी अनीति ज[illegible] में मिलने अथवा साभी होने के लिये नौकरी पर या[illegible]

अजूरे पर रक्खेगा या काम पर लगावेगा अथवा नौकरी पर अथवा अजूरे पर रखने में या काम पर लगाने में वढ़ावा देगा अथवा आना कानी करेगा वह उस अनीति जमाउ के साझी की भांति दंड के योग्य होगा और जो कोई अपराध इस प्रकार का कोई मनुष्य उस अनीति जमाउ का साझी हो कर उस नौकर रक्खे जाने अथवा अजूरा पाने अथवा काम पर लगाये जाने के अनुसार करेगा उसी भांति दंड के योग्य होगा मानो वह आप उस अनीति जमाउ का साझी हुआ अथवा उसने आपही उस अपराध को किया ॥

किसी अनीति जमाउ में मिलने के लिये मनुष्यों को नौकर रखना अथवा नौकर रखने में आना कानी देना

१५१- जो कोई मनुष्य जान बूझ कर पांच अथवा अधिक मनुष्यों के किसी जमाउ में जिस्से सर्व संबंधी कुशल में विघ्न पड़ना अति संभवित हो मिलेगा अथवा बना रहेगा पीछे इस से कि उस जमाउ के फैल फूट होने की आज्ञा क़ानून अनुसार हो चुकी हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जान बूझ कर मिलना अथवा बना रहना पांच अथवा अधिक मनुष्यों के किसी जमाउ में पीछे इस के कि उस के फैल फूट होने की आज्ञा हो चुकी हो

विवेचना- कदाचित् जमाउ दफ़ा १४१ में लक्षण किये हुए प्रकार का अनीति जमाउ हो तो अपराधी दफ़ा १४५ के अनुसार दंड योग्य होगा ॥

१५२- जो कोई मनुष्य किसी सर्व संबंधी नौकर पर जब कि वह अपनी नौकरी का काम भुगताने में किसी अनीति जमाउ

सर्वसंबंधी नौकर पर उस समय हल्ला अथवा उसको रोकना जब कि वह दस्तूर का काम कर रहा हो।

को फैल फूट करने का उपाय करता हो अथवा दंगे या खाने जंगी को बंद करता हो उठैया करेगा अथवा उठैया करने की धमकी देगा अथवा उसको रोकेगा या रोकने का उद्योग करेगा अथवा उस सर्व संबंधी नौकर के साथ अपराध संयुक्त बल करेगा अथवा अपराध संयुक्त बल करने की धमकी देगा अथवा उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

१५३- जो कोई मनुष्य दुर्भाव से अथवा विना बात कोई क़ानून विरुद्ध काम करके किसी को क्रोध दिलावेगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इस क्रोध दिलाने से दंगा होगा उसको कदाचित् दंगे का अपराध उसी क्रोध धकराने के कारण होजाय दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा- और कदाचित दंगा होनजाय तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों किया जायगा॥

विना बात क्रोध धकराने का काम करना दंगा होने के प्रयोजन से

कदाचित् दंगा होजाय

कदाचित दंगा होनजाय

१५४- जब कभी कोई अनीति जमाउ अथवा दंगा हो जाय तो मालिक अथवा क़ाबिज़ उस धरती के को जिस पर वह अनीति जमाउ अथवा दंगा हुआ हो और और किसी मनुष्य

मालिक अथवा क़ाबिज़ धरती का जिसपर अनीति जमाउ हुवे-

[illegible] दावा रखता

हो दंड जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये से अधिक न होगा किया जायगा कदाचित वह आप अथवा उसका कारिन्दा अथवा सरवराहकार वह बात जान कर कियह अपराध होर हा है अथवा हो चुका है अथवा उस का अति सम्भवित मान ने का हेतु पाकर सब से नगीच की चौकी पुलिस के मुख्य अप स्पर को अपने बस भर जल्दी से जल्दी खबर न देगा और उस अवस्था में जब कि उसका होना अति सम्भवित मानने का हेतु पाया जाय उसके रोकने में अपने बश भर सब उपाय न करेगा और उस अवस्था से जब कि वह होजाय अपने बश भर सब उपाय उस दंगे के मिटाने अथवा अनीति जमाउ के फैल करने में न करेगा

१५५—जब कभी कोई दंगा किसी ऐसे मनुष्य के भले के लिये उसकी ओर से किया जाय जो मालिक अथवा काबिज़ उस धरती का हो जिसके म द्धे दंगा किया गया अथवा जो कुछ दावा स्वार्थ का उस धरती में अथवा जिस बात पर झगड़ा होकर दंगा हुआ उस बात में रखता हो अथवा जो उस दंगे से कुछ लाभ निकाले अथवा स्वीकार करे तो ऐसा मनुष्य जरीमाने के योग्य होगा कदाचित उसने आप या उसके कारिन्दे या सरवराह कार ने हेतु इस बात के मानने का पाकर कि दंगा होना अति सम्भवित है अथवा जिस अनीति जमाउ ने दंगा किया उसका इकट्ठा होना अति सम्भवित है अपने बश भर नीति पूर्वक सब उपाय उस दंगे अथवा जमाउ का होना रोकने में और उसके मिटाने और फैल फूट करने के लिये न किया हो॥

दंड योग्य होना उस मनुष्य का जिसके भले के लिये दंगा किया जाय—

१५६—जब कभी कोई दंगा किसी ऐसे मनुष्य के भले के लिये अथवा उसकी ओर से किया जाय जो मालिक अथवा काबिज़ उस

दंड योग्य होना उस मालिक अथवा क़ाबिज़ के कारिन्दा जिसके भले के लिये दंगा किया गया हो.

धरती का हो जिसके मद्दे दंगा किया गया अथवा अथवा जो कुछ दावा स्वार्थ का उस धरती में अथवा जिस बात पर झगड़ा होकर दंगा हुआ उस बात में रखता हो अथवा जो उस दंगे से कुछ लाभ निकाले अथवा स्वीकार करे तो कारिन्दा अथवा सरबराह कार उस मनुष्य का जरीमाने के दंड योग्य होगा कदाचित उस कारिन्दे या सरबराह कार ने हेतु इस बात के मानने का पाकर कि दंगा होना अति सम्भावित है अथवा जिस अनीति जमाउ ने दंगा किया उसका इकट्ठा होना अति संभावित है अपने वश भर सब नीति पूर्वक उपाय उस दंगे अथवा जमाउ का होना रोकने में और उसके मिटाने और फैल फूट करने के लिये न किये हो ॥

१५७ — जो कोई मनुष्य किसी घर अथवा मकान में जो उसके

आश्रय देना उन मनुष्यों को जो किसी अनीति जमाउ के लिये नौकर रक्खे गये हों.

कबजे अथवा चौकसी में हों अथवा जिसपर उसका अधिकार हो ऐसे मनुष्यों को आश्रय देगा अथवा आने देगा अथवा इकट्ठा करेगा जिसको वह जानता हो कि किसी अनीति जमाउ में मिलने अथवा साझी बनने के लिये नौकर रक्खे गये हैं या मजूरी पर या काम पर लगाये हैं अथवा नौकर रक्खे जाने या मजूरी पाने या काम पर लगाये जाने को हैं उसको दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा दोनों का किया जायगा ॥

१५८ — जो कोई मनुष्य दफा १४१ में लक्षण किये हुए कामों

किसी अनीति जमाउ अथवा दंगे में साझी करने के लिये नौकर होना.

में से किसी काम के करने या सहायता देने के लिये नौकर रहेगा अथ

वा मजूरा लेगा अथवा नौकरी या मजूरा मांगेगा या उसके मिलने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनो मेंसे किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और जो कोई मनुष्य ऊपर कही हुई भांति नोकरी अथवा मजूरा लेकर कुछ मृत्यु कारी हथियार अथवा कोई

अथवा हथियार बांधकर फिरना

२ कोई वस्तु जिसको हथियार की भांति वर्त्ते जाने से मृत्यु होना अति सम्भवित हो बांध कर फिरेगा उसको दंड दोनो मेंसे किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

१५९ — जब दो अथवा दो से अधिक मनुष्य किसी सर्वसंबंधी जगह में लड़कर सर्वसंबंधी कुशलता में विघ्न डालेंगे तो कहा जायगा कि उन्हों ने खानेजंगी की॥

खानेजंगी

१६० — जो कोई मनुष्य खाने जंगी करेगा उसको दंड दोनोंमें से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक सौ रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा—

खानेजंगी करने का दंड

अध्याय ९

अपराध जो सर्वसम्बंधी नोकरों की ओर से किये जायं अथवा जो उन से संबंध रक्खें

१६१ — जो कोई मनुष्य सर्वसंबंधी नोकर होकर अथवा सर्वसंबंधी नोकरी पाने की आशा रखकर अपने अथवा दूसर किसी मनुष्य के निमित्त

सर्वसंबंधी नोकर लोग अपने ओहदे के किसी काम के बदले सिवाय कानून अनुसार चाकरी के कुछ घूंस की भांति ले—

अपने ओहदे का कोई काम करने अथवा न करने के बदले अथवा अपने ओहदे का अधिकार वर्तने में किसी मनुष्य के साथ पक्षपात अथवा द्रोह करने के लिये अथवा हिन्दुस्तान की कानूनकारक या कानून प्रवर्त्तक गवर्नमेंट के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेंट के सामने अथवा किसी लेफ्टनेंट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्वसंबंधी नौकर के सामने किसी मनुष्य का काम बना देने या बिगाड़ देने के बदले अथवा बना देने या बिगाड़ देने का उद्योग करने के लिये

ऐक्ट नंबर ३१ बाबत सन् १८६७ ई०

उन अपराधों के विषय में जो रेलवे कम्पनी के नौकरों के द्वारा बन पड़े इस कानून अनुसार दंडयोग्य हों। बवाब गवर्नर जनरल श्रीमान् हिन्द की कानूनकारक कौंसिल से प्रचलित हुआ

१६ जून सन् १८६७ ई० से।

जो कि उचित है कि कोई २ आज्ञा हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की जो सर्वसंबंधी नौकरों से संबंध रखती हैं उन मनुष्यों से संबंधित कीजीये जो रेलवे कम्पिनी की नौकरी में हों इसलिये नीचे लिखे अनुसार आज्ञा होती है॥

दफा १- इस ऐक्ट में रेलवे कम्पनी से मालकान बल्कि अथवा ट्रामरी जो इस राज में मौजूद है प्रयोजन है जो श्रीमती महारानी को अपने राज्य के संवत् २१ व २२ वे कानून के अध्याय १०६ के अनुसार (जिसका प्रचार हिन्दुस्तान का राज्य प्रबंध सुधारने के लिये हुआ था) उक्त श्रीमती महारानी अथवा उनके सभासदों के कबजे में है अथवा (उन राज्यों के भीतर जिनका वर्णन आगे करते हैं जितना कि ब्रटानिया की प्रजा से सं

थ हैं) उन अधिपतों और राज्यों जो हिन्दुस्तान के अंगरेजी रा ज्य में हैं और श्री मती महारानी अथवा उनके सभासदों से मित्रता रखते हों और भी उक्त मालिकों के इजारेदार और रूम मुक़ामों में नियत हैं प्रयोजन हैं.

दफ़ा २ - हर ओहदेदार और नौकर रेलवे कम्पनी का हिं दुस्तान के दंड संग्रह की दफ़ा १६१ - १६२ - १६३ - १६४ - १६५ के अर्थानुकूल सर्व संबंधी नौकर समझे जायंगे ॥

दफ़ा ३ - इस क़ानून वर्त्तमान की उक्त दफ़ा १६१ में लक्षण कि येहुए शब्द गवर्नमेंट इस ऐक्ट के प्रयोजन के लिये रेलवे कम्पनी का भी समझा जायगा ॥

दफ़ा ४ - यह ऐक्ट व नसमिया ऐक्ट मुतअल्लक़े मुलाज़मा न रेलवे मुसर्हिरे ५ जून सन् १८६७ ई॰ के मौसूम होगा ॥

* सिवाय अपनी क़ानून अनुसार चाकरी के कुछ घूंस लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार अथवा प्राप्ति करेगा अथवा स्वीकार करने को राज़ी होगा अथवा प्राप्ति करने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्र कार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विवेचना - सर्व संबंधी नौकर होने की आस्या रखना कदाचित् कोई मनुष्य जिसको सर्व संबंधी नौकरी मिल ने की आस्या न हो दूसरे को इस बात के निश्चय मानने का धोखा देकर कि मैं ओहदा पाने को हूं और तब तुम्हा रा काम बना दूंगा कुछ घूंस ले तो वह ठगने का अपराधी हो सकेगा परन्तु इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी न गिना जायगा ॥

घूंस - इस शब्द का तात्पर्य केवल रुपये ही की घूंस से न है और न केवल उस घूंस से है जिसकी कूत रुपये में होसके। कानून अनुसार चाकरी - इन शब्दों का तात्पर्य केवल उसी चाकरी से नहीं है जिसको कोई सर्व सम्बंधी नौकर नीति पूर्वक तगादा करके मांग सकता हो परन्तु इन में सब प्रकार की चाकरी जिसके स्वीकार करने की आज्ञा उसको उस गवर्नमेंट से जिसकी वह नौकरी करता हो मिल चुकी है गिनी जायगी॥

कुछ करने के लिये लालच अथवा इनाम इन शब्दों में वह मनुष्य भी गिना जायगा जो कुछ घूंस किसी ऐसे काम के करने के लिये जिसके करने का वह प्रयोजन न रखता हो लालच की भांति अथवा जिस काम को उसने नहीं किया है उसके लिये इनाम की भांति लेगा॥

उदाहरण

(क) - देवदत्त एक मनसिफ़ ने विष्णुमित्र किसी कोठीवाल की कोठी में अपने भाई के लिये एक नौकरी विष्णुमित्र की जीत में कोई मुकद्दमा तजवीज़ करदेने के बदले इनाम की भांति प्राप्त की तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

(ख) देवदत्त ने जो किसी आज्ञाकारी दरबार में रजीडंडी के ओहदे पर है उस दरबार के दीवान से एक लाख रुपया लेना स्वीकार किया यह साबित नहीं है कि देवदत्त ने यह रुपया अपने ओहदे का कोई विशेष काम करने या न करने के लिये अथवा सरकार अंग्रेजी में उस दरबार का कोई [illegible]

[illegible]

[illegible] ओहदे का अधिकार रखने में साधारण उस दरबार

पक्ष पात करनेके लिये लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार किया तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया॥

(उ)–देवदत्त किसी सर्वसंबंधी नोकरने विष्णुमित्रको इस कुटीवान के मा नलेने का धोखा दिया कि देवदत्तकी सिफारस के कारण विष्णुमित्र को गवर्न मेंटसे खिताब मिलाहै और इस भांति फुसलाने से विष्णुमित्र ने कुछ रुपया देवदत्त को इस काम के बनादेने के लिये इनाम की भांति दिया तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया॥

१६२– जोकोई मनुष्य अपने निमित्त अथवा किसी दूसरे मनुष्यके निमित्त किसी सर्वसंबंधी नोकर को अपने ओहदे का कुछ काम करने अथवा न करने के लिये अथवा अपने ओहदे का अधिकार वर्त्तने में किसी मनुष्य के साथ पक्षपात अथवा द्रोह करने अथवा कानून कारक या कानून प्रवर्त्तक गवर्नमेंट हिन्द के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेंट के सामने अथवा किसी लफ्टनंट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्वसंबंधी नोकर के सामने किसी मनुष्य का कुछ काम बनादेने या विगाडदेने के लिये अथवा बनादेने या विगाड़देने का उद्योग करने के लिये किसी बुरे अथवा कानून विरुद्ध उपाय से फुसलाने के बदले कुछ घूंस किसी मनुष्य से लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार अथवा प्राप्त करेगा अथवा स्वीकार करने को राजी होगा अथवा प्राप्त करने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

(सीमांत टिप्पणी: लेना घूंसका किसी सर्वसम्बंधी नोकरको बुरे अथवा कानून विरुद्ध उपाय से फुसलाने के निमित्त)

राधों में से कोई अपराध किया जाय वह कदाचित् उस अप राध में सहायता देगा तो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन वरसतक हो सकेगी अथवा जरी माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

ऊपर वर्णन कियेहुए अपराधों सर्वसंबंधी नोकर को योग्य सहायता होने के लिये दंड

उदाहरण

देवदत्त कोई सर्वसंबंधी नौकर है उसकी स्त्री हरदेवी ने देवदत्त से विनती करके किसी मनुष्य को कोई नौकरी दिलाने के बदले कुछ भेंट लालच की भांति ले ली और देवदत्त ने ऐसा करने में उसकी सहायता दी तो हरदेवी योग्य किसी कैद के जिस की म्याद एक वरस से अधिक न होगी अथवा जरीमाने के अथवा दोनों के होगी और देवदत्त योग्य कैद के जिसकी म्याद तीन वरसतक हो सकेगी अथवा जरीमाने के अथवा दोनों के होगा॥

१६५- जो कोई मनुष्य सर्वसंबंधी नोकर होकर अपने अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त कोई मोलदार वस्तु विना उसका वदला दिये अथवा ऐसा वदला देकर जिसको वह जानता हो कि यथार्थ नहीं है किसी मनुष्य से जिसको वह जानता हो कि इसका कुछ स्वार्थ किसी मुक़द्दमे में अथवा काम में जिसको मैंने किया है अथवा मैं करने को हूं आगे था या अब है या आगे होगा अथवा इसका कुछ संबंध मेरे ओहदे के काम से अथवा जिस सर्वसंबंधी नोकर का मैं आधीन हूं उसके ओहदे के काम से है अथवा किसी मनुष्य से जिसको वह जानता हो कि इस भांति स्वार्थ रखने वाले मनुष्य

सर्वसंबंधी नोकर जो कुछ मोलदार वस्तु विना वदला दिये किसी मनुष्य से ले जिसका कुछ स्वार्थ उस सर्वसंबंधी नोकर के किये हुए किसी मुक़द्दमे अथवा काम में हो-

से संबंध अथवा स्वार्थ रखता है स्वीकार अथवा प्राप्ति करेगा अथवा स्वीकार करने को राज़ी होगा अथवा प्राप्ति करने का उद्योग करेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी कलेक्टर ने एक मकान विश्नुमित्र का जिसका कोई बंदोबस्त का मुक़द्दमा उसके सामने दायर था भाड़े पर लिया और यह बात ठहरी कि देवदत्त पचास रुपया महीना देगा और वह मकान ऐसा है कि कदाचित् शुद्ध भाव से मामला किया जाता तो देवदत्त को दो सौ रुपया महीना देना पड़ता — यहां देवदत्त ने विश्नुमित्र से मोलदार वस्तु बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्ति की॥

(इ) देवदत्त किसी हाकिम ने विश्नुमित्र से जिसका कोई मुक़द्दमा देवदत्त की कचहरी में दायर है गवर्नमेंट का प्रामेसरी नोट उस समय जबकि वे बज़ार में बढ़ती पर बिकते थे बट्टे से मोल लिये - तो देवदत्त ने मोलदार वस्तु विश्नुमित्र से बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्ति की।

(उ) विश्नुमित्र का भाई झूलफ़ दरोगी के मुक़द्दमे में गिरफ़ार होकर देवदत्त नाम किसी मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया देवदत्त ने विश्नुमित्र को किसी बंक कोठी के हिस्से बढ़ती पर बेंचे उस समय जबकि वे बाज़ार में बट्टे से बिकते थे और विश्नुमित्र ने देवदत्त को उसी अनुसार हिस्सों का मोल चुका दिया तो जो रुपया देवदत्त ने इस भांति प्राप्ति किया वह मोलदार वस्तु है जिसको उसने बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्त किया॥

१६६ — जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर क़ानून किसी आज्ञा को जिसमें उसके लिये सर्व संबंधी नौकर

री भुगताने की रीति हो जानबूझकर न आनेगा इस

सर्व संबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से का नून की आज्ञा को उल्लंघन करे

सप्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इस आज्ञा के उल्लंघन से किसी मनुष्य को हानि पहुंचेगी उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

देवदत्त एक अहलकार ने जिस को कानून की आज्ञा है कि किसी ऐसी डिगरी के इजराय में जो कि अदालत से विष्णुमित्र के पक्ष में हो चुकी है कुछ माल क़ुरक करे जानबूझ कर कानून की उस आज्ञा को उल्लंघन किया और यह बात जानली कि इस से विष्णुमित्र को हानि पहुंचनी अति संभवित है तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

१६७– जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और

सर्व संबंधी नौकर जो हानि पहुंचाने के प्रयोजन से कुछ अशुद्ध लिखतम बनावे

सर्व संबंधी नौकर होने के कारण किसी लिखतम के बनाने अथवा उल्था करने का अधिकार पाकर उस लिखतम को ऐसी रीति से जिसको वह जानता था मानता हो कि अशुद्ध है किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा हानि पहुंचनी अति संभवित जान कर बनावेगा अथवा उल्था करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

१६८– जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और

सर्वसंबंधी नौकर होने के कारण आधीन इस कानूनी आज्ञा का होकर कि उस को व्योपार करना वर्जित है कुछ व्योपार करेगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्वसंबंधी नौकर जो कानून की आज्ञा के विरुद्ध व्योपार करे

१६९— जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और सर्व संबंधी नौकर होने के कारण आधीन इस कानूनी आज्ञा का होकर कि उसको फलानी वस्तु का मोल लेना अथवा मोल लेने के लिये वोली वोलना वर्जित है उसी वस्तु को अपने नाम से अथवा दूसरे के नाम से अथवा दूसरों के संग में या साझे में मोल लेगा अथवा लेने के लिये वोली वोलेगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और वह वस्तु कदाचित् मोल ले ली गई हो तो जप्त की जायगी॥

सर्वसंबंधी नौकर जो कानून की आज्ञा के विरुद्ध कुछ वस्तु मोल ले अथवा लेने के लिये वोली वोले

१७०— जो कोई मनुष्य किसी ओहदे पर सर्वसंबंधी नौकर होने का मिस करेगा यह वात जान वूझकर कि मैं इस ओहदे पर नौकर नहीं हूं अथवा झूठ मूठ उस मनुष्य का रूप धरेगा जो उस ओहदे पर नौकर हो और इस धारण किये हुए रूप में उस ओहदे के [illegible] से कुछ काम करेगा अथवा करने का उद्योग करेगा [illegible] दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कि

सर्व संबंधी नौकर का मिस करनी

पाजायगा॥

१७१—जो कोई मनुष्य किसी विशेष प्रकार का सर्व संबंधी नौकर न होकर कोई वर्दी अथवा चिन्ह जो उसी प्रकार के सर्व संबंधी नौकरों की वर्दी अथवा चिन्ह के सदृश हो पहनेगा इस प्रयोजन से अथवा यह अति संभवित जानकर कि उसी प्रकार के नौकरों में प्रतीत कियाजाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का कियाजावेगा॥

सर्व संबंधी नौकर की वर्दी पहिरना अथवा चिन्ह रखना छलछिद्र के प्रयोजन से

अध्याय १०

सर्व संबंधी नौकरों के नीतिपूर्वक अधिकार का अपमान करने के विषय में

१७२—जो कोई मनुष्य किसी सर्व संबंधी नौकर के जिसको क़ानून अनुसार अधिकार सम्मन अथवा इत्तलानामा अथवा हुक्मनामा जारी करने का हो जारी किये हुए सम्मन अथवा इत्तिलानामे अथवा हुक्मनामे के जारी होने से बचने के लिये रूपोश होगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रूपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह सम्मन या इत्तिलानामा या हुक्मनामा अदालत जसटिस में असालतन या मुख्तारतन हाज़िर होने के लिये अथवा कुछ दस्तावेज़ पेश करने के लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक

सर्व संबंधी नौकर के जारी किये हुए सम्मन अथवा और किसी आज्ञापत्र के जारी होने से बचने के लिये रूपोश होना

हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

१७३-जो कोई मनुष्य कुछ प्रयोजन करके अपने ऊपर अथवा और किसी मनुष्य के ऊपर जारी होना किसी सम्मन अथवा इत्तिलानामे अथवा हुक्मनामे का जिस के जारी होने की आज्ञा किसी ऐसे सर्व संबंधी नोकर ने दी हो जिसको कानून अनुसार अधिकार सम्मन अथवा इत्तिलानामा अथवा हुक्मनामा जारी करने का किसी भांति रोकेगा अथवा इसी प्रकार के किसी सम्मन अथवा इत्तलानामे अथवा हुक्मनामे का किसी जगह नीति पूर्वक लगाया जाना जान बूझकर रोकेगा अथवा इसी प्रकार के किसी सम्मन अथवा इत्तलनामे अथवा हुक्मनामे को किसी जगह से जहां वह नीति पूर्वक लगाया गया हो जान बूझ कर हटावेगा अथवा नीति पूर्वक प्रकट होना किसी इश्तिहार का जिसके प्रगट होने की आज्ञा किसी ऐसे सर्व संबंधी नोकर ने दी हो जो उस के प्रगट किये जाने की आज्ञा देने का कानून अनुसार अपने ओहदे के प्रताप से अधिकारी हो जानबूझकर रोकेगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सो रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित वह सम्मन या इत्तलानामा या हुक्मनामा या इश्तिहार अदालत में असालतन वा मुख्तारतन हाजिर होने अथवा कोई लिखतम पेश करने के लिये हो तो दंड साधारण कैद का जिस की म्याद छः महीने तक [illegible] जो

रोकना किसी सम्मन अथवा और प्रकार के हुक्मनामे का जारी होने से अथवा प्रगट किये जाने से

एक हज़ार रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जावेगा ॥

१७४- जो कोई मनुष्य जिसको असालतन अथवा मुख्तारतन हाज़िर होना किसी नियत स्थान और नियत समय पर किसी ऐसे सम्मन या इत्तलानामे या हुक्मनामे या इश्तिहार के अनुसार जो किसी सर्व संबंधी नौकर ने जारी किया हो और उस सर्व संबंधी नौकर को अपने ओहदे के प्रताप से ऐसा सम्मन या इत्तिलानामा या हुक्मनामा या इश्तिहार जारी करने का अधिकार भी क़ानून अनुसार प्राप्त हो अवश्य चाहिये कुछ प्रयोजन करके उस स्थान अथवा समय पर हाज़िर होने से चूकेगा अथवा जहां हाज़िर होना अवश्य हो वहां हाज़िर होकर जितनी देर तक क़ानून अनुसार ठहरना चाहिये उससे पहिले चला आवेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह सम्मन या इत्तिलानामा या हुक्मनामा या इश्तिहार किसी अदालत जस्टिस में असालतन या मुख्तारतन हाज़िर होने के लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्व संबंधी नौकर की आज्ञानुसार हाज़िर होने में चूकना

उदाहरण

(अ) देवदत्त जिस पर क़ानून अनुसार अवश्य था कि कलकत्ते में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसी कोर्ट के जारी किये हुए सफीने के अनुसार हाज़िर होवा जान बूझ कर हाज़िर होने से चूका तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किये हुए का अपराध किया ॥

(इ) देवदत्त जिस पर कानून अनुसार अवश्य था कि किसी ज़िला जज के सामने उसी ज़िला जज के जारी किये हुए सम्मन के अनुसार गवाही देने को हाज़िर होता हाज़िर होने से चूका तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

१७५- जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने कोई लिखतम पेश करनी अथवा देनी कानून अनुसार अवश्य हो जानबूझकर उस लिखतम के पेश करने अथवा देने से चूकेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित पेश होना अथवा दिया जाना उस लिखतम का किसी अदालत जसटिस में अवश्य हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

(किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने कोई लिखतम पेश करने चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर उस लिखतम का पेश करना अवश्य होवे)

उदाहरण

देवदत्त जिस पर कानून अनुसार अवश्य था कि किसी ज़िले की अदालत में कोई लिखतम पेश करे जानबूझकर उसके पेश करने से चूका तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

१७६- जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व संबंधी नौकर को किसी बात की इत्तला अथवा खबर पहुंचानी क़ानून अनुसार अवश्य हो जानबूझ कर कानून में आज्ञा किये हुए प्रकार और समय पर उस इत्तला अथवा

(किसी सर्व संबंधी नौकर को इत्तला देने अथवा खबर पहुंचाने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर उस इत्तला अथवा खबर का पहुंचना क़ानूनानुसार अवश्य हो)

खबर के देने से चूकेगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रूपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जावेगा और कदाचित वह इत्तिला अथवा खबर जिसका पहुंचाना अवश्य हो कुछ अपराध हो जाने के मध्ये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा किसी अपराधी के पकडने के विषय में हो तो दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

१७७— जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व संबंधी नौकर [झूठी इत्तला देनी] को किसी बात की इत्तला पहुंचानी कानून अनुसार अवश्य हो उसी बात के मध्ये कोई इत्तला जिसको वह झूठी जानता हो अथवा झूठी जानने का हेतु रखता हो सच्ची कहकर पहुंचावेगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जावेगा और कदाचित वह इत्तिला जिसका पहुंचना कानून अनुसार अवश्य हो कुछ अपराध हो जाने के मध्ये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा किसी अपराधी को पकडने के विषय में हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का दोनों का किया जावेगा ॥

उदाहरण

(क) देवदत्त किसी जिमींदार ने यह बात जान कर कि उसके गांव की कोई बात घात होगयी है जानबूझ कर जिले के मैजि

स्ट्रेट को झूंठी खबर दी कि यह मृत्यु अकस्मात सांप के काटने से हुई है तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हुआ ॥

(ड) देवदत्त किसी गांव के चौकीदार ने यह बात जान ली कि अनजाने मनुष्यों का एक बड़ा समूह उसके गांव में हो कर विष्णुमित्र एक धनाढ्य सौदागर के मकान पर जो वहां से नगीच के एक गांव में था डांका डालने को गया है और देवदत्त पर बंगाल हाते के क़ानून ३ सन १८२१ ई० की दफ़ा ७ ज़िम्न ५ के अनुसार अवश्य था कि तुरन्त और ठीक ठीक इत्तिला ऊपर कही हुई बात की सब से नगीच की चौकी पुलिस के अफ़सर को पहुंचावे परन्तु उस ने जान बूझ कर पुलिस के अफ़सर को झूंठी ख़बर दी कि गांव में हो कर अनीले मनुष्यों का एक समूह फ़लाने जगह पर जो उधर से जिधर वह समूह गया था दूसरी ओर दूर पर थी डांका डालने के प्रयोजन से गया है तो यहां देवदत्त इस दफ़ा के पिछले भाग में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हुआ ॥

सौगंद करने से नटना उस समय जबकि कोई सर्व संबंधी नौकर सौगंद करने की आज्ञा दे

१७८—जो कोई मनुष्य सत्य बोलने की सौगंद करने से नाहीं करेगा उस समय जब कि कोई सर्व संबंधी नौकर जो क़ानून अनुसार सौगंद कराने का अधिकारी है उस से सौगंद करावे उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उत्तर न देना किसी सर्व संबंधी नौकर के प्रश्न का जिस को प्रश्न करने का अधिकार हो

१७९—जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने किसी विषय में सच्चा इज़हार देना क़ानून अनुसार अवश्य हो किसी प्रश्न का जो उसी विषय में उसी सर्व संबंधी नौकर ने अपने क़ानून अनुसार अधिकार के वर्त्तने में उससे पू

हो उत्तर देने से नाहीं करेगा इसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा

१८०—जो कोई मनुष्य अपने इज़हार पर दस्तख़त करने से नाहीं करेगा उस समय जब कि उसको दस्तख़त करने की आज्ञा कोई सर्व संबंधी नौकर जिसको कानून अनुसार ऐसी आज्ञा देने का अधिकार हो दे उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

इज़हार पर दस्तख़त करने से नाहीं करना

१८१—जो कोई मनुष्य जिस पर किसी विषय में किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने अथवा और किसी मनुष्य के सामने जो कानून अनुसार सौगंद कराने का अधिकारी हो सौगंद करके सच्चा इज़हार देना अवश्य हो उसी सर्व संबंधी नौकर अथवा और मनुष्य के सामने सौगंद करके उसी विषय में कोई इज़हार जो झूठा हो और जिसको वह या तो झूठा जानता हो या मानता हो या सच्चा न मानता हो देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

सौगंद करके झूठा इज़हार देना किसी सर्व संबंधी नौकर अथवा उस मनुष्य के सामने जो कानून अनुसार सौगंद कराने का अधिकारी है

१८२—जो कोई किसी सर्व संबंधी नौकर को कोई ख़बर जिसको वह झूठी जानता या मानता हो देगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इस से वह सर्व संबंधी

झूठी ख़बर इस कि कोई सर्व संबंधी नौकर अपना कानून अनुसार अधिकार काम में लावे और उस से दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचे

अपने कानून अनुसार अधिकार को वर्त्तेगा और उस से कि
सी मनुष्य को नुकसान अथवा कलेश पहुंचेगा अथवा स
र्व संबंधी नौकर कोई ऐसा काम करेगा या करने से च
केगा जिसका करना अथवा चूकना उसपर उचित नहीं
कदाचित वह सच्चा हाल उस बात का जिस के मध्ये खब
दी गई जान लेना उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की
क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा
जरीमाने का जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा अथवा
दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

(१) देवदत्त ने किसी मेजिस्ट्रेट को जिस के आधीन पुलिस का ए
अहिलकार विश्वमित्र था यह बात जान कर कि यह खबर झूठी है
र इससे अति संभवित है कि वह मेजिस्ट्रेट विश्वमित्र को नौकरी से
देगा खबर दी कि विश्वमित्र अपने काम में असावधानी अथवा कुचा
का अपराधी हुआ — तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध कि
(२) देवदत्त ने यह बात जानकर कि यह खबर झूठी है और इस से विश्वमि
के मकान की तलाशी होनी और विश्वमित्र को क्लेश पहुंचना अति संभवित
किसी सर्व संबंधी नौकर को खबर दी कि विश्वमित्र ने एक गुप्त मकान में चोरी
नोन रक्खा है तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥
१८३ — जो कोई मनुष्य किसी ऐसी वस्तु के लिये जाने में कि

सामना करना किसी वस्तु के लिये | सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक

जान क
अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह ना कर सर्व संबंधी है साम
करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी
छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक ह

रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

१८४- जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी ऐसी वस्तु के नीलाम को रोकेगा जिसको वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

ऐसी वस्तु का नीलाम रोकना जो किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी हो।

१८५- जो कोई मनुष्य किसी वस्तु को जो किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी हो किसी ऐसे मनुष्य के लिये चाहे वह आप हो चाहे और कोई जिसको वह जानता हो कि उस नीलाम में उस वस्तु के मोल लेने को कानून अनुसार असमर्थ है मोल लेगा अथवा लेने के लिये बोली बोलेगा अथवा यह प्रयोजन करके बोली बोलेगा कि इस बोली के बोलने से जो कुछ आवश्यकता उसके ऊपर आती हो उसको न उठावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

कानून विरुद्ध मोल लेना अथवा मोल लेने को बोली बोलना किसी ऐसी वस्तु के लिये जो किसी सर्व संबंधी नौकर की आज्ञा से नीलाम हो।

१८६- जो कोई मनुष्य जानबूझ कर किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में रोकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने

किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में रोकना।

तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी सर्व संबंधी नौकर को सहायता देने से चूकना उस अवस्था में जबकि सहायता देना कानून अनुसार अवश्य है

१८७ - जो कोई मनुष्य जो कि कानून अनुसार करना अथवा पहुंचाना सहायता का किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में अवश्य हो जान बूझकर सहायता देने से चूकेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रूपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा — और कदाचित् यह सहायता उससे किसी सर्व संबंधी नौकर ने जो कानून अनुसार अधिकारी सहायता मांगने का हो किसी अदालत के कानून पूर्वक हुकमनामे के भुगताने के लिये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा दंगा या खाने जंगी मिटाने के लिये अथवा किसी मनुष्य को जिसपर कोई अपराध लगाया गया हो अथवा जो अपराधी किसी अपराध का अथवा कानून अनुसार बंधि से भाग जाने का हो पकड़ने के लिये मांगी हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

न मानना किसी आज्ञा का जो किसी सर्व संबंधी नौकर ने प्रयोगचित दी हो—

१८८ - जो कोई मनुष्य यह बात जान बूझकर कि मुझ पर किसी ऐसे सर्व संबंधी नौकर की आज्ञा अनुसार जो नीति पूर्वक उस आज्ञा के देने का अधिकारी है कोई काम करना वर्जित है अथवा किसी वस्तु के मध्ये जो मेरे कब्ज़े अथवा बंदोबस्त में है कोई काम

करना उचित है उस आज्ञा को न मानेगा उसको कदाचित् उस न मानने से रोक अथवा कलेश अथवा हानि किसी मनुष्य को जो नीति पूर्वक काम पर लगाया गया हो हो जाय अथवा हो जाना अति संभवित होजाय अथवा होने की जोखिम होजाय तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रुपये तक होसकेगा अथवा दोनो का किया जायगा — और कदाचित् उस न मानने से जोखिम मनुष्य के जीव अथवा आरोग्यता अथवा कुशलता को हो जाय अथवा होना अति संभवित हो अथवा कोई दंगा या खानेजंगी होजाय या हो ना अति संभवित हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विवेचना — यह कुछ अवश्य नहीं है कि अपराधी का प्रयोजन ज्यान पहुंचाने ही से हो अथवा यह आज्ञा न मानने से ज्यान पहुंचना उसने अति संभवित समझ लिया हो इतना ही बहुत है कि जिस आज्ञा को उसने न माना उसको वह जानता हो कि दी गई है और उसी आज्ञा को न मानने में ज्यान होजाय अथवा होजाना अति संभवित हो ॥

उदाहरण

एक आज्ञा किसी सर्व संबंधी नौकर ने जो क़ानून अनुसार ऐसी आज्ञा जारी करने का अधिकारी है जारी की कि फ़लानी सम्प्रदाय फ़लानी गली में होकर समाज से न निकले और देवदत्त ने जान बूझ कर उस आज्ञा को न माना और इस से दंगे का संदेह हुआ तो देवदत्त ने इस दफ़ा में नियत किया हुआ अपराध किया ॥

सर्व संबंधी नौकर को हानि पहुंचाने की धमकी

१८९— जो कोई मनुष्य हानि पहुंचाने की धमकी किसी सर्व संबंधी नौकर को अथवा और किसी मनुष्य को जिस में वह जानता हो कि उस सर्व संबंधी नौकर का कुछ स्वार्थ है दिखावेगा इस प्रयोजन से कि उस सर्व संबंधी नौकर से उस के सर्व संबंधी अधिकार के मध्ये कुछ काम करावे अथवा कुछ काम करने से रोके अथवा विलंब करादे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

हानि पहुंचाने की धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सर्व संबंधी नौकर से रक्षा मांगने से रुकजाय

१९०— जो कोई मनुष्य हानि पहुंचाने की धमकी किसी मनुष्य को इस निमित्त देगा कि वह मनुष्य किसी हानि से बचने के लिये किसी सर्व संबंधी नौकर से जिस को कानून अनुसार रक्षा देने का अथवा दिलाने का अधिकार हो कानून अनुसार रक्षा मांगने से रुकजाय अथवा बैठ रहे दिखलावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अध्याय ११

झूठी गवाही और सर्व संबंधी न्याय में विघ्न डालने वाले अपराधों के विषय में

झूठी गवाही देना

१९१— जो कोई मनुष्य जिस पर सौगंद ले लेने के कारण अथवा कानून के किसी स्पष्ट लेख के कारण सच्चा वर्णन करना कानून अनुसार अवश्य हो अथवा

 में सच्चा इज़हार देना अवश्य हो कोई ऐसा

वर्णन करेगा जो भूठा हो और जिसको वह भूठा जानता या मानता हो अथवा सच्चा न मानता हो तो कहलावेगा कि उसने भूठी गवाही दी ॥

विवेचना १— इज़हार चाहे ज़ुबानी हो चाहे और भांति इस दफ़ा के अर्थ में इज़हार किया जायगा ॥

विवेचना २— कोई इज़हार जिसको इज़हार देनेवाला मनुष्य जानता हो कि यह भूठा है इस दफ़ा के अर्थ में भूठा इज़हार गिना जायगा और कोई मनुष्य किसी बात के मध्ये जिसे वह निश्चय न मानता हो यह कहने से कि मैं निश्चय जानता हूं अथवा किसी बात के मध्ये जिसे वह जानता न हो यह कहने से कि मैं जानता हूं अपराधी भूठी गवाही का हो सकेगा

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने किसी सच्चे दावे में जो यज्ञदत्त ने एक हज़ार रूपये के मध्ये विश्नुमित्र पर किया था मुक़द्दमा दायर होने के समय सौगन्द लेकर भूठमूठ कहा कि मैंने विश्नुमित्र को यज्ञदत्त का दावा स्वीकार करते सुना है तो देवदत्त ने भूठी गवाही दी।

(इ) देवदत्त ने जिस पर सौगंद लेने के कारण सच कहना अवश्य था किसी दस्तख़त के मध्ये जिसे वह निश्चय मानता था कि विश्नुमित्र के हाथ का है इज़हार दिया कि मैं निश्चय जानता हूं यह विश्नुमित्र के हाथ का लिखा नहीं है तो यहां देवदत्त ने वह बात कही जिसे वह जानता था कि भूठी है इसलिये देवदत्त ने भूठी गवाही दी ॥

(उ) देवदत्त ने जो विश्नुमित्र के साधारण लिखने को पहचानता था किसी दस्तख़त के मध्ये जिसे उसने शुद्ध भाव से जाना कि विश्नुमित्र के हाथ का लिखा है इज़हार दिया कि मेरे निश्चय में यह दस्तख़त विश्नुमित्र का है तो यहां देवदत्त का कहना उसके निश्चय पर है और

निश्चय के अनुसार सच्चा भी है इसलिये यद्यपि वह दस्तखत विष्णु मित्र का न भी हो तो भी देवदत्त ने झूठी गवाही नहीं दी—

(ए) देवदत्त जिस पर सौगंद लेने के कारण सच्च कहना अवश्य था विना जाने बूझे गवाही दी कि मैं जानता हूं कि विष्णुमित्र फलाने दिन फलानी ठौर था तो यहां यज्ञदत्त ने झूठी गवाही दी चाहे विष्णुमित्र उस दिन उस ठौर था या न था।

(ओ) देवदत्त एक दुभाषिया अथवा तर्जुमाकार ने जिस पर सौगंद लेने के कारण अवश्य था कि किसी इज़हार अथवा लिखतम को दूसरी भाषा में ठीक ठीक करे कोई वर्णन अथवा उल्था जो ठीक ठीक न था और जिसे वह जानता था कि ठीक नहीं है ठीक कह कर दिया अथवा तसदीक किया किंवा कहै तो देवदत्त ने झूठी गवाही दी॥

१९२—जो कोई मनुष्य कुछ बात बनावेगा अथवा किसी वही

झूठी गवाही बनाना

या कागज़ में कोई झूठी रकम लिखेगा अथवा कोई लिखतम जिस में कुछ झूठा वर्णन हो बनावेगा इस प्रयोजन से कि वह बात अथवा झूठी रकम अथवा झूठा वर्णन किसी न्याय संबंधी मामले में अथवा ऐसे मामले में जो किसी सर्व संबंधी नौकर अथवा पंच के सामने कानून अनुसार दायर हो सबूत की भांति दिया जाय और सबूत में उसके दिये जाने से कोई मनुष्य जिस को उस मामले में सबूत पर विचारांश करना हो उस मामले की हार जीत कराने वाली किसी मुख्य बात के मध्ये झूठा विचारांश कर सके तो इसको झूठा सबूत बनाना कहेंगे॥

+ जो मनुष्य एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी आशय को उल्था करे सो कहै वह तर्जुमाकार और दुभाषिया कहलाता है॥

उदाहरण

देवदत्त ने किसी ऐसे अहलकार की तहकीकात में जोकि मी अदालत से भेजा गया था कि मौक़े पर जाकर मिवाना दे से सौगन्द लेकर कुछ इज़हार दिया जिस को वह जानता था कि झूठा है तो देवदत्त ने झूंठी गवाही दी क्योंकि वह तहकीकात अदालती मुक़द्दमे की एक अवस्था थी॥

झूंठी गवाही देना अथवा झूंठा सबूत बनाना किसी पर ऐसा अपराध साबित करने के लिये जिस का दंड वध हो-

१९४- जो कोई मनुष्य झूठी गवाही देगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्य पर कोई ऐसा अपराध साबित होगा जिस का दंड इस संग्रह के अनुसार वध है उसको दंड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और-

कदाचित् निरपराधी मनुष्य को उस गवाही अथवा सबूत के कारण अपराधी साबित होकर दंड वध का होजाय-

कदाचित उस झूंठी गवाही अथवा सबूत के कारण को ई निरपराधी मनुष्य अपराधी साबित होकर दंड वध का पाजाय तो उस झूंठी गवाही अथवा सबूत देने वाले मनुष्य को या तो वध का दंड या आगे लिखे हुए दंडों में से कोई दंड दिया जायगा-

झूंठी गवाही देना अथवा झूंठा सबूत बनाना इस प्रयोजन से कि किसी पर ऐसा अपराध साबित हो जिसका दंड देशनिकाला अथवा क़ैद है

१९५- जो कोई मनुष्य झूठी गवाही देगा अथवा झूंठा सबूत बनावेगा इस प्रयोजन से कि इस से किसी मनुष्य पर ऐसा अपराध साबित करावे जो इस संग्रह के अनुसार वध के दंड योग्य तो नहीं है परंतु जन्मभर के देशनिकाले अथवा

सात वरस तक या सात वरस से ऊपर की क़ैद के योग्य है अथवा यह जानकर कि इस से किसी पर ऐसा अपराध सावित होना अति संभवित है उस को वही दंड दिया जायगा जिसके योग्य उस अपराध का कोई अपराधी हो सकता हो-

उदाहरण

देवदत्त ने किसी अदालत में झूठी गवाही दी इस प्रयोजन से कि विष्णुमित्र पर डकैती का अपराध सावित हो डकैती का दंड जन्म भर का देश निकाला अथवा दस वरस या उस से अधिक म्याद की कठिन क़ैद जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने के है इसलिये देवदत्त भी उतने ही समय को देश निकाले अथवा जरीमाने समेत या विना जरीमाने कैद के दंड योग्य हुआ।

१९६- जो कोई मनुष्य कुप्रयोजन से किसी सवूत को जिसे

काम में लाना ऐसे सवूत का जो जान लिया गया हो कि झूठा है

वह जानता हो कि झूठा अथवा वनाया हुआ है सच्चे अथवा विना वनाये सवूत की भांति काम में लावेगा अथवा लाने का उद्योग करेगा वह उसी भांति दंड पावेगा मानो उसने झूठी गवाही दी अथवा झूठा सवूत वनाया -

१९७- जो कोई मनुष्य किसी सार्टीफिकट को जिसका दिया

जारी करना अथवा दस्तखत करना झूठे सार्टीफिकट पर

जाना अथवा दस्तखत किया जाना क़ानून अनुसार अवश्य हो अथवा जो किसी ऐसी वात से जिस के सवूत में वह सार्टीफिकट क़ानून अनुसार मानने योग्य हो सम्वन्ध रखता हो जारी करेगा अथवा दस्तखत करेगा यह जानवूझकर अथवा निश्चय मानकर कि यह सार्टीफिकट किसी मुख्य वात में झूठा है वह उसी भांति दंड पावेगा मानो उसने झूठी गवाही दी।

१९८- जो कोई मनुष्य कुप्रयोजन से ऊपर कहे हुए प्रम

कार के किसी सार्टीफिकट को सच्चे सार्टीफिकट की भांति काम में लावेगा अथवा लाने का उद्योग करेगा यह जानबूझकर कि यह किसी मुख्य बात में झूठा है वह उसी भांति दंड पावेगा मानो उसने झूठी गवाही दी ॥–

काम में लाना सच्चे सार्टीफिकट की भांति किसी सार्टीफिकट का जो किसी मुख्य बात में झूठा जान लिया गया हो

१९९ – जो कोई मनुष्य अपने कहे हुए अथवा तसदीक किये हुए इज़हार में जिसको किसी बात के मध्ये सबूत की भांति लेना किसी अदालत अथवा सर्व संबंधी नौकर अथवा और मनुष्य पर कानून अनुसार अवश्य अथवा योग्य हो कुछ वर्णन उसी प्रयोजन की किसी मुख्य बात के मध्ये जिसके लिये वह इज़हार लिया गया अथवा काम में लाया गया हो ऐसा करेगा जो झूठा हो और जिसको वह झूठा जानता या मानता हो अथवा सच्चा न मानता हो वह उसी भांति दंड पावेगा मानो उसने झूठी गवाही दी

झूठा वर्णन किसी ऐसे इज़हार में जो कानून अनुसार सबूत की भांति लिया जा सक्ता हो-

२०० – जो कोई मनुष्य कुप्रयोजन से किसी इज़हार को जिसे वह जानता हो कि किसी मुख्य बात में झूठा है सच्चे इज़हार की भांति काम में लावेगा अथवा लाने का उद्योग करेगा उसको दंड उसी भांति किया जायगा मानो उसने झूठी गवाही दी ॥

काम में लाना सच्चे की भांति ऐसे किसी इज़हार को जो जान लिया गया हो कि झूठा है

बिवेचना – कोई इज़हार जो केवल किसी बेज़ाब्तगी के कारण मानने के योग्य न हो दफ़ा १९९ व २०० के अर्थ में इज़हार गिना जायगा –

२०१- जो कोई मनुष्य यह जानकर अथवा निश्चय माने का हेतु पाकर कि कोई अपराध हो गया है उस अपराध के किये जाने के सबूत को इस प्रयोजन से कि अपराधी कानून अनुसार दंड पाने से बचजाय लोप करदेगा अथवा इसी प्रयोजन से उस अपराध के विषे कुछ ऐसी इत्तिला देगा जिस को वह झूठी जानता या मानता हो तो उसको कदाचित् वह अपराध जिसका होना उसने जाना या माना हो वध के दंड योग्य हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्मभर के देशनिकाले अथवा दस बरस तक की क़ैद के दंड योग्य हो तो दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद् बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध दस बरस से कमती म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो तो दंड उसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद तक जो उस अपराध के लिये ठहराई गई बढती से बढती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा ॥

अपराधी को बचाने के लिये लोप करदेना अपराध के सबूत को अथवा देना झूंठी खबर का उस के मत्से-

कदाचित् अपराध वध के दंड योग्य हो

कदाचित् देशनिकाले के दंड योग्य हो-

कदाचित् दस बरस से कमती म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो-

उदाहरण

देवदत्त ने यह जानबूझकर कि यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को मारडाला है

चोर के छुपाने में यज्ञदत्त को सहायता पहुंचाई इस प्रयोजन से कि यज्ञदत्त को दंड से बचावें तो देवदत्त सात बरस के लिये दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद और जरीमाने के योग्य हुआ-

जानबूझकर किसी अपराध की ख़बर देने से चूकना किसी मनुष्य का जिस पर ख़बर देना अवश्य हो-

२०२- जो कोई मनुष्य यह जान बूझकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कोई अपराध होगया है उस अपराध के मध्ये कुछ ख़बर जिस का देना उस पर क़ानून अनुसार अवश्य हो देने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

देना झूठी ख़बर का किसी अपराध के मध्ये जो होगया हो-

२०३- जो कोई मनुष्य यह जान कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि कोई अपराध होगया है उस अपराध के मध्ये कुछ ऐसी ख़बर देगा जिस को वह जानता या मानता हो कि झूठी है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

नष्ट कर देना किसी लिखत का इसलिये कि वह गवाही में पेश न हो सके

२०४- जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखत को जो क़ानून अनुसार उससे किसी अदालत में अथवा ऐसे मामले में जो क़ानून अनुसार किसी सर्व संबंधी नौकर के साम्हने दायर हो सबूत के लिये ज़बरदस्ती तलब हो सकती हो छुपावेगा अथवा नष्ट कर देगा अथवा उस लिखत के सब से किसी भाग को मिटा देगा या ऐसा कर देगा कि किसी ने

पहुन जाय इस प्रयोजन से कि वह लिखतम पूर्वोक्त भदाल
तमें अथवा पूर्वोक्त सर्वसंबंधी नौकर के सामने सबूत की
भांति काम में न भा सके अथवा पेश न हो सके अथवा पी
उस से कि जब वह उस लिखतम को सबूत के लिये पेश करने
को तलब हो चुका हो या भाज्ञा पा चुका हो उस को दंड दो
नों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस
तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कि
जायगा ॥

२०५– जो कोई मनुष्य झूठमूठ दूसरे का रूप धरेगा और

किसी मुक़द्दमे में कुछ काम अथवा कारवाई करने के लिये दूसरे मनुष्य का रूप धरना	इस धारण किये हुए रूप में किसी बात की हामी भरेगा या कुछ इक़ हार लिखावेगा या दूक़वालदाव

करेगा या कोई क़बनामा निकलावेगा या हाज़िरजामिन
या मालजामिन बनेगा अथवा और कोई काम किसी नालि
श या फौजदारी के मुक़द्दमे में करेगा उस को दंड दोनों में
किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो स
गी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा ॥

२०६– जो कोई मनुष्य किसी वस्तु को अथवा वस्तु के कि

छलछिद्र से उठा लेजाना अथवा छुपा देना किसी वस्तु का इस प्रयोजन से कि जब्ती में अथवा इजराय डिग्री में उस का लिया जाना रुक जाय	सी अधिकार को छलछिद्र कर के दूर करदेगा अथवा छुपा देगा अथवा कि सी मनुष्य को दे देगा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु अथवा उस का वह अधि कार किसी जब्ती में अथवा जरीमाने में जिस के दंड की भाज्ञा किसी अदालत

अथवा सर्यर्थ हाकिम के यहां से हो चुकी हो अथवा होनी

वह अति सम्भवित जानता हो अथवा किसी ऐसी डिग्री या हुक्म के इजराय में जो किसी अदालत से किसी दीवानी मुक़द्दमे में हो चुका हो अथवा होना वह अति सम्भावित जानता हो लिये जाने से बच जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२०७—जो कोई मनुष्य किसी वस्तु को अथवा वस्तु के अधिकार को छलछिद्र से स्वीकार करेगा अथवा रखलेगा अथवा उस पर दावा करेगा यह जानबूझकर कि मेरा इसमें कुछ हक़ अथवा हक़ की रूसे दावा नहीं है अथवा जो मनुष्य किसी वस्तु अथवा वस्तु के किसी अधिकार के दावे के मध्ये कुछ धोखा देगा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु अथवा उस का वह अधिकार किसी ज़प्ती में अथवा जरीमाने में जिस के दंड की आज्ञा किसी अदालत से अथवा समर्थ हाकिम के यहां से हो चुकी हो अथवा होनी वह अति संभवित जानता हो अथवा किसी ऐसी डिग्री या हुक्म के इजराय में जो किसी अदालत से किसी दीवानी मुक़द्दमे में हो चुका हो अथवा होना वह अति संभवित जानता हो लिये जाने से बच जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा ॥—

> छलछिद्र से दावा करना किसी वस्तु पर इस प्रयोजन से कि वह वस्तु का लिया जाना ज़प्ती में अथवा इजराय डिग्री में रुक जाय—

२०८—जो कोई मनुष्य किसी दूसरे की नालिश में अपने ऊपर छलछिद्र से कोई डिग्री अथवा हुक्म करावेगा

छलछिद्र से अपने ऊपर लेना किसी डिग्री का जिस का रुपया वाजिबी न हो-	अथवा होने देगा उस रुपये के लिये जो कि उसके ऊपर वाजिबी न हो अथवा वाजिबी से अधिक हो अथवा किसी वस्तु या वस्तु

के अधिकार के लिये जिसपर उस मनुष्य का कुछ हक न हो अथवा जो मनुष्य छलछिद्र से अपने ऊपर किसी को कोई डिग्री अथवा हुक्म को अथवा उसके किसी खुके हुए भाग को जारी करावेगा अथवा जारी होने देगा उस को दंड दोनें में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र के ऊपर नालिश की और विष्णुमित्र ने यह जान कर कि उस के ऊपर देवदत्त का डिग्री पाना अति संभवित है छलछिद्र से अपने ऊपर यज्ञदत्त की नालिश में जिसका दावा उसके ऊपर वाजिब न था उस से भी अधिक रुपये की डिग्री करा दी इस प्रयोजन से कि जो रुपया देवदत्त की डिग्री में विष्णुमित्र का माल नीलाम होने से आवे उस में यज्ञदत्त अपने लिये अथवा विष्णुमित्र के भले के लिये हिस्सा पावे यहां विष्णुमित्र ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया-

२०९- जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा बेधर्मई से अथ

अदालत में झूठा दावा

वा किसी मनुष्य को हानि अथवा खेद पहुंचाने के प्रयोजन से किसी अदालत में कोई दावा जिस को वह जानता हो कि झूठा है करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा -

२१०- जो कोई मनुष्य छलछिद्र से किसी मनुष्य पर कोई

डिग्री अथवा हुक्म उस रुपये के लिये जो वाजिबी नहीं है अथवा जो वाजिबी से अधिक है अथवा किसी वस्तु या वस्तु के अधिकार के लिये जिस पर उसका कुछ हक़ नहीं है प्राप्ति करेगा अथवा जो मनुष्य छलछिद्र से किसी पर किसी चुकी हुई डिग्री अथवा हुक्म को अथवा उसके किसी भाग को जिसका दावा चुक गया हो छलछिद्र से जारी करावेगा अथवा छलछिद्र से इस प्रकार का कोई काम अपने नाम से होने देगा अथवा होने की आज्ञा देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा

छलछिद्र से प्राप्ति करनी कोई डिग्री जिसका रुपया वाजिबी न हो

२११ – जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से उसके ऊपर कोई अपराध सम्बंधी मुक़द्दमा दायर करेगा या करावेगा अथवा उसको झूंठी तुहमत किसी अपराध के करने की लगावेगा यह जानबूझकर कि उस मनुष्य के ऊपर यह मुक़द्दमा अथवा तुहमत क़ानून अनुसार निर्मूल है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह झूंठा मुक़द्दमा किसी ऐसे अपराध के मध्ये हो जिसका दंड वध अथवा जन्म भर का देश निकाला अथवा सात वरस या उससे अधिक म्याद की क़ैद हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा –

हानि पहुंचाने के प्रयोजन से झूठ मूठ अपराध लगाना

२१२– जब कभी कोई अपराध हो जाय तो जो कोई मनुष्य कि सो मनुष्य को जिस को वह जानता हो या जानने का हेतु रखता हो कि अपराधी है आश्रय देगा या छु पावेगा इस प्रयोजन से कि वह क़ानून अनुसार दंड से बच जा य उस को कदाचित् वह अपराध वध के दंड योग्य हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्म भर के देश निकाले का या दस बरस तक की म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दस बरस तक की कैद नहीं एक ही बरस तक की क़ैद हो सके तो दंड उसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद को जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

आश्रय देना किसी अपराधी को

कदाचित् अपराध वध के दंड योग्य हो

कदाचित् अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य है

छूट– यह नियम किसी ऐसे मुक़द्दमे से संबंध न रक्खेगा जिसमें अपराधी की जोरू अथवा खसम छुपाने वाला हो–

उदाहरण

देवदत्त ने यह जान कर कि यज्ञदत्त ने डाका मारा है यज्ञदत्त को जानबूझ कर छुपाया इस प्रयोजन से कि वह नीति पूर्वक दंड पाने से बच जाय तो यहां यज्ञदत्त जन्म भर देश निकाले के दंड योग्य था इसलिये देवदत्त को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस से अधिक न होगी

२१३– जो कोई मनुष्य कुछ अपराध छुपाने अथवा किसी मनु

> किसी अपराधी को दंड से बचाने के बदले इनाम लेना

ष्य को किसी अपराध के नीति पूर्वक दंड से बचाने अथवा किसी मनुष्य को नीति पूर्वक दंड दिलाने का उपाय न करने के बदले अपने लिये अथवा और किसी के लिये कुछ इनाम अथवा कोई वस्तु लेनी स्वीकार करेगा अथवा लेने का उद्योग करेगा अथवा स्वीकार करने पर राज़ी होगा उसको कदाचित् वह अपराध

> कदाचित् अपराध वध के दंड योग्य हो-

वध के दंड योग्य हो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्म भर के देशनिकाले अथवा द

> कदाचित् अपराध जन्म भर के देशनिकाले अथवा क़ैद के योग्य हो-

सवरस तक की म्याद के दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दस वरस तक न हो सके तो दंड उसी प्रकार की क़ैद का जैसी कि उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद को जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

२१४– जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इस बात के लिये कि

> अपराधी को दंड से बचाने के बदले इनाम देना अथवा कुछ वस्तु फेर देनी

उसने किसी अपराध को छुपाया अथवा किसी मनुष्य को किसी अपराध के नीति पूर्वक दंड से बचाया अथवा इस बात के बदले कि उसने किसी मनुष्य को नीति पूर्वक दंड दिलाने का

उपाय न किया कुछ इनाम देगा अथवा दिलावेगा अथवा दे
ने का उद्योग करेगा अथवा देने को राज़ी होगा अथवा कोई व
स्तु फेर देगा उसको कदाचित् वह अपराध वध के दंड योग्य हो

कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो-

दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जि
सकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया
जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह
अपराध जन्मभर के देशनिकाले अथवा दस बरस तक क़ैद के

कदाचित् अपराध जन्मभर के देशनिकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य होगा

दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी
प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन
बरस तक हो सकेगी किया जायगा औ
र जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा
हो कि उसके दंड की म्याद् दस बरस तक न हो सके तो दंड दोनों
में से किसी प्रकार की क़ैद का जैसी कि उस अपराध के लिये ठ
हराई गई हो किसी म्याद को जो उस अपराध के लिये ठहरा
ई हुई बढ़नी से बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा
जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छूट - दफ़ा २१३ और २१४ के नियम किसी ऐसे मुक़द्दमे
से संबंध न रक्खेंगे जिस में किसी काम का करना ही अपराध
हो चाहे करनेवाले का प्रयोजन उसके करने से हो चाहे न हो
और उस काम के बदले हानि पहुंचने वाला मनुष्य दीवानी
में नालिश कर सकता हो ॥

उदाहरण

(अ) ऐपदनने यज्ञदत्त पर मार डालने के प्रयोजन से उँधेरा किया तो
यहां अपराध केवल उँधेरा ही बिना मार डालने के प्रयोजन के नहीं है
इसलिये ऐनाराफरमा [illegible] मानें न और न राज़ीनामे के योग्य [illegible]

(३) देवदत्त ने यज्ञदत्त पर उठैया किया तो यहां केवल उठैया करना ही अपराध है उठैया करने वाले के प्रयोजन से कुछ मन हो और यह बात भी है कि ऐसे उठैये की नालिश यज्ञदत्त दीवानी में कर सक्ता है इस लिये यह मुक़द्दमा इस छूट में गिना जायगा और राज़ीनामे के भी योग्य होगा -

(४) देवदत्त ने अपनी स्त्री के जीते जी अपना दूसरा विवाह करने का अपराध किया तो यहां अपराधी दीवानी की नालिश के योग्य नहीं है इसलिये राज़ीनामा न हो सकेगा -

(५) देवदत्त ने किसी सौभाग्यवती स्त्री के साथ व्यभिचार किया तो इस अपराध में राज़ीनामा हो सकेगा -

इनाम लेना चोरी इत्यादि का माल निकालने में सहायता देने के बदले

२१५- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को कुछ ऐसा माल असबाब जो इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने योग्य किसी अपराध के द्वारा उस के पास से जाता रहा हो फिर पाने में सहायता देने के मिस से अथवा सहायता देने के बदले कुछ इनाम लेगा अथवा लेने को राजी होगा अथवा स्वीकार करेगा उस को कदाचित् वह अपने वश भर अपराधी को पकड़ाने अथवा उस पर अपराध साबित कराने के लिये उपाय न करेगा तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा -

आश्रय देना किसी अपराधी को जो बंध से भाग गया हो अथवा जिस के पकड़ने की आज्ञा हो चुकी हो

२१६- जब कभी कोई मनुष्य जिस के ऊपर कोई अपराध साबित हो चुका हो अथवा लगाया गया हो और उस अपराध के बदले क़ानून अनुसार बांध में हो उस बंदि से भाग जाय अथवा जब कभी कोई

सर्व संबंधी नौकर अपने ओहदे का नीति पूर्वक अधिकार वर्त्तने में किसी अपराध के बदले किसी मनुष्य के पकडे जाने की आज्ञा दे दे तो जो कोई मनुष्य उस मनुष्य का भाग जाना अथवा उसके पकडे जाने की आज्ञा का होना जान बूझ कर उस को आश्रय देगा अथवा छुपावेगा इस प्रयोजन से कि उसका पकडा जाना रूक जाय उस को दंड इस भांति दिया जायगा कि कदाचित् वह अपराध जिस के बदले भाग जाने वाला बंधि में था अथवा पकडा जाने को था वध के दंड यो-

कदाचित् अपराध वधके दंड योग्य हो

ग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बर्स तक हो सके गी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा दस वर्ष

कदाचित् अपराध जन्म भर के देश निकाले अथ वा कैद के योग्य हो-

की कैद के दंड योग्य हो तो दंड दोनो में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने किया जायगा कदाचित वह अपराध ऐसा हो कि उस के दंड की म्याद दस बरस तक नहीं एकही बरस तक हो सकती हो तो दंड उसी प्रकार की कैद का जैसी कि उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई बढती से बढती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छूट – यह नियम उस मुकद्दमे से संबंध न रक्खेगा जिसमें आश्रय देने वाला अथवा छुपाने वाला उस मनुष्य को जो पकडे जाने के योग्य है जोरू अथवा खसम हो –

सर्व संबंधी नौकर होकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा किसी माल को जप्ती से बचाने के प्रयोजन से किसी नीति पूर्वक आज्ञा को न माने

२१७-जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर किसी मनुष्य को नीति पूर्वक दंड से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जान कर अथवा जितना दंड उस मनुष्य को हो सकता हो उतने से कमती कराने के प्रयोजन से अथवा कमती होना अति संभवित जानकर अथवा किसी माल को जप्ती से या दूसरी किसी कानून पूर्वक दूस्तत से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर अपने ओहदे का काम भुगताने की रीति के मध्ये कानून की आज्ञा को जानबूझकर उल्लंघन करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा॥

सर्व संबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा माल को जप्ती से बचाने के प्रयोजन से कोई लिखतम अशुद्ध बनावे अथवा लिखे

२१८-जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और सर्व संबंधी नौकर होने के कारण किसी कागज अथवा लिखतम के तैयार करने का काम पाकर उस कागज अथवा लिखतम को किसी ऐसी रीति से जिसको वह अशुद्ध जानता हो सबको अथवा किसी एक मनुष्य को हानि अथवा नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा पहुंचाना अति संभवित जानकर अथवा किसी मनुष्य को कानून अनुसार दंड से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर अथवा किसी माल को कानून अनुसार जप्ती अथवा और किसी दूस्तत से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर

बनावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा —

२१९ – जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर कुप्रयोजन से अथवा ईर्षा से किसी अदालती मामले की किसी अवस्था में कोई रिपोर्ट अथवा आज्ञा अथवा डिग्री अथवा फैसला जिसको वह जानता हो कि क़ानून के विरुद्ध है देगा अथवा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा ॥

सर्व संबंधी नौकर जो कुप्रयोजन से किसी न्याय संबंधी कारवाई में कोई ऐसी आज्ञा अथवा रिपोर्ट इत्यादि करे जिसको वह जानता हो कि क़ानून से विरुद्ध है

२२० – जो कोई मनुष्य किसी ऐसे ओहदे पर होकर जिससे उसको अधिकार किसी मनुष्य को क़ैद करने अथवा न्याय के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपने अथवा क़ैद में रखने का हो किसी को कुप्रयोजन से अथवा ईर्षा से क़ैद में भेजेगा अथवा न्याय के लिये सौंपेगा अथवा क़ैद में रक्खेगा यह जानबूझकर कि इस काम को मैं क़ानून के विरुद्ध करता हूं उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्य को बंधि में रक्खे अथवा तजवीज़ के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपे यह जानबूझकर कि यह मैं क़ानून के विरुद्ध करता हूं

२२१ – जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर हो और उस पर सर्व संबंधी नौकर होने के कारण पकड़ना अथवा

निस सर्व संबंधी नौकरपर किसी को पकड़ना कानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जानबूझ कर चूक होनी

कैद में रखना किसी मनुष्य का जो किसी अपराध में फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो कानून अनुसार अवश्य हो वह कदाचित् जानबूझकर उस मनुष्य के पकड़ने से चूकेगा अथवा जानबूझकर उसको कैद से भाग जाने देगा अथवा जानबूझकर उसको भागने में या भागने का उद्योग करने में सहायता देगा उसको दंड इस रीति से किया जायगा कि जब वह मनुष्य जो कैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड वध हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो कैद में था अथवा जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड जन्मभर का देशनिकाला अथवा दस बरस तक की क़ैद हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो कैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड दस बरस से कम तीम्याद की क़ैद हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने के होगा ॥

२२२—जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर हो और उस पर सर्व संबंधी नौकर होने के कारण पकड़ना अथवा कैद में रखना किसी मनुष्य का जिसको किसी अपराध में किसी अदालत से दंड की आज्ञा हो चुकी हो कानून अनुसार अवश्य हो, वह कदाचित् उस मनुष्य को पकड़ने से जान बूझकर चूकेगा अथवा जान बूझकर उसको कैद से भाग जाने देगा अथवा जान बूझकर उसको भाग जाने में अथवा भाग जाने का उद्योग करने में सहायता करेगा उसको दंड इस रीति से किया जायगा कि जब वह मनुष्य जो कैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था वध के दंड की आज्ञा पा चुका हो तो दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद चौदह बरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने होगा अथवा

(जिस सर्व संबंधी नौकर पर पकड़ना किसी मनुष्य को जिस पर दंड की आज्ञा किसी अदालत से हो चुकी हो कानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जान बूझकर चूकना।)

जब वह मनुष्य जो कैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी अदालत की आज्ञानुसार अथवा आज्ञा के बदले दंड जन्म भर के देश निकाले अथवा जन्म भर के दंड सेवा अथवा दस बरस तक या दस बरस से ऊपर के देश निकाले अथवा दंड सेवा अथवा कैद का पा चुका हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बर्ष तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो कैद में था अथवा जिसका पकड़ना

उचित था किसी अदालत की आज्ञानुसार दंड दस बरस से कम तो म्याद का पा चुका हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का होगा ॥

२२३- जो कोई मनुष्य सर्वसंबंधी नौकर हो और उसपर सर्वसंबंधी नौकर होने के कारण क़ैद में रखना किसी मनुष्य का जो किसी अपराध में फंसा हो अथवा जिसके ऊपर अपराध साबित हो चुका हो कानून अनुसार अवश्य हो वह कदाचित् अपनी असावधानी से उस मनुष्य को क़ैद से भाग जाने देगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकै गी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जो सर्वसंबंधी नौकर अपनी असावधानी से किसी को बंध से भाग जाने दे—

२२४- जो कोई मनुष्य किसी अपराध में जो उस पर लगा [illegible] अथवा जो उसपर साबित [illegible] अपने पकडे जाने में कुछ अनीति सामना अथवा रोक जान बूझकर करेगा अथवा जिस बंधि में वह उसी अपराध के बदले कानून अनुसार क़ैद रक्खा गया हो उस में से भाग जायगा अथवा भागने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा

[illegible] सामना अथवा रोक होनी

विवेचना- इस दफ़ा का दंड उस दंड के सिवाय होगा जिसके योग्य वह मनुष्य जो पकडा जाने को था उस अपराध के बदले हो जो उसके ऊपर लगाया गया अथवा जो उसपर सा

वितकृष्णा हो ॥

२२५- जो कोई मनुष्य किसी अपराध में किसी दूसरे मनुष्य

किसी दूसरे मनुष्य के नीति पूर्वक पकड़े जाने में सामना अथवा रोक करना-

के कानून अनुसार पकडे जाने में जान बूझकर अनीति सामना अथवा रोक करेगा अथवा किसी दूसरे मनुष्य को किसी बंधि से जिस में वह किसी अपराध के बदले क़ानून अनुसार रक्खा गया हो ज़बरदस्ती छुड़ावेगा अथवा छुड़ाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा।

अथवा जब वह मनुष्य जो पकडे जाने को था अथवा जो छुड़ा लिया गया अथवा जिसके छुड़ाने का उद्योग किया गया किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड जन्मभर का देशनिकाला अथवा दस बरस तक म्याद की क़ैद हो फंसा हो अथवा पकडे जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ा जाने को था अथवा जो छुड़ा लिया गया अथवा जिस के छुड़ाने का उद्योग किया गया किसी ऐसे अपराध में जिस का दंड वध हो फंसा हो अथवा पकडे जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा।

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ा जाने को था अथवा जो छुड़ा लिया गया अथवा जिसके छुड़ाने का उद्योग किया गया

किसी अदालत की आज्ञा अनुसार अथवा उस दंड के कारण जो उस आज्ञा के वदले ठहराया गया आज्ञा जन्मभर के देशनिकाले की अथवा दस वरस तक या उस से अधिक म्याद के देशनिकाले की अथवा दस वर्ष या उस से अधिक म्याद केवल कैद की पा चुका हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

अथवा जब वह मनुष्य जो पकडा जाने को था अथवा जो छुडालिया गया अथवा जिसके छुडाने का उद्योग किया गया वध के दंड की आज्ञा पा चुका हो तो दंड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस वरस से अधिक न होगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

२२५-(अ)-जो कोई मनुष्य किसी वंधि से जिसमें वह फौजदारी के ज़ाब्ते के संग्रह के अनुसार अच्छे चाल चलन की जमानत दाखिल करने के प्रयोजन से कानून अनुसार रक्खा गया हो भाग जाय अथवा भागजाने का उद्योग करे तो उसको दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकती हो किया जायगा अथवा जुरमाना अथवा दोनों का दंड किया जायगा॥

(हाशिया: वंधि से भागना ऐसे मनुष्य का जिससे क़ानून अनुसार जमानत मांगी गई हो)

२२६-जो कोई मनुष्य कानून अनुसार देशनिकाले का दंड पा चुका हो वह कदाचित् ठहराई हुई म्याद भुगत जाने से पहले अथवा अपना दंड माफ किये जाने विना लौट आवेगा उसको दंड जन्मभ

(हाशिया: अनीति रीति से देशनिकाले से लौट आना)

के देश निकाले का किया जायगा और जरीमाने के भी यो ग्य होगा और देश निकाला होने से पहिले किसी म्याद को जो तीन बरस से अधिक न होगी कठिन कैद में रक्खा जायगा॥

२२७- जो कोई मनुष्य कुछ क़ौल करार करके अपना दंड माफ करा चुका हो वह कदाचित् जान बूझकर उस कौल करार को तोडेगा तो उसको कदाचित् उस दंड का कुछ भाग भुगतन लिया हो वही दंड जो पहिले दिया गया था दिया जायगा और कदाचित् उस दंड का कोई भाग भुगत चुका हो तो दंड उतनाही जितना कि बिना भुगता रहा हो किया जायगा।

दंड के माफी का कौल करार तोडना-

२२८- जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी सर्व संबंधी नोकर को अपमान करेगा अथवा उस के काम में विघ्न डालेगा उस समय जबकि वह न्याय संबंधी मामले की किसी अवस्था में स्थित हो उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

जानबूझकर अपमान करना किसी सर्व संबंधी नोकर का अथवा विघ्न डालना उसके काम में जब कि वह किसी न्याय के मामले की किसी अवस्था में उपस्थित हो-

२२९- जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बन कर अथवा और किसी भांति किसी मुक़द्दमे में जिस में वह जानता हो कि कानून अनुसार उसको पंच अथवा असेसर की भांति सोगंद करने अथवा पंचों या असेसरों में नाम लिखाने या दाखिल होने के

झूठा मिसकर के पंच अथवा असेसर बनना-

अधिकार नहीं है जान बूझ कर पंच अथवा असेसर की भांति सौगंद करेगा अथवा नाम लिखायेगा अथवा दाखिल होगा अथवा इन कामों में से कोई काम होने देगा अथवा यह वा न मालूम करके कि क़ानून के विरुद्ध मुझसे इस प्रकार की सौगंद ली गई है अथवा मेरा नाम लिख गया है अथवा दाख़िल हो गया है उस पंचायत में जान बूझ कर बैठेगा अथवा असेसर बनेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अध्याय १२

सिक्कों और गवर्नमेंट के स्टाम्प संबंधी अपराधों के विषय में

२३० - सिक्का वह धातु है जो कि मौजूद होने के समय द्रव्य की भांति काम में आवे और किसी सर्व संबंधी अथवा उस समय के राजा की आज्ञा से इस प्रकार प्रचलित होने के लिये मुहर किया और जारी किया गया हो ॥

सिक्का

जो सिक्का श्री मती महारानी की आज्ञा से अथवा हिंद की गवर्नमेंट अथवा किसी हाते की गवर्नमेंट अथवा श्री मती महारानी के राज्य के किसी देश की गवर्नमेंट की आज्ञा से ठप्पा किया और जारी किया गया हो श्री मती   अगा

श्री मती महारानी का सिक्का

(१) कौड़ी सिक्का नहीं है -

(२)

द्रव्य की

(३) तगमे सिक्का नहीं हैं क्योंकि वे द्रव्य की भांति काम में आने के प्रयोजन से नहीं बनाये जाते।

(२) सिक्का जो कम्पनी का रुपया कहलाता है श्री मती महारानी का सिक्का है॥

२३१- जो कोई मनुष्य खोटा सिक्का बनावेगा अथवा खोटा सिक्का बनाने के कामों में से जानबूझ कर कोई काम करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

खोटा सिक्का बनाना

विवेचना— जो कोई मनुष्य धोखा देने के प्रयोजन से अथवा यह जानबूझकर कि इस से धोखा देना अति संभवित होगा किसी खरे सिक्के को दूसरे सिक्के के सदृश करेगा वह इस अपराध का करनेवाला होगा॥

२३२- जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी का सिक्का खोटा बनावेगा अथवा खोटा बनाने के कामों में से कोई जान बूझकर करेगा उस को दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बर्स तक हो सकेगी दिया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

श्री मती महारानी का खोटा सिक्का बनाना

२३३ जो कोई मनुष्य कुछ ठप्पा अथवा औज़ार खोटा सिक्का बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझ कर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा सिक्का बनाने के निमित्त काम में आने के प्रयोजन से है बनावेगा अथवा सुधारेगा अथवा बनाने या सुधारने के कामों में से कोई

खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाना अथवा बेचना-

काम करेगा अथवा मोल लेगा या बेचेगा या किसी को दे देगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

२३४ – जो कोई मनुष्य किसी ठप्पा अथवा औज़ार श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जानबूझकर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह श्री मती महारानी का खोटा सिक्का बनाने के निमित्त काम में आने के प्रयोजन से है बनावेगा या सुधारेगा अथवा बनाने या सुधारने के कामों में से कोई काम करेगा अथवा मोल लेगा या बेचेगा या उस को किसी को देदेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

श्री मती महारानी का खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाना अथवा बेचना –

२३५ – जो कोई मनुष्य औज़ार अथवा सामान खोटा सिक्का बनाने के निमित्त अथवा यह जानबूझकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह औज़ार अथवा सामान इस निमित्त काम में आने के प्रयोजन से है अपने पास रक्खेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह सिक्का जो बनाया जाने को हो श्री मती महारानी का सिक्का हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस

पास रखना औज़ार अथवा सामान इस प्रयोजन से कि खोटा सिक्का बनाने के लिये काम आवे –

की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरी
माने के भी योग्य होगा ॥

२३६ – जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य में रह
कर हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य के बाहर
खोटा सिक्का बनाने में सहायता देगा उस
को दंड उसी भांति दिया जायगा मानो
उसने हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य के भीतर खोटा सिक्का ब
नाने में सहायता दी ॥

हिन्दुस्तान के बाहर खोटा सिक्का बनाने के लिये हिन्दुस्तान में सहायता देनी

२३७ – जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य के भी
तर कोई खोटा सिक्का बाहर से लावे
गा अथवा बाहर ले जायगा यह
बात जानबूझकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर
कि यह खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद
का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा
और जरीमाने के भी योग्य होगा—

खोटे सिक्के को बाहर भेजना अथवा भीतर लाना

२३८ – जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य के
भीतर कोई खोटा सिक्का बाहर से ले
वेगा अथवा बाहर ले जायगा यह बात
जानबूझकर अथवा निश्चय मानने का
हेतु पाकर कि यह खोटा सिक्का श्री मती महारानी का है उ
स को दंड जन्म भर के देश निकाले का अ[illegible]
सी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद ८ [illegible]
के गी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

श्री मती महारानी के खोटे सिक्के को बाहर ले जाना अथवा भीतर लाना

२३९ – जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा खोटा सि
क्का रखता हो जिसको उसने अपने पास आने के समय

देना किसी मनुष्य को कोई सिक्का जो खोटा जान बूझ कर पास रक्खा गया हो

खोटा जान लिया हो वह कदाचित् छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से उस सिक्के को किसी मनुष्य को देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

देना श्री मती महारानी के सिक्के का जो खोटा जान बूझ कर पास रक्खा गया हो

२४०— जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा खोटा सिक्का रखता हो जो श्री मती महारानी का खोटा सिक्का हो और जिस को उसने अपने पास आने के समय जान लिया हो कि यह श्री मती महारानी का खोटा सिक्का है वह कदाचित् छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से उस सिक्के को किसी मनुष्य को देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

खरे सिक्के की भांति देना किसी मनुष्य को कोई सिक्का जिस को देने वाले ने अपने पास आने के समय खोटा न जाना हो—

२४१— जो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खरे की भांति कोई खोटा सिक्का जिस को वह जानता हो कि यह खोटा है परंतु जिस समय वह सिक्का उस के पास आया हो उस समय उसने खोटा न जाना हो देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी

प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरसतक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो उस खोटे सिक्के के मोल के दसगु ने तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

देवदत्त किसी सराफ ने कम्पनी के खोटे रूपये अपने साझी यज्ञदत्त को चलाने के निमित्त दिये और यज्ञदत्त ने वे रुपये हरदत्त एक और सराफ को वेचे और हरदत्त ने यह जानबूझ कर कि ये खोटे हैं मोल ले लिये फिर हरदत्त ने वे रूपये गंगादत्त को जिन्स के वदले दिये और गंगा दत्त ने खोटे न जानकर ले लिये और लेलेने से पीछे गंगादत्त ने जान लिया कि ये रूपये खोटे हैं परंतु फिरभी खरे की भांति कहीं चला दिये तो यहां गंगादत्त केवल इसी दफ़ा के अनुसार दंड के योग्य होगा परंतु यज्ञदत्त और हरदत्त दफ़ा २३९ अथवा २४० के अनुसार जैसी अवस्था हो दंड पावेगे—

२४२- जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा छलछिद्र कि ये जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा खोटा सिक्का अपने पास रक्खेगा जिसको उसने अपने पास आने के समय जान लिया हो कि खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीनवरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसको खोटा जान लिया हो.

२४३- जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा छलछिद्र कि ये जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा खोटा सिक्का अपने पास रक्खेगा जो श्री मती महारानी का खोटा सिक्का हो और जिसको उसने अपने पास आने के समय जान लिया हो

श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय खोटा जाना हो

कि यह खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और ज़रीमाने के भी योग्य होगा॥

२४४ - जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य में क़ानून अनुसार ठहराई हुई किसी टकसाल में नौकर होकर कुछ काम इस प्रयोजन से करेगा अथवा जिस काम का करना उस पर क़ानून अनुसार अवश्य है उसके करने से चूकेगा कि किसी सिक्के को जो उस टकसाल से निकले क़ानून अनुसार ठहराई हुई तोल अथवा ठहराई हुई धातु से दूसरी तोल अथवा धातु का बनाया जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और ज़रीमाने के भी योग्य होगा -

(जो मनुष्य टकसाल में नौकर होकर कोई सिक्का क़ानून अनुसार ठहराई हुई तोल अथवा धातु से दूसरी तोल अथवा धातु का बनवावे-)

२४५ - जो कोई मनुष्य बिना नीति पूर्वक अधिकार के सिक्का बनाने का कोई औज़ार अथवा लोहर किसी टकसाल से जो हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य में नीति पूर्वक ठहराई गई हो ले जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और ज़रीमाने के भी योग्य होगा॥

(अनीति रीति से ले जाना किसी टकसाल से सिक्का बनाने का कोई औज़ार)

२४६ - जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा बेधर्मई से किसी सिक्के के मध्ये कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उस सिक्के की तोल घट जाय अथवा जिन वस्तुओं से वह बना हो बदल जाय उसको दंड दोनों

(छलछिद्र से सिक्के की तोल घटाना अथवा धातु बदलना)

में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरसतक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

विवेचना— कोई मनुष्य जो किसी सिक्के में से कुछ अंश कोल कर निकाल ले और खाली ठौर में कुछ और वस्तु रख दे तो कहा जायगा कि उस ने उस सिक्के की धातु बदली

२५७— जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा वेधर्मई से

छलछिद्र से श्री मती महारानी के सिक्के की तोल घटाना अथवा धातु बदलना —

श्री मती महारानी के किसी सिक्के के मध्ये कुछ ऐसा काम करेगा जिस से उस सिक्के की तोल घटजाय अथवा जिन वस्तुओं से वह बना हो वह बदलजाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरसतक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य हो॥

२५८— जो कोई मनुष्य किसी सिक्के पर कुछ ऐसा काम जि

रूप बदलना किसी सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाया जाय

ससे उस सिक्के का रूप पलट जाय इस प्रयोजन से करेगा कि वह सिक्का किसी दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलजाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

२५९— जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी के किसी सिक्के

रूप बदलना श्री मती महारानी के सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चले

पर कुछ ऐसा काम जिस्से उस सिक्के का रूप पलट जाय इस प्रयोजन से करेगा कि वह सिक्का किसी दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलजाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी कि

जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा।

२५०—जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा सिक्का जिसके मध्ये दफा २४६ अथवा २४८ में लक्षण किया ऊआ अपराध ऊआ हो रखकर और जिस समय वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह बात जानबूझकर कि वही अपराध इसके मध्ये हो चुका है उस सिक्के को छलछिद्र से अथवा छलछिद्र किया जाने के प्रयोजन से किसी दूसरे मनुष्य को देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

(दूसरे को कोई सिक्का पास आने के समय जान लिया हो कि बदला ऊआ है)

२५१—जो कोई मनुष्य अपने पास श्रीमती महारानी का कोई ऐसा सिक्का जिसके मध्ये दफा २४७ अथवा २४९ में लक्षण किया ऊआ अपराध ऊआ हो रखकर और जिस समय वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह बात जानबूझकर कि वही अपराध इसके मध्ये हो चुका है उस सिक्के को छलछिद्र से अथवा छलछिद्र किया जाने के प्रयोजन से किसी दूसरे मनुष्य को देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

(किसी मनुष्य को श्रीमती महारानी का कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि बदला ऊआ है)

२५२—जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा छलछिद्र

होना बदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जान लिया हो कि बदला हुआ है	किये जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा सिक्का जिसके मध्ये दफा २४६ अथवा २४८ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो अपने पास आने के समय

यह बात जान बूझकर रक्खेगा कि इसके मध्ये वह अपराध हो चुका है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

२५३ – जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये

होना श्री मती महारानी के बदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जान लिया हो कि बदला हुआ है	जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा सिक्का जिसके मध्ये दफा २४७ अथवा २४९ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो अपने पास आने के समय यह

बात जान बूझकर रक्खेगा कि इसके मध्ये वह अपराध हो चुका है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

२५४ – जो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खरे सिक्के

खरे सिक्के की भांति देना किसी को कोई ऐसा सिक्का जिसको देने वाले ने अपने पास आने के समय बदला हुआ न जाना हो	की भांति अथवा जिस प्रकार का वह हो उससे दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति कोई सिक्का जिसके मध्ये दफा २४६ अथवा २४७ अथवा २४८ अथवा २४९

में वर्णन किया हुआ काम किया गया हो परंतु उसने अपने पास आने के समय यह न जाना हो कि इसके मध्ये वह काम हो चुका है देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने

का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद
का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने
का जो उस बदले ऊए अथवा बदलने का उद्योग किये ऊए
सिक्के के मोल के दस गुने तक हो सकेगा किया जायगा -

गवर्नमेंट का स्टाम्प खोटा बनाना -

२५५ - जो कोई मनुष्य किसी ऐसे स्टाम्प को जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो खोटा बनावेगा अथवा जानबूझकर खोटा बनाने के कामों में से कोई काम करेगा उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

विवेचना - जो कोई मनुष्य एक प्रकार के सच्चे स्टाम्प को दूसरे प्रकार के सच्चे स्टाम्प के सदृश होने के लिये बनावेगा इस अपराध का करने वाला कहलावेगा ॥

गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प बनाने के लिये औज़ार अथवा सामान पास रखना

२५६ - जो कोई मनुष्य अपने पास कोई औज़ार अथवा सामान कोई ऐसा स्टाम्प जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो झूठा बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जानबूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह झूठा स्टाम्प बनाने में काम आने के प्रयोजन से है रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

२५७ - जो कोई मनुष्य कुछ औज़ार ऐसा स्टाम्प जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो झूठा

बनाना अथवा बेचना ओज़ार का कोई खोटा गवर्नमेंट का स्टाम्प बनाने के निमित्त

बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझ कर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह ऐसा स्टाम्प बनाने में काम आने के प्रयोजन से है बनावेगा अथवा बनाने के कामों में से कोई काम करेगा अथवा मोल लेगा अथवा बेचेगा अथवा किसी को दे देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

२५८ — जो कोई मनुष्य कोई ऐसा स्टाम्प जिसको वह जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो

गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प बेचना -

कि यह खोटा किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है बेचेगा अथवा बेचने के लिये रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

२५९ — जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा स्टाम्प जिसको

गवर्नमेंट का खोटा स्टाम्प पास रखना -

वह जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह खोटा किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है अपने पास रक्खेगा इस प्रयोजन से कि उसको सच्चे स्टाम्प की भांति काम में लावे अथवा किसी को दे अथवा इसलिये कि वह सच्चे स्टाम्प की भांति काम में आवे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

२६०॥ जो कोई मनुष्य सच्चे की भांति किसी ऐसे स्टाम्प के

सच्चे स्टाम्प की भांति काम में लाना गवर्नमेंट के किसी स्टाम्प को जो जान लिया हो कि झूठा है

काम में लावेगा जिसको वह जानता हो कि यह खोटा किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

गवर्नमेंट का नुकसान करने के प्रयोजन से मिटाना किसी लेख का किसी वस्तु से जिसपर गवर्नमेंट का कोई स्टाम्प लगा हो अथवा दूर करना किसी लिखतम से किसी स्टाम्प का जो उसके लिये लगा था अथवा ...

२६१– जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा गवर्नमेंट का नुकसान करने के प्रयोजन से किसी वस्तु से जिस पर कोई ऐसा स्टाम्प लगा हो जो गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो किसी लेख को अथवा लिखतम को जिस के लिये वह स्टाम्प काम में आया हो दूर करेगा अथवा मिटावेगा अथवा किसी लेख या लिखतम से कोई स्टाम्प जो उस लेख या लिखतम के लिये काम में आया हो इस प्रयोजन से दूर करेगा कि वह स्टाम्प किसी दूसरे लेख अथवा लिखतम के लिये काम में आवे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा दोनों का किया जायगा ॥

काम में लाना गवर्नमेंट के किसी स्टाम्प को जो जान लिया गया हो कि आगे काम में आ चुका है

२६२– जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा गवर्नमेंट का नुकसान करने के प्रयोजन से किसी निमित्त कोई ऐसा स्टाम्प काम में लावेगा जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो और

जिसको वह जानता हो कि आगे काम में आचुका है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

२६३-जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा गवर्नमेंट को नुक़सान करने के प्रयोजन से किसी स्टाम्प से जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो कोई चिन्ह जो उस स्टाम्प पर यह बात जानने के लिये कि वह काम में आचुका है लगाया गया अथवा छापा गया हो छीलेगा अथवा दूर करेगा अथवा किसी ऐसे स्टाम्प को जिस पर से वह चिन्ह छील डाला गया अथवा दूर किया गया हो अपने पास रक्खेगा अथवा बेचेगा अथ देडालेगा अथवा किसी स्टाम्प को जिसको वह जानता हो कि पहिले कबेर काम में आचुका है बेचेगा अथवा देडालेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मिटाना किसी चिन्ह का जिस्से जाना जाय कि स्टाम्प काम में आचुका है-

अध्याय १३

नापतोल संबंधी अपराधों के विषय में

२६४-जो कोई मनुष्य छलछिद्र से तोलने के किसी औज़ार को जिसको वह जानता हो कि झूठा है काम में लावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का

छलछिद्र से काम में लाना तोलने के किसी झूठे औज़ार

छलछिद्र से काम में लाना किसी झूंठे बाट का या नाप का

२६५ – जो कोई मनुष्य छलछिद्र से किसी झूंठे बांट अथवा लंबाई जांचने के नाप को अथवा नापने के पात्र को काम में लावेगा अथवा छल छिद्र से किसी बांट अथवा लंबाई जांचने के नाप को अथवा नापने के पात्र को जितना कि वह है उससे कमती बढ़ती तोल अथवा नाप की भांति काम में लावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा।

झूंठे बांट अथवा नाप अपने पास रखने

२६६ – जो कोई मनुष्य किसी तोलने के औज़ार को अथवा बाटको अथवा लंबाई जांचने के नाप को अथवा नापने के पात्र को जिसको वह जानता हो कि झूंठा है इस प्रयोजन से अपने पास रक्खेगा कि वह छलछिद्र से काम में आवे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

झूंठे बांट अथवा नाप बनाने अथवा बेंचने

२६७ – जो कोई मनुष्य कुछ तोलने का औज़ार अथवा बांट अथवा लंबाई जांचने का नाप अथवा नापने का पात्र जिसे वह जानता हो कि झूंठा है इस प्रयोजन से बनावेगा अथवा बेंचेगा अथवा किसी को दे देगा कि वह सच्चे की भांति काम में आवे अथवा वह बात जानबूझकर कि उसका सच्चे की भांति काम में आना अति सम्भवित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अध्याय १४

सर्वसंबंधी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता और सुलज्जता और सज्जनता और सुशीलता में विघ्न डालने वाले अपराधों के विषय में

२६८ – वह मनुष्य सर्व संबंधी बाधा का अपराधी होगा जो किसी ऐसे काम अथवा कानून विरुद्ध चूक का अपराधी हो जिस्से सबको अथवा आस पास के रहने वालों को अथवा आस पास के मिलकियत रखने वालों को हानि अथवा विपत्ति अथवा कलेश पहुंचे अथवा जिससे उस स्थान पर कुछ सर्व संबंधी अधिकार वर्तने के लिये आने जाने वाले मनुष्यों को हानि अथवा रोक अथवा विपत्ति अथवा कलेश पहुंचना अवश्य हो॥

सर्वसम्बंधी बाधा

कोई सर्व दुःखदाई काम इसी हेतु से कि उससे कुछ लाभ अथवा सुगमता होती है माफ न किया जायगा॥

२६९ – जो कोई मनुष्य अनीति से अथवा असावधानी से कोई ऐसा काम करेगा जो फैलाने वाला किसी जीव जोखिम के रोग का हो अथवा जिसको वह जानता हो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि इस्से फैलना किसी जोखिम के रोग का अति संभवित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी या जर्माने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

असावधानी किसी काम में जिस्से फैलना किसी जोखिम के रोग का अति संभवित हो॥

२७० – जो कोई मनुष्य दुर्भाव से कोई ऐसा काम करेगा जो

भाव का काम जिससे फै...ना जीव जोखिम के रो...का अति सम्भावित हो।

फैलाने वाला किसी जीव जोखिम के रोग का हो अथवा जिसको वह जानता हो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि इस फैलना किसी जीव जोखिम के रोग का अति संभावित है उसको दड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

किसी कारनटीन आज्ञा को न मानना—

२७१— जो कोई मनुष्य किसी आज्ञा को जो हिन्द की गवर्नमेंट ने अथवा और किसी गवर्नमेंट ने जहाज को कारनटीन की अवस्था में रखने के लिये अथवा कारनटीन अवस्था के जहाज के किनारे पर अथवा दूसरे जहाजों के पास आने जाने के विषय में अथवा जिन स्थानों में छूने से फैलने वाला कोई रोग प्रबल हो उनके मनुष्यों की आवाजाई दूसरे स्थानों में होने के मध्ये नियत की और चलाई हो जान बूझकर न मानेगा उसको दड दोनों में से किसी प्रकार कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा—

खाने अथवा पीने की वस्तु जो बेचने के लिये हो उसमें मिलावट करनी—

२७२— जो कोई मनुष्य खाने अथवा पीने की किसी वस्तु में कुछ ऐसी मिलावट जिससे वह वस्तु खाने अथवा पीने के लिये निकाम हो जाय इस प्रयोजन से करेगा कि उस वस्तु को खाने अथवा पीने के लिये बेचे अथवा वह जान बूझकर कि उसका खाने अथवा पीने के लिये बेचा जाना अति सम्भावित है उसे दड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रुपये तक

सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

२७३—जो कोई मनुष्य खाने अथवा पीने के लिये कोई ऐसी वस्तु जो निकाम की गई हो अथवा होगई हो अथवा खाने या पीने के योग्य नहीं हो यह बात जान बूझकर अथवा निश्चय माने का हेतु पाकर बेंचेगा अथवा बेंचने के लिये सामने रक्खेगा कि यह वस्तु खाने अथवा पीने के लिये निकाम है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

बेंचना खाने अथवा पीने की वस्तु का जो ज्यान पहुंचने वाली हो॥

२७४—जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनी औषधि में कुछ ऐसी मिलावट जिस्से उस औषधि का गुण घटि जाय अथवा बदल जाय अथवा वह निकाम होजाय इस प्रयोजन से करेगा कि वह बिना मिलावट की औषधि की भांति बेंची जाय अथवा काम में लाई जाय अथवा यह जानबूझकर कि उसका इस भांति बेंचा या काम में लाया जाना अति सम्भवित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

औषधि में मिलावट करनी

२७५—जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनी हुई औषधि को यह बात जान बूझकर कि इसमें कुछ मिलावट ऐसी हुई है कि जिस्से इस का गुण घट गया है अथवा बदल गया है अथवा जिस्से यह निकम्मी होगई है बिना मिलावट की औषधि की भांति बेंचेगा अथवा

मिलावट की हुई औषधि का बेंचना

वेंचने के लिये सामने रक्खेगा अथवा किसी दवाई खाने से औषधि के काम के लिये देगा अथवा किसी ऐसे मनुष्य से जो जान्ता न हो कि इसमें मिलावट हुई है उसको औषधि के काम में लिवावेगा उसको दंड दोनों में किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

२७६—जो कोई मनुष्य किसी वनी हुई अथवा विना वनी हुई औषधि को जानबूझकर दूसरी वनी हुई अथवा विना वनी औषधि की भांति वेंचेगा अथवा वेंचने के लिये सामने रक्खेगा अथवा औषधि के लिये किसी दवाई खाने से देगा उसका दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रुपये तक होसकेगा अथ. दोनों का किया जायगा॥

वेंचना किसी औषधि को दूसरी औषधि के नाम से।

२७७—जो कोई मनुष्य किसी सर्वसम्बंधी कुआ नदी इत्यादि के अथवा कुंड के पानी को जानबूझकर विगाड़ेगा ऐसा कि वह पानी जिस काम में साधारण आता हो उस काम के योग्य जैसा था वैसा न रहे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रुपया तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

विगाड़ना किसी सर्वसंबंधी कुआ कुंड इत्यादि के पानी का

२७८—जो कोई मनुष्य किसी जगह की पवन को जानबूझकर विगाड़ेगा ऐसा कि वह आस पास के रहनेवाले अथवा काम काज करनेवाले...

पवन को अयोग्य आरोग्य के करना-

थवा गैल निकलने वाले मनुष्यों को आरोग्यता के लिये निकाम हो जाय उसको दंड जरीमाने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा किया जायगा ॥

२७९— जो कोई मनुष्य सब के आने जाने की किसी गैल में

सब के चलने की गैल में गाड़ी घोड़ा इत्यादि सवारी को बेसुध दौड़ना—

[illegible] गेली बेसुधी अथवा अनवधानी से दौड़ावेगा जिस्से मनुष्य की जीव जोखिम हो अथवा दूसरे मनुष्य को दुख अथवा हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा।

२८०—जो कोई मनुष्य किसी नाव को ऐसी बेसुधी अथवा अन

नाव को बेसुधि चलाना।

वधानी से चलावेगा जिस्से मनुष्य की जीव जोखिम हो अथवा दूसरे मनुष्य को दुःख अथवा हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा—

२८१—जो कोई मनुष्य [illegible] चिन्ह अथ [illegible] यह जान [illegible] से कोई [illegible] दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जाय—

१— [illegible] वस्तु को कहते हैं जो [illegible] रस्ता दिखलाने के लिये [illegible] में [illegible] रक्खी जाती है॥

पानी के रस्ता पहुंचाना किसी मनुष्य का भाड़े के लिये किसी ऐसी नाव से जो अतिवा की अथवा जोखिम की हो—

२८२—जो कोई मनुष्य अपने भाड़े के लिये किसी मनुष्य को जानबूझकर अथवा असावधानी से किसी नाव में जो ऐसी दशा में हो अथवा इतनी भारी हो कि उससे उस मनुष्य के जीव की जोखिम दिखाई पड़े पानी के रस्ते भेजेगा अथवा भिजवावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा—

जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्वसंबंधी गैल में अथवा नाव के मार्ग में—

२८३—जो कोई मनुष्य कुछ काम करके अथवा जो वस्तु उसके पास हो या उसको सौंपी गई हो उसकी चौकसी में चूक करके सब के चलने की गैल में अथवा नाव के चलने की गैल में किसी मनुष्य को जोखिम अथवा रोक अथवा हानि पहुंचावेगा उसको दंड जरीमाने का जो दो सौ रूपये तक हो सकेगा किया जायगा—

विष की किसी वस्तु के मध्ये असावधानी करना—

२८४—जो कोई मनुष्य किसी विषदार वस्तु के मध्ये कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करेगा जिस्से मनुष्य की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुःख या हानि पहुंचनी अति सम्भवित हो अथवा किसी विषदार वस्तु के मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस विषदार वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफ़ी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा

जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा -

२८५ - जो कोई मनुष्य अग्नि अथवा जलने वाली किसी वस्तु के मध्ये कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करेगा जिससे मनुष्य की जीवजोखिम हो या किसी मनुष्य को दुःख या हानि पहुंचने की आति सम्भवित हो अथवा अग्नि अथवा जलने वाली किसी वस्तु के मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उन अग्नि अथवा जलने वाली वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीवजोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगी अथवा दोनों का किया जायगा॥

अग्नि अथवा जलने वाली वस्तु के मध्ये असावधानी करना

२८६ - जो कोई मनुष्य अग्नि की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु के मध्ये कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करेगा जिससे मनुष्य की जीवजोखिम हो या किसी मनुष्य को दुःख या हानि पहुंचानी अति सम्भवित हो अथवा अग्नि की भांति उड़ने वाली किसी के मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस अग्नि की भांति उड़ने वाली वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों

अग्नि की भांति उड़नेवाली वस्तु के मध्ये असावधानी करना

ा किया जायगा-

२८७-जो कोई मनुष्य किसी कलके मध्ये कोई काम ऐसा बेध

किसी कलके मध्ये जो अपराधी अधिकार अथवा चोकसी हो असावधानी करना-

डक अथवा असावधानी से करेगा जिससे मनुष्यके जीनकी जोखिम होया किसी मनुष्यको दुःख या हानि पहुंचनी अतिसम्भवित हो अथवा किसी कलके मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चोकसी जो उसकलसे दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होनेका संदेह मिटानेके लिये काफी हो करनेसे चूकेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमानेका जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा-

२८८-जोकोई मनुष्य किसी मकानके गिराने अथवा मरम्म

मकानके गिराने अथवा मरम्मत करानेके विषयमें असावधानी करना-

त करनेमें जानबूझकर अथवा असावधानी करके उस मकानके मध्ये ऐसी चोकसी जो उसके गिरने से मनुष्यकी जीव जोखिम होनेका संदेह मिटाने के लिये काफी हो करनेसे चूकेगा उसको दंड दोनोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा-

२८९-जोकोई मनुष्य किसी पशु के मध्ये जो उसके पास

किसी पशुके मध्ये असावधानी करना-

हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चोकसी जो उस पशु से मनुष्यकी जीव जोखिम अथवा भारी दुःख होने का संदेह मिटाने के लिये काफी हो करनेसे चूकेगा उसको दंड

दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः मही
ने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रुपये
तक हो सकेगा अथवा दोनों किया जायगा—

२९१— जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दुःख दाई काम जो

सर्व दुःख दाई काम का दंड.

इस संग्रह के अनुसार और किसी भां
ति दंड के योग्य नहीं है करेगा उसको दंड जरीमाने का जो दो
सौ रुपये तक हो सकेगा किया जायगा—

२९२ जो कोई मनुष्य किसी सर्व दुःख दाई काम को फिर

बन्द करने की आज्ञा पाने से
पीछे भी सर्व दुःख दाई काम
को करते रहना—

करने अथवा करने रुक जाने की
आज्ञा किसी राज्य संसम्बन्धी नौकर
जिसको उस आज्ञा के देने का अधि
कार कानून अनुसार प्राप्त हो पाकर फिर भी करता रहेगा
अथवा करेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः
महीने तक हो सके अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कि
या जायगा—

२९३— जो कोई मनुष्य कोई निर्लज्जता की पोथी पुस्तक

बेचना इत्यादि निर्लज्जता की
पुस्तकों का—

अथवा कागज अथवा चित्र अथवा
विचित्र अथवा मूर्ति अथवा प्रतिमा
बेचेगा अथवा बांटेगा अथवा बेचने को या किराये पर बाहर
में लावेगा या छापेगा अथवा जान बूझकर सबके देखने की जग
ह पर रक्खेगा अथवा इन कामों का उद्योग करेगा या करने को
राज़ी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिसकी
म्याद तीन महीने हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दो
नों का किया जायगा—

छूट— यह दफ़ा किसी ऐसी तसवीर से संबंध न रक्खेगी जो

किसी मंदिरकेऊपर अथवा भीतर अथवा मूर्तिमा निकालने के रथ पर हो अथवा किसी मज़हब अर्थात् मतसंबंधी काम कालिये रक्खी गई हो या काममें आती हो चाहे वह मूर्तिकार कर वनी हो चाहे खुद कर और चाहे रंगदार हो चाहे और भांतिकी ॥

२९३ — जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसी निर्लज्जता की पुस्तक अथवा वस्तु जैसीकि पिछली दफ़ा में वर्णनहुई है वेचने अथवा बांटने अथवा सबको दिखलाने के लिये रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा—

(वेचने अथवा दिखलाने के लिये निर्लज्जताकी पुस्तक पास रखनी)

२९४ — जो कोई मनुष्य किसी सर्वसम्बंधी स्थान पर अथवा उसके नगीच कोई ऐसा गीत अथवा छंद गावेगा या पढ़ेगा या और कुछ बात बकेगा जिससे दूसरों को खेद हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का दिया जायगा—

(निर्लज्जता के गीत)

२९४ (अ) जो कोई मनुष्य कोई दफ़्तर या मकान वगैरे ऐसी चिट्ठी डालने के रखने जिसकी आज्ञा सरकार से नहीं है उसको दोनों में से किसी प्रकार की कैद का दंड जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी कियाजायगा अथवा जुरमाना अथवा दोनों दंड दिये जायंगे—

(चिट्ठी डालने की म्नाही)

जो कोई मनुष्य किसी वालेक अथवा इन फ़ाक़ेके वक़्त पर

जो निस्वत या तअल्लुक़ किसी टिकट या कुरा या नंबर या हिस्सा वग़ैरा से ऐसे चिट्ठी डालने में रखता हो किसी मनुष्य के फ़ायदे के वास्ते कुछ रुपया अथवा कोई असबाब हवाले करने अथवा कोई काम करने के लिये अथवा किसी काम के करने देने के लिये कोई तजवीज़ मुश्तहिर करे उसको दंड जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकता है होगा ॥

अध्याय १५

मत सम्बंधी अपराधों के विषय में

२९५ – जो कोई मनुष्य पूजा के किसी स्थान को अथवा और

किसी संप्रदाय के मत की निन्दा के प्रयोजन से पूजा के किसी स्थान को ज्यान पहुंचाना अथवा अपवित्र करना –

किसी वस्तु को जिसको किसी संप्रदाय के मनुष्य पूज्य मानते हों तोड़ेगा फोड़ेगा अथवा ज्यान पहुंचावेगा अथवा भ्रष्ट करेगा इस प्रयोजन से कि इस्से किसी संप्रदाय के मत की निंदा हो अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर कि किसी संप्रदाय के मनुष्य इस तोड़ फोड़ अथवा ज्यान अथवा भ्रष्टता को अपने मत की निन्दा समझैंगे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

२९६ – जो कोई मनुष्य जानबूझ कर किसी समाज को जो

किसी मतसंबंधी समाज को छेड़ना

निरापराध रीति से पूजा अथवा मतसंबंधी उत्सव में लगा हो छेड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का

कियाजायगा -

२९७ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यके मनको खेददेने अथवाकि सी मनुष्यके मतकी निंदा करनेके प्रयोजन से अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर किइस्से किसी मनुष्यकेमनको खेदहोगा अथवाकि सी मनुष्यके मतकी निंदा होगी किसी पूजा के स्थान में अथवा कबरस्थानमें अथवा और किसी स्थान में जो मृत्यु कार्यों के लिये अथवा मरेहुओं के गाड़ने के लिये हो मुदाखलत बेजा करेगा अथवा किसी मुर्दे की कुछ बेहुरमती करेगा अथवा उनमनुष्यों के समाजको जो किसी मृत्युकार्यके लिये इकट्ठे हुए हों छेड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकारकी कैदका जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा -

कबरस्थान इत्यादिपर मुदाखलतबेजा करनी -

२९८ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के अंतःकरण कोमतके विषय में सोच विचार और जानबूझकर दुःख देने के प्रयोजन से कुछ वचन कहेगा अथवा उस मनुष्य के सुन्ने में कोई शब्द करेगा अथवा उसमनुष्यके देखने में कुछ शरीर मटकावेगा अथवा उसमनुष्य की दृष्टि के सामने कुछ वस्तु रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा -

किसी मनुष्य के अंतःकरणको मत के विषय में जानबूझकर दुखदेने के प्रयोजन से कुछ कहना इत्यादि -

अध्याय १६

मनुष्य के तन संबंधी अपराधों के विषय में।

जीव संबंधी अपराध

२६६ – जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करने के प्रयोजन से अथवा उनको ऐसा दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से जिससे मृत्यु का होना अतिसम्भवित हो अथवा यह बात जानबूझकर कि इस काम से मृत्यु होनी अतिसम्भावित है कुछ काम करके मृत्यु उत्पन्न करेगा वह ज्ञातवतघात का अपराध करने वाला कहलावेगा–

ज्ञातवतघात

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने किसी गढ़े के ऊपर कुछ लकड़ियां और घास पाटदी इस प्रयोजन से कि मृत्यु उत्पन्न करे अथवा यह बात जानबूझकर कि इससे मृत्यु उत्पन्न होनी अति संभवित है और विष्णुमित्र ने उस धरती को ठोस जानकर उस पर पांव रक्खा और गिर कर मरगया तो देवदत्त ने ज्ञानवत घातका अपराध किया॥

(इ) देवदत्त ने जान लिया कि विष्णुमित्र किसी झकुरे की ओट में है और यज्ञदत्त ने इस बात को न जाना देवदत्त ने विष्णुमित्र की मृत्यु करने के प्रयोजन से अथवा मृत्यु होना अतिसम्भवित जानकर यज्ञदत्त को उस झकुरे पर बन्दूक छोड़ने के लिये वहकाया यज्ञदत्त ने बन्दूक छोड़ी और विष्णुमित्र उसमें मरगया तो यहां यज्ञदत्त यद्यपि किसी अपराध का अपराधी न भी हो परंतु देवदत्त ने अपराध ज्ञातवतघात का किया।

(उ) देवदत्त ने किसी चिड़िया को मारकर चुरालेजाने के प्रयोजन से बन्दूक छोड़ी और यज्ञदत्त को जो एक झकुरे के पीछे बैठाथा मारा परंतु देवदत्त को मालूम न था कि यज्ञदत्त यहां बैठा है तो यद्यपि यहां देवदत्त एक अनीति काम कर रहा था तौ भी अपराधी ज्ञातवतघात का न हुआ क्योंकि उसने यज्ञदत्त के मारने का अथवा ऐसा काम करने का जिसको वह जानता होता कि इससे मृत्यु का होना अतिसंभवित है प्रयोजन नहीं किया॥

विवेचना १ – कोई मनुष्य जो किसी दूसरे मनुष्य को जिसे कुछ पीड़ा अथवा रोग अथवा शरीर की दुर्बलता लगरही हो कुछ

शरीरका दुःख पहुंचावेगा और उससे उस मनुष्यकी मृत्यु हो
नेमें जल्दी होगी उसकी मृत्यु करने वाला गिना जायगा-
विवेचना २-जब मृत्यु शरीरके दुःखके कारण हुई हो तो जो
मनुष्य उस दुःखका पहुंचानेवाला हो मृत्यु उत्पन्न करनेवाला
गिना जायगा यद्यपि यथोचित औषधि लगाने और चतुर
ता से वह मृत्यु रुक भी सकती-
विवेचना ३ मारना किसी बालकका उसकी माता के गर्भमें
ज्ञानवत घातन गिना जायगा परंतु मारना किसी ऐसे जीते
हुए बालकका जिसका कोई अंग बाहर निकल आया हो ज्ञा
नवतघात हो सकेगा यद्यपि उस बालक ने स्वास भी नली
हो और उसका जन्म भी न हो चुका हो-
३०० -सिवाय नीचे लिखी हुई छूटों के और सब ज्ञानवतघा
ज्ञानघात तज्ञातघात गिनी जायंगी-
पहली - कदाचित वह काम जिस्से मृत्यु हुई हो मृत्यु करने
के प्रयोजन से किया गया हो अथवा-
दूसरे-जब वह काम कुछ ऐसा शरीरका दुःख पहुंचाने के
प्रयोजन से किया गया हो जिसको अपराधी जानता हो कि उ
स्से मृत्यु होनी उस मनुष्य की जिसको वह दुःख पहुंचाया
गया है अति सम्भवित है अथवा-
तीसरे - जब वह काम किसी मनुष्यको कोई शरीर का दुः
ख पहुंचाने के प्रयोजन से किया गया हो और वह शरीरका
दुःख जिस्के पहुंचाने का प्रयोजन किया गया ऐसा हो कि
प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्यु उत्पन्न करनेके
लिये काफी हो अथवा-

चौथे जब उस काम का करने वाला मनुष्य जानता हो कि यह काम ऐसी अत्यंत जोखिम का है कि इस्से मृत्यु अथवा शरीर का ऐसा दुःख होना अति सम्भावित है जिस्से मृत्यु होनी दुर्लभ नहीं है और फिरि भी उस काम को विना किसी हेतु के जिस से मृत्यु करने अथवा ऊपर कहे प्रकार का शरीर के दुःख पहुंचने की जोखिम उठानी माफ़ हो सके करे॥

उदाहरण

(१) देवदत्त ने विश्नुमित्र पर उसके मारडालने प्रयोजन से बंदूक छोड़ी जो(उ)सके विश्नुमित्र मरगया तो देवदत्त ने ज्ञानघात का अपराध किया॥

(२) देवदत्त ने यह बात जान बूझ कर कि विश्नुमित्र ऐसे किसी रोग में फंसा है कि घूंसा मारने से उसकी मृत्यु होनी अति सम्भावित है उसको शरीर का दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से घूंसा मारा और विश्नुमित्र घूंसे से मरगया तो देवदत्त ज्ञानघात का अपराधी हुआ यद्यपि प्रकृति अनुसार वह घूंसा किसी निरोगी मनुष्य के मारडालने को काफ़ी न भी था परंतु जब देवदत्त यह बात न जाना हो कि विश्नुमित्र किसी रोग में है और उसको ऐसा घूंसा मारै जो साधारण प्रकृति अनुसार निरोगी मनुष्य को मारडालने को काफ़ी नहो तो देवदत्त यद्यपि उसने शरीर का दुःख पहुंचाने का प्रयोजन भी किया हो अपराधी ज्ञानघात का नहोगा कदाचित उसका प्रयोजन मृत्यु करने अथवा ऐसा शरीर का दुःख जिस्से साधारण प्रकृति अनुसार मृत्यु होती है पहुंचाने का न किया हो

(३) देवदत्त प्रयोजन करके विश्नुमित्र को तलवार से घाव [illegible] [illegible] जो साधारण प्रकृति अनुसार मनुष्य की मृत्यु उत्पन्न करने को [illegible] काफ़ी है और विश्नुमित्र उससे मरगया तो देवदत्त ज्ञानघात का अपराधी हुआ यद्यपि उसने विश्नुमित्र की मृत्यु का प्रयोजन नभी किया हो॥

(४) देवदत्त ने [illegible] हेतु [illegible] मनुष्यों की भीड़ [illegible] उसमें एक मनुष्य मरगया तो देवदत्त [illegible]

ापी ज्ञातघात का इंगा यद्यपि उसने आगे से किसी विशेष मनुष्य को मारडा लने का मनोरथ न भी किया हो॥

छूट—ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी

ज्ञातवत घात किस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी

जब कि अपराधी ने किसी बड़े और तत्काल क्रोध दिलाने वाले काम के कारण अपने आपे में न रहकर उस मनुष्य को जिसने यह क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न किया मारडाला हो अथवा भूलसे या अकस्मात दूसरे किसी मनुष्य को मारडाला हो।

परंतु यह छूट नीचे लिखे हुए नियमों के आधीन होगी—

पहले—क्रोध दिलाने का वह कारण अपराधी ने किसी मनुष्य को मारडालने अथवा दुःख पहुंचाने का मिस करने के लिये उपाय करके अथवा अपनी इच्छा से कुछ हेतु उत्पन्न न किया हो॥

दूसरे—क्रोध दिलाने का वह कारण किसी ऐसे काम से न हुआ हो कानून की आज्ञानुसार किया गया हो अथवा किसी सर्वसम्बंधी नौकर ने अपना अधिकार वर्तने में किया हो—

तीसरे—क्रोध दिलाने का वह कारण किसी ऐसे काम से न हुआ हो जो निजरक्षा का अधिकार कानून अनुसार वर्तने में किया गया हो—

विवेचना—यह बात कि क्रोध दिलाने का कारण ऐसा बड़ा और तत्काल था या नहीं जिस्से वह अपराध ज्ञातघात गिना जाने से बचे तहकीकात के आधीन होगी—

उदाहरण

(क) देवदत्त ने उस क्रोध में जिसके दिलाने का कारण विष्णुमित्र ने उत्पन्न किया जानबूझकर विष्णुमित्र के बालक हरिमित्र को मारडाला तो यह ज्ञात

घातऊई क्योंकि क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न किया हुआ उस बालक का था और न उस बालक की मृत्यु उस क्रोध की अवस्था में किसी काम के करने से अकस्मात अथवा दैवगति से होगई—

(३) हरमित्र ने देवदत्त को अचानक और भारी क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न किया और देवदत्त ने उस क्रोध में हरमित्र पर बिना प्रयोजन उसके मारडालने के और बिना जाने इस बात के कि इससे मृत्यु विष्णुमित्र की जो निकट खड़ा था परन्तु दृष्टि से बाहर था होगी पिस्तोल चलाया और विष्णुमित्र उससे मरगया तो यहां देवदत्त ने ज्ञातघात नहीं की परंतु ज्ञातवत घातकी॥

(४) देवदत्त को विष्णुमित्र किसी बेलिफ़ ने कानून की आज्ञानुसार पकड़ा इस पकड़ने से देवदत्त को एकाएकी अत्यंत क्रोध हो आया और उसने विष्णुमित्र को मारडाला तो यह ज्ञातघात ऊई क्योंकि जो क्रोध हुआ जिसको एक सर्व सम्बंधी नौकर ने अपने अधिकार को वर्त्तने में किया—

(५) विष्णुमित्र नाम किसी मैजिस्ट्रेट के सामने देवदत्त गवाही देने के लिये विष्णुमित्र ने कहा कि हम देवदत्त की गवाही की एक बात भी सच्ची नहीं मानते हैं और देवदत्त ने हलफ़ दरोग़ी की है इन वचनों से देवदत्त को एकाएकी क्रोध होआया और उसने विष्णुमित्र को मारडाला तो यह ज्ञातघात ऊई—

(६) देवदत्त ने विष्णुमित्र की नाक पकड़ने को हाथ चलाया विष्णुमित्र ने अपनी निजरक्षा का अधिकार वर्त्तने में नाक पकड़ने से रोकने के लिये देवदत्त को पकड़ लिया और इसमें देवदत्त को एकाएकी भारी क्रोध होआया और उसने विष्णुमित्र को मारडाला तो एक ज्ञातघात ऊई क्योंकि क्रोध ऐसे काम से हुआ जो निजरक्षा को अधिकार वर्त्तने में किया गया—

(७) विष्णुमित्र ने यज्ञदत्त को मारा इसमें यज्ञदत्त को भारी क्रोध होआया उसी समय देवदत्त ने जो वहां खड़ा था यज्ञदत्त के इस क्रोध से अपना काम निकालने और विष्णुमित्र को मरवा डालने प्रयोजन से यज्ञदत्त के हाथ में एक

दी और उस छुरी से यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को मारडाला तो यहां यद्यपि यज्ञदत्त अपराधी केवल ज्ञानवत घातका हो परंतु देवदत्त अपराधी ज्ञानघात का है।

छूट - ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञान घात नगिनी जायगी जब कि अपराधी अपने तन अथवा धन की निजरक्षा के अधिकार को शुद्धभाव से वर्तने में कानून के दिये हुए अधिकार को उल्लंघन करके बिना आगे से सोच विचार किये और बिना यह प्रयोजन किये कि निजरक्षा के निमित्त जितना ज्यान पहुंचाना अवश्य है उस्से अधिक पहुंचाया जाय उस मनुष्य को मारडाले जिसके मुकाबिले में उस अधिकार को वर्तता हो -

उदाहरण

विष्णुमित्र ने देवदत्त को चाबुक से मारने का उद्योग किया परन्तु न ऐसा कि जिससे देवदत्त को भारी दुःख पहुंचे देवदत्त ने पिस्तौल सामने किया तो भी विष्णुमित्र उस उद्योग से न रुका तब देवदत्त ने शुद्धभाव से यह जानकर निश्चय मानकर कि अब मुझको चाबुक की मार से बचने का और कोई उपाय नहीं है विष्णुमित्र को पिस्तौल से मारडाला तो देवदत्त ने ज्ञानघात नहीं की केवल ज्ञानवत घात की॥

छूट - ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञानघात नगिनी जायगी जब कि उसका करने वाला कोई सर्वसम्बंधी नौकर होकर अथवा किसी सर्वसंबंधी नौकर को न्याय दार्थिक काम के भुगताने में सहायता देने वाला होकर कानून के दिये हुए अधिकार से बढ़जाय और किसी मृत्युकुछ ऐसा काम करके करडाले जिसका करना वह अपनी नौकरी यथोचित भुगताने के लिये शुद्ध भाव से और बिना रखने कुछ द्रोह साथ उस मनुष्य के जिसकी मृत्यु हुई हो आवश्यक और नीति पूर्वक जानता हो॥

छूट - ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञान घात न गिनी जायगी जब कि वह एकाएक की झगड़ा होकर लड़ाई में कोप की अधिकता के कारण बिना पहिले से विचार किये होजाय और अपराधी ने कोई अनुचित

अवसर पाकर अथवा निर्दई पन करके अथवा असाधारण रीति से
छुकाम न किया हो –

विवेचना – ऐसे मुकद्दमों में यह बात कुछ मुख्य न गिनी जायगी कि
कौनसी ओर वाले ने क्रोध कराया अथवा पहिले छेड़ा किया

छूट ५ – ज्ञानवत घात उस अवस्था में ज्ञानघात न गिनी जायगी
कि वह मनुष्य को मारा गया हो अठारह वर्ष से ऊपर की अवस्था
और उसने आप अपनी मृत्यु कराई हो अथवा अपनी राज़ी से मृत्यु की
जिम उठाई हो –

उदाहरण

देवदत्त ने जानबूझकर विष्णुमित्र एक मनुष्य से ... अह ...
नती थी यह का कर अपघात कराई तो ज्ञानघात में सहायता की ...
ष्णुमित्र अपनी अवस्था के कारण अपनी मृत्यु कराने के लिये अपनी रज़ा
न थी इसलिये देवदत्त ज्ञानघात का सहाई हुआ –

३०१ – कदाचित कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिससे वह किसी

ज्ञानवत घात किसी ऐसे मनुष्य की मृत्यु करने से जो उस मनुष्य से जिसके मारडालने का प्रयोजन था भिन्न हो –

नुष्य की मृत्यु होने का प्रयोजन रखता
हो अथवा मृत्यु होनी अति संभवित जान
हो उस मनुष्य की मृत्यु करावे जिसकी
मृत्यु से न तो उसका प्रयोजन हो और न वह
य उसका हो जाना अति संभवित जानता हो तो वह ज्ञानवत घात
प्रकार की गिनी जायगी जैसी कि उस अवस्था में होती जब उसने उसी म
नुष्य की मृत्यु कराई होती जिसकी मृत्यु से उसका प्रयोजन था अथ
वा जिसकी मृत्यु होनी उसने अपने आप अति सम्भवित जानी

३०२ – जो कोई मनुष्य ज्ञानघात करेगा उसको दंड वध का अथवा
जन्मभर के देशनिकाले का किया जायगा और जरीमाने के भी दंड
होगा –

३०३ – जो कोई मनुष्य दंड जन्मभर के देशनिकाले का पाकर

दंडउस ज्ञानवत घातका जो कोई जन्मा मियादी बंधुआ करडाले-

तघात करेगा उसको दंड बंधका दिया जायगा-

३०४- जो कोई मनुष्य करने वाला किसी ऐसी ज्ञातवत घात

दंड ऐसी ज्ञातवतघातका जो ज्ञातघात के तुल्य न हो-

का होगा जो ज्ञातघात के तुल्य न हो उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दश भरतक हो सके गा किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा कदाचित वह काम जिसकी म्त्यु हुई म्त्यु करने के प्रयोजन से अथवा शरीरक दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से जिस्से मत्यु का होना अति संभवित हो नेगया हो अथवा जब वह काम जिससे म्त्यु हुई यह वात जान बूझ करकि इस्से म्त्यु होनी अति संभवित है परंतु विना प्रयोजन म्त्यु कराने अथवा ऐसा शरीरक दुःख पहुंचाने के जिस्से म्त्यु का होना अति संभवित हो कियागया हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

३०४ (अ) कदाचित् कोई मनुष्य किसी असावधानी अथवा

असावधानी अथवा ग़फ़लत में म्त्यु का होना

ग़फ़लत के काम से जो ज्ञानवत् घात के दंड योग्य न हो किसी मनुष्य की म्त्यु का होना अति संभवित हो तो उसको दोनों में से किसी प्रकार का दंड जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी होगा अथवा जरीमाना अथवा दोनों दंड होंगे-

३०५- कदाचित अठारह वरस से कमती अवस्था का कोई मनुष्य

बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को अपघात करने में सहाय्य पहुंचानी-

अथवा कोई सिड़ी मनुष्य अथवा कोई उनमत्त मनुष्य अथवा कोई जन्म मूर्ख अथवा ऐसा मनुष्य जो नशा किये हो अपघात करे तो जो

(उ.) देवदत्त ने विष्णुमित्र को मारडालने के प्रयोजन से एक बंदूक मोल लेकर भरी तो तब तक देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध नहीं किया फिर देवदत्त ने वह बंदूक विष्णुमित्र पर छोड़ी तो इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हुआ और कदाचित उस बंदूक के छोड़ने से विष्णुमित्र को घायल भी किया तो देवदत्त इस दफ़ा के पिछले भाग के ठहराये हुए दंड के योग्य हुआ-

(ए) देवदत्त ने विष्णुमित्र को विष से मारडालने के प्रयोजन से विष मोल लेकर भोजन में जो उसी के पास रहिता था मिला दिया तो तब तक देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध नहीं किया फिर देवदत्त वही भोजन विष्णुमित्र के आगे रक्खा अथवा आगे रखने के लिये विष्णुमित्र के नोकरों को दिया तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हुआ-

३०८ — जो कोई मनुष्य कुछ काम इस प्रयोजन से अथवा यह ज्ञानवत घात करने का उद्योग जानबूझ कर और ऐसी अवस्था में करेगा कि कदाचित उस काम से किसी की मृत्यु हो जायगी तो मैं ऐसे ज्ञानवत घात का अपराधी हूंगा जो ज्ञानघात के तुल्य नहीं है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा - और अगर उस काम से किसी को दुःख पहुंचे तो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा -

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने एकाएकी किसी भारी कोप दिलाने वाले काम के कारण विष्णुमित्र के ऊपर ऐसी पिस्तौल चलाई कि कदाचित विष्णुमित्र की मृत्यु हो जाती तो देवदत्त उस ज्ञानवत घात का अपराधी गिना जाता जो कि ज्ञानघात के तुल्य नहीं है तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया-

३०६ — जो कोई मनुष्य अपराध करने का उद्योग करके उस
अपघातका उद्योग
अपराध के मद्दे कुछ काम करेगा उसको दंड साधारण क़ैद
का जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकेगी किया जायगा औ
र जरीमाने के भी योग्य होगा—

३१० — जो कोई मनुष्य इस कानून के जारी होने से पीछे त्राग
ठग घात के द्वारा अथवा त्रागघात समेत डाका डालने अथवा
बालकों के चुराने के लिये किसी दूसरे मनुष्य अथवा मनुष्यों से
बहुधा मेल रक्खेगा ठग कहलावेगा—

३११ - जो कोई मनुष्य ठग होगा उसको दंड जन्म भर के देशनि
दंड कालेका किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

पेटगिराने और विना जन्मे बालकों को हानि
पहुंचाने और जन्मे हुए बालकों को वा
हरडालआने और जन्माछुपाने के
विषय में

३१२ — जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी गर्भवती स्त्री का पे
पेटगिराना टगिरावेगा उसको कदाचित वह गर्भपात शुद्ध भाव से
उस स्त्री का जीव बचाने के प्रयोजन से न किया गया हो दंड दोनों में
से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी
अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचि
त गर्भ पक गया अर्थात् बालक के जीव पड़ गया हो तो दंड दोनों में
से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सके
गी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

[illegible] - जो कोई स्त्री आप अपना पेट गिरावे इस दफ़ा के
अर्थ में अपराधिनी गिनी जायगी॥

३१३ — जो कोई मनुष्य पिछली दफ़ा में लक्षण किया हुआ

...ना स्त्री की राज़ी पेट गिराना

...अपराध विना स्त्री की राज़ी के करेगा चाहे गर्भ उस स्त्री का कच्चा हो चाहे पक्का उस दं-ड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

...मृत्यु जो किसी ऐसे काम के करने से हो जाय जो पेट गिराने के प्रयोजन से किया गया हो-

३१४— जो कोई मनुष्य किसी गर्भवती स्त्री का पेट गिराने के प्रयो-जन से कोई ऐसा काम करेगा जिससे उस स्त्री की मृत्यु हो जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा- और कदाचित वह काम विना स्त्री की राज़ी के किया जायगा तो दंड या तो जन्मभर के देशनिकाले का या जैसा के ऊपर कहा गया है किया जायगा-

कदाचित वह काम विना स्त्री की राज़ी के हो-

विवेचना- इस अपराध कुछ यह अवश्य नहीं है कि अपराधी उसक... मसे मृत्यु का होना अतिसंभवित जानता हो-

कोई काम जो इस प्रयोजन से किया जाय कि बालक जीता पैदा न होने पावे अथवा पैदा होने से पीछे मर जाय

३१५— जो कोई मनुष्य किसी बालक के पैदा होने से पहिले उस का जीता पैदा होना रोकने अथवा पैदा होने से पीछे मर जाने के प्रयोजन से कुछ करेगा और उससे उस बालक का जीता पैदा होना रुक जायगा अथवा वह पैदा हो कर मर जायगा उसको कदाचित वह काम शुद्ध भाव से उस बालक की माता का जीव बचाने के निमित्त किया गया दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

३१६—जोकोई मनुष्य कुछ काम ऐसी अवस्था में जब कि उस काम से मृत्यु का होजाना उसको अपराधी ज्ञातवत घात का बनावेगा करेगा और उस काम से मृत्यु किसी बालक की जो जन्मा न हो पर तु जिसमें जीव पड़गया हो होजायगी उसको दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

मृत्यु करनी किसी बालक की जो पैदा नहुआ हो परंतु गर्भ में जीव पड़गया हो कुछ ऐसा काम करके जो ज्ञात घात के समान हो—

उदाहरण।

देवदत्त ने यह बात जानबूझकर कि इस काम के करने से किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु होनी अति सम्भावित है कोई ऐसा काम किया कि कदाचित उससे उस स्त्री की मृत्यु हो जाती तो वह काम ज्ञातवत घात के समान गिना जाता उस स्त्री को दुःख तो हुआ परंतु मरी नहीं हां उसके गर्भ में जो बालक था और उसमें जीव भी पड़गया था उस बालक की मृत्यु उसी दुःख के पहुंचने से होगई तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हुआ—

३१७—जोकोई मनुष्य बारह बरस से कमती अवस्था के किसी बालक का बाप अथवा मा अथवा रक्षक होकर उस बालक को किसी जगह डाल आवेगा अथवा छोड़ आवेगा इस प्रयोजन से कि यह सर्वदा को मुझसे छूट जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा—

बाहर डाल आना अथवा छोड़ देना बारह बरस से कमती अवस्था के बालक का उसके मा या बाप की ओर से अथवा और किसी मनुष्य की ओर से जिसकी रक्षा में वह हो—

विवेचना—इस दफ़ा से यह प्रयोजन नहीं है कि कदाचित बाहर डालआने के कारण बालक मर जाय तो अपराधी पर अपराध ज्ञातघात का अथवा ज्ञातवत घात का जैसी अवस्था हो न लगाया जाय

३१८— जो कोई मनुष्य किसी बालककी लोथको गुप चुप गाड़के अथवा और किसी भांति अलग करके उसका पैदा होना जान बूझकर छुपावेगा अथवा छुपाने का उद्योग करेगा चाहे वह बालक पैदा होने से पहिले मरा हो चाहे पीछे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा—

जन्म छुपाना किसी बालक की लोथको गुपचुप अलग करके

दुख के विषयमें

३१९— जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यके शरीरको दर्द अथवा रोग अथवा बलहीनता पहुंचावेगा वह दुः पहुंचानेवाला कहा जायगा—

दुख

३२०— केवल नीचे लिखेहुए प्रकारों का दुःख भारी दुःख कहलावेगा—

भारी दुःख

प्रथम—हिजड़ा करना—

दूसरे—किसी एक आंखि के देखने से सदैवको रहित करना—

तीसरे—किसी एक कान के सुनने से सदैव को रहित करना—

चौथे—किसी अंग अथवा जोड़ से रहित करना—

पांचवे—किसी अंग अथवा जोड़को सदैवका नष्ट अथवा बलहीन करना—

छठे—सदैवको सिर अथवा चहरे को कुरूप करना—

सातवें—किसी हड्डी अथवा दांत को तोड़ना अथवा उखाड़ना—

आठवें—कोई दुःख जिससे जीव की जोखिम हो अथवा जिससे वह मनुष्य जिसको दुःख दिया जाय बीस दिन तक कठिन शरीर क पीड़ा सहे अथवा अपना साधारण उद्यम न कर सके—

३२१ — जो कोई मनुष्य कुछ काम इस प्रयोजन से करेगा कि इस से

जानबूझकर दुःख देना — | किसी मनुष्य को दुःख पहुंचे अथवा यह वा तजानबूझकर कि इस से किसी मनुष्य को दुःख पहुंचना अतिसंभवित है और उस काम से किसी मनुष्य को दुख पहुंच जाय तो कहा जायगा कि उसने जान मान कर दुःख पहुंचाया —

३२२ — जो कोई मनुष्य जान मान कर दुःख पहुंचावेगा और कर

जानमानकर भारी दुःख पहुंचाना | चित यह दुःख जिस के पहुंचाने से उस का प्रयोजन हो अथवा जिसका पहुंचना उसने आप अतिसंभवित जान लिया हो भारी दुःख होगा और जो दुःख उसने पहुंचाया कि उसने जान मान कर भारी दुःख पहुंचाया —

विवेचना — कोई मनुष्य जानमान कर भारी दुःख पहुंचाने वाला न कहलावेगा सिवाय इस के कि उसने भारी दुःख पहुंचाया हो और भारी दुःख पहुंचाने का प्रयोजन भी किया हो अथवा भारी दुःख पहुंचाना आप अति संभवित जान लिया हो परंतु जब एक प्रकार का भारी दुख पहुंचाना उसका प्रयोजन हो अथवा उसने आप अति संभवित जान लिया हो और उस से दूसरे प्रकार का भारी दुःख पहुंच जाय तो कहलावेगा कि उसने जान मान कर भारी दुःख पहुंचाया —

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र का चहरा सदैव को कुरूप कर देने के प्रयोजन से अथवा कुरूप होना अतिसंभवित जानकर एक घूंसा विष्णुमित्र के मारा जिस से विष्णुमित्र का चहरा तो नहीं बिगड़ा परंतु उसने कठिन शरीर का दुःख बीस दिन तक पाया यहां देवदत्त ने जानमान कर भारी दुःख पहुंचाया —

१ जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३४ में लिखी हुई दशा

जानमानकर दुःखपहुंचानेका दंड

स्था और किसी अवस्थामें जानमान कर दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद एकबरस तक होसकेगी अथवा जरीमानेका जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा-

३२४ — जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३४ में लिखी हुई अव

जानमानकर जोखिम के हथ्यारोंसे अथवा उपायोंसे दुःख पहुंचाना-

स्थाके और किसी अवस्था में जानमान कर फेंक कर मारने अथवा हूल लगाने अथवा काटने के हथयार से अथवा और किसी औज़ार से जिसको मारडालने के हथ्यार की भांति काम में लाने से मृत्युका होना अति सम्भव हो अथवा आग से अथवा गरम वस्तु से अथवा किसी विषसे अथवा शरीरको गलित करेन वाली वस्तुसे अथवा अग्निकी भांति उड़ने वाली वस्तु से अथवा और किसी वस्तु से जिसको स्वांस के द्वारा लेने या निगलने या रुधिर में पहुंचाने से मनुष्यके शरीर को अचेतनता होती हो अथवा किसी पशु से किसी को दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनोंमें से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

३२५ — जो कोई मनुष्य दफ़ा ३३५ में लिखी हुई अवस्था के सि

जानमान कर भारी दुःख पहुंचानेका दंड

वाय और किसी अवस्था में जानमान कर भारी दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनोंमें से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

३२६ — जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३५ में लिखी अवस्था के

जोखिम के हथ्यारों अथवा उपायों से जानमान कर भारी दुःख पहुंचानेका दंड

और किसी अवस्था में जानमान

कर फेंक कर मारने अथवा हूललगाने अथवा काटने के हथ्यारसे अथवा और किसी औजारसे जिसको मार डालने की हथ्यार की भांति काम में लाने से मृत्यु का होना अवि संभवित हो अथवा आगसे अथवा गरम वस्तु से अथवा विष से अथवा शरीर को लित करने वाली वस्तु से अथवा अग्नि की भांति उड़ने वाली व से अथवा और किसी वस्तु से जिस्को स्वांस के द्वारा लेने या निग या रुधिर में पहुंचाने से मनुष्य के शरीर को अचेतना होती अथवा किसी पशु से किसी को भारी दुःख पहुंचावेगा उसको दं जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार कै कैद का जिसकी म्याद दशवरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

३२७— जो कोई मनुष्य जानमान कर दुःख पहुंचावेगा इस नि

दबाकर माल लेलेने के लिये अथवा दबाकर अनाचित काम लेने के लिये जानमान कर दुःख पहुंचाना—

मित्त कि उस दुःख सहनेवाले से अ वा जो मनुष्य उस दुःख सहनेव ले में स्वारथ रखता हो उस से दब कर कोई माल मिलाकियत अथवा दस्तावेज लेले अथवा दब कर कोई ऐसा काम ले जो अनीति हो अथवा जिस्से किसी अपर ध के करने में सुगमता मिलती हो उसको दंड दोनों में से किसी प्र कार की कैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया ज यगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

३२८— जो कोई मनुष्य किसी को कोई विष अथवा अचेत करने

दुःख पहुंचाने इत्यादि के मनसे जो अचेत करने वाली [illegible]

वाली पान या करने वाली या [illegible] रने वाली वस्तु अथवा और कोई वस्तु स मनुष्य को दुःख पहुंचाने के मनसा [illegible] अथवा कोई अपराध करने या अपराध का होना सुगम करने

के प्रयोजन से अथवा यह बात अतिसंभवित जानकर कि द्वि
से दुःख पहुंचेगा खिलावेगा या खिलवावेगा उसको दंड दोनों
में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दसबरस तक होस
केगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा -

३२९ — जो कोई मनुष्य जानमानकर भारी दुःख पहुंचावेगा इस निमित्त कि उस भारी दुःख के सहनेवाले से अथवा जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज़ लेले

दबाकर माल लेने के लिये अथवा दबाकर कोई अनुचित काम कराने के लिये जानमानकर भारी दुःख पहुंचाना -

अथवा दबाकर कोई ऐसा काम लेले जो अनीति हो अथवा जिससे किसी अपराध के करने में सुगमता मिलती हो उसको दंड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा -

३३० — जो कोई मनुष्य जानमान कर दुःख पहुंचावेगा इस निमित्त कि दुःख सहने वाले से अथवा जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई इकरार करावे अथवा कोई खबर जिससे पता किसी अपराध का अथवा चालचलन संबंधी अपराध का लग सके पूछे अथवा इस निमित्त कि दुःख सहने वाले से या जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल अथवा दस्तावेज़ फेर या फिरवे अथवा कोई दावा या तगादा चुकावे अथवा ऐसी सुखबरी जिससे किसी माल अथवा दस्तावेज़ का फेर पाना सुगम सुगम हो करावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने

दबाकर इकरार कराने अथवा दबाकर कुछ माल फेर लेने के लिये जानमानकर दुःख देना -

केभी योग्य होगा—

उदाहरण

(अ) देवदत्त एक पुलिसके अहलकारने विश्नुमित्रको इसलिये दुःखदियाकिद वाकर विश्नुमित्र से किसी अपराध के करनेका इकरार करावे तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ—

(इ) देवदत्त एक पुलिस के अहलकारने यज्ञदत्त से यह बात दबाकर पूछने केलि ये कि चोरी का फलाना माल कहां रक्खाहै दुःखदिया तो देवदत्त इसदफ़ा के अ नुसार अपराधी हुआ—

(उ) देवदत्त एकमालके अहलकारने विश्नुमित्र को इसलिये दुःखदिया कि उ स्से दबाकर माल गुज़ारी की बाकीका वाजिबी रुपया वसूल करे तो देवदत्त इसदफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ—

(ए) देवदत्त एक ज़िमीदार ने किसी रैयत को इसलिये दुःख दिया कि दवा कर उस्से लगान वसूल करे तो देवदत्त इस दफ़ा अनुसार अपराध का अपरा धी हुआ—

३३१—जो कोई मनुष्य जानमान कर भारी दुःख पहुंचावेगा इस निमित्त कि उस भारी दुःख सहने वाले मनुष्य से अथवा जो मनुष्य उसमें कुछ स्वार्थ रखता हो उस्से दबा कर कोई इकरार करावे अथवा कोई खबर जिस्से पता किसी अपरा धका अथवा चाल चलन संबंधी अपराधका लग सके पूंछे अथवा इस निमित्त कि दुःख सहनेवाले से या जो मनुष्य उसमें स्वार्थ र खताहो उस्से दबाकर कोई माल अथवा दस्तावेज़ फेर या फिरावे अथवा कोई दावा या तगादा चुकावे अथवा ऐसी मुखबरी जिस्से किसी माल अथवा दस्तावेज़ का फेर पाना सुगम हो करावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दसवर

दबाकर इकरारकराने अथवादबा कर कुछ मालफेरलेनेके लियेजा नमानकर भारीदुःखदेना—

स तक होसकेगी किया जायगा-

३३२- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को जो सर्वसंबंधी नौकर हो और अपने ओहदे का काम भुगताना हो जानमान कर दुख पहुंचावेगा अथवा इसलिये पहुंचावेगा कि यह मनुष्य अथवा और कोई सर्वसंबंधी नौकर अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुकजाय या डरजाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का कोई काम क़ानून अनुसार भुगताया था अथवा भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

सर्वसंबंधी नौकर को जानमान कर दुःख पहुंचाना इसलिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से रुकजाय-

३३३- जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी मनुष्य को जो सर्वसंबंधी नौकर हो और अपने ओहदे का काम भुगताना हो भारी दुःख पहुंचावेगा अथवा इस प्रयोजन से पहुंचावेगा कि वह मनुष्य अथवा और कोई सर्वसंबंधी नौकर अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुकजाय या डरजाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का कोई काम क़ानून अनुसार भुगताया अथवा भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस वरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

सर्वसंबंधी नौकर को जानमान कर भारी दुःख पहुंचाना इसलिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से रुकजाय-

३३४- जो कोई मनुष्य भारी और एका एकी क्रोध दिलाने के कारण जानमान कर किसी को दुःख पहुंचावेगा उसको

क्रोधउत्पन्न करनेवाले कामके कारण जानमानकर दुःख पहुंचाना

कदाचित यह प्रयोजन उसका नहो और न वह आप यह बात अतिसंभवित जानता हो कि इससे सिवाय उस मनुष्य के जिसने क्रोध दिलाया दूसरे किसी मनुष्य को दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसो रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा-

क्रोधदिलानेवालेकामके कारणभारीदुःखपहुंचाना

३३५- जो कोई मनुष्य किसी भारी और एकाएकी क्रोधदिलानेवाले कामके कारण जानमानकर किसी को भारी दुःख पहुंचावेगा उसको कदाचित यह प्रयोजन उसका नहो और न वह आप यह बात अति संभवित जानता हो कि इससे सिवाय उस मनुष्य के जिसने क्रोध दिलाया दूसरे किसी मनुष्य को भारी दुःख पहुंचेगा दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद चार बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दो हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा-

विवेचना- पिछली दोनों दफ़ा उन्हीं नियमों के आधीन होंगी जिनके कि दफ़ा ३०० का पहिली छूट है-

दंड ऐसे कामका जिस्से दूसरे केजीव अथवा शरीरकुशल की जोखिम हो-

३३६- जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से करेगा जिस्से औरों केजीव अथवा शरीरकुशलकी जोखिम हो उसको दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो अढाई सो रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा-

दुःख पहुंचाना किसी ऐसे कामसे जिस्से औरों के जीव अथवा शरीर के कुशल को जोखिम हो-

३३७ - जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से जिस्से औरों के जीव अथवा शरीर के कुशल को जोखिम होकरके दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा -

भारी दुःख पहुंचाना किसी ऐसे काम से जिस्से औरों के जीव अथवा शरीर के कुशल की जोखिम हो -

३३८ - जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से जिस्से औरों के जीव अथवा शरीर के कुशल की जोखिम हो करके भारी दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा -

अनीति रोक और अनीति बंध के विषय में -

अनीति रोक

३३९ - जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी मनुष्य को इस भांति रोकेगा जिस्से वह मनुष्य उस ओर को जिधर जाने का उसे अधिकार होजाने से रुक जाय उस मनुष्य को अनीति से रोकने वाला कहलावेगा -

छूट - रोकना किसी ऐसी गैल का जो सर्व संबंधी न हो चाहे पानी की ओर जिसको रोकने का कोई मनुष्य शुद्ध भाव से अपने को कानून अनुसार अधिकारी मानता हो इस दफा के अर्थ में अपराध न गिना जायगा -

उदाहरण

हरदत्त ने एक रस्ते को जिसमें चलने का विष्णुमित्र अधिकारी न था और

रोका और देवदत्त को शुद्ध भाव से इस बात का निश्चय न था कि मुझको इसौ
ल के रोकने का अधिकार है इस रोकने से विष्णुमित्र वहां होकर निकलने से रुक
गया तो देवदत्त ने विष्णुमित्र को अनीति रीति से रोक पहुंचाई॥

३४०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति रोक इस भांति
अनीति बन्धि पहुंचावेगा जिस्से वह मनुष्य किसी नियत सीमा के ब
जाने से रुक जाय वह उस मनुष्य को अनीति निबन्धि करने वाल
हलावेगा—

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को भीति से घिरे हुए किसी मकान में करके ताल
गा दिया इस्से विष्णुमित्र उस घर की भीति के बाहर किसी ओर जाने से रु
का तो देवदत्त विष्णुमित्र को अनीति बन्धि में रक्खा—

(ब) देवदत्त ने किसी मकान के द्वार पर बंदूक वाले मनुष्य बिठा दिये और [illegible]
मित्र से कह दिया कि जो तू मकान से बाहर निकलने का उद्योग करेगा तो वे
ग तुझ पर बंदूक छोड़ेंगे यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र को अनीति बन्धि में रक्खा

३४१— जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति रोक पहुंचावे
अनीति रोक का दंड | उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद
ए महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपये त
क हो सकेगा अथवा दोनों का दिया जायगा—

३४२—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में रक्खेगा
अनीति बन्धि का दंड | उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जि
सकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज
ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का दिया जायगा—

३४३—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को तीन दिन तक अथवा [illegible]
[illegible] अधिक दिन तक अनीति बन्धि में
[illegible] उसको दंड दोनों में से किसी प्रका

की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

दसदिन तक अथवा उस्से अधिक दिन तक अनीतिबंदि में रखना-

३४४- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दस दिन तक अथवा उस्से अधिक दिन तक अनीतिबंदि में रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा-

अनीतिबन्दि में रखना ऐसे मनुष्य को जिसके छोड़देने के लिये परवाना जारी होचुका हो-

३४५- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीतिबन्दि में यह बात जानबूझकर कि इसके छोड़ देने के लिये परवाना यथोचित जारी होचुका है रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी सिवाय उस म्याद की क़ैद के जो इस अध्याय की किसी और दफ़ा के अनुसार होसकती हो किया जायगा-

अनीतिबन्धि में गुप्त रखना

३४६- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीतिबन्धि में इसभांति रक्खेगा जिस्से प्रयोजन उसका यह पाया जाय कि उस मनुष्य का बन्धि में होना कोई मनुष्य जो बन्धि किये मनुष्य से कुछ स्वार्थ रखता हो अथवा कोई सर्वसंबंधी नोकर जान न ले अथवा बन्धि की जगह को ऊपर कहे प्रकार का कोई मनुष्य अथवा सर्वसंबंधी नौकर जान न सके अथवा खोज न पावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी सिवाय उस दंड के किया जायगा जिसके योग्य वह उस अनीतिबंधि के कारण हो-

३४७- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीतिबन्दि में इस निमित्त रक्खेगा कि उस्से अथवा और किसी मनुष्य से [illegible]

दवाकर मालनेलेने अथवा कोई अनीतिकाम दवाकर करानेके प्रयोजन सेनीतिबंदि

स्वार्थ रखता हो कुछ मालमिलकियत अथवा दस्तावेज़ दवाकर लेले अथवा उ
बंधि किए हुए मनुष्य से या उस मनुष्य
जो उस में स्वार्थ रखता हो दवाकर कोई अनीति काम करालें अ
थवा कोई ऐसी ख़बर जिस्से किसी अपराध का होना सुगम होता
हो पूंछे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी
म्याद तीनवरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने
के भी योग्य होगा –

दवाकर इकरार करानेअथवा दवाकर माल फिरवाने के लिये अनीति वन्धि--

३४८ — जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति वन्धि में इस
निमित्त रक्खेगा कि उस्से अथवा और कि
सी मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता हो
दवाकर इकरार करावे अथवा कोई खब
र जिस्से खोज किसी अपराध का अथवा चाल चलन संबंधी अप
राध का लगसकता हो पूंछे अथवा इस निमित्त कि वन्धि किये हुए
मनुष्य से अथवा और किसी मनुष्य से जो उस में स्वार्थ रखता हो
दवाकर कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज़ फेर ले अथवा को
ई दावा या तगादा चुका ले अथवा कुछ ऐसी खबर जिस्से कोई
माल मिलकियत अथवा दस्तावेज़ फिर सके पूंछले उसको दंड दो
नों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीनवरस तक हो स
केगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा –

नीतिवल और उदया.

वल

३४९ – कोई दूसरे मनुष्य पर वल करने वाला कहलावेगा जब कि
वह उस दूसरे को चलायमान करे अथवा उसकी चलायमान
ता को वदले या उसकी चलायमानता को ठैरावे अथवा किसी वस्तु
को इस भांति चलायमानता में डाले या उसकी चलायमानता

को ठैरावे जिस्से वह वस्तु उससे दूसरे मनुष्य के किसी अंग को छूजा य अथवा और किसी वस्तु को जो वह पहने हुए हो या लिये जाता हो अथवा किसी वस्तु को जो इस प्रकार से रक्खी हो कि उसको छूना उस मनुष्य के त्वचा इंद्री को खेद पहुंचाता हो लु जाय परंतु नियम यह है कि जिस मनुष्य ने उस चलायमानता को किया अथवा च लायमानता को बदला अथवा चलायमानता को ठैराया वह उस चलायमानता के करने को अथवा चलायमानता के बदले ने को अथवा चलायमानता के ठैराने को नीचे लिखी हुई नीति भांते मे से किसी एक भांति से करे-

प्रथम - अपने शरीर के बलसे-

दूसरे - किसी वस्तु को इस भांति रख कर कि जिस से विना कुछ औ र काम उसकी ओर से अथवा किसी दूसरे मनुष्य की ओर से कि ये जाने के वह वस्तु चलायमान हो जाय अथवा उसकी चलाय मानता बदल जाय अथवा ठैर जाय-

तीसरे - किसी पशु को चलायमान करके अथवा उसकी चला यमानता को बदल कर या ठैरा कर॥

३५९ - जो कोई मनुष्य प्रयोजन करके किसी मनुष्य के साथ अनीतिबल विना उस मनुष्य की राजी के बल करेगा इस लिये कि कुछ अपराध करे अथवा इस प्रयोजन से या यह वा निश्चित सं भवित जानकर कि इस बल के करने से उस मनुष्य को जिसके सा थ बल किया जाता है कुछ हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुं चेगा तो कहलावेगा कि उसने उस मनुष्य के साथ अनीतिबल किया-

उदाहरण

(क) विष्णुमित्र किसी नदी में लंगर पड़ी हुई एक नाव पर बैठा था देवदत्त ने

लंगर खोल दिये और इस भांति जानमानकर नाव को नदी में बहाया तो यहां देवदत्त ने प्रयोजन करके विश्नुमित्र को चलायमान में डाला और यह काम उसने एक वस्तु को इस प्रकार से रखकर किया कि जिसे विना इसकी ओर से काणी। किसी मनुष्य की ओर से कुछ और काम किये जाने के चलायमानता उत्पन्न होगई इसलिये देवदत्त ने जानमानकर विश्नुमित्र के साथ बल किया और कदाचित यह उसने विश्नुमित्र की विना राज़ी के इस प्रयोजन से किया हो कि कुछ अपराध करे अथवा यह प्रयोजन करके या यह जान कर जिसंभव न जानकर कि इस बल के करने से विश्नुमित्र को हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने विश्नुमित्र के साथ अनीति बल किया —

(२) विश्नुमित्र एक रथ में चढ़ा जाता था देवदत्त ने विश्नुमित्र के घोड़ों के चाबुक मार कर जलदी चलाया तो यहां देवदत्त ने घोड़ों से उनकी चलायमानता बदला कर विश्नुमित्र की चलायमानता को बदला इसलिये देवदत्त ने विश्नुमित्र के साथ बल किया और कदाचित देवदत्त ने यह काम विश्नुमित्र को राज़ी के [illegible] ने कि

[illegible]

नि बल किया —

(३) उत्तर विश्नुमित्र पालकी में चढ़ा जाता था देवदत्त ने विश्नुमित्र के लूटने के प्रयोजन से बांस पकड़ कर पालकी ठैराली तो यहां देवदत्त ने विश्नुमित्र की चलायमानता ठैराई और यह काम उसने अपने शरीर के बल से किया इसलिये देवदत्त ने विश्नुमित्र के साथ बल किया और जो कि देवदत्त ने यह बल जानबूझ कर विना विश्नुमित्र की राज़ी के एक अपराध करने के प्रयोजन से किया इसलिये देवदत्त ने विश्नुमित्र के साथ अनीति बल किया —

(४) देवदत्त ने जानबूझकर गली में विश्नुमित्र को रेला दिया तो यहां देवदत्त ने अपने शरीर को अपने ही बल से ऐसा चलायमान किया कि वह विश्नुमित्र को छू गया इसलिये उस ने जान बूझकर विश्नुमित्र के साथ बल किया

और कदाचित नेयह काम विश्नुमित्र की राज़ी के विना प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जान कर किया हो कि इससे विश्नुमित्र को हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो उसने विश्नुमित्र के साथ अनीति बल किया-
(ङ) देवदत्त ने एक पत्थर इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर फेंका कियह पत्थर विश्नुमित्र से अथवा विश्नुमित्र के कपड़ों से अथवा और किसी वस्तु से जिसे विश्नुमित्र लिये जाता हो मिल जायगा अथवा पानी में लगकर विश्नुमित्र के कपड़ों पर या और किसी वस्तु पर जो विश्नुमित्र लिये जाता हो छींट डालेगा और कदाचित उस पत्थर के फेंकने से यह होजाय कि कुछ वस्तु विश्नुमित्र से अथवा विश्नुमित्र के कपड़ों से अथवा और किसी वस्तु से जो विश्नुमित्र लिये जाता हो मिल जाय तो देवदत्त ने विश्नुमित्र के साथ बल किया और कदाचित यह बात उसने विश्नुमित्र की राज़ी के बिना इस प्रयोजन से की हो कि इससे विश्नुमित्र को हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने विश्नुमित्र के साथ अनीति बल किया-
(च) देवदत्त ने जानबूझकर किसी स्त्री का घूंघट खोल दिया तो यहां देवदत्त ने जानबूझकर बल किया और कदाचित यह काम उसने उस स्त्री की राज़ी के बिना इस प्रयोजन से किया हो कि इससे उसको कुछ हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुंचेगा तो उसने उस स्त्री के साथ अनीति बल किया-
(छ) विश्नुमित्र न्हा रहा था देवदत्त ने न्हाने की जगह में जानबूझकर खौलता पानी डाल दिया तो यहां देवदत्त ने जानबूझकर अपने शरीर के बल से खौलते पानी को ऐसी चलायमानता में डाला जिससे उस पानी ने विश्नुमित्र के अंग को अथवा पानी को जो इस प्रकार से रक्खा था कि उसके छूने से उस अवस्था विश्नुमित्र के ज्ञानेन्द्रियों को खेद पहुंचे इसलिये देवदत्त ने जानबूझकर विश्नुमित्र के साथ बल किया और कदाचित उसने यह काम विश्नुमित्र की राज़ी के बिना इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर किया हो कि इससे विश्नुमित्र को हानि या डर या कलेश पहुंचेगा तो देवदत्त

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

३५१ – [illegible] मनुष्य कुछ इशारा [illegible]
उठैया न से अथवा यह बात अति संभवित जानकर करे कि इ
स इशारे अथवा उपाय से कोई मनुष्य जो वहां मौजूद हो य
ह समझे कि यह इशारा अथवा उपाय करने वाला मनुष्य मे
रे साथ अनीति बल करने को है तो कहा जायगा कि उसने
उठैया किया–

विवेचना – केवल बात कहना उठैया न गिना जायगा परंतु क
हने वाले मनुष्य के इशारों अथवा उपायों के अर्थ को बातें ऐसा
कर सकेंगी जिस्से वे इशारे अथवा उपाय उठैये के बराबर गिने
जायं–

उदाहरण

(१) देवदत्त ने विष्णुमित्र की ओर अपना घूंसा हिलाया इस प्रयोजन
से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इस्से विष्णुमित्र निश्चय मा
नेगा कि देवदत्त मुझको पीटने को है तो देवदत्त ने उठैया किया–
(२) देवदत्त एक कटखने कुत्ते की भंवरकली खोलने लगा इस प्र
योजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इस्से विष्णुमित्र
निश्चय मानेगा कि देवदत्त इस कुत्ते को मेरे ऊपर छोड़ने को है तो
देवदत्त ने विष्णुमित्र पर उठैया किया–
(३) देवदत्त ने विष्णुमित्र से यह कहकर कि मैं तुमको पीटूंगा एक ल
ड़ी उठाई तो यहां यद्यपि वह बात जो देवदत्त ने कही किसी भां
ति उठैया नहीं हो सकती और न वह उपाय अर्थात् लकड़ी का

उगना उठैया गिना जाता जव नक कि उसके साथ ओर कोई वात न होती परंतु जव उस उपाय का अर्थ उन वातों के साथ में लगा या जाय तो उठैया हो सकेगा -

३५२ — जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर उठैया करेगा अथवा उसके साथ अनीति वल करेगा सिवाय इस के कि उस मनुष्य के दिलाए हुए एकाएकी ओर भारी क्रोध में आकर ऐसा करे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का पांचसौ रुपया तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा -

दंड अनीति वल का सिवाय इसके कि भारी क्रोध दिलानेवाले कामके कारण किया जाय

विवेचना — एकाएकी और भारी क्रोध का कारण होने से इस दफ़ा के अपराध का दंड कमती नहीं हो सकेगा कदाचित वह क्रोध अपराधी ने अपराध करने के मिसके लिये आपही कराया हो अथवा जव वह क्रोध किसी ऐसे काम से हुआ हो जो कानून अनुसार किया गया अथवा किसी सर्वसंवंधी नोकर ने अपनी नोकरी का अधिकार कानून अनुसार भुगताने में किया हो अथवा -

जव वह क्रोध किसी ऐसे काम से हुआ हो जो निज रक्षा के अधिकार को कानून अनुसार वर्त्तने में किया गया हो -

यह वात देखनी कि क्रोध ऐसा एका एकी और ऐसा भारी था जो दंड घटाने के लिये काफी हो नह की वात

जो कोई मनुष्य उठैया अथवा अनीति वल किसी ऐसे मनुष्य पर करेगा जो सर्वसंवंधी नोकर हो और अपनी नोकरी का काम भुगताता हो अथवा इस प्रयोजन से कि वह मनुष्य

[illegible] अनीति वल [illegible] जाय -

सकारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का काम कानून अनुसार भुगताया या भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

किसी स्त्री पर उसकी लज्जा बिगाड़ने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीतिबल करना –

३५४ – जो कोई मनुष्य किसी स्त्री पर इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभावित जानकर कि इस्से इस की लज्जा बिगड़ेगी उठैया अथवा अनीतिबल करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

किसी मनुष्य को बेइज़्ज़त करने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीतिबल करना सिवाय इसके कि उस मनुष्य के दिलाए हुए एकाएकी और भारी क्रोध में आकर किया जाय –

३५५ – जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की इज़्ज़त बिगाड़ने के प्रयोजन से उस पर उठैया अथवा अनीतिबल करेगा सिवाय इसके कि उस मनुष्य ने उसको भारी और एकाएकी क्रोध होने का कारण किया हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो छीन लेने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीतिबल करना

३५६ – जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य से कोई वस्तु जिसे वह पहने हो अथवा लिये जाता छीन लेने का उद्योग करने में उस पर उठैया अथवा अनीतिबल करेगा उसका दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

३५७ – जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति वन्धि में रख ने में उद्योग करने में उस पर उठैया अथवा अनीति वल करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु पये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा –

अनीति वन्धि में रखने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीति वल करना –

३५८ – जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर उसके दिलाए हुए एका एकी और भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा अनीति वल करेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा –

एका एकी और भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा वल करना –

विवेचना – पिछली दफ़ा उसी विवेचना आधीन होगी जिसके कि दफ़ा ३५२ है –

ज़वरदस्ती पकड़ ले जाने और वहका ले जाने और गुलामी में रखने और वेगार कराने के विषय में

३५९ – पकड़ ले जाना दो प्रकार का है हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी रा ज्य में से पकड़ ले जाना और नीति पूर्वक रक्षक की पकड़ ले जाना –

पकड़ ले जाना –

३६० – किसी मनुष्य को विना राज़ी उसकी के अथवा और किसी मनुष्य को के जिसको कानून अनुसार उसकी ओर से राज़ी हो हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य की सीमा

हिन्दुस्तान में से पकड़ ले जाना –

से बाहर पहुंचावेगा तो कहलावेगा कि वह उस मनुष्य को हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य में से पकड़ लेगया—

३६१— जो कोई मनुष्य किसी बालक को जिसकी अवस्था लड़का हो तो चौदह वरस से नीचे और लड़की हो तो सोलह वरस से नीचे हो अथवा किसी सिड़ी मनुष्य को उसके नीति पूर्वक रक्षक की रक्षा में से बिना उस रक्षक की राज़ी के ले जायगा अथवा वहका ले जायगा तो कहलावेगा कि वह उस बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को नीति पूर्वक रक्षा में से पकड़ लेगया—

नीति पूर्वक रक्षा में से पकड़ लेजाना

विवेचना— इस दफ़ा में नीति पूर्वक रक्षा शब्द में कोई मनुष्य जिसको बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की चौकसी अथवा रक्षा क़ानून अनुसार सौंपी गई हो—

छूट— यह दफ़ा किसी ऐसे मनुष्य के काम से संबंध रक्खेगी जो अपने को शुद्ध भाव से किसी कमअसल बालक का मा बाप निश्चय मानता हो अथवा शुद्ध सुभाव से यह जानता हो कि इस बालक को अपनी रक्षा में लेने का मैं अधिकारी हूं सिवाय इसके कि वह काम किसी दुराचार अथवा अनीति काम के निमित्त कियागया—

३६२— जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य किसी जगह से चले जाने के लिये बल से दवावेगा अथवा किसी धोखे से बहकावेगा तो कहा जायगा कि वह मनुष्य को वहका लेगया—

वहका लेजाना

३६३— जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य में से अथवा उसके रक्षक की नीति पूर्वक रक्षा में से पकड़ लेजायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों

का किया जायगा —

३६४ — जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इसलिये पकड़ले जायगा अथवा बहका लेजायगा कि वह मनुष्य मारा जायगा अथवा ऐसी अवस्था में रक्खा जाय जिस्से उसके मारे जाने की जोखिम हो उसको दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दश वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा —

मारडालने के लिये पकड़लेजाना अथवा वहकालेजाना

उदाहरण

(अ) देवदत्त विष्णुमित्र को हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य में से इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर पकड़ लेगया कि विष्णुमित्र किसी देवता के सामने बलिदान किया जाय तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया —

(इ) देवदत्त यज्ञदत्त को उसके घरमें से बहकाकरके अथवा बहकाकर लेगया इसलिये कि यज्ञदत्त मारा जाय तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया —

३६५ — जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इस प्रयोजन से पकड़ ले जायगा अथवा बहका ले जायगा कि वह छुपाछुपी और अनीति से बंधि में डाला जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक किया जायगा और जरीमाने भी योग्य होगा —

किसी मनुष्य को छुपाछुपी और अनीति रीति से बन्धि में रखने के प्रयोजन से पकड़ लेजाना अथवा वहकालेजाना

जो कोई मनुष्य किसी स्त्री को पकड़ ले जायगा अथवा बहका ले इस प्रयोजन से कि वह किसी मनुष्य के साथ अपनी राज़ी अथवा यह बात अति संभवि

किसी स्त्री को दबाकर व्याह कराने इत्यादि के लिये पकड़ लेजाना अथवा बहकालेजाना

न जानकर कि वह इसभांति दबाई जायगी अथवा इसलिये कि वह व्यभिचार करने के लिये दबाई जाय अथवा बहकाई जाय अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि वह व्यभिचार करने के लिये दबाई अथवा बहकाई जायगी उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक होसकेगी कियाजायगा और जरीमानेकेभी योग्यहोगा-

किसी मनुष्य को भारी दुःख देने अथवा गुलामी में रखने इत्यादि के लिये पकड़ ले जाना अथवा बहकालेजाना

३६७- जोकोई मनुष्य किसी मनुष्यको पकड़ लेजायगा अथवा बहकाले जायगा इस प्रयोजन से कि वह मनुष्य भारी दुःख अथवा गुलामी अथवा किसी मनुष्य की स्वभाव विरुद्ध कामातुरता सहे अथवा ऐसी अवस्था में रक्खा जाय जहां इन बातों में से किसी के सहने की जोखिम हो अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि वह मनुष्य यह बातें सहेगा अथवा सहनेकी जोखिम में जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्यहोगा -

पकड़ले गयेहुए मनुष्य को छुपाना अथवा बंधि में रखना

३६८- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को यह बात जानबूझकर कि यह पकड़ लाय गया अथवा बहका लायगयाहे अनीति रीति से छुपावेगा अथवा बंधि में रक्खेगा उसको दंड उसी भांति किया जायगा मानो वह आप उस मनुष्य को उसी प्रयोजन से और उसी ज्ञान से अथवा उसी निमित्त से पकड़ लेगया और बहका लेगया जिससे कि उसने उस मनुष्य को छुपाया अथवा बंधि में रक्खा-

३६९-जो कोई मनुष्य दश बरस की अवस्था से नीचे के किसी

पकड़लेजाना अथवा वहका लेजाना दस वरस के नीचे के वालक को इस प्रयोजन से कि उसके शरीर पर कि उसके शरीर पर से कुछ वस्तु लेले–

वालक को उस के शरीर पर से कुछ वस्तु वेधर्मई करके ठगार लेने के प्रयोजन से पकड़ ले जायगा अथवा वहका ले जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा–

३७० – जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को गुलामी की भांति इस देश में लावेगा अथवा इस वाहर ले जायगा अथवा एक ठौर से दूसरी ठौर पहुंचावेगा अथवा मोल लेगा अथवा वेंचेगा अथवा देडालेगा अथवा किसी को गुलाम की भांति स्वीकार करेगा या लेगा या उसकी राज़ी के विना रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा –

किसी मनुष्य को गुलाम करके वेंचना अथवा अलग करना

३७१ – जो कोई मनुष्य गुलामों को व्योपार के लिये इस देश में लावेगा अथवा इस से वाहर ले जायगा अथवा एक ठौर से दूसरी ठौर पहुंचावेगा अथवा मोल लेगा अथवा वेंचेगा अथवा वेंचने खरीदने का व्योपार या व्यवसा ... ... को देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस वर्ष न ... किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा –

गुलामी का व्योपार

३७२ – जो कोई ... सोलह वरस से कम की अवस्था के ... कराने ... अथवा अनीति और अधर्म का

काम लिया जाने के प्रयोजन से अथवा ऐसा काम लिया जाना अतिसंभावित जानकर बेचेगा अथवा किराये पर भेजेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा –

वेश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालक को मोल लेना अथवा अपने पास रखना

३७३ – जो कोई मनुष्य सोलह वर्स से कमती अवस्था के किसी बालक को वेश्यापन कराने अथवा अनीति और अधर्म का काम लिया जाने जाने के प्रयोजन से अथवा ऐसा काम लिया जाना अति संभावित जान कर मोल लेगा अथवा किराये पर रक्खेगा अथवा और किसी भांति अपने पास रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा –

अनीति बेगार

३७४ – जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को उसकी राजी के विरु[द्ध] अनीति से दबाकर काम लेगा अर्थात् बेगार करावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

बल सहित व्यभिचार

बलसहित व्यभिचार

३७५ – जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी हुई छूट के किसी स्त्री के साथ नीचे लिखे हुए पांच प्रकारों में से किसी प्रकार से संभोग करेगा तो कहा जायगा कि उसने बल सहित व्यभिचार किया –

प्रथम - उसकी राज़ी के विरुद्ध
दूसरे - उसकी राज़ी के विना -
तीसरे - उसकी राज़ी से जबकि वह राजी उसको मृत्यु अथवा दुःख का डर दिखाकर ली गई हो -
चौथे - उसकी राज़ी से जबकि वह पुरुष जानता हो कि मैं इसका इसका पति नहीं हूं और इसके राज़ी होने का हेतु यह है कि मुझको कोई दूसरा पुरुष जानती है जिसको वह नीति पूर्वक व्याही है अथवा व्याही हुई मानरही है -
पांचवे - उसकी राज़ी से चाहे विना राजी जबकि वह दशवरस से कमती अवस्था की हो
विवेचना - प्रवेश का होजाना उस संभोग में जो बल सहित व्यभिचार के अपराध के लिये अवश्य है काफ़ी समझाजावगा -
छूट - अपनी जोरू के साथ जबकि वह दशवरस से कमती अवस्था न हो संभोग करना बलसहित व्यभिचार न गिना जायगा -
३७६ - जो कोई मनुष्य बलसहित व्यभिचार करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश वरस तक होसकेगी कियाजायगा और जरीने केभी योग्य होगा -

बलसहित व्यभिचार का दंड

स्वभावविरुद्ध अपराध

३७७ - जो कोई मनुष्य जानमानकर किसी पुरुष अथवा स्त्री अथवा पशु के साथ प्रकृति की रचना के विरुद्ध संभोग करेगा उसको दंड जन्मभर देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश वरस तक होसकेगी कियाजायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा -

स्वभाव विरुद्ध अपराध

विवेचना - जो संभोग कि इस दफ़ा वर्णन किये हुए अपराध

के लिये अवश्य है उसमें प्रवेश का होना काफ़ी समझा जायगा-

अध्याय १७

धन संबंधी अपराधों के विषयमें

चोरी

३७८- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के कबज़े में से कुछ अस्थावर वस्तु उसकी राज़ी के बिना बेधर्मई से ले जाने के प्रयोजन से उस वस्तु को इस भांति ले जाने के लिये उठावेगा तो कहा जायगा कि उसने चोरी की।

चोरी

विवेचना१- कोई वस्तु जब तक कि वह धरती से लगी हुई है अस्थावर नहीं है इसलिये चोरी नहीं जासकती परंतु जभी धरती से छुड़ाई जाय चोरी जासकती है-

विवेचना२- हटाना किसी वस्तु का वही काम करके जिस्से उस का छुड़ाना होता होता है चोरी गिनी जासकेगा-

विवेचना३- जैसे कोई मनुष्य किसी वस्तु का हटाने वाला कहलाता है जब कि वह उस वस्तु को उसकी जगह से हटावे ऐसेही उस अवस्था में भी कहलावेगा जब कि वह उस रोक को जिस्से वह वस्तु अपनी जगह से हटने से रुक रही हो हटादे अथवा जब कि उसको किसी दूसरी वस्तु से अलग करे-

विवेचना४- कोई मनुष्य जो किसी पशु को किसी उपाय से हटावे उस पशु का और प्रत्येक वस्तु का जिसे वह पशु अपने इस भांति हटाए जाने के कारण हटावे हटाने वाला कहलावेगा-

विवेचना५- वह राज़ी जिसका जिकर इस अपराध के लक्षण में आया है चाहे प्रगट दी गई हो चाहे प्रगट और चाहे उस मनुष्य ने दी हो जिसके कबजे में वह वस्तु हो चाहे और किसी

मनुष्य ने जिस को उसके देने का अधिकार प्रगट अथवा प्राप्त हो -

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की धरती का कोई पेंड़ काटा इस प्रयोजन से कि बिना विष्णुमित्र की राज़ी के उस पेंड को विष्णुमित्र के कबज़े में से बेधर्मई करके उठाले जाय तो यहां जिस समय देवदत्त ने इस प्रकार से लेजाने के लिये पेंड़ काटा उसी समय चोर होगया -

(इ) देवदत्त ने कुत्ते की पोटने की वस्तु अपनी जेब में रखली और इस प्रकार से विष्णुमित्र के कुत्ते को अपने संग लगा लिया यहां कदाचित देवदत्त का प्रयोजन उस कुत्ते को विष्णुमित्र के क़बज़े में से बिना विष्णुमित्र की राज़ी के बेधर्मई से लेजाने का हो तो जिस समय विष्णुमित्र का कुत्ता देवदत्त के संग चला उसी समय देवदत्त चोर होगया -

(उ) देवदत्त को कोई बैल खज़ाने के सन्दूक से लदा हुआ मिल गया और उस ने उस बैल को किसी और इस प्रयोजन से हांक दिया कि ख़ज़ाने को बेधर्मई से ले ले तो जिस समय बैल हांका उसी समय देवदत्त ख़ज़ाने का चोर होगया -

देवदत्त जो विष्णुमित्र का नौकर था उस की चौकसी में विष्णुमित्र ने अपने दो सोने के बर्तन रख दिये और उन बर्तनों को विष्णुमित्र की राज़ी के बिना देवदत्त लेकर भाग गया तो देवदत्त चोर हुआ -

(ऐ) विष्णुमित्र ने देशाटन को जाते समय अपने चांदी सोने के — बर्तन देवदत्त जो मालिक किसी गोदाम का था अपने लौट आने तक के लिए सौंप दिये देवदत्त ने उन बर्तनों को किसी सुनार के पास लेजाकर बेंच दिया तो यहां बर्तन विष्णुमित्र के क़बज़े में न थे इसलिये विष्णुमित्र के क़बज़े से उनको खोजाना भी नहीं होसकता और न देवदत्त चोर हुआ बरापि उसने धरोहर में दंड योग्य विश्वासघात किया है -

दी तो कदाचित् देवदत्त ने वह वस्तु बेधर्मई से ली तो चोर हुआ-
(ञ) देवदत्त ने अशुद्ध भाव से विष्णुमित्र की किसी वस्तु को अपनी वस्तु जानकर यज्ञदत्त के पास से ले लिया तो यहां देवदत्त ने वह वस्तु बेधर्मई से नहीं ली-

चोरी का दंड

३७९ — जो कोई मनुष्य चोरी करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा अथवा दोनों का किया जायगा-

चोरी किसी मकान अथवा तम्बू अथवा नाव में-

३८० — जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मकान अथवा तम्बू अथवा नाव में जो मनुष्य की रहने की जगह की भांति अथवा माल असबाब रखने के लिये काम में हो चोरी करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

जब कोई गुमाश्ता अथवा नोकर अपने मालिक के पास से कोई वस्तु चुरावे-

३८१ — जो कोई मनुष्य गुमाश्ता अथवा नौकर होकर अथवा गुमाश्ते या नौकर के काम पर होकर कुछ वस्तु अपने मालिक अथवा काम पर लगाने वाले के पास से चुरावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

चोरी करने के प्रयोजन से किसी को मारडालने अथवा दुःख पहुंचाने का उपाय करके चोरी करना

३८२ — जो कोई मनुष्य चोरी करने के लिये अथवा चोरी करके भाग जाने के लिये अथवा चोरी के माल को बचा रखने के लिये किसी की मृत्यु करने अथवा दुःख देने अथ... अथवा मृत्यु या दुःख या रोक का डर दिखाने ... चोरी ... । उसको दंड कठिन क़ैद का जिस

की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विश्नुमित्र के कबज़े से माल चुराया और चोरी करते समय एक भरा हुआ तमंचा अपने कपड़े के नीचे रख लिया इस निमित्त कि कदाचित विश्नुमित्र को इस तमंचे से मार दूंगा तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया—

(इ) देवदत्त ने विश्नुमित्र की जेब कतरी और उस समय अपने कई साथियों को विश्नुमित्र के दायें बायें इसलिये लगाय रक्खा कि कदाचित विश्नुमित्र जेब कटती हुई देख ले और रोकना चाहे अथवा देवदत्त को पकड़ने का उद्योग करे तो वे उसको रोक लें यहां देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ—

दबाकर लेने के विषय में

३८३—जो कोई मनुष्य प्रयोजन करके किसी मनुष्य को कुछ डर हानि पहुंचाने का दिखावेगा चाहे डर उसी मनुष्य की हानि का जिसे डर दिखाया गया चाहे और किसी की और इस उपाय से कुछ वस्तु अथवा दस्तावेज़ अथवा मोहर या दस्तखत कोई ऐसी कोई वस्तु जिससे दस्तावेज़ बन सके उस मनुष्य से जिसको डर दिखाया बेधर्मई करके किसी को दिलावेगा दबाकर लेने

दबाकर लेना

उदाहरण

देवदत्त ने धमकी दी कि जो विश्नुमित्र इतना रुपया मुझको न देगा तो [illegible] ५५ [illegible] बात प्रगट करदूंगा और इस उपाय से उसने वि[illegible] दबाकर रुपया लिया तो देवदत्त ने दबाकर लेने का अपराध किया

[illegible] विश्नुमित्र को धमकी दी मैं तेरे बालक को [illegible] नीति पर लिखूं

नाम नहीं तो अपने दस्तख़त करके मुझको एक तमस्सुक देदे जिसमें लिखा हो कि विष्णुमित्र मुझको इतना रुपया देगा विष्णुमित्र ने दस्तख़त करके तमस्सुक उसको दे दिया तो देवदत्त लेने का अपराधी हुआ-

(ग) देवदत्त ने विष्णुमित्र को धमकी दी कि मैं लठैत भेजकर तेरा खेत जुतवा लूंगा नहीं तो तू अपने दस्तख़त करके एक तमस्सुक यज्ञदत्त को इस बात का लिखदे कि विष्णुमित्र फलानी पैदावारी यज्ञदत्त को देगा और न दे तो इस जरीमाने के योग्य होगा-देवदत्त ने इस भांति दबाकर तमस्सुक पर विष्णुमित्र के दस्तख़त करालिये तो देवदत्त ने दबाकर लेने का अपराध किया-

(घ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को भारी दुःख पहुंचाने की धमकी से दबाकर वे धर्मई से कोरे कोरे कागज़ पर दस्तख़त करालिये तो यहां वह कागज़ जिस पर इस भांति दस्तख़त कराये गये दस्तावेज़ बनसकते हैं इसलिये देवदत्त दबाकर लेने का अपराधी हुआ-

३८४-जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराधी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

दबाकर लेने का दंड

३८५-जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध करने के लिये किसी मनुष्य को कुछ हानि पहुंचाने का डर दिखावेगा अथवा डर दिखाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने का डर दिखाना-

३८६-जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध किसी मनुष्य को मृत्यु का अथवा भारी दुःख का डर दिखाकर करेगा चाहे वह डर

किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखाकर दबा कर लेना-

उसी मनुष्य की म्त्यु या भारी दुःख का हो जिसको डर दिखाया गया चाहे और किसी की उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने भी योग्य होगा –

३८७ – जो कोई मनुष्य दवाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को म्त्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखावेगा अथवा दिखाने का उद्योग करेगा चाहे वह डर उसी मनुष्य की म्त्यु या भारी दुख का हो जिसको डर दिखाया गया चाहे और किसी की उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा –

दवाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को म्त्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखाना –

३८८ – जो कोई मनुष्य दवाकर लेने का अपराध किसी मनुष्य को डर इस बात का दिखाकर करेगा कि मैं तुझ को अथवा और किसी मनुष्य को तुहमत किसी ऐसे अपराध के करने की अथवा करने का उद्योग करने की अथवा करने के लिये किसी मनुष्य को बहकाने की लगाऊंगा जिसका दंड वध अथवा जन्मभर का देशनिकाला अथवा दशबरस तक की क़ैद है उसको दंड दोनों में [illegible] प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होस[illegible] और जरीमाने के भी योग्य होगा और [illegible] वह अपराध इस संग्रह की दफ़ा ३७७ के अनुसार दंड [illegible] तो दंड जन्म भर के देश निकाले का हो सकेगा –

वध अथवा देश निकाले का इत्यादि दंड के योग्य किसी अपराध की तोहमत लगाने का डर दिखाकर दवाकर लेना

[illegible] जो कोई मनुष्य दवाकर लेने का अपराध करने के [illegible] का डर इस बात का दिखावेगा अथवा दि

विवेचना—अपराधी का सामने नहीं होना कहा जायगा जबकि वह इतना नगीच हो कि उस मनुष्य को डर तत्काल मृत्यु अथवा तत्काल दुःख अथवा तत्काल अनीति वंधि का दिखा सके—

उदाहरण

(१) देवदत्त ने विष्णुमित्र को दवा चलिया और विना विष्णुमित्र की राज़ी के छल करके विष्णुमित्र की द्रव्य और गहना उसके वस्त्रों में से ले लिया यहां देवदत्त ने चोरी की और उस चोरी के करने के लिये विष्णुमित्र को जानमान कर अनीतिवंधि में रक्खा इसलिये देवदत्त ने जोरी की—

(२) देवदत्त को विष्णुमित्र सड़क पर मिला देवदत्त ने विष्णुमित्र को तमंचा दिखाया और उसकी थैली मांगी विष्णुमित्र ने डर के मारे थैली देदी तो यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र को तत्काल दुःख को डर दिखाकर थैली दवाकर ली और दवाकर लेने का अपराध करने के समय उसके सामने था इसलिये देवदत्त ने जोरी की—

(३) देवदत्त को विष्णुमित्र और विष्णुमित्र का बालक सड़क पर मिले देवदत्त ने उस बालक को पकड़ लिया और विष्णुमित्र को धमकी दी कि तू अपनी थैली मुझे न देदेगा तो मैं इस बालक को खार में फेंक दूंगा विष्णुमित्र ने डर के मारे थैली देदी तो यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र को उस बालक को जो वहां मौजूद था तत्काल दुःख देने का डर दिखाकर विष्णुमित्र से थैली दवाकर लेली इसलिये देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ जोरी की—

(४) देवदत्त ने विष्णुमित्र से कुछ माल यह कह कर लिया कि तेरा बालक [illegible] पनके हाथ [illegible]

[illegible] नहीं [illegible] क्योंकि विष्णुमित्र को उसके बालक की तत्काल [illegible] डर [illegible] दिखाया गया—

[illegible] जब पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्य मिलकर जो [illegible] जब गिनती उन मनुष्यों

डकैती | की जो मिलकर जोरी करें या करने का उद्योग करें और उन मनुष्यों की जो वहां मौजूद हों और जोरी करने का उद्योग करने में सहायता दें पांच अथवा पांच से अधिक हों तो उनमें से हर एक मनुष्य डकैती करने वाला कहलावेगा —

३९२ — जो कोई मनुष्य जोरी करेगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित्त जोरी सूरज उगने और सूरज डूबने के बीच में सड़क पर की जाय तो क़ैद की म्याद चौदह बरस तक हो सकेगी —

जोरी का दंड |

३९३ — जो कोई मनुष्य जोरी करने का उद्योग करेगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने की भी योग्य होगा —

जोरी के उद्योग का दंड |

३९४ — कदाचित् कोई मनुष्य जोरी करने में अथवा जोरी करने का उद्योग करने में जानमान कर दुःख पहुंचावेगा तो उस मनुष्य को और और हर एक मनुष्य जो उसका साथी जोरी करने में अथवा जोरी करने का उद्योग करने में हो दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा —

जोरी करने में जानमानकर दुख पहुंचाना |

३९५ — जो कोई मनुष्य डकैती करेगा उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने भी योग्य होगा —

डकैती का दंड |

३९६ — कदाचित् उन पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यों में से जो मिलकर डकैती करें डकैती करने में कोई एक भी ज्ञानघात करेगा तो उन मनुष्यों में से हर एक को दंड

डकैती के साथ ज्ञानघात |

वध का अथवा जन्मभर के देशनिकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दशवरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा—

३९७— कदाचित् जोरी अथवा डकैती करते समय अपराधी किसी मृत्युकारी हथियार को काम में लावेगा अथवा किसी मनुष्य को भारी दुःख पहुंचावेगा अथवा किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुंचाने का उद्योग करेगा तो जिस क़ैद का दंड ऐसे अपराधी को किया जायगा उसकी म्याद सात वर्स से कमती न होगी—

जोरी अथवा डकैती किसाथ मृत्यु अथवा भारी दुःख करने का उद्योग—

३९८— कदाचित जोरी या डकैती का उद्योग करते समय अपराधी कुछ मृत्युकारी हथियार बांधे होगा तो जिस क़ैद का दंड ऐसे अपराधी को किया जायगा उसकी म्याद सात वरस से कमती न होगी—

मृत्युकारी हथियार बांधकर जोरी अथवा डकैती का उद्योग करना

३९९— जो कोई मनुष्य डकैती करने के लिये सामान करेगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दसवरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्यहोगा—

४००— जो कोई मनुष्य इसकानून के जारी होने के पीछे कभी ऐसे मनुष्यों की जमायत में रहेगा जो डकैती का उद्यम करने के लिये मेल रखते हों उसको [illegible] भर के [illegible] न [illegible] क अथवा कठिन क़ैद जिसकी म्या[illegible] द [illegible] स तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी [illegible]—

डकैतों की जमायत में रहने का दंड—

[illegible]१— जो कोई मनुष्य इस कानून के जारी होने से पीछे कभी ऐसे मनुष्यों की किसी डांवाडोल जमा[illegible]

[illegible]

रंतु यह ऊपर लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हो जायगा क
दाचित् उस माल को उसने यह बात जानबूझकर अथवा जानने
का अवसर पाकर कि इसका मालिक फलाना है अथवा मालि
को ढूंढने और इत्तला देने के लिये यथोचित उपाय करने औ
जितने समय तक मालिक की ओर से दावा होने के लिये उस
ल को अपने पास रख लेना उचित हो उतने समय तक रख ले
से अपने काम में ले आवे–

यह बात कि ऐसे मुक़द्दमे में उचित उपाय क्या है अथवा उचित
मय कितना है निर्णय करनी होगी–

यह कुछ अवश्य नहीं है कि पाने वाला जानता हो कौन इसमा
का मालिक है अथवा यह कि फलाना मनुष्य इसका मालिक है
किन्तु इतना ही काफ़ी होगा कि तसर्रुफ़ करने के समय वह उस
माल को अपना न जानता हो अथवा शुद्ध भाव से निश्चय न रखत
हो कि इसका असल मालिक मिल नहीं सकता है–

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने एक रुपया सड़क पर पाया और न जाना कि किसका है देवदत्त ने उस
रुपये को उठा लिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा लक्षण किया हुआ अपराध नहीं किया

(इ) देवदत्त ने सड़क पर एक चिट्ठी पाई जिसमें एक हुंडी भी थी सरनामे से औ
र चिट्ठी के लेख से उसने जान लिया कि यह हुंडी फलाने मनुष्य की है और हुं
डी को [illegible]
[illegible]
[illegible] किसी भांति न आया कि इसका खोने वाला कौन है परंतु जिस म
नुष्य ने वह रुक्का लिखा था उसका नाम निकल आया और देवदत्त ने जान लिय
[illegible] लिक का पता लग सकेगा फिर भी देव
दत्त मालिक के ढूंढने का कुछ उपाय किये बिना उस रुक्के को अपने काम में

लाया तौ इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ -

(ऋ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के पास से एक थैली जिसमें कुछ द्रव्य थी गिरते देखी और देवदत्त ने वह थैली यह विचार कर कि विष्णुमित्र को फेर दूंगा उठाली परंतु फिरि पीछे अपने काम में ले आया तौ देवदत्त ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया -

(ल) देवदत्त ने एक थैली जिस में रुपये थे पाई और यह न जाना कि किसकी है परंतु पीछे जान लिया कि विष्णुमित्र की है और फिर भी उसको अपने काम में ले आया तौ देवदत्त इस दफ़ा के अपराध का अपराधी हुआ -

(ए) देवदत्त ने एक बड़े मोल की अंगूठी पाई और न जाना कि यह किसकी है फिर देवदत्त ने वह अंगूठी मालिक को ढूंढने को उद्योग किये बिना तुरंत बेंच डाली तौ देवदत्त इस दफ़ा के अपराध का अपराधी हुआ -

बेधर्मई से नसर्रुफ़ करना किसी मालको जो किसी मरे हुए मनु [illegible]

४०४— जो कोई मनुष्य बेधर्मई से किसी माल को यह बात जान कर कि यह माल फ़लाने मनुष्य के क़बज़े में उस मनुष्य के मरते समय था और [illegible] नुष्य के क़बज़े में नहीं रहा है जो इस पर क़बज़ा पाने का क़ानू[न] [illegible] किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद [illegible] किया जायगा और जरीमाने भी योग्य [illegible] समय उसका [illegible] तो म्याद सात बरस तक हो सकेगी -

उदाहरण

विष्णुमित्र का क़बज़ा कुछ असबाब और द्रव्य पर था उसका नौकर [illegible] किसी ऐसे मनुष्य के क़बज़े में जो क़बज़ा पाने का अधि[कारी] [illegible] ने इस दफ़ा के [illegible]

ऐसा किया हुआ अपराध किया—

दंड योग्य विश्वास घात

४०५—जो कोई मनुष्य सुपुर्ददार किसी भांति किसी माल का अथवा दंडयोग्य विश्वासघात मालके वन्दोवस्त का होकर कानून की किसी आज्ञा को किसी आज्ञा को जिसमें ऐसी सुपुर्ददारी के वर्तने की रीति ठैराई गई हो अथवा किसी प्रगट या अप्रगट नीति पूर्वक कौल करार को जो उस सुपुर्ददारी के मद्धे वह कर चुका हो तोडकर उस माल को वेधर्मई से तसर्रुफ़ करेगा अथवा अपने काम में लावेगा अथवा वेधर्मई से उससे अपना काम निकालेगा या उसको दूर कर देगा अथवा जानमान कर किसी दूसरे मनुष्य को ऐसा करने देगा दंड योग्य विश्वास घात का अपराधी कहलावेगा—

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने जो किसी मेरेहुए मनुष्य का वसीथा उल्लंघन उस क़ानून का करके जिसमें उसको आज्ञा थी कि वसीयतनामे के अनुसार माल असवाव को बांटे वे धर्मई से माल असवाव को अपने काम में तसर्रुफ़ किया तो देवदत्त ने दंडयोग्य विश्वास घात किया—

(ब) देवदत्त एक गोदाम का मालिक था विश्नुमित्र सफ़र को जाते समय कुछ माल देवदत्त को सौंपि गया और यह कौल करार ठहराया कि जब विश्नुमित्र गोदाम के भाड़े का इतना रुपया देदेगा अपना माल फेर लेगा देवदत्त ने उस माल को वेधर्मई से वेंच लिया तो देवदत्त ने दंड योग्य विश्वास घात किया—

(ज) कलकत्ते का रहने वाला देवदत्त दिल्ली के रहने वाले विश्नुमित्र का अड़तिया था और उनके आपस में प्रगट अथवा अप्रगट यह कौल क़रार था कि जो कुछ रुपया विश्नुमित्र देवदत्त के पास भेजे उसको देवदत्त विश्नुमित्र की आज्ञा के अनुसार लगावे विश्नुमित्र ने एक लाख रुपया देवदत्त के पास इस आज्ञा से

भेजा कि इसको कंपनी कि काग़ज़ में लगाओ तो देवदत्त ने बेधर्मई से उस आज्ञा को उल्लंघन करके रूपये को अपने काम में लगाया तो देवदत्त ने दंड योग्य विश्वास घात किया—

(क) परंतु जो पिछले उदाहरण में देवदत्त ने बेधर्मई से नहीं शुद्ध शुभाव से यह निश्चय मानकर कि बंक बंगाल में पत्री लेने से विष्णुमित्र का अधिक लाभ होगा विष्णुमित्र की आज्ञा को उल्लंघन करके कंपनी का काग़ज़ लेने के बदले बंक बंगाल में पत्री मोल लेली तो देवदत्त ने कुछ बेधर्मई नहीं की और न दंड योग्य विश्वास घात का अपराधी हुआ यद्यपि विष्णुमित्र को नुकसान भी पड़ा हो और उस नुकसान के मध्ये के मध्ये विष्णुमित्र देवदत्त पर दीवानी में नालिश भी कर सकता हो—

(ल) देवदत्त एक कलकरी के अहलकार के पास सरकारी रूपया रहता था और कानून की आज्ञा नुसार अथवा किसी कौल करार के अनुसार जो प्रगट अथवा अप्रगट गवर्नमेंट के साथ हो चुका था उस पर अवश्य था कि सर्कारी रुपया उसके पास हो सब फलाने ख़ज़ाने में जमा करदे देवदत्त ने बेधर्मई से उस रूपये को नसर्रुफ़ किया तो देवदत्त दंड योग्य विश्वास घात का अपराधी हुआ—

(ए) देवदत्त किसी ढोईदार को विष्णुमित्र ने कुछ माल तरी अथवा खुश्की की राह से पहुंचाने को दिया और देवदत्त ने वह माल बेधर्मई से नसर्रुफ़ किया तो देवदत्त ने दंड योग्य विश्वास घात किया—

४०६— मनुष्य दंड योग्य विश्वासघात करेगा उसको दंड दो विश्वासघात का जो में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरी अथवा दोनों का किया जायगा—

जो कोई मनुष्य सुपुर्ददार किसी वस्तु का ढोईदार अथवा अथवा गोदामी के विश्वास से होकर उस वस्तु को सद

ठोईदार और पदवार इत्यादि की ओर से दंड योग्य विश्वासघात

विश्वासघात करेगा उसको दंड दोनों में किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात वरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा–

गुमाश्ते अथवा नौकर की ओर से विश्वास घात–

४०८– जो कोई मनुष्य गुमाश्ता अथवा नौकर होकर अथवा नौकर के काम पर होकर और उस गुमाश्तगरी अथवा नौकरी के कारण सुपुर्दगी अथवा बन्दोवस्त किसी माल का किसी भांति पाकर उस माल के मद्धे विश्वास घात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात वरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा–

सर्वसंबंधी नौकर अथवा कोठीवाल अथवा ब्योपारी अथवा आढ़तिये की ओर से दंडयोग्य विश्वासघात–

४०९– जो कोई मनुष्य किसी भांति सुपुर्ददार किसी माल का अथवा माल के बन्दोवस्त का सर्वसंबंधी नौकरी के कारण अथवा कोठीवाली या ब्योपार या आढ़त या दलाली या मुख़्तारी या कारिन्दगरी के कारण होकर उस माल के मध्ये दंडयोग्य विश्वासघात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस वर्स तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा–

चोरी का माल लेना

चोरी का माल

४१०– जिस माल का क़बज़ा एक से दूसरे को चोरी से अथवा दबाकर लेने से अथवा जोरी से आया हो और जो माल दंडयोग्य रीति से तसर्रुफ किया गया हो अथवा जिसके मद्धे दंडयोग्य विश्वास घात हुआ हो वह चोरी का माल कहलावेगा परंतु जो पीछे वही माल किसी ऐसे मनुष्य के कबजे में जो क़ानून

अनुसार उसके कबज़े का अधिकारी हो तो फिर चोरी का न रहेगा—

४११—जो कोई मनुष्य चोरी के मालको यह जानमान कर अथवा जान्ने का हेतु पाकर कि यह चोरी का है वेधर्मई से लेगा अथवा अपने पास रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा—

वेधर्मई से चोरी का माल लेना

४१२—जो कोई मनुष्य चोरी के माल को यह जान मानकर या जान्ने का हेतु पाकर कि यह एक से दूसरे के क़बज़े में डकैती होकर आया है वेधर्मई से लेगा अथवा अपने पास रक्खेगा अथवा किसी माल को चोरी का जानमान कर अथवा जान्ने का हेतु पाकर ... वह जानता हो अथवा जान्ने का हेतु ...

वेधर्मई से लेना ऐसे माल का जो डकैती में चोरी गया हो—

... १५५ ... उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा कठिन ... किया जायगा

... —जो कोई मनुष्य ऐसे माल के लेने देने का व्योहार रक्खेगा ... जिसे वह जानता हो अथवा जान्ने का हे[तु] ... है उसको दंड जन्मभर के देश निकाले ... में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस ... किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य ...

जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी ऐसे माल ...

चोरी के मालको छुपाने में सहायता देना- सेयह जानता है। अथवा जान्नेका हेतुरखताहो कि चोरी का है छुपाने अथवा अलग करने में अथवा दूर पहुंचाने में सहायता देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरसतक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

---

४१५-जोकोई मनुष्य किसी मनुष्य को धोखादेकर छल छिद्र (छलना) से अथवा बेधर्मई से ऐसा फुसलावेगा जिस्से वह जिस्से वह अपना कुछ माल किसी मनुष्य को देदे अथवा कुछ माल किसी मनुष्य के पास बना रहने देने पर राज़ी होजाय अथवा उस धोखा दिए हुए मनुष्य को प्रयोजन करके कुछ ऐसा काम करने से चूकने को फुसलावेगा जिसको वह कभी न करता और न चूकता कदाचित धोखा न दिया गया होता और उस काम अथवा चूकसे उस मनुष्य को कुछ ज्यान अथवा हानि शरीर में अथवा चित्तमें अथवा यश में अथवा मालमें पहुंचजाय अथवा पहुंचनी अनिसम्भवितहो तौ कहलावेगा कि उसने छल किया-

विवेचना-बेधर्मई से किसी बात को छुपाना इस दफ़ा के अर्थ धोखा देना गिना जायगा-

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने झूठमूठ मनिष्ठा किया कि आ मुलकी नौकर बना और विष्णुमित्र को जानमानकर धोखा दिया और उस धोखे के कारण वेधर्मई से कुछ माल जिसके फेरदेने की नियत नथी उधार लिया तो देवदत्त ने छल किया-

(इ) देवदत्त ने किसी वस्तु पर झूठे चेन्ह लगाकर विष्णुमित्र को जानमानकर इसबात के निश्चय मान्नेका धोखा दिया कि यह वस्तु फलाने नामी कारीगर की बनाई है और इस भांति वेधर्मई से वह वस्तु विष्णुमित्र ने मोल लिया

और दामचुकाए तो देवदत्त ने छल किया—

(३) देवदत्त ने विष्णुमित्र को किसी वस्तु की झूंठी वानगी दिखलाकर जानमान यह धोखा दिया कि यह वस्तु वानगी से मिलती है और इस भांति वेधर्मई से माल लिवाकर दाम चुकाए तो देवदत्त ने छल किया—

(ऋ) देवदत्त किसी वस्तु के मोल के बदले एक विल किसी ऐसी कोठी पर जिस से उसका रुपये का व्योहार न था और जिसके मद्धे उसे निश्चय था कि उसका विल सकार न जायगा लिखकर जानमान कर विष्णुमित्र को धोखा दिया और इस भांति विष्णुमित्र से वह वस्तु वेधर्मई से और उस मोल न देने का प्रयोजन करके लेली तो देवदत्त ने छल किया—

(लृ) देवदत्त ने कुछ वस्तु जिसे वह जानता था कि हीरा नहीं है हीरे के नाम से गहने रखकर विष्णुमित्र को जान मान धोखा दिया और इस भांति वेधर्मई कर के विष्णुमित्र से रुपया उधार लिया तो देवदत्त ने छल किया—

(ए) देवदत्त ने जानमान कर विष्णुमित्र को यह निश्चय मानने का धोखा दिया कि जो रुपया विष्णुमित्र उसको उधार देगा वह सब चुका देगा और इस भांति वेधर्मई से विष्णुमित्र से रुपया उधार लिया और मन में प्रयोजन कर लिया कि इस को चुकाऊंगा कभी नहीं तो देवदत्त ने छल किया—

(ओ)—देवदत्त ने जानमान कर विष्णुमित्र को इस बात के निश्चय मानने का धोखा दिया कि देवदत्त इतना लाख नील को देगा यद्यपि उसके देने का मन देवदत्त का न था और इस भांति माल मिलने के भरोसे पर विष्णुमित्र पेशगी रुपया देवदत्त को देदिया तो देवदत्त ने छल किया परंतु जो देवदत्त रुपया लेने के समय नील का लाख देने का प्रयोजन कर लिया हो और पीछे अपना कौलकरार तोड कर न देवै तो छल न कहलावेगा केवल दीवानी में उसके ऊपर कौलकरार तोडने की नालिश होसकेगी—

(औ)—देवदत्त ने जानमान कर विष्णुमित्र को इस बात के निश्चय मानने का धोखा दिया कि देवदत्त ने अपनी ओर से फलाने कौलकरार को जो उसने

विश्नुमित्र के साथ किया था प्राकार दिया यद्यपि उसने उस कौल करार को पूरा किया नहीं था और इस भांति वेधर्मई करके विश्नुमित्र से रुपया ले लिया तो देवदत्त ने छल किया—

(ग) — देवदत्त ने कोई मिलकियत यज्ञदत्त को वेंच कर उसकी लिखतम लिखदी फिर देवदत्त ने यह वात जानमान कर कि इस विक्री के कारण मुझको इस मिलकियत में कुछ अधिकार नहीं रहा है वही मिलकियत विश्नुमित्र हाथ वेंची अथवा गहने धरी और (पहली) विक्री और लिखतम का हाल प्रगट न किया और विक्री अथवा गहने का रुपया विश्नुमित्र से लेलिया तो देवदत्त ने छल किया—

४१६ — कदाचित कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का मिस कर

दूसरा मनुष्य वनकर छलना — के अथवा जानमानकर एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य वनाकर अथवा अपने आपको या और किसी को कोई दूसरा मनुष्य प्रगट करके छलेगा तो कहलावेगा कि उसने दूसरा मनुष्य छल किया—

विवेचना — जिस मनुष्य को मिस किया गया वह चाहे सच मुच हो चाहे मन से वना लिया गया हो तो भी यह अपराध होसकेगा

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने अपने नाम किसी धनाढ्य कोठीवाल का मिस करके छल किया तो देवदत्त ने दूसरा मनुष्य वन कर छल किया—

(इ) देवदत्त ने यज्ञदत्त किसी मरे हुए मनुष्य का मिस करके छल किया तो देवदत्त ने दूसरा मनुष्य वनकर छल किया—

४१७ — जो कोई मनुष्य छल करेगा उसको दंड दोनों में से कि

छलने का दंड — सी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा—

४१८—जो कोई मनुष्य यह जान मान कर छल करेगा कि इससे

लना यह जान मान कर इससे अनीति हानि उस मनुष्य को होगी जिसके स्वार्थ को रक्षा करनी उस अपराधी पर अवश्य है

अनीति हानि उस मनुष्य को होनी अति सम्भवित है जिसके स्वार्थ की रक्षा करनी उस पर उसी विषय में जिस से वह छल संबंध रखता हो क़ानून की आज्ञा अनुसार अथवा किसी क़ानूनी कौल करार के अनुसार अवश्य है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा—

४१९—जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य वनकर छल करेगा उसको

दूसरा मनुष्य वनकर छल करना

दंड दोनों में से किसी की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनों का किया जायगा—

४२०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को छलेगा और इस उपाय से उस मनुष्य को ऐसा फुसलावेगा जिससे वह कुछ माल किसी को देदे अथवा किसी लिखत या और वस्तु को जिस मुहर अथवा दस्तख़त हो और जिससे कोई लिखत मवन सकती हो पूरी अथवा आधी देवा वदलदे या विगाड़ दे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

छलना और वेधर्मई से माल दिवादेना

छलछिद्र की लिखतनों और छलछिद्र से माल अलग करने के विषय में

ब्यौहरों में पट जाने से बचाने के लिये माल को अलग करदेना अथवा छुपाना -

माल इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि इस से उस माल को अपने ब्यौहरों में अथवा और किसी मनुष्य किसी मनुष्य के ब्यौहरों में क़ानून अनुसार बटजाने से बचावे विना वाजिबी माल लिये अलग करेगा अथवा छुपावेगा अथवा किसी दूसरे को देगा अथवा वेचने गहने धरने इत्यादि के द्वारा दूर करदेगा अथवा दूर करादेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का कियाजायगा -

अपने किसी ऋण अथवा तगादे को अपने ब्यौहरों का मिलने से रोकना वेधर्मई करके

४२२ — जो कोई मनुष्य वेधर्मई से अथवा छलछिद्र से किसी ऋण अथवा तगादे को जो उसी का अथवा और किसी मनुष्य का किसी से मिलना हो अपने ऊपर अथवा उस मनुष्य के ऊपर आने हुए किसी ऋण अथवा तगादे के चुकाने में कानून अनुसार लिये जाने से रोकेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा -

वेधर्मई से लिखना क़बालाभे इत्यादि लिखतम का जिस में मोल की तादाद झूठी लिखी हो

४२३ — जो कोई मनुष्य वेधर्मई से अथवा छलछिद्र से कोई ऐसी लिखतम लिखदेगा अथवा उस पर दस्तख़त करदेगा अथवा लिखने लिखाने वालों में से एक बनेगा जिस का आशय किसी माल को अथवा माल के अधिकार को वेचने गहने धरने इत्यादि के द्वारा दूर करने से अथवा उस पर कुछ लाग लगाने से हो और जिस में कोई झूठी बात मोल अथवा गहने इत्यादि के वदले के मद्धे अथवा जिस या मनुष्य के काम या लाभ के

नये वह सचमुचहो उसके मध्ये लिखी हो उसको दंड दोनो
से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीनवरसतक हो
केगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा–

२४– जोकोई मनुष्य अपना अथवा और किसी का कुछ

लकोवेधर्मई सेअलग करनाअथवा छुपाना

माल वेधर्मई से या छल छिद्र से छुपावेगा अ थवा अलग करेगा अथवा वेधर्मई से या छ छिद्र से उस के छुपाये जाने या अलग किये जाने मे सहायत गा अथवा वेधर्मई से अपना कुछ वाजिवी तगादा या दावा ड़देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैदका जिस म्याद दो वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा किया जायगा–

उत्पात

२५–जो कोई मनुष्य सबको अथवा किसी मनुष्य को अनीति

उत्पात

हानि अथवा नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से अथव ना अनिसंभवित जानकर किसी वस्तु को विगाड़ेगा सवस्तु मे [illegible] ऐसी हल चलकरेगा वस्तु [illegible] उसके [illegible] में न्यूनता अथवा उसको नुकसान पहुंचता हो तो कहा जायगा किया–

–उत्पात के अपराध में यह कुछ अवश्य नहीं है कि विगाड़ा अथवा नुकसान पहुंचाया उसी के मालिक नुकसान पहुंचाने का प्रयोजन अपराधी ने [illegible] कि उसने किसी वस्तु को विगाड़ने के मनुष्य को अनीति हानि अथवा नुकसान पहुंचा

का प्रयोजन किया हो अथवा पहुंचाना अति संभवित जाना हो चा
हे वस्तु उसी मनुष्य की हो चाहे न हो -
विवेचना २ - उत्पात ऐसे काम के करने से भी हो सकेगा जिस्से द
व्ह हानि उस वस्तु को होती तो जो उस काम के करने वाले मनुष्य
को हो अथवा उस की और औरों की साझे में हो -

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विश्नुमित्र की कोई दस्तावेज़ जान मान कर विश्नुमित्र को अनीति ह
नि पहुंचाने के प्रयोजन से जला दी तो देवदत्त ने उत्पात किया -
(इ) देवदत्त ने विश्नुमित्र के बर्फ़खाने में पानी काट दिया और इस भांति विश्नुमित्र
को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से बर्फ़ को पिघला दिया तो देवदत्त ने उत्पात कि
(उ) देवदत्त ने विश्नुमित्र का नुक़सान करने के प्रयोजन से विश्नुमित्र की अंगूठी जा
नकर नदी में फेंक दी तो देवदत्त ने उत्पात किया -
(ऋ) देवदत्त ने यह जानकर कि जो ऋण मुझपर विश्नुमित्र का आता है उसके
काने के लिये मेरा असबाब लिया जाने को है उस असबाब को इस प्रयोजन से
कि विश्नुमित्र अपना ऋण न पासके और इसभांति विश्नुमित्र के नुक़सान पहुंचे
बिगाड़ दिया तो देवदत्त ने उत्पात किया -
(लृ) देवदत्त ने किसी जहाज़ का बीमा देकर बीमें वालों को नुक़सान पहुंचाने
के प्रयोजन से उस जहाज़ को जान मान कर तबाही में डाला तो देवदत्त ने उत्पा
त किया -
(ए) देवदत्त ने किसी जहाज़ को तबाही में डाला इस प्रयोजन से कि विश्नुमित्र
को जिसने उस जहाज़ पर रुपया उधार दिया है नुक़सान पहुंचे तो देवदत्त ने
उत्पात किया -
(ऐ) देवदत्त ने जो किसी घोड़े में विश्नुमित्र का साझी था घोड़े को गोली मा
री इस प्रयोजन से कि इस में विश्नुमित्र को अनीति हानि पहुंचे तो देवदत्त ने उ
त्पात किया -

औ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के खेत में पौहे करदिये इस प्रयोजन से और यह बात
अति संभवित जानकर कि इस्से विष्णुमित्र के खेत की पैदावारी को हानि पहुंचे
गी तौ देवदत्त ने उत्पात किया –

४२६ – जो कोई मनुष्य उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से

उत्पात करने का दंड

किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन
महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का
किया जायगा –

४२७ – जो कोई मनुष्य उत्पात करके पचास रुपये का अथ

उत्पात करना और उसके द्वारा पचास रुपये का नुक़सान पहुंचाना –

वा उस्से अधिक का नुक़सान पहुंचा
वेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्र
कार की क़ैद जिसकी म्याद दो वरस
तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जा
यगा –

४२८ – जो कोई मनुष्य दस रुपये के मोल के किसी पोहे को अ

दस रुपये के मोल के किसी पशु को मार कर अथवा अंग भंग कर उत्पात करना –

थवा और पशुओं को मारने अथवा वि
ष देने अथवा अंगतोड़ने अथवा निक
म्मा करने का उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से प्र
कार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा
जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

४२९ – जो कोई मनुष्य किसी हाथी या ऊंट या घोड़ा खि

किसी पोहे इत्यादि को अथवा पचास रुपये के मोल किसी प मारकर अथवा अंग . उत्पात करना –

या भैंस या बैल या गाय याव
धिया को जिसका मोल चाहे जितना
हो अथवा और किसी पशु को
पचास रुपये या उससे अधिक हो मार कर अथवा वि
अथवा अंगतोड़कर अथवा निकम्मा करके उत्पात

करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांचवरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने किया जायगा-

खेती के काम इत्यादि के लिये पानी घटाकर उत्पात करना-

४३०- जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिस्से खेती के कामों अथवा मनुष्यों के खाने पीने के कामों अथवा जो पशु धन गिने जाते हैं उनके कामों अथवा उज्ज्वलता के कामों अथवा कोई कारखाना चलने के कामों के लिये पानी पहुंचना घटता हो अथवा घटना अति संभवित हो उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांचवरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

सर्वसंबंधी सड़क अथवा पुल अथवा नदी को हानि पहुंचाकर उत्पात करना-

४३१- जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिस्से कोई सर्वसंबंधी नौकर सड़क अथवा पुल अथवा नाव चलने योग्य नाला या नहर दुर्घट होजाय अथवा चलने या माल पहुंचाने के लिये उसको निरजोखिमता कमती होजाय अथवा ऐसा होजाना वह अति संभवित जानता हो उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांचवरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

महला करके अथवा पानी का निकास रोककर जिस्से नुक़सान हो उत्पात करना-

४३२- जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिस्से पानी का महला अथवा पानी के निकास का रुकना हानि अथवा नुक़सान समेत होना हो अथवा ऐसा होना वह आप अति संभवित जानता हो उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिसकी म्याद पांचवरस तक हो सकेगी

अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा–

४३३– जो कोई मनुष्य किसी प्रकाशग्रहको अथवा और किसी प्रकाश को जो समुद्र के चिन्हकी भांति काम में आती हो अथवा समुद्र के किसी चिन्ह अथवा वया को अथवा और किसी वस्तुको जो जहाज़ चलाने वालों को राह दिखाने के दिखाने लिये काममें आती हो मिटा कर अथवा हटाकर अथवा और कोई ऐसा काम करके जिस्से वह प्रकाश ग्रह अथवा समुद्र का चिन्ह अथवा वया अथवा पर कहे प्रकार की वस्तु जहाज़ चलाने वालों के लिये कुछ निकम्मी होजाय उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सातवरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा–

प्रकाशग्रहको अथवा समुद्र के चिन्हको मिटाकर अथवा हटाकर अथवा उसका काम दूर करके उत्पात करना–

४ ४–जो मनुष्य धरती के किसी टीहे को जो किसी सर्व संबंधी नोकर की आज्ञा से ठेराया गया हो मिटाकर अथवा हटाकर अथवा कोई ऐसा काम करके जिस्से वह धरती टीहा कुछ निकम्मा होजाय उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एकवरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा का किया जायगा–

धरती के अधिकारी की आज्ञा से ठेराया गया हो मिटाने अथवा हटाने द्वारा उत्पात करना–

–जो मनुष्य आग से अथवा आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से सौ रुपये से अधिक के किसी माल को नुक़सान करने के प्रयोजन से अथ

अथवा किसी वस्तु से करने के उत्पातकर्ना–

या नुकसान होना ग्रति संभवित जानकर उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक होसकेगी किया जायगा ग्रौर जरीमाने के भी योग्य होगा-

आगसे अथवा आगकी भांति उड़ने वाली वस्तु से मकान इत्यादि का नुकसान करने के प्रयोजन से उत्पात करना-

४३६- जो कोई मनुष्य ग्रागसे ग्रथवा ग्रागकी भांति उड़नेवाली किसी वस्तु से किसी मकान को जो पूजा के स्थान की भांति ग्रथवा मनुष्य के रहने के स्थान की भांति ग्रथवा माल ग्रसवाव रखने की जगह की भांति साधारण काम में ग्राता हो मिटाने के प्रयोजन से ग्रथवा मिटाना ग्रति संभवित जान कर उत्पात करेगा उसको दंड जन्मभर देशनिकाले का ग्रथवा दोनों किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश वरस तक होसकेगी किया जायगा ग्रौर जरीमाने के भी योग्य होगा-

पटीहुई नावको या वीसटन अर्थात् पान्सो साठमन वोम लेजाने वाली नाव को तवाह करने अथवा जोखिम में डाल ने के प्रयोजन से उत्पात करना-

४३७- जो कोई मनुष्य किसी पटीहुई नावको ग्रथवा पान्सौ साठ मन या उससे ग्रधिक वोभ लेजाने वाली नावको तवाही ग्रथवा जोखिम में डालने के प्रयोजन से ग्रथवा डालना ग्रति संभवित मान कर उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस वरस तक होसकेगी किया जायगा ग्रौर जरीमाने के भी योग्य होगा-

पिछली दफ़ा के वर्णन किये हुए नुकसान को करने के प्रयोजन से उत्पात आग लगाए अथवा आगकी भांति उड़नेवाली किसी वस्तु के द्वारा किया जाय-

४३८- जो कोई मनुष्य ग्राग से ग्रथवा ग्राग की भांति उड़नेवाली किसी वस्तु से ऐसा उत्पात जैसा कि पिछली दफ़ा में वर्णन हुआ है करेगा ग्रथवा

करने का उद्योग करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद १९, तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

४३९ — जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी नाव को थोड़े पानी में अथवा किनारे पर टकरावेगा इस प्रयोजन से कि उस नाव में भरी हुई किसी वस्तु को चुरावे अथवा बेधर्मई से नसरुफ़ करे अथवा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु चोरी अथवा नसरुफ़ की जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

करानानाव को किनारे पर चोरी इत्यादि करने के प्रयोजन से—

४४० — जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार डालने अथवा दुःख पहुंचाने के अथवा अनीति बंधि में रखने अथवा म्त्यु अथवा दुःख या अनीति बंधि का डर दिखाने का सामान करके उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा जरीमाने के भी योग्य होगा—

मृत्यु अथवा दुःख करने का सामान करके उत्पात करना

दंड योग्य मुदाख़िलत बेजा

४४१ — जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल मिलकियत पर जिस पर क़ब्ज़ा हो कुछ अपराध करने अथवा मनुष्य का उस माल मिलकियत पर क़ब्ज़ा हो उसको डराने अपमान करने अथवा उसको खेद पहुंचाने के प्रयोजन से दख़ल करेगा अथवा क़ानून अनुसार उस माल मिलकियत पर करके उस मनुष्य को डराने अथवा अपमान करने अथवा के प्रयोजन से वहां अनीति रीति से बैठेगा तो कहा दंड योग्य मुदाख़िलत बेजा की—

दंडयोग्य मुदाख़िलत बेजा

मकान की मुदाखलत बेजा

४४२—जोकोई मनुष्य किसी मकान अथवा डेरा अथवा नाव पर जो मनुष्य के रहने के स्थान की भांति काम में हो अथवा किसी मकान पर जो पूजा के स्थान की भांति काम में हो अथवा किसी मकान पर जो पूजा के स्थान की भांति अथवा असबाब रखने के स्थान की भांति काम में हो दखल करके अथवा ठैर कर दंड योग्य मुदाखलत बेजा करेगा तो कहाजायगा कि उसने मकान की मुदाखलत बेजा की—

विवेचना—दंड योग्य मुदाखलत बेजा करने वाले मनुष्य का कोई अंग मकान इत्यादि में पहुंच जाना मकान की मुदाखलत बेजा के लिये काफ़ी समझा जायगा—

मकान की मुदाखलत बेजा करने के लिये घात लगाना

४४३—जो कोई मनुष्य आगे से यह उपाय करके मकान की मुदाखलत बेजा करेगा कि जो मनुष्य उसको उस मकान अथवा डेरे अथवा नाव से जिस में मुदाखलत बेजा की जाय निकाल देने अथवा रोकने का अधिकारी हो उस्से वह मुदाखलत बेजा छुपी रहे तो कहा जायगा कि उसने मकान मुदाखलत बेजा की घात लगाई॥

रात के समय मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगानी—

४४४—जो कोई मनुष्य सूरज डूबने से पीछे और सूरज ऊगने से पहले मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावेगा तो कहा जायगा कि उसने रात में मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाई—

घर फोड़ना

४४५—कदाचित् कोई मनुष्य मकान की मुदाखलत बेजा करे और मकान में अथवा मकान के किसी खंड में उसका जाना नीचे लिखी हुई छः राहों में से किसी राह से हो अथवा जब वह मकान या मकान के किसी खंड में कुछ अपराध करने के प्रयोजन से पहुंच कर अथवा कोई अपराध करके उस मकान से अथवा उस के

खंड से उन्हीं छः राहों में से किसी राह होकर निकले तो कहा जायगा कि उसने घर फोड़ा॥

प्रथम – कदाचित् किसी ऐसे रस्ते होकर घुसजाय अथवा निकलजाय जो उसी ने अथवा मकान की मुदाखलत बेजा के किसी सहाई ने मकान की मुदाखलत बेजा करने के निमित्त बनाया हो –

दूसरे – कदाचित् किसी ऐसे रस्ते होकर घुसजाय या निकलजाय जो सिवाय उसके अथवा मकान की मुदाखलत बेजा के किसी सहाई के और किसी मनुष्य के आने जाने के प्रयोजन से न बना हो अथवा किसी ऐसे रस्ते होकर जहां वह नसेनी लगा कर अथवा भीत पर या मकान पर चढ़ कर पहुंचा हो –

तीसरे – कदाचित् किसी ऐसे रस्ते होकर घुसजाय या निकलजाय जो उसी ने अथवा मकान की मुदाखलत बेजा बेजा के किसी सहाई ने मुदाखलत बेजा होने के प्रयोजन से किसी ऐसे उपाय से खोला हो जिससे उस रस्ते को खोलना उस मकान के रहने वाले ने न विचारा हो –

चौथे – कदाचित् किसी ताले को मुदाखलत बेजा करने के लिये अथवा मुदाखलत बेजा करके मकान से निकल जाने के लिये खोलकर घुसजाय अथवा निकल जाय –

पांचवे – कदाचित् अनीति बल करके अथवा उठैया करके अथवा किसी मनुष्य को उठैया करने का डर दिखाकर घुसजाय या निकलजाय –

छठे – कदाचित् किसी ऐसे रस्ते होकर घुस जाय या निकल जाय जिसको वह जानता हो कि इस भांति का घुसना अथवा निकलना रोकने के लिये बन्द किया गया है और यह भी कि उस रस्ते को उसी ने अथवा मुदाखलत बेजा के किसी सहाई ने खोला है –

विवेचना — कोई आगर्दपेड़ोका मकान अथवा और मकान जिस में घरने रहनेवाले का दखल हो और जिसमें से घरको निरन्तर हटादे इसदफा के अर्थ अनुसार उसी घर का खंड कहलावेगा-

उदाहरण

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्र के घर की भीति में छिद्र करके और उसछिद्र में हाथ डालकर मकानकी मुदाखलत बेजा की तो घर फोड़ना कहलावेगा-

(इ) देवदत्तने किसी जहाज़ के पटावके धुंधुएके रस्ते उतर कर मकान की मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ-

(उ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घरमें खिड़की राह घुसकर मकान की मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ-

(ऋ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घर में बन्द किवाड़ को खोलकर द्वार के रस्ता मकान में जा मुदाखलत की तो यह घर फोड़ना हुआ-

(लृ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के द्वार के किवाड़ की निल्ली एक छिद्र में तार डाल कर उठादी और घर में घुसकर मकानकी मुदाखलत बेजाकी तो यह घर फोड़ना हुआ-

(ए) देवदत्तने विष्णुमित्र के घरके द्वार की ताली जो विष्णुमित्र ने खोडाली थी पाई और उस ताली से द्वार खोल कर और विष्णुमित्र के घरमें घुसकर मकान मुदाखलत बेजाकी तो यह घरफोड़ना हुआ-

(ओ) विष्णुमित्र अपने द्वार में खड़ाथा देवदत्त उसको धक्का देकर घर में घुसगया और मकानकी मुदाखलत बेजा की तो यह घरफोड़ना हुआ-

(औ) विष्णुमित्र हरिमित्र का पौरिया हरिमित्र के द्वार में खड़ाथा देवदत्त विष्णुमित्र को दुमनात की धमकी देकर कि जो तू मुझको आने से रोकेगा तो पीटा जायगा घरमें घुसगया और मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ-

४४६— जो कोई मनुष्य सूरज डूबे से पीछे और सूरज उगे से पहिले घरफोड़ेगा तो कहा जायगा कि रात में घर फोड़ा

रातमें घरफोड़ना-

४४७— जो कोई मनुष्य दंड योग्य मुदाखलत बेजा करेगा उ

दंडयोग्य मुदाखलत बेजा का दंड — सको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा-

४४८—जो कोई मनुष्य मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा-

मकान की मुदाखलत बेजा का दंड-

४४९—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने के लिये जिसका दंड वध हो सक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उसको दंड जन्मभर के देशनिकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस से अधिक न होगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

कोई ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड वध हो मकान की मुदाखलत बेजा करना

४५०—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने के लिये जिसका दंड जन्मभर के देशनिकाले हो सक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस से अधिक न होगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

जन्मभर के देशनिकाले के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाखलत बेजा करना-

४५१—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने के लिये जिस का दंड क़ैद हो सक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी दो बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन हो चोरी हो

क़ैद की म्याद सात बरस तक हो सकेगी -

४५२ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने अथवा कि सी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रखने अथवा कि सी मनुष्य को दुःख या उठैया या अनीति बान्धि का डर दिखाने का सामान करके मकान की मुदाख़लत बेजा क रेगा उसको दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने का सामान करके मकान की मु दाख़लत बेजा करना -

४५३ - जो कोई मनुष्य मकान की मदाख़लत बेजा की घात लगावेगा अथवा घर फोडेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा। -

मकान की मदाख़लत बेजा की घात लगाने अथवा घर फोडने का दंड -

४५४ - जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड क़ैद हो सक्ता हो मकान की मदाख़लत बेजा की घात लगावेगा अथवा घर फोडेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और जो चित वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन हो चोरी हो तो क़ैद की म्याद दस बरस तक हो सकेगी।

क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के करने के लिये मकान की मदाख़लत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोडना

४५५ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रखने अथ वा किसी मनुष्य को दुख या उठैया या

किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने का सामान करके मकान की मदाख़ लत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोडना

अनीति बंधि का डर दिखाने का सामान करके मकान की मदाख़लत बेजा की घात लगावेगा अथवा घर फोडेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

रात के समय मकान की मदाखलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोड़ना

४५६—जो कोई मनुष्य रात में मकान की मदाख़लत बेजा की घात लगावेगा अथवा रात में घर फोडेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

कैद के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये रात के समय मकान की मदाखलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोडना

४५७—जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड क़ैद हो सकता हो रात में मकान की मदाख़लत बेजा की घात लगावेगा अथवा रात में घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद पांच वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन था चोरी हो तो क़ैद की म्याद चौदह वरस तक हो सकेगी॥

किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने का सामान करके मकान की मदाखलत बेजा की घात रात के समय लगाना अथवा घर फोडना—

४५८—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रखने अथवा किसी मनुष्य को दुख या उठैया या अनीति बंधि का डर दिखाने का सामान करके रात में मकान की मदाख़लत बेजा की घात लगावेगा अथवा रात में घर फोडेगा उसको दंड दोनों में से

[illegible] जिसकी म्याद चौदह वरस तक हो सकेगी

किया जायगा श्रोर जरीमाने के भी योग्य होगा।

४५९ – जो कोई मनुष्य मकान की मदाखलत वेजा की घात लगाने में अथवा घर फोडने में किसी मनुष्य को भारी दुख पहुंचावे गा अथवा किसी मनुष्य को मार डारने अथवा भारी दुख पहुंचाने का उद्योग करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा श्रोर जरीमाने के भी योग्य होगा।

मकान की मदाखलत वेजा की घात लगाने अथवा घर फोडने में भारी दुख पहुंचाना

४६० – कदाचित मकान की मदाखलत वेजा की घात लगाने अथवा रात में घर फोडते समय कोई मनुष्य उसी अपराध का करने वाला जान मान कर किसी मनुष्य की मृत्यु करेगा अथवा भारी दुख पहुंचावेगा अथवा मृत्यु करने या भारी दुख पहुंचाने का उद्योग करेगा तो जितने मनुष्य उस घात लगाने अथवा घर फोडने में साझी होंगे उन में से हर एक को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा श्रोर जरीमाने के भी योग्य होगा।

सब मनुष्य जो मकान की मदाखलत वेजा इत्यादि करने में साझी हों किसी मृत्यु अथवा भारी दुख के वास्ते जो उसमें से किसी एक ने किया हो दंड के योग्य होंगे

४६१ – जो कोई मनुष्य वे धरमई से अथवा उत्पात करने के प्रयोजन से किसी बंद मकान को अथवा सन्दूक इत्यादि को जिसमें माल भरा हो अथवा माल भरा होना वह निश्चय जानता हो खोलेगा अथवा तोडे गा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी मियाद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

वे धरमई से किसी बंद मकान को जिसमें माल भरा हो अथवा भरा होने का अनुमान हो तोडना

(ड उसी अपराध का जबकि उसका करनेवाला कोई ऐसा मनुष्य हो जिसको मालकी चौकसी सौंपी गई हो —)

९६२ — जो कोई मनुष्य जिसको चौकसी के किसी माल भरे द्र
ऽ अथवा ऐसे मकान इत्यादि की
जिसमे उस्को निश्चय हो कि माल
भरा है सौंपी गई हो परंतु उस्के खो
लका अधिकार न दिया गया हो वेधर्मी
से अथवा उत्पात करने के प्रयोजन से उसको तोड़ेगा अथवा
उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद ती
न वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया
जायगा —

अध्याय १८

उन अपराधों के विषय में जो लिखनमों और व्योपार अथवा मालके चिन्हों से संबंध रखते हैं

(जालसाज़ी)

९६३ — जो कोई मनुष्य सब लोगों को अथवा किसी मनुष्य को
हानि अथवा ज्यान पहुंचाने के प्रयोजन से अथ
वा कोई दावा या अधिकार साबित करने के लिये अथवा कि
सी मनुष्य से कुछ माल छुडाने अथवा कोई प्रगट या अप्रग
ट कौल क़रार करने के लिये अथवा कुछ छलछिद्र करने
जाने के प्रयोजन से कोई झूठी लिखनम् का भाग व
नो जालसाज़ी करना कहलावेगा —

९६४ — वह मनुष्य झूठी लिखनम बनानेवाला कहला

जो वेधर्मई से अथवा छलछिद्र से कोई लिखनम्
वनावे ... लिखनम

जिस्से लिखा जाना किसी लिपतम का पाया जाय बनावेगा यह बात प्रतीति किये जाने के प्रयोजन से कि इस लिखतम को अथवा लिखतम के भाग को किसी ऐसे मनुष्य की ओर से दूसरे ने बनाया है या लिखा है या उस पर मुहर लगाई है या दस्तखत किये हैं जिस को वह जानता है कि इसने या इसकी आज्ञा से किसी और ने उस लिखतम को या लिखतम के भाग को न बनाया है न लिखा है न उस पर दस्तखत किये हैं न मोहर लगाई है अथवा यह बात प्रतीति को जाने के प्रयोजन से कि यह लिखतम् या लिखतम का भाग उस समय बनाया गया था या दस्तखत किया गया या मोहर लगाया था जब कि वह जानता हो कि ऐसा नहीं हुआ है अथवा —

दूसरे — जो नीति पूर्वक अधिकार पाये बिना बेधर्मई से अथवा छलछिद्र से किसी लिखतम् के किसी मुख्य भाग को उस के लिखजाने से पीछे चाहे उस को उसी ने लिखा हो चाहे और किसी ने और चाहे लिखने वाला उस समय जीता हो चाहे मरगया हो काटकर अथवा और किसी भांति बदल दे अथवा —

तीसरे — जो कोई बेधर्मई से या छलछिद्र से किसी मनुष्य से कोई लिखतम दस्तखत करावे अथवा मुहर लगवावे अथवा लिखवावे अथवा बदलावे यह जानबूझकर कि यह मनुष्य उन्मत्तता अथवा नशे के कारण इस लिखतम की बातों को अथवा बदलने के आशय को नहीं जान सकता है अथवा किसी धोखे से जो उस को दिया गया है नहीं जानता है —

उदाहरण

(१) देवदत्त के पास यज्ञदत्त के ऊपर विष्णुमित्र का लिखा हुआ दस हज़ार रुपये का रुक्का या देवदत्त ने यज्ञदत्त के साथ छलछिद्र करने के लिये दस

हज़ार रुपये के ऊपर एक शून्य और बढ़ा दिया और उस रुपये को एक लाख कर दिया इस प्रयोजन से कि यज्ञदत्त उस रुक्के को विश्वमित्र लिखा हुआ निश्चय माने तो देवदत्त ने जालसाज़ी की –

(२) देवदत्त ने विश्वमित्र की आज्ञा के बिना विश्वमित्र की मोहर किसी लिखतम पर जो विश्वमित्र की ओर से देवदत्त के नाम किसी मिलकियत का बयनामा था इस प्रयोजन से लगा दी कि उस मिलकियत को यज्ञदत्त के हाथ बेचकर मोल का रुपया प्राप्त करें तो देवदत्त ने जालसाज़ी की।

(३) देवदत्त ने किसी कोठीवाले के नाम धनी योग्य एक रुक्का पड़ा पाया जिस पर यज्ञदत्त के दस्तखत लिखे थे परंतु रुपये की तादाद नहीं लिखी थी देवदत्त ने छल छिद्र से रुपये की खाली जगह को दस हज़ार रुपया लिखकर भरदिया तो देवदत्त ने जालसाजी की –

(४) देवदत्त ने अपने गुमाश्ते यज्ञदत्त के पास किसी कोठीवाले के ऊपर अपना दस्तखती रुक्का जिसमें रुपये की तादाद न लिखी थी छोड़ा और यज्ञदत्त को परवानगी दी कि फलाने चुकाउ के लिये दस हज़ार से कम जो जितना रुपया चाहो इस रुक्के में लिखकर ले लेना यज्ञदत्त ने उस रुक्के में बेधर्मई से तीस हज़ार रुपये लिख लिये तो यज्ञदत्त ने जालसाज़ी की –

(५) देवदत्त ने यज्ञदत्त की ओर से अपने ऊपर एक हुण्डी बिना यज्ञदत्त की आज्ञा के लिखली इस प्रयोजन से कि उसको सच्ची हुण्डी की भांति किसी कोठीवाले को मिती काटके बेचदें और मन में यह विचार लिया कि म्याद बीतेपर इस हुंडी का रुपया चुकादूंगा तो यहां देवदत्त ने हुंडी उस कोठीवाले को इस बात का धोखा देने के प्रयोजन से लिखी कि वह समझे इसमें यज्ञदत्त की जामिनी है और इससे मिती काटकर रुपया उसको दे इसलिये देवदत्त जालसाज़ी का अपराधी हुआ –

(६) विश्वमित्र के वसीयत नामे में यह बात लिखी थी कि मैं आज्ञा देता हूं कि मेरा सब बचा हुआ धन देवदत्त और यज्ञदत्त और हरमित्र में बराबर बांट दिया

जाय देवदत्त ने बेधर्मई से यज्ञदत्त का नाम इस प्रयोजन से छील डाला कि यह सब धन उसके और यज्ञदत्त के लिये छोड़ा गया समझा जाय तो देवदत्त ने जालसाजी की—

(ओ) देवदत्त ने एक सर्कारी आगेसारी नोटकी पीठपर यह शब्द लिखकर कि इसका रुपया विष्णुमित्र को अथवा जिस किसी को वह परवानगी दे उसको दे दो और उस लेखपर अपने दस्तखत करके उसका रुपया यज्ञदत्त को मिलने योग्य किया यज्ञदत्त ने बेधर्मई से इन शब्दों को कि इनका रुपया विष्णुमित्र को अथवा जिस किसी वह परवानगी दे उसको दे दो छील डाला और इस से उस लेख को खोका कर दिया तो यज्ञदत्त ने जालसाजी की—

(औ) देवदत्त ने कोई मिलकियत विष्णुमित्र को बेंचदी और लिखतम लिख दी फिर पीछे देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ छल करने के लिये उस मिलकियत का एक बयनामा विष्णुमित्र के बयनामे की मिती से छः महीने पहिले की मिती का यज्ञदत्त को लिखदिया यह बात प्रतीति होने के प्रयोजन से कि उसने उस मिलकियत को विष्णुमित्र के साथ बेंचने से पहिले यज्ञदत्त के साथ बेंच डाला था तो देवदत्त ने जालसाजी की—

(अं) विष्णुमित्र अपनी वसीयत बोलता गया और देवदत्त उसको लिखता गया परन्तु जिस अधिकारी का नाम विष्णुमित्र ने लिखाया उसको के बदले देवदत्त ने जानबूझकर किसी दूसरे का नाम लिखदिया और विष्णुमित्र ने यह कर कि जैसा तुमने कहा वैसाही मैंने वसीयत नामे में लिखदिया है विष्णुमित्र से वसीयत नामे पर दस्तखत करा लिये तो देवदत्त ने जालसाजी की—

(अः) देवदत्त ने एक चिट्ठी लिखी और उस पर बिना यज्ञदत्त की आज्ञा यज्ञदत्त के दस्तखत इस बात की सचाई के लिये लिखदिये कि देवदत्त अच्छे च
[illegible] और प्रयोजन इस
चिट्ठी से यह किया कि इसके द्वारा विष्णुमित्र से और औरों से [illegible]

देवदत्त ने विष्णुमित्र माल लेने के प्रयोजन से झूंठी लिखतम बना
सालिये देवदत्त ने जालसाजी की -

देवदत्त ने यज्ञदत्त की आज्ञा के बिना एक चिट्ठी लिखकर उस पर यज्ञ
के दस्तख़त इस बात की सचाई के लिये कि देवदत्त भला आदमी है ब
लेये और प्रयोजन इसमें यह किया कि विष्णुमित्र के नीचे
तो देवदत्त ने जालसाजी की क्योंकि उसने उस जाली चिट्ठी के द्वारा
णुमित्र को धोखा देने और अपने नौकरी का कुछ कौलक़रार प्रगट
ा प्रगट कराने का प्रयोजन किया -

वेचना - अपने नाम के दस्तख़त करना भी जालसाज़ी
सकेगा -

उदाहरण

१) देवदत्त ने किसी हुंडी पर अपने नाम के दस्तख़त इस प्रयोजन से कर
ये कि वह हुंडी उसी नाम के किसी दूसरे मनुष्य की लिखी हुई समझी जा
तो देवदत्त ने जालसाजी की -

२) देवदत्त ने काग़ज़ के एक टुकड़े पर मंज़ूर है यही दो शब्द लिख
र नीचे विष्णुमित्र के नाम के दस्तख़त लिख दिये कि पीछे यज्ञदत्त उ
काग़ज़ पर अपनी ओर से विष्णुमित्र के ऊपर हुंडी लिखा कर उसी मं
ा निसकार ले मानो विष्णुमित्र ने उस हुंडी को स्वीकार कर लिया तो दे
दत्त जालसाज़ी का अपराधी हुआ और कदाचित यज्ञदत्त इस बात के
ान कर देवदत्त के प्रयोजन अनुसार उस काग़ज़ पर हुंडी लिखले तो यज्ञ
भी जालसाज़ी का अपराधी होगा -

३) देवदत्त ने एक हुंडी पड़ी पाई जिसका रुपया उसी नाम के किसी दूसरे
नुष्य की आज्ञा योग्य लिखा था देवदत्त ने उस हुंडी की पीठ पर अपने
बेची लिखदी यह प्रयोजन करके कि जिस मनुष्य की आज्ञा योग्य
वह हुंडी है उसी की बेची समझी जाय तो देवदत्त ने जालसाजी की -

(ऊ) देवदत्त ने कोई मिलकियत जो यज्ञदत्त के ऊपर किसी डिगरी के इजराय से नीलाम ऊई मोल ली यज्ञदत्त ने उस मिलकियत की कुरकी हो जाने से पीछे विष्णुमित्र के साथ मिलावट करके उसी मिलकियत का ठेका विष्णुमित्र के नाम थोड़ी सी जमा पर बहुत अर्से का लिख दिया और लिखने की मिती कुरकी की मिती से छः महीने पहिले की लिख दी इस प्रयोजन से कि इसने देवदत्त के [illegible]

[illegible]

लग अपने लिये यज्ञदत्त को सौंप दिया इस प्रयोजन से कि अपने ब्योहरे के साथ छलछिद्र करे और इस काम को छुपाने के लिये एक मामेसरी नोट अर्थात् नमस्सुक इस आशय का लिख दिया कि इतना रुपया यज्ञदत्त को किसी वस्तु के बदले जो मैं पा चुका हूं दूंगा और उस नमस्सुक पर पीछे की मिती लिख दी इस प्रयोजन से कि, जब देवदत्त का दिवाला निकलने को या उससे आगे का लिखा ऊआ समझा जाय तो देवदत्त ने जालसाजी के लक्षण के पहिले प्रकरण के अनुसार जालसाजी की

विवेचना—२ किसी कल्पना किये ऊए मनुष्य के नाम से कोई झूठी लिखतम इस प्रयोजन से लिख देनी कि सचमुच किसी मनुष्य की लिखी समझी जाय अथवा किसी मरे ऊए मनुष्य के नाम से लिख देनी इस प्रयोजन से कि उस मनुष्य के जीतेजी की समझी जाय—

उदाहरण

देवदत्त ने किसी कल्पना किये ऊए मनुष्य के ऊपर एक हुंडी लिखी और छलछिद्र से उस हुंडी को उसी कल्पना किये ऊए मनुष्य के नाम से सकारा इस प्रयोजन से कि उसका भाड़ा ऊ, तो देवदत्त ने जालसाजी की—

४६५– जो कोई मनुष्य जालसाज़ी करेगा उसको दंड
जालसाज़ीदंड | में से किसी प्रकार कैद का जिसकी म्याद
क होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया
जायगा–

४६६– जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखनम को किसी अ
किसी अदालत के कागज़ की अथवा दसरे रोज़नाम की जिन में बालक का जन्म लि खा जाता हो अथवा मुख्तारनामे इत्यादि की–
दालत की कागज़ अथवा रूबका र हो अथवा ऐसा रोज़नामचा हो जिस्में जन्म या संस्कार या विवा ह या मरण लिखा जाता हो अथ वा किसी सर्व संबंधी नौकर के
नौकरी के अधिकार से रहिता हो अथवा कोई सार्टीफिकट
लिखनम हो जो किसी सर्व संबंधी नौकर की ओर से
के अधिकार के द्वार लिखी गई हो अथवा कोई मुक़
दमा दायर करने या मुकद्दमे जवाब दिही करने या मुकद्दमे
के मध्ये और कुछ काम करने या इक़बाल दावा करने की पर
वानगी की लिखनम हो या मुख्तार नामा हो जालसाज़ी
करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी
म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और
भी योग्य होगा–

४ –जो किसी ऐसी लिखनम को जो द
किसी स्तावेज़ अथवा वसीयतनामा
अथवा वसीयतनामे की– अथवा जिसमें लड़का
गोद लेने का आज्ञा हो अथवा जिसमें किसी कोई मनुष्य को कोई दस्तावे
ज़ लिखने अथवा बेंचने अथवा उसका मूल या ब्याज़ का वा
पिस लेने की अथवा रुपया या अस्थावर धन या दस्तावेज़

[illegible]
[illegible]
ज पाने की फारखती पारसीद हो जालसाज़ी से बनावेगा उसको दंड ज
न्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस
की म्याद दश बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी
योग्य होगा –

छलने के लिये जालसाज़ी

४६८ – जो कोई मनुष्य इस प्रयोजन से जालसाज़ी करेगा कि यह जा
ली लिखतम किसी को छलने के लिये काम आ
वे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बर
स तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा –

किसी मनुष्य के यश को ज्यान पहुंचाने के लिये जालसाज़ी –

४६९ – जो कोई मनुष्य इस प्रयोजन से जालसाज़ी करेगा कि इस जाली
लिखतम से किसी मनुष्य के यश को
ज्यान पहुंचे अथवा यह जानबूझकर
कि यह लिखतम उस मनुष्य के यश को ज्यान पहुंचाने निमित्त काम में
आनी अति संभवित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का
जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमा
ने के भी योग्य होगा –

जाली लिखतम

४७० – कोई झूठी लिखतम जो सब अथवा आधी परधी जालसाजी
से बनाई गई हो जाली लिखतम कहलावेगी –

छलछिद्र से किसी जाली लिखतम सच्ची की भांति काम में लाना –

४७१ – जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा बेधर्मई से किसी लिख
तम को जिसे वह जानता हो अथवा
जानने का हेतु रखता हो कि जाली है
सच्ची की भांति काम में लावेगा उसको दंड वैसा ही किया जायगा
[illegible] : लिखतम की जालसाज़ी की –
कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर अथवा चपरास अथवा

दफ़ा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य कोई जालसाज़ी करने के प्रयोजन से झूठी मुहर इत्यादि बनानी अथवा पास रखनी -

और कोई छापने का औज़ार इस प्रयोजन से बनावेगा कि वह इस संग्रह की दफ़ा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसाज़ी के करने में काम आवे अथवा इसी प्रयोजन के लिये अपने पास ऐसी मुहर ॰ स अथवा औज़ार को यह बात जानबूझकर कि यह झूठा है रक्खेगा उसको दंड जन्म भर के देशनिकाले अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

कोई झूठी मुहर अथवा चपरास इत्यादि दूसरी किसी भांति दंड होने योग्य कोई जालसाज़ी करने से बनाना अथवा पास रखना-

५७ - जो मनुष्य कोई झूठी मुहर अथवा चपरास अथवा और कोई छापने का औज़ार इस प्रयोजन से बनावेगा कि वह इस अध्याय की दफ़ा ४६७ को छोड़कर और किसी दफ़ा के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसाजी के करने में काम आ अथवा इस प्रयोजन के लिये अपने पास ऐसी मुहर अथवा चपरास अथवा औज़ार को यह बात जान बूझकर कि यह झूठा रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिसकी बरस तक हो सकेगी किया जायगा जरीमाने के भी योग्य होगा

लिखतम यह जान बूझकर कि जालसाज़ी से बनी है उस को इस प्रयोजन से रखना कि सही की भांति काम ना

७४ - जो कोई मनुष्य ऐसी लिखतम जिसको वह जानता हो कि जालसाजी से बनाई गई है इस प्रयोजन से अपने पास रक्खेगा कि वह लाछिद्र से अथवा वेधमंई से सच्ची की भांति काम में लाई जाइ उसको दंड

संग्रह ए. द. अ

४६ ईसंहुए प्रकार कीहो उसको दंड दोनों में से किसीप्रकार कीक़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमानेके भी योग्य होगा—

और कदाचित वह लिखतम दफ़ा ४६७ में कहेहुए प्रकार कीहो तो दंड जन्म भर के देश निकालेका अथवा दोनों में से किसीप्रकार की कठिन क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

४७५—जो कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अथवा किसी वस्तु में कोई चिन्ह अथवा निशान जो इस संग्रह की दफ़ा ४६७ में कहेहुए प्रकार की किसी लिखतम को प्रमाणिक करने के लिये काम में आता हो इस प्रयोजन से भूंठा वनावेगा कि इस चिन्ह अथवा निशान के होने से कोई लिखतम जो उसी समय उस वस्तु पर जालसाज़ी से वनी हो अथवा पीछे वनाई जाने को हो प्रमाणिक दिखाई दे अथवा जो कोई मनुष्य इसी प्रयोजन से अपने पास कोई वस्तु रक्खेगा जिस पर अथवा जिस्में इसी प्रकार का चिन्ह अथवा निशान जालसाज़ी से लगाया गया हो उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसीप्रकार क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा—

जालसाज़ी से वनाना किसी चिन्ह अथवा निशान को जो दफ़ा ४६७ में कहेहुए प्रकार की लिखतमों की सचाई के लिये काम आता हो अथवा पास रखना किसी वस्तु को जिस पर भूंठा चिन्ह लगा हो—

४७६—जो कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अथवा किसी वस्तु में ... शान जो इस संग्रह की दफ़ा ४६७ में कही लिखतमों को छोड़ कर और प्रकार की किसी लिखतम

जालसाज़ी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान को जो दफा ४६७ में कहे हुए लिखत मों को छोड़कर और प्रकार की लिखतमों को सचाई के लिये काम आता हो अथवा पास रखना किसी वस्तु को जिस पर झूठा चिन्ह लगा हो-

को प्रमाणीक करने के लिये काम में आता हो जिस प्रयोजन से झूठा बनावेगा कि उस चिन्ह अथवा निशान के होने से कोई लिखतम जो

ऐसी समय उस वस्तु पर जालसाजी से बनी हो अथवा पीछे बनाई जाने को प्रमाणिक दिखाई दे अथवा जो कोई मनुष्य इसी प्रयोजन से अपने पास कोई वस्तु रक्खेगा जिस पर अथवा लेख में इसी प्रकार का चिन्ह अथवा निशान जालसाजी से लगाया गया हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कठिन कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

४७७- जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से अथवा सब लोगों को या किसी मनुष्य को नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से किसी लिखतम को जो वसीयतनामा हो अथवा लड़का

छल छिद्र से किसी वसीयतनामे को बिगाड़ना नष्ट करना इत्यादि-

[illegible] आज्ञा का लेख हो अथवा दस्तावेज़ हो बिगाड़ेगा अथ [illegible]

[illegible] छुपावेगा या [illegible]

[illegible] भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी [illegible] जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी कि [illegible] जरीमाने के भी योग्य होगा-

ब्योपार और माल के चिन्हों के विषय में

४७८—कोई चिन्ह जो यह बात जतानेके लिये लगाया जाता
व्योपार का चिन्ह
हो कि यह माल फलाने मनुष्यने बनाया है अ
थवा तैयार किया है अथवा फलाने समय अथवा स्थान पर ब
नाया गया है अथवा फलाने प्रकार है वह व्योपार का चिन्ह
कहलावेगा—

४७९—कोई चिन्ह जो यह बात जताने के लिये लगाया जा
मालका चिन्ह
ता हो कि यह वस्तु फलाने मनुष्य फलाने मनुष्यकी
है वह मालका चिन्ह कहलावेगा—

४८०—जो कोई मनुष्य किसी माल पर अथवा संदूक अथवा बि
व्योपार झूठा चिन्ह काममें लाना
दरी पर अथवा और किसी वस्तु पर जि
में माल भरा हो कोई चिन्ह लगावेगा अथवा किसी चिन्ह लगी
हुई सन्दूक या बिदरी या और वस्तु को काममें लावेगा इस प्र
योजन से कि जिस माल पर वह चिन्ह लगी हुई संदूक अथवा बि
दरी अथवा और वस्तु में भरा है किसी ऐसे मनुष्य का बनाया
हुआ अथवा तैयार किया हुआ समझा जाय जिसने उसको न
कभी बनाया और न तैयार किया अथवा यह समझा जाय कि
य माल किसी ऐसे समय अथवा स्थान पर बनाया गया अथवा
तैयार किया गया था जिस पर न वह बनाया गया न तैयार किया
गया अथवा यह समझा जाय कि यह उस विशेष प्रकार का है जि
सका कि यह है नहीं तो कहलावेगा कि वह व्योपार के झूठे चि
न्हको काममें लाया—

४८१—जो कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अथवा माल पर अथवा सं
मालका चिन्ह झूठा बनाना
दूक पर अथवा बिदरी पर अथवा और कि
सी वस्तु जिसमें कुछ वस्तु अथवा माल भरा हो कोई चिन्ह लगा
वेगा अथवा चिन्ह लगी हुई किसी सन्दूक अथवा बिदरी क

थवा और वस्तु को काम में लावेगा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु अथवा माल जिस पर वह चिन्ह लगाया गया है अथवा जो वस्तु अथवा माल उस चिन्ह लगी हुई संदूक में अथवा विदरी में अथवा और वस्तु में भरा है किसी ऐसे मनुष्य का समझा जाय जिसका कि वह है नहीं तो कहलावेगा कि वह माल के झूठे चिन्ह को काम में लाया -

४८२ - जो कोई मनुष्य व्योपार का झूठा चिन्ह अथवा माल का झूठा चिन्ह किसी मनुष्य को धोखा देने अथवा नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से काम में लावेगा उसको दंड दोनों से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों को किया जायगा -

किसी मनुष्य को धोखा देने अथवा नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से व्योपार अथवा माल का झूठा चिन्ह काम में लाने का दंड

४८३ - जो कोई मनुष्य सब लोगों को अथवा किसी मनुष्य को नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से जान बूझ कर व्योपार अथवा माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको और कोई काम में लाता हो झूठा बनावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों किया जायगा -

नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से व्योपार अथवा माल कोई ऐसा चिन्ह जिसको और कोई काम में लाता हो

४८४ - जो कोई मनुष्य सब लोगों का अथवा किसी मनुष्य को नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से जान बूझ कर कोई ऐसा

[illegible] चिन्ह जिसको वह किसी माल का [illegible]

काम में लाना हो झूठा बनाना-

माल का चिन्ह जिसको कोई सर्वसंबंधी नो
रूप यह बात जताने के लिये काम में लाना हो कि यह माल फला
समय का अथवा फलाने स्थान का बना हुआ है अथवा फलाने
कार का है अथवा फलाने दफ्तर में होकर आया है अथवा किसी
माफ़ी के योग्य है झूठा बनावेगा अथवा झूठा जानबूझकर स
की भांति काम में लावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार व
कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायग
और जरीमाने के भी योग्य होगा-

४८५- जोकोई मनुष्य ठप्पा अथवा चपरास अथवा औज़ा

छलछिद्र से बनाना अथवा पास रखना किसी ठप्पे अथवा चपरास अथवा औज़ार का इसलिये कि कोई चिन्ह माल का अथवा व्योपार का चाहे सर्वसंबंधी चाहे निज का झूठा बनाया जाय-

जो माल का अथवा व्योपार का चि
बनाने अथवा खोटा करने के लि
चाहे वह व्योपार अथवा माल सं
बंधी हो चाहे निज का इस प्रयोज
से बनावेगा अथवा अपने पास र
गा कि उसको ऐसा चिन्ह झूठा ब
लेने के लिये काम में लावेगा अथवा अपने पास इसी प्रकार
कोई चिन्ह व्योपार का अथवा माल का इस प्रयोजन से रक्खे
कि वह यह बात जताने के लिये काम में आवे कि फलाना माल
या सौदागरी की वस्तु फलाने मनुष्य की अथवा फलाने
बनाने की कि जिसकी वह बनाई हुई नहीं है बनाई हुई स
मझी जाय अथवा जिस स्थान अथवा समय पर कि वह बन
ई नहीं गई थी उस समय अथवा स्थान पर बनाई गई समझ
जाय अथवा जिस प्रकार की वह नहीं है उस प्रकार की समझी
जाय अथवा जिस मनुष्य की कि वह नहीं है उसकी समझी जा
उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद

न बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा—

२५६—जोकोई मनुष्य किसी ऐसे मालको जिस पर अथवा जिस सन्दूक में या बेठन में या वस्तु में वह माल होउस पर झूंठा उसपर कोई झूंठा चिन्ह मालका अथवा ब्योपार का लगा हो अथवा छपा हो चाहे सर्वसंबन्धी हो चाहे निज का किसी को धोखा देने या नुकसान या हानि पहुंचाने के प्रयोजन से यह बात जान बूझ कर बेंचेगा कि यह चिन्ह झूंठा है अथवा जालसाज़ी से लगाया गया है अथवा जालसाज़ी से लगाया गया है अथवा किसी ऐसे माल पर अथवा सौदागरी की वस्तु पर लगाया गया अथवा छापा गया है जो उस मनुष्य की अथवा समय की अथवा उस स्थान की जो कि उस चिन्ह से जान पड़ता है बनी हुई नहीं है अथवा यह जानबूझकर कि जो प्रकार उस चिन्ह से जाना जाता है उस प्रकार की नहीं है दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी एक बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों किया जायगा—

जानमानकर बेंचना किसी माल का जिसपर ब्योपार अथवा माल का झूंठा चिन्ह लगा हो—

२५७—जो कोई छलछिद्र से कोई झूंठा चिन्ह किसी बिदरी पर अथवा और वस्तु पर जिस में माल भरा हो इस प्रयोजन से देगा कि कोई सर्वसंबंधी नौकर और मनुष्य उस बिदरी अथवा माल रखने की वस्तु में मालका होना समझे जो कि उसमें है नहीं अथवा ऐसे का नहोना समझे जो कि उस में है अथवा उस बिदरी

छलछिद्र से किसी बिदरी अथवा माल भरी हुई वस्तु पर झूंठा चिन्ह लगाना—

यावस्तुमें भरेहुए मालको उसके असल प्रकार या गुण से भि न्न दूसरे किसी प्रकार या गुणका समझे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैदका जिसकी म्याद तीन वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

४८८ – जो कोई मनुष्य ऐसे झूंठे चिन्ह को यह जानबूझ कर कि यह झूंठा है ऊपर कहे हुए प्रयोजन से काम में लावेगा उसको दंड पिछलीदफ़ा में लिखे अनुसार किया जायगा –

ऐसे झूंठे चिन्हको काममें लाने का दंड-

४८९ – जो कोई मनुष्य किसी माल को चिन्ह को हटावेगा अथवा बिगाड़ेगा अथवा मिटावेगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात प्रति संभवित जानकर कि इससे किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैदका जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

बिगाड़ना मालके चिन्हका नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से –

अध्याय १९
नौकरी का कौलक़रार दंड योग्य रीतिसे तोड़ने के विषयमें

४९० – जो कोई मनुष्य जिस पर किसी नीतिपूर्वक कौलक़रार के अनुसार किसी मनुष्य को अथवा माल को एक जगह से दूसरी जगह लेजाने में अथवा पहुंचाने में अपने शरीर से काम करना अथवा जल या थल के सफ़र में किसी मनुष्य की नौकरी बजाना अथवा जल या थल के सफ़र में किसी मनुष्य अथवा मा

जल अथवा थल के सफ़र में नौकरी के कौलक़रार को तोड़ना